खण्ड-457, अंक-2
शुक्रवार, 28 माघ, शक संवत् 1927
(17 फरवरी, 2006 ई0)

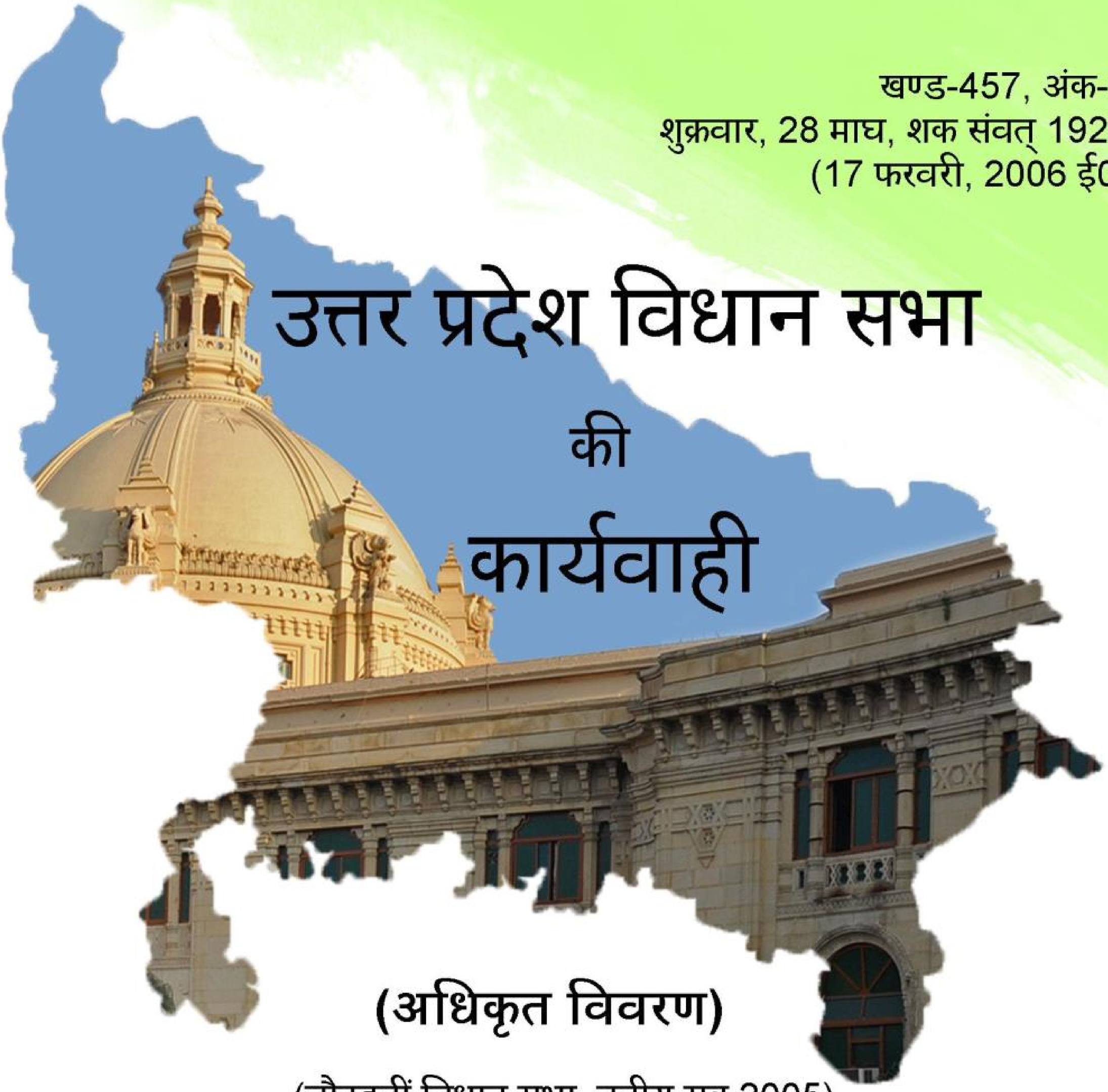

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 2005)

खण्ड 457 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2005

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	ग-च
प्रश्न प्रहर लिये जाने की मांग	1
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित स्टिंग आपरेशन विषयक सूचना	1-9
प्रश्नोत्तर	9-87
प्रश्नों का समय बढ़ाने तथा समय की कमी को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर पढ़ा हुआ माने जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	87-88
प्रश्नों के उत्तर में विरोधाभास के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	88-89
प्रश्नों का समय बढ़ाने तथा समय की कमी को दृष्टिगत रखते हुये उत्तर पढ़ा हुआ माने जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	89-92
पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट मैच जीतने वाले उत्तर प्रदेश के तीन खिलाड़ियों के लिये बधाई प्रस्ताव लाने की मांग	92
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	92-93
जनपद गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत कासिमाबाद को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	93
मेरठ की जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने हेतु मशीनें खरीद कर नालों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	93-94
जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित मार्गों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
प्रदेश की अल्प संख्यक संस्थाओं में विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति एवं रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94-95
लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र के गाँव दिलावर नगर-कहला तक आने वाली नहर की सिल्ट सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95
मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा के अनुरूप नगरों में विधायकों की संस्तुति पर प्रस्तावित-100 हैण्डपम्प अधिष्ठापित न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	95-96
दशमोत्तर कक्षा से ऊपर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र/छात्राओं को विगत वर्षों में छात्रवृत्ति न मिलने विषयक औचित्य का प्रश्न	96
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	96-98
उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2006 (पुर:स्थापित)	98
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	99-115
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रयकर) (संशोधन) विधेयक, 2006(पारित)	115-119

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-सख्या
उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 (जारी)	119-121
कोरम के प्रति सदन का ध्यानाकर्षण	121-122
उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 (पारित)	122-129
उत्तर प्रदेश में क्या भ्रूण हत्या पर अविलम्ब प्रभावी रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दिनांक 8 अगस्त, 2005 को नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	130-140
प्रदेश में क्या भ्रूण हत्या पर जारी चर्चा का समय बढ़ाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	140-141
उत्तर प्रदेश राज्य में कन्या भ्रूण हत्या पर अविलम्ब प्रभावी रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दिनांक 8 अगस्त, 2005 को नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	141-143
प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या पर जारी चर्चा का समय बढ़ाये जाने का पुनः प्रस्ताव (स्वीकृत)	143
उत्तर प्रदेश राज्य में क्या भ्रूण हत्या पर अविलम्ब प्रभावी रोक लगाये जाने के संबंध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दिनांक 8 अगस्त, 2005 को नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा	143-147
उत्तर प्रदेश के नगर निगमों द्वारा जनसुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु मार्ग दर्शक सिद्धान्त बनाये जाने के संबंध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन	147
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाय	147-149
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	149-150
नत्थी	151

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 17 फरवरी, 2006

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-337

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अक्षयबर लाल, श्री	बहराइच
अजय कुमार, डा0	बागपत
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री	बरेली
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अमर सिंह परमार, श्री	आगरा
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अलगू प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आर0एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
आलमबदी, श्री	आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
उज्जवल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कमाल युसूफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
छेदी राम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी

जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
जगदीश नारायण राय, श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकर नगर
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकर नगर
धू राम लोधी, चौधरी	हमीरपुर
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नरेन्द्र कुमार गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नारद राय, श्री	बलिया
परमजीत, श्री	मुजफ्फरनगर
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	चन्दौली
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट	जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री	इटावा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महेन्द्र सिंह , चौधरी	अलीगढ
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश द्विवेदी, श्री	कानपुर देहात
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मानपाल सिंह, श्री	एटा
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुलायम सिंह यादव, श्री	बदायूं
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर	बिजनौर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
योगेश प्रताप सिंह उर्फ	
योगेश भैया, श्री	गोण्डा
रंगनाथ मिश्र, श्री	संत रविदासनगर भदोही
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी ,श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राज लक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राबिया कलाम, श्रीमती	वाराणसी
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम चन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम मगन, श्री	बाराबंकी
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदासनगर भदोही
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू,श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले),श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेश कुमार खन्ना,श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
सोमारु राम सरोज, श्री	जौनपुर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

नोट:-श्री ख्वाजा हलीम, औद्योगिक विकास मंत्री भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्न प्रहर लिये जाने की मांग

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रमोद कुमार का नाम पुकारे जाने पर)

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मानयवर, अभी तो प्रश्न प्रहर है। पहले प्रश्न ले लें।

श्री अध्यक्ष-

स्टिंग आपरेशन की समस्या समाप्त हो जाने के बाद।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित स्टिंग आपरेशन विषयक सूचना

* श्री प्रमोद कुमार -

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो विषय है, सदन के सामने, अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। मुझे यह कहने में गर्व है और मैं अपने आपको सम्मानित महसूस करता हूँ। मैं उस उत्तर प्रदेश विधान सभा का सदस्य हूँ, जिसका गौरवशाली इतिहास रहा है, भारत के लोकतंत्र में, भारत की आजादी के इतिहास में, इसने उन महान विभूतियों को पैदा किया है, जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। यह श्रृंखला पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त, डा0 सम्पूर्णानन्द और चौधरी चरण सिंह और अन्य महान विभूतियों से शुरू हुई है। मान्यवर, इस सदन में बैठे लोगों की ईमानदारी पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। इनका गरिमामय इतिहास रहा है। पिछले दो दिनों से कुछ चैनल्स पर, विशेष रूप से दो चैनलों पर कुछ चीजें दिखायी जा रही हैं, उससे मान्यवर, निसंदेह इस सदन की गरिमा गिरी है। मान्यवर, जिस तरह से एक राज्य मंत्री को अपनी सरकारी गाड़ी में नशीले पदार्थ ले जाते और पैसा मांगते दिखाया गया है, वह निन्दनीय है, चिन्ताजनक भी है। जिस तरह से एक सम्मानित विधायक भारतीय जनता पार्टी के पैसा गिनते हुये दिखाये गये हैं, वह दुःखद है, कलंकपूर्ण है। जिस तरह से एक बसपा के सम्मानित विधायक को चीतल, हिरन का शिकार और हवाला के कारोबार का जिक्र करते दिखाया गया है, उससे निसंदेह इस सदन की गरिमा गिरी है और इस सदन का अपमान हुआ है। मान्यवर, यह गम्भीर विषय है। हमें यहां राजनीतिक दलों की प्रतिबद्धता से ऊपर उठना पड़ेगा। हम सामाजिक जीवन में हैं, हमें दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमसे ज्यादा अपेक्षायें हैं, हमें दिखाना पड़ेगा कि हम दूसरों से बेहतर हैं और दूसरों से ऊपर हैं तभी हम कोई आदर्श स्थापित कर सकते हैं। इस घटना से निसंदेह हमारे उस विश्वास को ठेस पहुँची है। हमारी उस विश्वसनीयता को संदेह उत्पन्न हुआ है। सारी स्थितियां साफ हों, लोक सभा का उदाहरण हमारे सामने है, वहां भी लगभग इसी तरह का प्रकरण आया था, इस पर मान्यवर, हाउस की एक कमेटी बनी थी और सदन की उस समिति ने एक निश्चित समय के अन्दर जो अपनी रिपोर्ट दी थी, उस पर सदन ने कार्यवाही की थी मैं भी इस मामले में आग्रह करूँगा कि पूरी तरह लोकसभा द्वारा जो परम्परायें पारित की गयीं हैं उनका पालन इस प्रकरण में भी किया जाना चाहिये। इसलिये इस सम्मानित सदन के सदस्यों की एक समिति बनाई जाय और उस समिति के सामने सभी को पूरा अवसर दिया जाय, जिन लोगों ने आरोप लगाये हैं और जिन लोगों पर आरोप लगे हैं। उस समिति की जब रिपोर्ट आ जाय तो हमें दृढ़तापूर्वक उसका पालन करना चाहिये, भले ही इससे हमें कष्ट ही क्यों न हो, और हमें भले किसी अंग को निष्कासित क्यों न करना पड़े, उससे हमें परहेज नहीं करना चाहिये। जब तक इस कमेटी की सिफारिश आये, तब तक ऐसे सदस्यों को सदन में नहीं रहना चाहिये। इस समिति की सिफारिश का पालन करते वक्त मैं आपसे यह भी अपेक्षा करूँगा, जैसी मैंने कल भी बात उठाई थी कि इनको सदन में नहीं आना चाहिये। मैं यह भी कहूँगा कि मंत्रि-

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परिषद् में ऐसे राज्य मंत्री का बना रहना लोकतंत्र के लिये उचित नहीं है। मैं आपसे बहुत ही विनम्रतापूर्वक आग्रह करूँगा कि इस मामले को एक समिति बनाकर हवाले कर दिया जाय और समिति का जो निष्कर्ष हो, उसको सभी शिरोधार्य करें।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर विषय होता चला जा रहा है। लगातार यह कुछ इस तरह की घटनायें, जिनको छिपाकर सी0डी0 या रील बनाकर चैनल पर दिखाई जा रही है, इससे सदन की गरिमा गिर रही है। सदन की गरिमा बनाये रखना हमारा कर्तव्य है किसी को बचाने का मेरा उद्देश्य नहीं है, अगर किसी ने कोई दोष किया है तो उसे बचाया न जाय, लेकिन यह भी ठीक नहीं है कि जब चाहे कोई आए और आ करके बैठ जाए, हम उसे गिलास दे रहे हैं और उसने दिखा दिया कि हम शराब पिला रहे हैं। मान्यवर, इस प्रकार से दुरूपयोग हो रहा है, वह न हो। यह अलग विषय है, हम माननीय प्रमोद कुमार जी ने जो बात कही है, उससे सहमत हैं कि एक समिति बना दी जाए और वह समिति सभी का पक्ष सुन करके अपनी रिपोर्ट दे और साथ ही उन लोगों को भी बुलाया जाए, जिन्होंने स्टिंग आपरेशन किया है, उसके बाद हम इस मामले में किसी निष्कर्ष पर हम पहुँचें। मान्यवर, इसमें दो पक्ष हैं, विधायक अलग हैं और मंत्री अलग हैं। विधायकों में अलग तरह से दिखाया गया है और मंत्रियों में जो दिखाया गया है, अगर वह सत्य है तो यह देश के प्रति अपराध है। नशीली दवाओं का अगर कोई मंत्री के सहयोग से व्यापार करता है और मंत्री का उसमें सहयोग रहता है तो यह देशद्रोह के बराबर अपराध है, यह आने वाली नस्ल को बरबाद करने का अपराध है। यह बहुत ही गम्भीर विषय है, मंत्रियों का यह नैतिक कर्त्तव्य है कि उन्हें स्वयं अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिये या मुख्य मंत्री जी उनसे इस्तीफा ले लें। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अगर वह निर्दोष पाये जाते हैं तो उन्हें पुन: पद दिया जा सकता है, लेकिन मान्यवर, हमें कुछ मानदण्ड अपनाने होंगे। मैं कमेटी का समर्थन करता हूँ, लेकिन साथ ही मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूँ कि इस सदन की परम्पराओं और मर्यादाओं की रक्षा करने के लिये वह कुछ कदम जरूर उठायें। गम्भीर अपराधों में जो लिप्त दिखाये गये हैं, अगर वह कमेटी की रिपोर्ट में निर्दोष पाये जाते हैं तो सजा देने का मेरा मतलब नहीं है लेकिन कमेटी की रिपोर्ट आने तक उन्हें अपने नैतिक कर्त्तव्य का पालन करना चाहिये।

* श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी सदन के कुछ माननीय सदस्यों को और मंत्रि-परिषद् के एक मंत्री पर जिस तरह से सी0एन0एन0, ए0बी0एन0 और चैनल-7 ने स्टिंग आपरेशन के माध्यम से राजनीति पर उंगली उठाते हुए इस बात को प्रदर्शित किया कि नेता बिकता है। इसमें चिन्हित दो विधायक, एक मंत्री और एक पूर्व मंत्री सहित मात्र चार लोगों के नाम पर राजनीति करने वाले सारे राजनैतिक चेहरों पर इन मीडिया कर्मियों ने 'नेता बिकता है' कह कर कालिख पोतने का काम किया है। यदि किसी ने गलती की है तो गलती करने वालों के साथ जिस तरह से सभी राजनीतिक चेहरों पर उंगली उठाने का जो दुस्साहस इन लोगों ने किया है, यह बहुत ही चिन्तनीय है। दूसरी चीज यह है कि मान्यवर, पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ एक्ट-1885 की धारा-25 के अन्तर्गत गुप्त रूप से, धोखे से, अनजाने में यदि कोई भी बात टेप की जाती है, तो यह दण्डनीय है। इनको किसने प्रमाण-पत्र दिया था जा करके जांच करने के लिये। राजनीति में शिष्टता होनी चाहिये, लेकिन राजनीति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिये। इसी राजनीति में एक से एक आदर्श पुरुष पैदा हुए हैं। डा0 अम्बेडकर, डा0 लोहिया, चौधरी चरण सिंह,पं0 जवाहर लाल नेहरू जैसे लोग भी नेता थे और आज भी इस राज्य में तमाम ऐसे विधायक और सांसद हैं, ऐसे तमाम राजनीति करने वाले लोग हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिन पर सपने में भी कोई उंगली उठाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। जिस तरीके से 'नेता बिकता है' का घिनौना इश्तहार प्रदर्शित करके मीडिया कर्मियों ने दु:साहसिक कार्य किया है। अब यह विषय केवल दो विधायक और माननीय मंत्री से संबंधित नहीं रह गया है, इसमें पूरे सदन का मखौल उड़ाया गया है, राजनीति करने वालों का मेखौल उड़ाया गया है। इसलिये माननीय अध्यक्ष जी, मैं मांग करता हूँ कि आप अपने स्तर से एक जांच कमेटी बैठाकर गम्भीरता से इसकी जांच करायें। इसके साथ ही साथ यह कौन नहीं जानता कि वीडियो कैसेट में टेम्परिंग, काटपीट में माहिर खिलाड़ी क्या-क्या खेल नहीं खेल सकते। कल की बात है, हमारे दल के एक सदस्य फूल बाबू जो पीलीभीत से विधायक हैं, उनके पास एक मीडिया कर्मी पहुँचा और उसने कहा कि हम आपके विकास कार्यों का लेखा-जोखा लेने के लिये आपसे मिलकर बात करना चाहते हैं, तो हमारे सदस्य ने कहा कि मुझसे बात करने से क्या होगा जो हमने विकास कार्य कराये हैं उसको आप देखें, जनता से मिलें, जनता आपको बतायेगी और जो कार्य नहीं कराये हैं और मेरे खिलाफ कोई बात आती है तो मेरे खिलाफ भी लिखो। उसने हमारे विधायक अनीस अहमद उर्फ फूलबाबू जो पूर्व मंत्री भी हैं, से कहा कि मेरे भी पेट है, आपसे बात करना चाहता हूँ, आपका हितैषी हूँ, मेरा भी ख्याल रखिये। ऐसे मीडियाकर्मी, विधायकों, सांसदों को ब्लैकमेल करके मीडिया के माध्यम से घिनौना चरित्र प्रदर्शित करने का भय दिखाकर राजनीतिक लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिये। (ब0स0पा0 के माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहता हूँ कि कोई भी नेता एक दिन में नहीं बनता है, 25-30 साल के अनवरत संघर्ष के बाद वह इस मुकाम पर आता है। हँसी मजाक में केवल यह कहकर कि 'नेता बिकता है', वाहवाही लूटना चाहते हैं। मीडिया के लोग अपनी वाहवाही लूटने और अपनी बाजार बढ़ाने के चक्कर में, सस्ती लोकप्रियता हासिल करके उपलब्धि पाना चाहते हैं। ऐसे लोग लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ पर कलंक हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के चौथे स्तम्भ प्रेस व मीडिया में ऐसे लोग जो कलंक हैं, उन्हें चिन्हित करके दण्ड की व्यवस्था करनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय , इसकी जांच कमेटी के माध्यम से होनी चाहिये। यदि कोई विधायक या मंत्री दोषी है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिये। मैं किसी भी भ्रष्टाचार में लिप्त विधायक, सांसद और मंत्री के बचाव का पक्षधर नहीं हूँ। मैं विशुद्ध राजनीति करने में विश्वास करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि इसी प्रकार की राजनीति करनी चाहिये। अगर किसी ने कहीं कोई गन्दगी अपने कार्यों से फैला रखी हो तो सार्वजनिक जीवन जीने वाले ऐसे लोगों को दण्ड देने में रंचमात्र भी संकोच नहीं करना चाहिये। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वाले लोग अभी-अभी दो दिन पहले बहुजन समाज पार्टी के विधायक अनिल मौर्य के पास, परसों शाम 7 बजे प्रसारण हुआ उसके पहले, चैनल-7 के मीडिया कर्मी का टेलीफोन गया कि विधायक जी आपसे बात करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि क्या बात करोगे, मैं बहुत व्यस्त हूँ बात नहीं कर सकता। तो मीडिया कर्मी ने कहा कि आप जाने आपका काम जाने, आप पछतावोगे। विधायक को किसी प्रकार की आशंका नहीं थी। 20 से 25 अक्टूबर के बीच कोई एक आदमी बहुजन समाज पार्टी का सदस्य बताकर विधायक जी से बात करता है और विधायक जी से बात करके , घर के सदस्यों से बात करता है और उनके यहां अवैध असलहे की बात करता है। माननीय अध्यक्ष, महोदय, मैंने छानबीन की, उनके घर के मेम्बरों के पास लाइसेंसी असलहे हैं। लाइसेंसी रिवाल्वर, राइफल और बन्दूक हैं। उनके घर के 14 मेम्बरों के पास दो दर्जन से ज्यादा लाइसेंसी हथियार हैं जिसके घर के लोगों के पास दो दर्जन लाइसेंसी हथियार हों वहां पर अवैध कट्टे और बंदूक दिखाई जाती है। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर अवैध असलहे होने का आरोप सही पाया जाता है तो जो भी कानून के अनुसार कठोर कार्यवाही होती है वह उनको दी जाय। मैं आपके माध्यम से नेता सदन से कहना चाहता हूँ, आप इस समय सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुये हैं, जो भी कमेटी आप बनायेंगे अगर अवैध असलहे

होने का आरोप सही पाया जाता है तो जो भी कठोर से कठोर कार्यवाही हो सकती है वह की जाय, मैं उसमें व्यवधान नही डालूँगा, उसमें सहयोग करूँगा। लेकिन लाइसेंसी शस्त्रों को अवैध असलहा दिखाकर किसी विधायक की छवि को धूमिल किया गया है, छवि को बिगाड़ा गया है उसकी सजा कौन उठायेगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? जो विधायक की छवि विधान सभा से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर उनकी छवि मटियामेट हो गयी है, उनकी छवि को बिगाड़ने के लिये सी0एन0एन0, ए0बी0एन0 चैनल-7 को क्या सजा देगे? यह बहुत गम्भीर प्रकरण है। अगर कोई अवैध असलहा उनके यहां नहीं है तो जिन लोगों ने यह घिनौना काम किया है उनको सजा दी जाय और जेल की सलाखों के पीछे भेजें। (मेजों की थपथपाहट) ऐसे लोग जिनको यह घिनौना चरित्र प्रस्तुत करने की महारत हासिल है उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये मान्यवर, जो मामला लोक सभा में हुआ है वहां पर कम से कम मीडिया कर्मियों ने पार्लियामेंट के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विधान सभा का मखौल उड़ाया गया है वह बहुत शर्मनाक है। लोक सभा में माननीय संसद सदस्यों और यहां के माननीय सदस्यों के चरित्र मे भिन्नता है। वहां पर प्रश्न उठाये जाने से संबंधित लेन-देन की बात थी, वह पूरे पार्लियामेंट से जुड़ा प्रश्न था लेकिन यहां पर इस प्रकार की कोई बात नही है। यहां पर लोकहित, जनहित, विधान सभा, विधान परिषद् से संबंधित, विधान मण्डल से संबंधित कोई ऐसी बात नहीं आयी है। यहां पर तो कोई चला गया और कहा कि पैसा दिया है, कौन दे रहा है यह नहीं है, हाथ में केवल पैसा दिखाया गया है। मैं बताना चाहता हूँ कि 5 हजार रुपये लेने का आरोप ए0बी0एन0 और चैनल-7 के लोगों ने लगाया है। मेरे पास विधायक के क्षेत्र के आर0ई0एस0 और अन्य विभाग के अधिकारियों ने टेलीफोन करके कहा कि एक नया पैसा भी विधायक जी ने विधायक निधि से कमीशन नहीं लिया है। श्री अनिल मौर्य विधायक के परिवार में लोग थी-स्टार होटल के मालिक हैं। एक भाई बनारस का सबसे बड़ा कालोनाइजर है। एक भाई एन0जी0ओ0 चलाते हैं जिसमें 80 इम्प्लाई हैं। उसमें ई0ई0, ए0ई0, जे0ई0 हैं। वह 5 लाख रूपये तनख्वाह बांटते हैं। जिस परिवार के लोग 5 लाख रूपये अपने कर्मचारियों को तनख्वाह बांटते है उस परिवार के विधायक को 5 हजार रूपये में बिकते दिखाया गया है।

(समय 11 बजकर 20 मिनट)

श्री अध्यक्ष-

कृपया संक्षेप मे अपनी बात रखें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैं कह देना चाहता हूँ कि स्टिंग आपरेशन की जो सी0 डी0 है कल इसी सदन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो आपकी पीठ पर भी विराजमान रह चुके हैं श्री केशरी नाथ त्रिपाठी ने इस बात को उठाया था कि इस सी0डी0 के द्वारा पूरे प्रदेश में जो राजनीतिज्ञों की छवि खराब की जा रही है उस सी0डी0 को आपके नियंत्रण में आना चाहिये। अध्यक्ष जी उस सी0डी0 में क्या है? कहां पर टेम्परिंग की गई है? कहा पर उन्होंने अपनी बात जोड़ दी है? कहां पर उन्होंने सदस्य की बात को काट दिया है।

श्री अध्यक्ष-

यह सब सुझाव कमेटी के सामने रखियेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैं आपके सामने इन बातों को इसलिये रख रहा हूँ जिससे वह कमेटी इन सारी बातों पर विचार कर सके। एक चीज मै आपके सामने रखना चाहता हूँ। सी0डी0 में यह दिखाया गया कि बसपा का विधायक

शिकारी है जबकि उसने अपनी जीवन में कभी अंडा तक नहीं खाया है। विधायक के बारे में बताया गया कि उन्होंने चीतल का शिकार किया जबकि उनसे पूछा गया कि आपके यहां जंगल है उसमें कौन-कौन से जानवर हैं, तो उन्होंने बताया कि यहां जंगल में हिरन हैं, चीतल हैं, भालू हैं और सी0डी0 में यह बताया गया कि वह उसका शिकार करते हैं। श्रीमन्, मौर्य समाज से मैं भी संबंधित हूँ अगर पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा शाकाहारी की जाति है तो वह मौर्य समाज है जो कभी मांस नहीं खाता है।

(भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य द्वारा यह कहने पर कि आप ब्राह्मण समाज पर आरोप लगा रहे हैं।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैंने तो केवल यह कहा कि प्रदेश में सबसे ज्यादा शाकाहारी समाज मौर्य समाज है। हम लोग शाक भाजी पैदा करते हैं वही खाते हैं। यह गम्भीर बाते हैं किसी भी अहिंसक व्यक्ति को हिंसक बता देना अपराध है। इत्तिफाक से मै लोकदल के रास्ते से जनता दल के बाद बहुजन समाज पार्टी में आया हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी का मूल कार्यकर्ता नहीं था। मैं इस बात का गवाह हूँ कि मेरे पास परचा दाखिल करने के लिये पैसा नहीं था। बहुजन समाज पार्टी की तत्कालीन महासचिव सुश्री मायावती जी ने मुझको केवल टिकट ही नहीं दिया बल्कि परचा दाखिल करने के लिये पैसा भी दिया था लेकिन विधायक के माध्यम से सी0डी0 में कहलाया गया कि इतना पैसा लिया जाता है। जिस विधायक ने यह बात कही है उस विधायक को मैंने बहुजन समाज पार्टी में शामिल करके टिकट दिलाया है। जिस व्यक्ति ने एक पैसा नहीं दिया उसके मुंह से कहलवाना यह सारी बातें चिन्ता का विषय है इसलिये मेरा अनुरोध है कि आपकी देखरेख में, आपकी अध्यक्षता में, आपकी निगरानी में कमेटी बननी चाहिये उस कमेटी में कौन सदस्य होंगे? कौन अध्यक्ष होगा? यह आप तय करेंगे। उसमें उन सदस्यों की बात भी सुनी जाय जिनके नाम है। स्टिंग आपरेशन की सी0डी0 आप निर्देश देकर मंगवा लें। उसकी लैबोरेटरी में जांच कराई जाय और जांच के बाद उस सी0डी0 की सत्यता मालूम होगी। उसके बाद अगर विधायक दोषी है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय अगर विधायक दोषी न हो तो स्टिंग आपरेशन करने वाले सी0एन0एन0, ए0बी0एन0 व चैनल-7 के लोगों को दंडित करके उन पर प्रतिबन्ध लगाने का काम किया जाय। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ अगर इन बातों पर विचार नही हुआ तो समाजवादी पार्टी में कौन आयेगा? बहुजन समाज पार्टी में कौन आयेगा? भारतीय जनता पार्टी में कौन आयेगा? इसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं करेंगे यह मीडिया वाले तय करेंगे कि किस पार्टी में लिया जाय और किसको पार्टी से निकाला जाय। ए0बी0एन0, सी0एन0एन0 और चैनल सेवेन आज जिस तरह से असत्य बात दिखाकर किसी को पार्टी से निकालने की हिदायत दे देंगे और राजनीति करने वाले इनकी उँगुली के इशारों पर नाचेंगे। मान्यवर, यह बहुत शर्मनाक बात है। आज मीडिया का इस तरह से हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है जो प्रजातंत्र पर एक बदनुमा दाग है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और इस विषय पर एक कमेटी बनाये जाने की मांग करता हूँ। अगर विधायक दोषी है तो उनके खिलाफ कार्यवाही हो और नहीं है तो इस तरह की सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वाले जो इस तरह का समाचार दे रहे हैं कि नेता बिकता है। इस तरह के मीडिया के लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

डा0 अजय कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, आज सदन बहुत ही गम्भीर विषय पर चर्चा कर रहा है। उत्तर प्रदेश विधान सभा का गौरवमय और गौरवशाली इतिहास रहा है। इस सदन की परम्परा और मर्यादायें उच्चस्तरीय रही हैं। हमारे सामने सम्पूर्णानन्द जी, पंडित जी, चौधरी साहब जैसे आदर्श पुरुष इस सदन के सदस्य के रूप में रहे और इस सदन की कार्यवाही के अंग रहे। मान्यवर, जो हमारे कुछ साथियों का आचरण विभिन्न चैनलों

पर इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा भ्रष्ट आचरण दिखाया गया है वह निःसंदेह दुःखदायी है, स्तब्धकारी और निन्दनीय है। इससे सदन की गरिमा को ठेस पहुँची है आज प्रजातंत्र में भ्रष्टाचार एक कोढ़ का रूप लेता जा रहा है। आज हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना होगा कि इस तरह की उँगलियां क्यों उठाई जाती हैं? हमको अपने आचरण में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मान्यवर, लोक सभा का उदाहरण हमारे सामने है इसी तरीके का मोर और लैस। मैं चाहूँगा कि उसी परम्परा के अनुसार यहां पर भी एक कमेटी बना दी जाय और उसमें इनका आचरण गलत सिद्ध पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। भ्रष्टाचार अधिनियम के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही करके उनके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज होना चाहिये। मान्यवर, यही लोकदल का मत है। मैं तो केवल इतना दोहराना चाहता हूँ कि आज सभी पक्ष के लोग चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों सब इस बात पर गम्भीरता से सोचें कि ऐसी बातें सामने क्यों आ रही है और उनसे उबरने के बारे में भी सोचना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

* श्री रामस्वरूप सिंह -

माननीय अध्यक्ष जी, आज जो विषय चल रहा है वह बहुत ही गम्भीर विषय है मैं और मेरा दल इस बात में विश्वास करता है कि पहले अपनी आलोचना करो उसके बाद दूसरे की आलोचना करो। भ्रष्टाचार आदि चीजें हमारे प्रान्त में ही नहीं बल्कि पूरे देश में है। नेताओं में भी है, मीडिया में भी है, अधिकारियों में भी है। यह बहुत गम्भीर संकट देश के सामने है, यह समाप्त होना चाहिये। उसके लिये सभी दलों को, अधिकारियों को अपने बारे में स्वयं मनन करना चाहिये और अपने बारे में सोचना चाहिये कि हमारा देश और समाज कैसे ठीक हो सकेगा? आप देख रहे हैं, मीडिया वालों से मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरी बेटी, मेरी पोती 500 रूपये में काम करती है। जो दुकान खोल रखी है उसमें पढ़ाने के लिये जाती है और पांच करोड रुपया कमाने वाले लोग भी इस देश में हैं। कितना बड़ा अन्तर है? जब देश आजाद हुआ था तब सारे देश के अन्दर केवल 70 लोग करोड़पति थे। वह सब मिलाकर एक भी कारखाना देश में खडा नहीं कर सके। सारे पूँजीपति मिलकर देश में कारखाना नहीं बना सकते थे। लेकिन बाद में, देश में किसानों, मेहनतकशों की सम्पत्ति चोरी करके उस पर टैक्स लगाकर, वर्तमान सरकारों ने जो कारखाने खडे किये, आज वह धन्नासेठ हो गये हैं। जो लोग एक भी कारखाना देश में खड़ा नहीं कर सकते थे वह आज देश में कारखाने खरीद रहे हैं। वह खरीदार बन गये हैं आज मान्यवर, देश के किसान जो मेहनतकश हैं। दूध बेच रहे हैं वह दूध नौ रुपये किलो बिक रहा है और जो जल होता है, मिनिरल वाटर, वह दस रुपये में बिक रहा है।

श्री अध्यक्ष जी-

जो विषय विचाराधीन है उस तक सीमित रखें।

श्री रामस्वरूप सिंह-

मेरा तो कहना है कि जितने राजनीतिक दल हैं। दल के तमाम चुने हुये सदस्य हैं। गैर चुने सदस्य हैं। उनकी आचार संहिता तैयार करनी चाहिये। टिकट देने में ईमानदारी बरती जाए यह सारी चीजें करें उसके बाद मीडिया वालों से क्या कहूँ, हँसी आती है यह ऐसे बन चुके हैं मैं आपको बताऊँ। मेरे खिलाफ एक अखबार वाला, जो सहारा टाइम्स में छापता था मैं उसको कोई अहमियत नहीं देता था। चुनाव होने वाले थे वह मेरे खिलाफ अखबार में छापता रहता था। जब एक हफ्ता चुनाव में रह गया तो वह मेरे पास टेलीफोन करता है, मास्टर जी, आपसे बात करना चाहता हूँ, आता हूँ आप मिलते नहीं हैं। कहने लगा आपने मुझे कभी विज्ञापन छपवाने के लिये नहीं दिया। मैंने कहा यह बताओ कौन सा अखबार है? और

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

विज्ञापन देने के लिये मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरे खिलाफ जो तुम छापते हो, तो मेरी बात सुन लो जो मेरे मतदाता हैं उसमे 80 प्रतिशत ऐसे हैं कि वह अखबार पढ़ते ही नहीं हैं बाकी जो 20 फीसदी हैं वह कौन ईमानदार हैं, कौन बेईमान है सब पहचानते हैं, जानते हैं। वह पढ़े लिखे हैं। (हँसी) चौथे दिन पता चला कि रिक्शावाले ने उस मीडिया वाले की पिटाई कर दी। वह भागा लेकिन रिक्शा वाले के खिलाफ कैसे आन्दोलन करे नेताओं के खिलाफ तो आन्दोलन किया जा सकता है। अधिकारियों के खिलाफ आन्दोलन हो सकता है लेकिन रिक्शे वाले के खिलाफ आन्दोलन कैसे करें? रिक्शावालों के खिलाफ तो कोई आन्दोलन नही कर सकता है। मैं सी0पी0एम0 का आदमी हूँ। पहले जमाने में छोटे-छोटे अखबार होते थे वह बांटे जाते थे। राजनेताओं से लेकर मीडिया के लोग सब देश की सेवा करते थे। छोटे-छोटे अखबार पढते थे। आज के मीडिया वालों का चरित्र क्या है। नेता जी ने कमरा दे दिया उसमे तीसरे दिन सोफासेट बदलते हैं। कहां से बदला जाता है उसमें ए0सी0 लगे हुये हैं सारी बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। आप बता दें कौन से किरायेदार को अधिकार होता है कि तोड़-फोड करके सारी बिल्डिंग का रूप बदल दे। मेरी समझ में नहीं आता है किरायेदार बिल्डिंग के मूल रूप को कैसे बदल सकता है? गॉव की एक कहानी है वह सुनाना चाहूँगा। गॉव में जो चक्की होती है, चक्की को बनाने वाला गॉव मे गया। एक बुढिया ने उससे चक्की बनाने को कहा

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री रामस्वरूप सिंह-

चक्की बनाने वाले ने चक्की में हथौड़ा मारा तो बुढ़िया के छप्पर में छींका लटका था उसमें घी का दोना रखा था वह दोना गिर गया फिर जब वह बाहर निकला, चादर लगी, किवाड़ कमजोर थे, वह टूट गये, फिर बूढा मिल गयी, पानी लेने गयी थी, नहीं-नहीं फिर उसने हाथ पकड़ लिया, उसने झटका दिया तो उनका हाथ टूट गया, वह रोने लगी, तब उसने कहा कि घर चली जा कहां तक रोयेगी? तो इस देश में कितना रोओगे, सब जगह वही स्थिति है।

श्री अध्यक्ष-

अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री रामस्वरूप सिंह-

सब मिलकर देश को ठीक करो, हमारे सात करोड़ बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, किसानो और मजदूरों की दुर्दशा हैं। आपने 58 साल में गॉव के गरीबों को क्या दिया?

श्री अध्यक्ष-

यह विषय नहीं है, यह कोई जनरल डिबेट नहीं है।

श्री रामस्वरूप सिंह-

तो इसे भी हम सब को देखना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य अब आप अपनी बात समाप्त करें।

मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष जी, सभी नेताओं ने जो समिति या जांच समिति का सुझाव दिया है, हम पूरी तरह से सहमत हैं। जांच समिति एक बनाई जाये क्योंकि सार्वजनिक जीवन से जुडे लोगों से जनता आशा करती है कि वे स्वच्छ और आदर्श हों, जिससे प्रेरणा ले सकें, सभी लोग। हम विधायक हों, चाहे मंत्री हों, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उसे कमेटी देखेगी, हम अपने स्तर पर भी देखेंगे। उनके खिलाफ जो कार्यवाही की जा सकती है,की जाय इसके पक्षधर हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सवाल हैं, जो जांच समिति होगी, उसमें वह आने चाहिये।

कानून में रिश्वत लेना-देना दोनों ही अपराध है, इसकी भी जांच होनी चाहिये। यह जांच समिति में आना चाहिये और दूसरा तथ्य है, क्या रिश्वत लेने के लिये बुलाया था या देने गये थे? हम तथ्य की बात कहना चाहते हैं। अगर मान लीजिये बिना जांच किये किसी माननीय सदस्य को सजा दे दी जाये और उसके बाद वह निर्दोष साबित होता है तब ये क्या नेचुरल जस्टिस है कि बिना जांच के ही सजा दे दो? तो हमारी आप से मांग है कि जो भी कमेटी बने, वह इन सवालों को भी पूछे। दूसरी बात है कि आपके सामने यह आना चाहिये कि जो चैनल में दिखाये गये हैं, कितना सही है, कितना जोड़ा है, कितना काटा गया है। यह आना चाहिये। यह सवाल लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक गम्भीर संकट का है कि राजनीतिज्ञों पर धीरे-धीरे जनता का विश्वास उठ रहा है और यही नहीं, न्यायपालिका, जो उच्चतम न्यायालय के सिटिंग जज के खिलाफ भी अगर टेपिंग हो तो उस पर भी जनता का विश्वास उठेगा। अगर लोकतंत्र और न्यायपालिका दोनों पर जनता का विश्वास उठ जायेगा तो इसका विकल्प केवल तानाशाही ही रहेगा। हम भ्रष्टाचार के पूरी तरह से खिलाफ हैं। चाहे विधायक हो, मंत्री हो, अगर वह भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उस पर कार्यवाही के हम पक्षधर हैं। लेकिन यह भी सवाल महत्वपूर्ण है कि जो लोग यह टेप करने आये, वह लोग कैसे आये? किसने भेजा? क्यों भेजा? क्या वह लालच में आये थे? उनका लक्ष्य क्या था? माननीय प्रमोद कुमार जी, आप वकील भी हैं, आपको पता है कि कि जो सिद्धान्त है उसका भी ख्याल रखा जाता है। मैं ज्यादा नही कहना चाहता हूँ। इस पर सबने अपनी बातें रखी हैं, उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सी बातों से मैं सहमत हूँ। यह जांच समिति दोनों पक्षों को सुने। इसमें माननीय सदस्यों को भी सुना जाये और उन चैनल वालों का भी पक्ष लें जिन चैनलों ने यह खबर दी है पूरे देश में और राजनीतिज्ञों पर सबसे ज्यादा हमला किया है, जैसे सारे बेईमान हो गये हों। कितनी आवाजें ऐसी हैं जो हमारी आवाज है ही नहीं। कुछ नेताओं की ऐसी आवाज दिखाई जाती है जो उसकी नेचुरल आवाज है ही नही और वह आवाज में खरा बोल रहा है। इसलिये जो जांच समिति आप नियुक्त करें और जब जांच कमेटी बैठे तो उसमें आप इस पर गम्भीरता से विचार करें। अगर मंत्री या विधायक दोषी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा अगर देनी है तो उससे मैं सहमत हूँ। लेकिन इन सारे बिन्दुओं पर भी विचार करना उचित हो गया है। लेकिन आज मीडिया जिस तरह से अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिये जो चाहे कह दे, इतनी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिये किसी को भी। रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध है। यह कानून है। इसलिये दोनों पक्षों की बात सुनकर समिति फैसला ले। आप समिति बना दीजिये। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि चाहे मंत्री या विधायक हो, यदि भ्रष्टाचार मे लिप्त हो तो हम उसके खिलाफ हैं।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, मैं एक बात इसमें और कहना चाहता हूँ कि यह जो स्टिंग आपरेशन के लोग थे इन्होंने इनको कितने रूपये मे चैनल को बेचा और चैनल ने जब इसको दिखाया उस दिन चैनल को कितनी आमदनी हुई, यह भी जांच मे आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

मैंने कांग्रेस के नेता श्री प्रमोद कुमार, नेता प्रतिपक्ष, नेता बहुजन समाज पार्टी, नेता राष्ट्रीय लोकदल, नेता मार्क्सवादी पार्टी और नेता सदन को सुना और सबको इस बात में आम सहमति है कि इसकी जांच के लिये एक कमेटी बना दी जाये। मैं विचार करके एक समिति बना दूँगा और जो बिन्दु यहां उठे हैं इन सारे बिन्दुओं को उसमें रिफर किया जायेगा और वह समिति जांच करके रिपोर्ट देगी। मैं प्रयास करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इसी विधान सभा सत्र में बजट पारित होने के बाद, सत्रावसान होने के पहले जांच रिपोर्ट आ जाये। अगर किन्ही कारणों से लम्बी जांच हो गयी तो उसमें समय बढ़ाया जायेगा और जैसी रिपोर्ट आयेगी उसके आधार पर सदन जैसा चाहेगा वैसा निर्णय ले लेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, 'नेता बिकता है' चैनल पर जारी रहेगा? यह शब्द हटाया जाय, इसमे प्रतिबन्ध लगाया जाय।

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)-

यह विधान सभा का अपमान है। पूरी विधायिका का अपमान है। इस पर रोक लगायी जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

वैधानिक पहलू देखकर इसमे निर्णय लिया जायेगा, आज ही निर्णय ले लिया जायेगा।

प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष-

अभी इस समय 11.45 हुआ है प्रश्न प्रहर शेष है अत: हम प्रश्नो को लेते हैं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

राज्य के औद्योगिक विकास के क्षेत्र में विनिवेश हेतु कार्यक्रम।

*1श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य के औद्योगिक विकास के क्षेत्र में विनिवेश हेतु कौन से कार्यक्रम अपनाये गये हैं? क्या इसके कोई सकरात्मक परिणाम प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री ख्वाजा हलीम)-

औद्योगिक विकास विभाग के खेत्र मे संप्रति विनिवेश हेतु कोई कार्यक्रम नहीं अपनाये गये हैं।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नही उठता।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनायेंगे और हम और आप जानते हैं कि प्रदेश में बिना औद्योगिक विकास, बिना विनिवेश हुए प्रदेश का पिछडापन या औद्योगिकीकरण संभव नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से आश्चर्यचकित हूँ कि उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण विनिवेश हेतु कोई कार्यक्रम नहीं अपनाये गये हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कृपया माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो सदन में अभी बजट भाषण प्रस्तुत किया है उसको देखने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न पूछिये।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

दोनो मे कोई समन्वय नही है। मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई विनिवेश नीति नहीं बनायी गई है और वही मुख्य मंत्री जी की घोषणा है कि विनिवेश के लिये नीति बनायी गई है।

श्री अध्यक्ष-

यह तो बजट भाषण का है। यह आप उससे क्यों जोड़ रहे हैं? आप प्रश्न पूछिये।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं यह जानता हूँ कि यह बजट भाषण का है। लेकिन माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा दिये गये वक्तव्य में अंतर है और इसका क्या कारण है? प्रदेश को औद्योगिक दिशा में,

प्रगति की दिशा में ले जाने के लिये क्यो नही कार्यक्रम बनाये गये हैं यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ?

श्री ख्वाजा हलीम-

मैंने कहा कि कार्यक्रम कोई नहीं है। नीति बनाई जायेगी तो कार्यक्रम बना लिया जायेगा। यह बजट भाषण पढ़ रहे हैं यह नीति का है।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से बजट भाषण की दो लाइन पढ़ना चाहूँगा। इसमें लिखा है कि 'प्रदेश में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति, ऊर्जा नीति, हाई टेक टाउनशिप विकास नीति, चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति एवं नई आसवनी इकाइयों की स्थापना क्षमता विस्तार नीति की संरचना की गई है। फलस्वरूप पिछले दो वर्षों में रू0 48000 करोड के 1205 निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुये है जो कि अपने आप में एक रिकार्ड है।'

श्री अध्यक्ष-

यह बजट भाषण मे कहियेगा। इसमे क्यों जोड रहे हैं?

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, विनिवेश का संकट है। माननीय औद्योगिक विकास मंत्री का कहना है कि कुछ नही हुआ और माननीय मुख्य मंत्री जी, जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते है उन्होंने स्पष्ट घोषणा की है बजट भाषण में।

श्री अध्यक्ष-

बजट में घोषणा करना अलग बात है और पहले इसका उत्तर देना अलग बात है। आप सिर्फ इतना कहें कि आप जानना क्या चाहते हैं?

श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं तो बस यही जानना चाहता हूँ कि दोनो मे अन्तर होने का क्या कारण है?

श्री ख्वाजा हलीम-

पहला सवाल जो है वह डिस्इन्वेस्टमेण्ट पर है और यह बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेण्ट की।

श्री अध्यक्ष-

औद्योगिक विकास के क्षेत्र में विनिवेश हेतु कौन से कार्यक्रम अपनाये गये हैं, आपका यह प्रश्न हैं।

श्री ख्वाजा हलीम-

तो मान्यवर, प्रश्न है विनिवेश से सम्बन्धित और यह अब बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य आप जरा इसकी हिन्दी स्पष्ट कर दें।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, विनिवेश का अर्थ है इन्वेस्टमेण्ट, डिस्इन्वेस्ट इसका अर्थ नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा अब इसे छोड़िये कोई दूसरा प्रश्न पढ़िये अब।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, अब तो अंग्रेजी की डिक्शनरी मंगवानी पड़ेगी, हिन्दी-अंग्रेजी की, नहीं तो आप ही इसका निर्णय कर दीजिये कि माननीय मंत्री जी सही हैं या माननीय सदस्य सही हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, आप का कहना है विनिवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेण्ट और आपका कहना है कि विनिवेश का मतलब दूसरा होता है।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, हिन्दी में आपसे ज्यादा प्रगाढ़ विद्वान तो और कोई है नहीं, जहां तक हमारी जानकारी है प्रश्न का आशय भी विनिवेश का है।

श्री ख्वाजा हलीम-

आपका आशय क्या है यह मैं नहीं जानता लेकिन जो सवाल में लिखा है उसका उत्तर मैंने दिया है।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी आप ही स्पष्ट कर दीजिये वरना यह बराबर से ब्रीफिंग हो जायेंगे और फिर उत्तेजित होकर खड़े हो जायेंगे, तो मैं इसका अर्थ निवेश मानकर के प्रश्न कर रहा हूँ कि इन्वेस्टमेण्ट का कोई कार्यक्रम है कि नहीं है, मेरा प्रश्न यह है? मैं इस शब्द को निकाल करके अंग्रेजी का शब्द कहता हूँ जिसका अर्थ आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेण्ट का कोई कार्यक्रम है कि नहीं है और यदि कोई कार्यक्रम है तो उसके अन्तर्गत अभी तक क्या-क्या कार्यक्रम जारी है?

श्री ख्वाजा हलीम-

मान्वर, इसका जवाब तो मैंने दे दिया है और अब जो यह कह रहे हैं मैं इसका जवाब बाद में दे दूँगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी आपका कहना है कि प्रश्न इन्वेस्टमेण्ट से संबंधित है और विनिवेश का मतलब इन्वेस्टमेण्ट नहीं होता है और माननीय हुकुम सिंह जी का कहना है कि अगर यह नहीं है तो आप इसका उत्तर इन्वेस्टमेण्ट मान करके ही दें। अगर आपके पास इसके उत्तर से संबंधित कोई सूचना नहीं है तो सीधे कह दीजिये कि प्रश्न से संबंधित नही है।

श्री ख्वाजा हलीम-

मान्यवर, यह प्रश्न से संबंधित नहीं है।

(व्यवधान)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण बात है इस प्रश्न के संदर्भ में, मान्यवर, यह परम विद्वान लोगों का मामला है, ये निवेश को विनिवेश नहीं समझते और विनिवेश को निवेश नहीं समझते हैं ऐसा नहीं है और दूसरी बात मान्यवर, कि प्रश्न यदि विनिवेश के संबंध में पूछा जाय और उसका आशय निवेश से हो श्रीमन् यह कभी नहीं हो सकता कि विपरीत अर्थ वाले शब्द विनिवेश को निवेश मान लें, इसे हुकुम सिंह जी अच्छी तरह समझते हैं। श्रीमन्, सदैव के लिये तय हो जाना चाहिये जो प्रश्न आप पूछे, उत्तर आपको उस प्रश्न का चाहिये, उससे विपरीत प्रश्न का उत्तर आपको नहीं चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

मैंने कह दिया यह उत्तर से संबंधित नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा प्रश्न अनुपूरक है, माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इसका मतलब डिस्इन्वेस्टमेण्ट है। मान्यवर, मंत्री जी ने खुद कहा कि इन्वेस्टमेण्ट के बारे में प्रश्न करेंगे तो उत्तर दे देंगे।

श्री अध्यक्ष-

उनका कहने का आशय यह था कि जब आप इस तरह का प्रश्न करेंगे और उसकी अनुपूरक सामग्री उनके पास नहीं होगी तो वह उत्तर कहां से देंगे? सारी सामग्री लाकर करके और उससे स्थिति जानकर ही उत्तर देंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, अनुपूरक प्रश्न जो होते हैं वह माननीय मंत्री जी के उत्तर से ही तो संबंधित होते हैं। आपने कहा कि यदि इन्वेस्टमेण्ट के बारे में प्रश्न करेंगे तो बता देंगे। तो मेरा प्रश्न है कि इन्वेस्टमेण्ट के बारे में कोई कार्यक्रम है या नहीं। अगर नहीं है तो उस पर क्या विचार है?

श्री ख्वाजा हलीम-

मायवर, इसका उत्तर अभी कैसे दिया जा सकता है? अलग से इसका प्रश्न कीजिये तो अलग से इसका उततर दे देंगे। आप फिर से प्रश्न कर लें, जवाब दे देंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप अपने प्रश्न को पुनः लगा दें। फिर इसी सत्र में हम उसे लगवा देंगे। आपका प्रश्न विनिवेश के बारे में है, विनिवेश निवेश नहीं है। यह प्रश्न अलग है। आप प्रश्न निवेश के बारे में लगा दें, उसको स्वीकार करके जल्दी से लगवा देंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, भारत सरकार में विनिवेश के लिये अलग से मंत्रालय बनाया गया है और इसके समय में वहां वह मंत्रालय बना। आज विनिवेश भी इनको निवेश नजर आता है।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न दुबारा कर देंगे, तो हम लगवा देंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

यह उत्तर प्रदेश है यहां विनिवेश का कल्चर नहीं चलेगा।

हुकुम सिंह-

मान्यवर, अनावश्यक रूप से कुछ बाते कहकर और भारत सरकार का हवाला ले करके इस तरह से उसका दुरुपयोग किया जाय यह ठीक नहीं है इसको कार्यवाही से निकाला जाय।

प्रदेश में मांग व आपूर्ति के अनुपात की जानकारी

*2 डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में विद्युत की मांग व आपूर्ति का अनुपात क्या है? क्या यह सही है कि विद्युत उत्पादन अत्यन्त कम होने के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में घोषित 14 घंटे व 18 घंटे विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है? यदि हां, तो इस विफलता के क्या कारण हैं? सरकार ने इसे दूर करने के लिये क्या कोई कार्य योजना बनाई है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण व ऊर्जा मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)-

प्रदेश में वर्तमान में विभिन्न स्तर के नगरों/क्षेत्रों में प्रतिदिन घोषित विद्युत आपूर्ति के घंटों के अनुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने हेतु औसतन प्रतिदिन लगभग 5800 मेगावाट विद्युत मांग के सापेक्ष विद्युत की उपलब्धता औसतन प्रतिदिन लगभग 5000 मेगावाट है।

जी हां।

मांग के सापेक्ष उत्पादन न होना, विद्युत अनुपलब्धता है।

जी हां।

(1) विद्युत उत्पादन में वृद्धि के लिये उ0 प्र0 विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा नई परियोजनायें प्रस्तावित की जा रही है।

(2) उत्पादन इकाइयों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

(3) निजी क्षेत्र में ऊर्जा प्राप्ति हेतु तापीय व जल विद्युत परियोजनाए लगाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(4) ऊर्जा प्राप्ति हेतु केन्द्रीय सेक्टर तथा अन्य परियोजनाओं से अल्पकालीन व दीर्घकालीन अनुबन्ध पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, सरकार ने तो स्वीकार कर लिया कि 14 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में और 18 घंटे नगरीय क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति हम पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं।मेरा प्रश्न है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में इस वक्त कितनी-कितनी विद्युत आपूर्ति की जा रही है और उसके लिये कितनी विद्युत की आवश्यकता है और, उत्पादन और आवश्यकता के बीच का जो अन्तर है, इस वक्त उस अन्तर को कहां-कहां से आप पूरा कर रहे हैं?

श्री शिव पाल सिंह यादव-

मान्यवर, अभी जो ग्रामीण क्षेत्र में 14 घंटे, तहसील स्तरीय नगर में 15 घंटे, जनपद स्तरीय नगर में 16 घंटे और मंडल स्तरीय नगर में 18 घंटे, महानगर में 20 घंटे, बुन्देल खण्ड क्षेत्र में 16 घंटे और औद्योगिक पोषक में 24 घंटे तो इस तरह से अभी जो बताया है कि करीब 5800 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता है और हमारे पास है 5000 मेगावाट, तो इस तरीके से करीब 800 मेगावाट की कमी है तो 800 मेगावाट की कमी है तो उसमें कहीं न कहीं कटौती करनी पड़ेगी। तो कोई कटौती है उसमें भी हमने प्रयास किया है जो नई उद्योग की इकाइयां हैं जैसे रिहन्द योजना है, इस वर्ष आने वाली है और टिहरी योजना भी शुरू होने वाली है, हमने प्रयास किया है, विष्णु प्रयाग योजना उसमें भी शुरुआत किया है तो इस योजना में हमारा जल्दी प्रयास है जब यह योजनायें लागू हो जायेंगी तो और सुधार हो जायेगा और हमारा प्रयास है कि विद्युत में जल्दी से जल्दी सुधार हो, यह हमारा प्रयास है।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैंने मंत्री जी से यह जानना चाहा था, सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि 14 घंटे और 18 घंटे बिजली हम नहीं दे पा रहे हैं, जी हां, यह सरकार का उत्तर है जब हमने यह पूछा कि 14 घंटे और 18 घंटे विद्युत आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो कितनी कर पा रहे हैं और शेष को कर पाने के लिये कितनी अतिरिक्त विद्युत की आवश्यकता है? उस अन्तर को कहां से ले रहे हैं तो मेरे उस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिला है?

श्री अध्यक्ष-

इसमें अब आपने बताया कि टिहरी योजना, विष्णु प्रयाग योजना से ले रहे हैं कुछ शुरू हो रही है।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, नहीं ले रहे हैं इन्होंने कहा कि शुरू होने जा रही है विष्णु प्रयाग योजना अभी शुरू भी नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, आपका कहना यह है कि जो भी विद्युत आपूर्ति करते हैं वह कहां-कहां से प्राप्त करते हैं क्योंकि आपके पास उतनी बिजली नहीं है, यह जानना चाहते हैं?

श्री शिव पाल सिंह यादव-

मान्यवर, अभी मैंने बताया कि 800 मेगावाट की कमी है, वैसे तो मैंने अभी शुरू किया है, पारीक्षा वाली यूनिट हमने शुरू किया है तो पारीक्षा में हमें अभी विद्युत मिलेगी, पारीक्षा में अभी यह एक यूनिट तैयार होने वाली है, वह तैयार हो जायेगी और 210 मेगावाट बहुत जल्दी शुरू हो जायेगी। तो 800 मेगावाट की जो कमी है तो उतनी कटौती तो करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष-

इनका प्रश्न यह है कि 5000 मेगावाट जो प्रतिदिन सप्लाई होती है वह अपने कारखानों से करते हैं या कहां से करते हैं यही तो आपका आशय है?

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मेरा आशय इतना है सरकार ने जब यह उत्तर में स्वीकार कर लिया कि 14 घंटे और 18 घंटे बिजली हम नहीं दे पा रहे हैं तो वह कितनी दे पा रहे हैं 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे जो दे पा रहे हैं उसके लिये उत्पादन से अतिरिक्त बिजली की जो आवश्यकता है वह कहां-कहां से प्रतिदिन ली जा रही है? मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ।

श्री शिव पाल सिंह यादव-

मान्यवर, 2700 मेगावाट केन्द्र से और 2300 प्रदेश का उत्पादन है। तो इतना उत्पादन है 2700 मेगावाट केन्द्र से ले रहे हैं और 2300 प्रदेश का उत्पादन है।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपका संरक्षण चाहिये। ऊर्जा महत्वपूर्ण विषय है। मैंने यह जानकारी चाही थी कि प्रदेश में 800 मेगावाट की कमी है तो यह 800 मेगावाट कहां-कहां से उपलब्ध करा रहे हैं और कितनी-कितनी करा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष-

बता तो दिया कि कटौती कर रहे हैं, बात आ गयी, उन्होंने जवाब दे दिया और कोई दूसरा प्रश्न करना हो, तो करें।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मंत्री जी ने जवाब में बताया कि कुछ नई योजनायें शुरू होने वाली हैं, यह नई योजनायें क्या-क्या हैं और इनसे कितना उत्पादन होगा?

श्री शिव पाल सिंह यादव-

देखिये, अभी हमारे रिहन्द में 210 मेगावाट 31-3-2006 तक तैयार हो जायेगी, इसकी दूसरी यूनिट 210 मेगावाट की 31-10-2006 तक। टिहरी में 350 मेगावाट अप्रैल तक। विष्णु प्रयाग में 1-4-06 तक 88 मेगावाट, उसके बाद दूसरी यूनिट 88 मेगावाट और तीसरी यूनिट 88 मेगावाट 1-10-2006 तक पूरी हो जायेगी। उसके अलावा अनपरा-सी में एग्रीमण्ट हुआ है, 31 मार्च तक 210 मेगावाट का। परीक्षा में 6 मांह में 210 मेगावाट। हरदुआगंज में अभी निर्णय लेना बाकी है, विचार चल रहा है तो इस तरह से हम प्रयास कर रहे हैं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने बताया कि विभिन्न श्रेणी के महानगरों और नगरों में इतने घंटे बिजली आपूर्ति होती है। महानगरों को बिजली की आपूर्ति 20 घंटे होती है। इनका जवाब मेरे पास है और इलाहाबाद का रिकार्ड भी मेरे पास है। इलाहाबाद में मई, 2005 में 18 घंटे 58 मिनट, जून, 2005 में 19 घंटे 12 मिनट, जुलाई, 2005 में 18 घंटे 42 मिनट और अगस्त, 2005 में 17 घंटे 18 मिनट बिजली की आपूर्ति की गयी है जबकि मंत्री जी ने 20 घंटे आपूर्ति महानगरों की बताई है। तो इन्होंने सदन के समक्ष गलत तथ्यों को क्यों प्रस्तुत किया? दूसरा प्रश्न मैं जानना चाहूँगा।

(श्री राम करन आर्य द्वारा बीच में टोका-टोकी करने पर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप शान्त रहें, माननीय सदस्य को प्रश्न करने दें।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने 20 घंटे आपूर्ति बताया, जबकि 20 घंटे से कम आपूर्ति की गयी है। मान्यवर, प्रदेश के कितने जनपद हैं, चाहे वह महानगर हों, नगर हों, सब बराबर हैं। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूँगा कि अगर यह सरकार सबके साथ समानता का व्यवहार करती है तो जनपद इटावा, मैनपुरी और औरैया को 24 घंटे बिजली क्यों दी जा रही है और इलाहाबाद जैसे शहरों को कटौती क्यों की जा रही है?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, वैसे इलाहाबाद में 20 घंटे बिजली देना हमारे शिड्यूल में है। माननीय सदस्य अपने समय को याद करें, जब इटावा, औरैया में छः घण्टे भी बिजली नहीं दे रहे थे, हम तो 21 घंटे बिजली दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब समाप्त करें।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरों, महानगरों के बारे में काफी प्रश्न हो गये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरी व्यक्तिगत जानकारी को सही मान करके, 'ऐसे बहुत से ग्रामीण क्षेत्र, जहां दो घंटे भी बिजली नहीं दी जा रही है और यहां तक कि दो-दो दिन तक बिजली के दर्शन नहीं हो रहे हैं' ऐसे क्षेत्रों की जांच करायेंगे? क्योंकि आपको सही जानकारी नहीं दी गयी है। मैं व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कह रहा हूँ कि मेरे जनपद में ग्रामीण अंचलों में ऐसे अनेकों गाँव हैं, जहां पर दो-दो दिन तक बिजली के दर्शन तक नहीं होते हैं, क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, वैसे तो आदेश 14 घंटे बिजली देने के हैं, लेकिन माननीय सदस्य ने जो कहा है, हम इसे दिखवा लेंगे और जहां पर भी आप सूचना देंगे, वहां पर भी समुचित ध्यान दिया जायेगा और हमारा प्रयास यही है कि 14 घंटे लोगों को बिजली मिले।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

पूर्वांचल व बुन्देलखण्ड में नई औद्योगिक इकाई स्थापित किये जाने पर सुविधायें

*1 श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड में नई औद्योगिक इकाई स्थापित करने पर सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रूप में कौन-कौन सी सुविधायें प्रदान करने का निर्णय लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ख्वाजा हलीम-

राज्य सरकार द्वारा पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड में नई औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने हेतु निम्न विशेष सुविधायें प्रदान करने का निर्णय लिया गया है-

1. रू0 10 करोड़ या अधिक पूंजी निवेश करने वाली नई इकाईयों को 10 वर्ष के लिये ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना। पायनियर इकाइयों के लिये यह सुविधा 15 वर्ष के लिये उपलब्ध होगी।
2. नई लघु/लघुत्तर इकाईयों को स्टैम्प शुल्क से पूर्ण छूट तथा अन्य इकाईयों को 50% छूट।
3. सभी इकाईयों को रू0 2 प्रति हजार (अधिकतम रू0 5000) शुल्क अदा करने पर पंजीकरण की सुविधा।
4. मध्यम तथा वृहत् उद्योगों को 15 वर्ष के लिये कैपिटल गुड्स, प्लाण्ट, मशीनरी तथा स्पेयर पार्टस पर प्रवेश कर से छूट।

प्रश्न नहीं उठता।

(मंत्री जी द्वारा प्रश्न का उत्तर पढ़ा गया)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, जो आपने उत्तर पढ़ा है, वह मेरे पास नहीं है, आखिर इसमें भिन्नता क्यों है? मेरे पास जो प्रश्न है, वह यह है कि क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु पूर्वान्चल और बुन्देलखण्ड में औद्योगिक इकाई स्थापित करने पर सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रूप में कौन-कौन सी सुविधायें प्रदान करने का निर्णय लिया गया है? और आप दूसरा प्रश्न पढ़ रहे हैं। क्या आपने ब्रीफिंग नहीं की है?

श्री ख्वाजा हलीम-

मान्यवर, शायद मैं दूसरा पढ़ गया हूँ। मैं इसे पुनः पढ़ देता हूँ।

(मंत्री जी द्वारा तारांकित प्रश्न सं0-1 का सही उत्तर पढ़ा गया।)

श्री अध्यक्ष-

जो उत्तर पहले लिखा गया है, उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाए और माननीय मंत्री जी, भविष्य में इसका ध्यान रखें।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, अगर वह गलत उत्तर कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा तो आपका निर्देश भी गायब हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

निर्देश नहीं गायब होगा, वह रहेगा।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये जो घोषणा की गई है, उसके फलस्वरूप पूर्वांचल में और बुन्देलखण्ड में कौन-कौन से उद्योग स्थापित हुये हैं?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी बतायें कि कौन-कौन से उद्योग बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल में स्थापित हुये हैं? मंत्री जी, माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि जो आपने सुविधायें दी हैं, उसका महत्व और उसके अन्तर्गत कौन-कौन से उद्योग बुन्देलखण्ड में स्थापित हुये?

(औद्योगिक विकास मंत्री द्वारा अनुपूरक उत्तर देने में विलम्ब होने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न मैं स्थगित करता हूँ। अब यह प्रश्न दूसरे दिन आयेगा।

तारांकित प्रश्न

विद्युत उत्पादन में वृद्धि हेतु कार्ययोजना

*1 श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की मांग के अनुरूप विद्युत उत्पादन में वृद्धि हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई है? यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कोई कार्य कराये गये हैं? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

(अ) विद्युत उपादन में वृद्धि के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा निम्न परियोजनाओं के संबंध में कार्यवाही की जा रही है:-

1- 2x500 मे0वा0 अनपरा "सी" परियोजना।

2- 2x210 मे0वा0 पारीछा तापीय परियोजना।

3- 2x250 मे0वा0 हरदुआगंज तापीय विस्तार परियोजना।

4- 2x250 मे0वा0 पारीछा तापीय विस्तार परियोजना।

5- 2x660 मे0वा0 अनपरा "डी" विस्तार परियोजना

(ब) उक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा उत्पादन बढ़ाने हेतु निम्नलिखित इकाईयों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण किया जा रहा है:-

(1) पनकी

(2) पारीछा

(3) ओबरा "अ"

(4) ओबरा "ब"

(5) हरदुआगंज

(6) अनपरा "अ"

(स) केन्द्र और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम टेहरी हाइड्रो डेवलपमेण्ट कारपोरेशन द्वारा टेहरी में 1000 मे0वा0 क्षमता का टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना फेज-1 निर्माणाधीन है।

(द) निजी क्षेत्र में लगने वाली विभिन्न परियोजनायें:-

(1) विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना क्षमता 400 मे0वा0 जिसमें उत्तर प्रदेश का अंश 1795 मि0 यू0 है।

(2) रोजा ताप विद्युत परियोजना क्षमता 600 मेगावाट जिसमें उत्तर प्रदेश का अंश 40655 मि0 यू0 है।

(3) दादरी गैस परियोजना क्षमता 3740 मे0वा0 जिसमें उत्तर प्रदेश का अंश 1530 मे0वा0 है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

(ऊर्जा मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने प्रश्न का उत्तर पढ़ना प्रारम्भ किया)

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, इस उत्तर को पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, मंत्री जी को पढ़ने दीजिए।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, समय कम है, अगर पढ़ा हुआ मान लेते हैं तो मुझे अनुपूरक पूछने का अवसर मिल जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी प्रश्न का उत्तर पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें पढ़ने दीजिए।

(इसी बीच ऊर्जा मंत्री अपने आसन पर बैठ गये)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मो0 आजम खां)-

मान्यवर, ऐसी परिपाटी नहीं रही है कि प्रश्न का उत्तर सदन में नहीं पढ़ा जाता हो, सदन में उत्तर आने दीजिए।

(ऊर्जा मंत्री ने पुनः प्रश्न का उत्तर पढ़ना प्रारम्भ किया)

*श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

उत्तर प्रदेश विकास परिषद् द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास हेतु दिये गये सुझावों पर कृत कार्यवाही

*2 डा0 अजय कुमार-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश विकास परिषद् द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास कराने हेतु कुछ सुझाव दिये गये हैं? यदि हां, तो वे सुझाव क्या हैं? क्या इन सुझावों पर कोई कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ख्वाजा हलीम-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश विकास परिषद् द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास पर अलग से कोई चर्चा नहीं की गई है। अपितु समस्त उत्तर प्रदेश के विकास हेतु कई सुझाव दिये गये हैं।

उत्तर प्रदेश विकास परिषद् द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर निम्न नीतियां राज्य सरकार द्वारा घोषित की गयी।

- औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2004
- ऊर्जा नीति-2003
- हाईटेक टाउनशिप विकास नीति
- लघु उद्योग नीति
- हथकरघा नीति
- खादी एवं ग्रामोद्योग विकास नीति
- सूचना प्रौद्योगिकी नीति
- जैव प्रौद्योगिकी नीति
- चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति

प्रश्न नहीं उठा।

*3 चौधरी महेन्द्र सिंह-

[उसरे मंगल के तारा0 प्र0 सं0 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अनपरा तापीय परियोजना, अनपरा, सोनभद्र में नियोजित संविदा श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न होने की शिकायत पर कृत कार्यवाही

*4 श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अधीन अनपरा तापीय परियोजना, अनपरा, सोनभद्र में नियोजित संविदा श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का

---

*नोट:- नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न संख्या-1- के उपरांत प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

भुगतान न होने की शिकायतों पर जिलाधिकारी, सोनभद्र के निर्देश पर उप श्रमायुक्त, मीरजापुर क्षेत्र पिपरी सोनभद्र के समक्ष संविदा श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान कराने के संबंध में मुख्य महाप्रबंधक, अनपरा तापीय परियोजना अनपरा, सोनभद्र के आदेश दिनांक 09-03-2004 का अनुपालन संबंधित अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार अनपरा परियोजना में कार्यरत संविदा श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किये जाने हेतु समुचित व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (मुलायम सिंह यादव)-

मुख्य महाप्रबंधक अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र के पत्र दि0 9-3-04 समस्त अधि0 अभिनता अनपरा अ/ब तापीय परियोजना अनपरा, सोनभद्र को संबोधित करते हुये यह निर्देशित किया गया है कि संविदा श्रमिकों को उप श्रमायुक्त पिपरी के आदेशों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करें। इस संबंध में पुन: दिनांक 31-3-04 को मुख्य महाप्रबंधक द्वारा निर्देश भेजे गये हैं, जिसके अनुपालन में अवर अभियन्ताओं के समक्ष संविदाकार द्वारा नियोजित श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान कराया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी, पिपरी, सोनभद्र द्वारा भी इसका निरीक्षण किया जाता रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्त वर्णित स्थिति में वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा प्रदेश में पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु योजना

*5 डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विगत दो वर्षों में प्रदेश में किन योजनाओं हेतु कितना निवेश उद्योगपतियों द्वारा किया गया है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश में पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार क्या कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ख्वाजा हलीम-

उत्तर प्रदेश में वृहद् एवं मध्यम उद्योग स्थापित किये जाने हेतु वर्ष 2004 में 14249 करोड़ रू0 के 428 प्रस्ताव (आशय पत्र/इच्छा पत्र) प्राप्त हुये तथा 2005 में माह अगस्त तक 25675 करोड़ रूपये के 532 प्रस्ताव (आशय पत्र/इच्छा पत्र) प्राप्त हुये।

जी हां।

प्रदेश सरकार पूंजी निवेश के प्रोत्साहन देने हेतु समय-समय पर संगठनों से सुझाव प्राप्त कर तद्नुसार कार्यवाही करती रहती है। प्रदेश में औद्योगिक विकास विभाग द्वारा औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2004 घोषित की गयी है। इसके अलावा अन्य विभागों द्वारा भी नीतियां घोषित की गयी है जैसे-

- ऊर्जा नीति-2003
- हाईटेक टाउनशिप विकास नीति

- सूचना प्रौद्योगिकी नीति
- जैव प्रौद्योगिकी नीति
- चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति

उद्यमियों को शीघ्र स्वीकृतियां प्रदान किये जाने के उद्देश्य से औद्योगिक निवेश बोर्ड का गठन किया गया है तथा लखनऊ, कानपुर के मध्य उच्च स्तरीय अवस्थापना सुविधायें प्रदान किये जाने के उद्देश्य से लखनऊ इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेण्ट अथारिटी (लीडा) का गठन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

*6 श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[5वे सोम के तारा0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बिजली के तारों की चोरी को रोकने हेतु उपाय

*7 श्री कौशल किशोर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चोरों द्वारा बिजली के तारों की कटिंग की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा कोई उपाय किये गये हैं? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

बिजली के तारों की चोरी को रोकने हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा लाइनों के पैट्रोलिंग किये जाने की व्यवस्था की गई है तार चोरी की सूचना मिलते ही संबंधित थानों पर प्राथिमिकी दर्ज करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालय निर्माण की योजना

*8 श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या ग्रामीण क्षेत्रो में सार्वजनिक शौचालय निर्माण की कोई योजना है? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायती राज मंत्री (मुलायम सिंह यादव)-

जी हां।

सामुदायिक शौचालय काम्पलेक्स का निर्माण केन्द्र वित्त पोषित सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का एक घटक है-

1- सामान्य तौर पर सामुदायिक शौचालय काम्पलेक्स उन्हीं ग्राम पंचायतों में बनाये जाने का प्राविधान है, जहां पर परिवारों के पास व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध न हो तथा ग्राम पंचायत या समुदाय, सामुदायिक शौचालय के संचालन, साफ-सफाई एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी वहन करने को तैयार हों।

2- सामुदायिक शौचालय का निर्माण तभी कराया जा सकता है, जब व्यक्तिगत शौचालय बनना सम्भव न हो।

3- सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, सार्वजनिक स्थलों, हाट बाजारों एवं मेला स्थलों पर भी कराया जा सकता है।

4- कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व में रू0-51,500.00 की लागत से महिला शौचालय काम्पलेक्स का निर्माण किया जाता था, जिसे संशोधित कर पुरुषों एवं महिलाओं के लिये संयुक्त रूप से सामुदायिक शौचालय काम्पलेक्स का नाम दिया गया है। संशोधित मार्ग निर्देशिका के अनुसार सामुदायिक शौचालय की लागत रू0-2.00 लाख तक हो सकती है, जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश, 20 प्रतिशत राज्यांश तथा 20 प्रतिशत पंचायत अंश निर्धारित है।

*9 श्री नवाब सिंह नागर-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2005 में नागरिकों को बिजली आने और चली जाने की जानकारी दिये जाने की व्यवस्था

*10 श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2005 में नागरिकों को बिजली आने और चली जाने की जानकारी दिये जाने की व्यवस्था है? यदि हां, तो क्या इसका पालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

यथासंभव प्रयास किये जाते हैं, परन्तु विषम परिस्थितियों में प्रणाली की सुरक्षा हेतु पूर्णतः अनुपालन कर पाना संभव नहीं हो पाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में विद्युतीकरण कराये जाने की योजना

*11 श्री राम इकबाल सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में विद्युतीकरण कराये जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त अविद्युतीकृत ग्राम एवं प्रदेश में अविद्युतीकृत ऐसे ग्राम जिसमें विद्युत आपूर्ति बिजली के उपकरणों में टूट-फूट एवं तारों की चोरी के कारण विद्युत की अपूर्ति पूर्णतया बाधित हो गई है ऐसे ग्रामों को सम्मिलित करते हुये कुल 30,852 ग्रामों के विद्युतीकरण कराये जाने की कार्य योजना वर्तमान में सम्मिलित है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान करने एवं ग्रामों के विद्युतीकरण के फलस्वरूप बढ़े हुये विद्युत भार को वहन करने के लिये द्वितीय प्रणाली एवं निम्न विभव के प्रणाली तंत्र को सुदृढ़ करने की कार्य योजना सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्त करने की सरकार की नीति

*12 डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्त करने के संबंध में सरकार की वर्तमान में नीति क्या है? क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि जनवरी, 2004 से सितम्बर, 2005 तक कितनी फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है?

श्री मुलायम सिंह यादव-

1- प्रदेश में फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्ति प्रदान करने के लिये शासन द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत निम्न श्रेणी की फिल्मों की मनोरंजन कर से मुक्ति प्रदान करने हेतु व्यवस्था की गयी है:-

(1) द चिल्ड्रेन फिल्म सोसायटी द्वारा निर्मित अथवा अधिग्रहीत फिल्म।

(2) भारत सरकार से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म तथा सर्वश्रेष्ठ हिन्दी फीचर फिल्म एवं सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म।

(4) भारत सरकार के फिल्म डिवीजन द्वारा निर्मित डाक्यूमेन्ट्री फिल्म।

(5) परिवार कल्याण पर आधारित फिल्म, जिसका 75 प्रतिशत भाग परिवार नियोजन पर ही हो।

(6) राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार/राजकीय उपक्रम अथवा एन0एफ0डी0सी0 एवं अधिकृत सहकारिता संस्थान द्वारा निर्मित उद्देश्यपूर्ण फिल्में, जो उपरोक्त श्रेणी में सम्मिलित न हों।

(7) ऐसी फिल्में, जिनका प्रदेश में फिल्मांकन-

(अ) 50 प्रतिशत से अधिक परन्तु 75 प्रतिशत तक फिल्मांकन किया गया है। (50 % छूट)

(ब) 75 प्रतिशत से अधिक फिल्मांकन किया गया हो।

2- जनवरी, 2004 से सितम्बर, 2005 तक 30 फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है।

उ0 प्र0 में वास्तविक निवेश एवं श्रोतों की जानकारी

*13 डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, 2003 से अक्टूबर, 2005 तक उत्तर प्रदेश में कुल कितना वास्तविक निवेश हुआ तथा किन-किन श्रोतों से?

श्री ख्वाजा हलीम-

सन् 1991 से आर्थिक उदारीकरण के पश्चात् उद्योगों हेतु पंजीकरण/लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य नहीं रह गया है अत: निवेश की सम्पूर्ण सूचना किसी एक बिन्दु पर उपलब्ध नहीं रहती है। मध्यम एवं भारी उद्योगों के संबंध में भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत औद्योगिक विकास विभाग से प्राप्त सूचना में दाखिल आई. ई.एम./एल.ओ.आई. की सूचना को निवेश का सूचकांक (इण्डीकेटर) माना जाता है।

अगस्त, 2003 से अक्टूबर, 2005 तक भारत सरकार से प्राप्त वृहद एवं मध्यम उद्योगों में निवेश हेतु 1044 आशय पत्र/इच्छा पत्र रू0 40421 करोड़ निवेश हेतु दाखिल किये जा चुके हैं। यह चीनी उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, लघु उद्योग एवं विविध प्रकार के क्षेत्रों से संबंधित निजी क्षेत्र का निवेश है।

प्रदेश में पेट्रोल-डीजल पर ट्रेड टैक्स कम करने पर विचार

*14 डा0 राम बाबू हरित तथा श्री धर्मपाल सिंह -

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में पेट्रोल-डीजल पर सरकार द्वारा कितना ट्रेड टैक्स लिया जा रहा है? क्या यह सही है कि यह टैक्स अन्य प्रदेशों से अधिक है? यदि हाँ, तो क्या सरकार पेट्रोल-डीजल पर ट्रैड टैक्स कम करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव

दिनांक 25-11-2004 से पेट्रोल पर 25 प्रतिशत तथा दिनांक 7-8-2004 से डीजल पर 21 प्रतिशत व्यापार कर लिया जा रहा है। दिनांक 01-05-2005 से रूपये 50 लाख से अधिक के टर्न ओवर के व्यापारियों की उक्त वस्तुओं की कर योग्य टर्न ओवर पर 1 प्रतिशत की दर से राज्य विकास कर भी विधि के अनुसार लिया जा रहा है।

जी नहीं।

जी नहीं।

ट्रेड टैक्स कम करने का औचित्य नहीं है।

पूर्ववर्ती उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में घोटाले की जांच

*15 श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या उर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्ववर्ती उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में हुये अरबों रूपये घोटाले की सी0बी0आई0 जांच हेतु अधिसूचना जारी करने विषयक श्री भानू प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 12-4-2005 एवं प्रश्नकर्ता का पत्र 22-3-2005 जो मुख्य मंत्री एवं मुख्य सचिव, उ0 प्र0 को सम्बोधित है, उन्हें प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 में वाहन पंजीकरण शुल्क में कमी से राजस्व हानि रोकने हेतु कार्य योजना

*16 श्री देवकी नन्दन कोरी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अन्य प्रान्तों की अपेक्षा वाहन पंजीकरण शुल्क अधिक होने के कारण रजिस्टर्ड होने वाले वाहनों में कमी से प्रदेश को हो रही राजस्व की हानि को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कोई कार्य योजना बनाई जा रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-)

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

---

* (देखिये नत्थी क आगे पृष्ठ -151- पर)

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-81 के अन्तर्गत वाहनों का पंजीकरण शुल्क निर्धारित है, जो सभी प्रान्तों में समान दर से लागू है। अत: उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड होने वाले वाहनों के पंजीकरण शुल्क के सन्दर्भ में प्रदेश सरकार को कोई हानि नहीं हो रही है।

पूर्वांचल में गायों की नस्लों के सुधार हेतु कार्य योजना

*17 श्री राम करन आर्य-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गायों की नस्लों के सुधार हेतु पूर्वांचल में कोई योजना बनाई जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद बस्ती में गायों की साहीवाल नस्ल के प्रोत्साहन के लिये पशु गर्भाधान केन्द्र स्थापित करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

पशुधन मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह)-

विभाग द्वारा वर्तमान में पूर्वांचल में गायों की नस्लों के सुधार हेतु विभिन्न विभागीय योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं।

जनपद बस्ती में गायों की साहीवाल नस्ल के प्रोत्साहन के लिए समस्त कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर उन्नतशील साहीवाल प्रजाति के अतिहिमीकृत वीर्य स्ट्राज उपलब्ध कराये जा रहे हैं जो साहीवाल नस्ल एवं उससे मिलती-जुलती प्रजातियों में साहीवाल नस्ल के संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुये प्रजनन कार्यों में प्रयोग किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

विभाग द्वारा साहीवाल नस्ल के प्रोत्साहन, संवर्द्धन एवं संरक्षण हेतु पूर्व से ही विभिन्न विभागीय योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं।

दुधवा नेशनल पार्क में पेड़ों की अवैध कटान व जंगली जानवरों का अवैध रूप से शिकार रोकने हेतु योजना

*18 श्री आर0 एस0 कुशवाहा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-खीरी में स्थित दुधवा नेशनल पार्क में पेड़ों की अवैध कटान व जंगली जानवरों का अवैध रूप से हो रहे शिकार को रोकने हेतु सरकार कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो वह योजना क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

दुधवा नेशनल पार्क में पेड़ों के अवैध कटान व जंगली जानवरों के अवैध रूप से हो रहे शिकार को रोकने हेतु पूर्व से ही निम्न योजनायें चल रही हैं:-

(क) वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करने हेतु दुधवा राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 1988 में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना "प्रोजेक्ट टाइगर" में सम्मिलित किया जा चुका है!

(ख) दुधवा राष्ट्रीय पार्क में वनों एवं वन्य जीवों के प्रबन्धन हेतु 10 वर्षीय प्रबन्ध योजना वर्ष 2000-01 से 2009-2010 तक बनायी गई है। इस प्रबन्ध योजना के अन्तर्गत वृक्षों के अवैध कटान एवं वन्य जीवों के शिकार को रोकने हेतु भी प्राविधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त वर्तमान में वन अपराध को रोकने हेतु वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम-1972 एवं भारतीय वन अधिनियम-1927 प्रभावी अधिनियम हैं, जिसके तहत वन अपराधियों के ऊपर प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

थाना रामनगर जनपद-वाराणसी में दर्ज मुकदमें की जांच व कृत कार्यवाही

1- श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना-रामनगर, जनपद-वाराणसी में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या-118/1997 दिनांक 23-6-97 जो रूपये 1 करोड़ 86 लाख की वसूली करने संबंधी है, की भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा जांच की जा रही है? क्या यह सत्य है कि तत्कालीन मुख्य मंत्री, उ0 प्र0 ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र सं0-पी/11/सी0एम0-1/2003, दिनांक 30-1-2003 के विरुद्ध संख्या-10 में सी0बी0आई0 जांच की संस्तुति की थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

थाना रामनगर जनपद वाराणसी में दर्ज मुकदमा सं0-118/97 में थाना रामनगर, वाराणसी द्वारा विवेचना करके श्री आर0सी0 मालवीय के विरुद्ध आरोप पत्र सं0-30, दिनांक 9-2-98 मा0 न्यायालय में दाखिल कर दिया गया था। प्राप्त सूचना के अनुसार मामला मा0 न्यायालय में न्यायाधीन है।

उक्त प्रश्न में उल्लिखित भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा की जा रही जांच भी इसी प्रकरण से संबंधित है, जिसमें उक्त संगठन द्वारा मुकदमा सं0-76/2002 धारा 409 भा0द0वि0 के अन्तर्गत थाना अलीनगर, चन्दौली में पंजीकृत कराकर जांचोपरान्त श्री आर0सी0 मालवीय, भण्डारी (सेवाच्युत) के विरुद्ध आरोप पत्र सं0-7/2003 दिनांक 12-7-03 मा0 न्यायालय सी0जे0एम0, चन्दौली के समक्ष दिनांक 7-8-03 को दाखिल कर दिया गया था। प्राप्त सूचना के अनुसार मामला मा0 न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन है।

जी हां।

सचिव (समन्वय एवं लोक शिकायत) मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली के द्वारा मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ को सम्बोधित अर्द्धशा0 पत्र सं0-228/32-03-डी0एस0पी0ई0, दिनांक 21-10-03 द्वारा सूचित किया था कि प्रश्नगत प्रकरण में सी0बी0आई0 जांच किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बाराबंकी के कस्बा सहादतगंज में अतिरिक्त बसें चलाने की मांग

2- श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा सहादतगंज जनपद बाराबंकी में परिवहन निगम की कितनी बसें संचालित हैं? क्या यात्रियों की संख्या को देखते हुये संचालित की जा रही बसें अपर्याप्त हैं? यदि हां, तो क्या असुविधा को देखते हुये कम से कम दो बसें और लगाई जायेंगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

एक मिनी बस से 2 अप व 2 डाउन ट्रिपों में संचालन किया जा रहा है।

यात्रियों की संख्या के दृष्टिगत संचालित बसों की संख्या पर्याप्त है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बाराबंकी के कस्बा सूरतगंज के निकट फीडर लाइन का निर्माण

3- श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के कस्बा सूरतगंज के निकट स्थापित 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र से कस्बा सूरतगंज तक फीडर लाइन बनाने हेतु रुपये 5 लाख अवमुक्त किये गये थे? यदि हां, तो क्या उक्त फीडर लाइन बना दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रणाली सुधार के अन्तर्गत बाराबंकी के कस्बा सूरतगंज के निकट स्थापित 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र से कस्बा सूरतगंज तक फीडर लाइन, बनाने हेतु पैकेज स्वीकृत हुआ है जिसका वित्तीय लिंकेज भी अनुमोदित हो गया है। आवश्यक सामग्री की व्यवस्था कर ली गयी है। प्रश्नगत कार्य दिनांक 31 मार्च, 2006 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

जनपद बाराबंकी के कस्बा सूरतगंज से तहसील रामनगर तक राजकीय परिवहन निगम की बसों का संचालन

4- श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा सूरतगंज जनपद बाराबंकी से तहसील रामनगर तक (20 किमी0) राजकीय परिवहन निगम की बस संचालित न होने के कारण नागरिकों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग पर राजकीय परिवहन निगम की बसों को संचालित किया जायेगा? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सन्दर्भित मार्ग राष्ट्रीयकृत नहीं है। अतः निगम की बसों का संचालन उपयुक्त नहीं है। निजी बसों के संचालन पर विचार किया जायेगा।

जनपद बाराबंकी के कस्बा सूरतगंज के लिये कैसरगंज डिपो से पूर्व की भांति बसों का संचालन

5- श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि कस्बा सूरतगंज जनपद बाराबंकी के लिये पूर्व में कैसरगंज डिपो से लगभग 14 बसें प्रतिदिन चलाई जा रही थीं जिनको घटाकर अब मात्र तीन-चार बसें ही संचालित की जा रही हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त डिपो से पूर्व की भांति बसें संचालित करायेगी? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

कैसरबाग डिपो से सूरतगंज जनपद बाराबंकी के लिये पूर्व में मात्र एक बस संचालित थी जिस पर अब 5 बसों द्वारा प्रतिदिन 9 अप 9 डाउन सेवायें संचालित की जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्व से अधिक बसें संचालित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महाराजगंज की तहसील निचलौल के गावों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

6- श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महाराजगंज की तहसील निवलौल के ग्राम- धमऊर, पिपरा, बेदौली, बसहीखोर में बिजली के खम्भों की आपूर्ति की जा चुकी है, परन्तु विद्युतीकरण का कार्य अधूरा है? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद महाराजगंज के तहसील निचलौल के ग्राम धमऊर, पिपरा, बैदौली बलहीखोर में पोल रखे हुए हैं। ग्राम बेदौली एवं बलहीखोर के मुख्य पुरवा पहले से ही विद्युतीकृत है। ग्राम धमऊर एवं पिपरा का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत प्रस्तावित है और उसका विद्युतीकरण वर्ष 2006-07 के अन्त तक कर दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

जनपद महाराजगंज के नगर क्षेत्र सिसवा में विद्युत आपूर्ति की कमी का प्रकरण

7- श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महाराजगंज के नगर क्षेत्र सिसवा में 14 घण्टे से कम विद्युत आपूर्ति की जा रही है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि 01 अक्टूबर, 2004 से 28 फरवरी, 2005 तक किन-किन तिथियों में विद्युत आपूर्ति 14 घण्टे से कम की गयी और क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हॉं।

दिनांक 1-10-04 से 28-2-05 की अवधि में दिनॉंक 24-10-04, 19-12-04, 18-2-05, 20-2-05 तथा 27-2-05 के अतिरिक्त शेष दिवसों में 14 घण्टे से कम विद्युत आपूर्ति की गई।

प्रदेश में मांग के सापेक्ष विद्युत की उपलब्धता कम होने के कारण विद्युत आपूर्ति 14 घण्टे से कम की गई

जनपद महाराजगंज में संचालित दुग्ध एकत्रीकरण कार्यक्रम समितियों के माध्यम से कराने का प्रकरण

8- श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महाराजगंज में संचालित दुग्ध एकत्रीकरण कार्यक्रम समितियों के माध्यम से कराने के क्रम में क्या महाराजगंज निचलौल-सिसवा घुघुली मार्ग पर भी

दुग्ध समितियों का गठन कराकर दुग्ध एकत्रीकरण का कार्य प्रारम्भ करायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

दुग्ध विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री कामेश्वर उपाध्याय-

जी हाँ, महाराजगंज निचलौल मार्ग पर वर्तमान में 32 समितियाँ गठित है जिनसे दुग्ध एकत्रीकरण किया जा रहा है। निचलौल-सिसवा मार्ग पर 05 समितियाँ गठित है। जिनसे दुग्ध एकत्रीकरण किया जा रहा है। सिसवा घुघली मार्ग पर 30 नई समितियों का संगठन कार्य पूरा कर लिया गया है। सिसवा घुघली मार्ग पर वर्तमान में संगठन कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा समितियों को सामान (केन दुग्ध परीक्षण संयंत्र आदि) पहुंचाए जा रहे हैं साथ ही साथ सचिवों के कार्य से संबंधित प्रारम्भिक सामान्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कर शीघ्र समितियों से दुग्ध उपार्जन कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

अनपरा तापीय परियोजना के राख निस्तारण तालाब हेतु रिहन्द जलाशय के पानी में बनाये गये बांध की मापी में फर्जी भुगतान की जांच कराये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

9 श्री नरेन्द्र शिशौरिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-3-2005 जो मुख्य मंत्री/ मुख्य सचिव को सम्बोधित है जो अनपरा तापीय परियोजना के राख निस्तारण तालाब हेतु रिहन्द जलाशय के पानी में बनाये गये बांध की मापी में लगभग रूपये 14 करोड़ के फर्जी भुगतान विषयक है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायी गयी है? जांच परिणाम क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रकरण की जांच हेतु मुख्य महाप्रबन्धक अनपरा तापीय परियोजना द्वारा एक संयुक्त जांच समिति गठित की जा चुकी है जिसकी जांच आख्या प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार की वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत मध्य विधान सभा क्षेत्र लखनऊ में लगाये गये वृक्ष सम्बन्धी जानकारी

10- श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत मध्य विधान सभा क्षेत्र लखनऊ में कितने वृक्ष वित्तीय वर्ष 2004-05 तथा 1 अप्रैल से अक्टूबर, 2005 तक लगाये गये है तथा कितने वृक्ष जीवित है?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत अवध वन प्रभाग, लखनऊ द्वारा मध्य विधान सभा क्षेत्र लखनऊ में 100 वृक्ष वित्तीय वर्ष 2004-05 तथा 842 वृक्ष 1 अप्रैल, 2005 से अक्टूबर, 2005 तक लगाये गये हैं। कुल 942 लगाये गये वृक्षों में से 942 जीवित है।

लखनऊ में गोमती नगर स्थित विद्युत उपकेन्द्र की भूमि को लोहिया पार्क में सम्मिलित किये जाने की मांग

11- श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में गोमती नगर स्थित 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र को अन्यत्र स्थानान्तरित कर उसकी भूमि को लोहिया पार्क में सम्मिलित करने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

डा0 राम मनोहर लोहिया पार्क परिसर से सटी भूमि पर 132 के0वी0 गोमतीनगर उपकेन्द्र स्थित होने के कारण पार्क क्षेत्र से होकर 132 के0वी0 की डबल सर्किट टावर लाइन तथा 33 के0वी0 की 6 नग लाइनें गुजर रही है। पार्क में सुबह शाम काफी संख्या में लोग भ्रमण हेतु आते हैं।

अति उच्च विभव की लाइनों के पार्क से गुजरने से जन सामान्य की सुरक्षा के दृष्टिगत उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के अनुरोध पर अन्य स्थान पर भूमि चयनित कर उपकेन्द्र निर्मित किया जाना विचाराधीन है।

जौनपुर स्थित रोडवेज परिसर को सुधारने व आधुनिकृत किये जाने की मांग

12- श्री जगदीश नारायण राय-

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जौनपुर में स्थित रोडवेज परिसर अधिक पुराना तथा शहर के मध्य स्थित है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त परिसर को सुधारने एवं उसका आधुनिकीकरण किये जाने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

बस स्टेशन भवन/परिसर के सुधारने एवं आधुनिकीकरण के लिये समय-समय पर मरम्मत सम्बन्धी कार्य कराये जाते हैं। वर्ष 2004-05 में रू0 1, 93, 400/= (रूपये एक लाख तिरानबे हजार चार सौ मात्र) की लागत से मरम्मत/सुधार सम्बन्धी कार्य पूर्ण कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के कतिपय ग्रामों की क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों/खम्भों को ठीक कराने व जल गये ट्रान्सफार्मर बदले जाने तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही

13- श्री रामहेत भारती-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-एलिया के गांव शेरपुर, अगरासी बजीरा, धीरेमऊ तथा विकास खण्ड महोली के गांव भुल्सी कोडरा (विशेश्वर दयालपुर) हाजीपुर मनकापुर, निमसैना तथा विकास खण्ड हरगांव के ग्राम सेमरी मोतिमदपुर गदनापुर, सुल्तानपुर, पतिपुर परसेहरानाथ की क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनें/खम्भों को ठीक कराने तथा जल गये ट्रान्सफार्मर बदले जाने एवं विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 12-9-2005 उन्हें प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

जी हां।

पत्र में इंगित जनपद सीतापुर के विकास खण्ड एलिया, महोली तथा हरगांव के विभिन्न ग्रामों में क्षतिग्रस्त लाइनों/खम्भों को ठीक कराने तथा जले परिवर्तकों को बदलकर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है:-

(क) विकास खण्ड-एलिया

(1) शेरपुर ग्राम की विद्युत आपूर्ति चालू है। गांव के कुछ हिस्से में आंधी-तूफान से क्षतिग्रस्त लाइन की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है, जो एक माह के अन्दर पूर्ण हो जायेगा।

(2) अंगरासी-गांव की विद्युत आपूर्ति तार-चोरी एवं पोल क्षतिग्रस्त होने के कारण बाधित थी। दिनांक 14-2-06 को विद्युत आपूर्ति चालू कर दी गई है।

(3) बडौरा-गांव में एक पोल अज्ञात वाहन की टक्कर से टूट गया था, जिसे बदलकर बाधित विद्युत आपूर्ति चालू कर दी गई है।

(4) धौरेमऊ-गांव के अधिकांश भाग में विद्युत आपूर्ति सामान्य है। एक पोल आंधी से टूट गया था, जिसे बदलकर बाधित विद्युत आपूर्ति चालू कर दी गई है।

(ख) विकास खण्ड-महौली

(1) भुल्ली-कोडरा (विशेश्वर दयालपुर)-गांव में कोई वैध विद्युत संयोजन नहीं है। इसलिये विद्युत चोरी की रोक-थाम हेतु सेक्शन से विद्युत आपूर्ति खोल दी गई है।

(2) हाजीपुर-गांव की विद्युत आपूर्ति तार चोरी एवं पोल क्षतिग्रस्त होने के कारण बाधित है। लाइन मरम्मत का कार्य प्रगति पर है, जो फरवरी, 06 तक पूर्ण हो जायेगा।

(3) ममकापुर-गांव में कोई अवैध विद्युत संयोजन नहीं है, इसलिये गांव की विद्युत आपूर्ति बन्द रखी गयी है।

(4) निमचैना-गांव में विद्युत आपूर्ति सामान्य है। एक पोल अज्ञात वाहन की टक्कर से टूट गया था, जिसे बदलकर बाधित विद्युत आपूर्ति एक सप्ताह पूर्व चालू कर दी गई है।

(ग) विकास खण्ड-हरगांव

(1) सेमरी मोतीमदपुर-गांव की विद्युत आपूर्ति सामान्य है। विद्युत चोरी की रोकथाम हेतु एल.टी. लाइन का कुछ भाग जहां कोई वैध विद्युत संयोजन नहीं है, खोल दिया गया है।

(2) मदनापुर-चूंकि गांव में कोई वैध विद्युत संयोजन नहीं है। अत: विद्युत चोरी की रोकथाम हेतु गांव की विद्युत आपूर्ति बन्द रखी गयी है।

(3) सुल्तानपुर-गांव की विद्युत आपूर्ति तार चोरी से बन्द थी, जिसे वर्तमान में चालू कर दिया गया है।

(4) पीतपुर-गांव में कोई वैध विद्युत संयोजन नहीं है। अत: विद्युत चोरी की रोक-थाम हेतु विद्युत आपूर्ति बन्द रखी गयी है।

(5) परसेहरा नाथ-गांव की विद्युत आपूर्ति परिवर्तक क्षतिग्रस्त होने के कारण बाधित थी, जिसे माह जुलाई, 2005 में बदलकर विद्युत आपूर्ति सामान्य कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ मण्डल में अतिभारित उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि का प्रस्ताव

14- डा0 अजय कुमार-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि मेरठ मण्डल के अधिकतर 33, 132, 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र अतिभारित (ओवरलोड) हैं? यदि हां, तो अतिभारिता समाप्त करने के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितने उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि प्रस्तावित है? क्या जनपद बागपत के आदर्श नगंला में 33 के0वी0 एवं 132 के0वी0 बड़ौत व छपरौली और 220 के0वी0 बड़ौत विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि भी प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-2006 में 3 नं0 220 के0वी0 एवं 11 नं0 132 के0वी0 उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि प्रस्तावित है।

मेरठ के 33 के0वी0 उपकेन्द्रों की अतिभारिता दूर करने के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 31 उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि प्रस्तावित है। जिनमें से 17 नं0 उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि ए0पी0डी0आर0पी0/ए0आर0ई0पी0 योजना में प्रस्तावित है, तथा 14 नं0 उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि प्रणाली सुधार/अन्य योजनाओं में प्रस्तावित है।

जनपद बागपत के अन्तर्गत 220 के0वी0 बड़ौत एवं 132 के0वी0 छपरौली उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि प्रस्तावित है। वर्तमान में 132 केवी0 उपकेन्द्र बड़ौत की क्षमता वृद्धि तकनीकी कारणों से करना संभव नहीं है।

जनपद बागपत के आदर्श नगंला में 33 के0वी0 उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि (5-8) एम0वी0ए0 से (2x8) एम0वी0ए0 प्रस्तावित थी, जिसका कार्य माह दिसम्बर, 2005 में पूर्ण हो गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के बड़ौत नगर में रोडवेज बस स्टैण्ड बनाये जाने हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

15- डा0 अजय कुमार-

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद के बागपत बड़ौत नगर में रोडवेज बस स्टैण्ड बनाये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 4 जुलाई, 2005 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

पत्र में उल्लिखित स्थल घनी आबादी में स्थिति होने, पहुंच मार्ग अत्यधिक संकरा होने एवं पर्याप्त स्थान न होने के कारण बस स्टेशन के निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं है।

बागपत-दिल्ली मार्ग पर स्थित परिवहन निगम की कार्यशाला के साथ स्थित भू-खण्ड पर बस स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत देवरा ग्राम का विद्युतीकरण

16- श्री उदयभान करवरिया-

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के शंकरगढ़ वि0 खं0 अन्तर्गत देवरा ग्राम का विद्युतीकरण किये जाने हेतु विगत सात वर्ष पूर्व 5 लाख रुपये प्रदान किये गये थे? क्या उक्त ग्राम का पूर्ण विद्युतीकरण करा दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? विद्युतीकरण की कार्यवाही पूर्ण कराये जाने विषयक मुख्य विकास अधिकारी के पत्रांक 3089 दिनांक 14-3-2005 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्नगत ग्राम के विद्युतीकरण कार्य को पूर्ण कराने हेतु अवर अभियन्ता को सामग्री निर्गत कर दी गयी थी किन्तु संबंधित अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री गायब कर दिये जाने के कारण विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका।

संबंधित अवर अभियन्ता के विरुद्ध प्रकीर्ण अग्रिम रुपये 2,31,100/=' डाल दिया गया था सेवानिवृत्ति के उपरान्त मिलने वाली समस्त धनराशि रोकी गयी है। आवश्यक सामग्री पुन: भण्डार से प्राप्त कर विद्युतीकरण करने के आदेश दे दिये गये हैं। प्रश्नगत कार्य प्रगति पर है। मार्च, 06 के अन्त तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रेम प्रकाश माथुर मीटर रीडर/एस0एस0ओ0 की सवेतन सेवा में बहाली

17- मो0 इरशाद खां तथा श्री राम प्रकाश त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के ऊर्जा विभाग के पत्रांक सं0-311/पी0-2/2001-162 (एम)ई/97, दिनांक 20 जनपरी, 2001 द्वारा श्री प्रेम प्रकाश माथुर मीटर रीडर/एस0एस0ओ0 के निलम्बन/सेवा समाप्ति के आदेश विधि सम्मत न मानते हुये अवैध रूप से की गयी कार्यवाही को निरस्त कराते हुये सवेतन सेवा में बहाली के आदेश किये गये हैं? यदि हां, तो क्या शासन के उक्त आदेशों का अनुपालन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

18- श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू-

[2सरे मंगल के अता0 प्र0 सं0-45 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद महाराजगंज के विउटहां नामक स्थान पर उपकेन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव

19- श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महाराजगंज के विउटहां नामक स्थान पर 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त उपकेन्द्र की स्थापना कब तक कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम भिठौरा से ग्राम चिउटहा की दूरी लगभग 5 किमी0 है। भिठौरा में 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र के स्थापना की स्वीकृति हो गयी है। इस उपकेन्द्र के निर्माण हो जाने से ग्राम चिउटहां के क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति सुदृढ़ हो जायेगी। फलत: चिउटहां में विद्युत उपकेन्द्र की आवश्यकता नहीं होगी।

प्रत्येक तहसील से दुग्ध अवशीतन केन्द्रों की स्थापना

20- श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू-

क्या दुग्ध विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रत्येक तहसील में दुग्ध अवशीतन केन्द्रों की स्थापना की नीति बनाई गयी है? यदि हां, तो क्या जनपद महाराजगंज की तहसील निचलौल में अवशीतन केन्द्र स्थापित किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कामेश्वर उपाध्याय-

प्रत्येक तहसील में दुग्ध अवशीतन केन्द्र स्थापित करने की कोई नीति निर्धारित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल/त्रिदलीय समिति द्वारा न्यूनतम वेतन लागू करने संबंधी शासनादेश

21- श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल/त्रिदलीय समिति की सलाह के अनुसार न्यूनतम वेतन लागू करने के लिये शासनादेश जारी करने संबंधी सिनेमा कर्मचारी महासंघ उ0 प्र0 के पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन एवं तत्संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-3-05 संलग्नकों सहित मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रम मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

जी हां।

शासन द्वारा 59 अधिसूचित नियोजनों में (जिसमें सिनेमा नियोजन भी सम्मिलित है) न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है जिसके संबंध में विधिवत अधिसूचना जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम एवं उ0 प्र0 जल विद्युत निगम में अरबों रूपये का बिजली घोटाले विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

22- श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्ववर्ती उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद वर्तमान में उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम एवं उ0 प्र0 जल विद्युत निगम में हुए 50 अरब के बिजली घोटाले विषयक मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा का पत्र दिनांक 15-8-2005 प्रमुख सचिव (ऊर्जा) को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रिक्त पद पर तैनाती

23- श्री सदल प्रसाद-

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर के श्रम न्यायालय में दिनांक 25 अप्रैल, 2003 से पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने के बाद पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है? यदि हां, तो उक्त पद पर तैनाती कब तक कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 वकार अहमद शाह-

जी हां।

प्रदेश में स्थापित श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों में पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक शीघ्र आयोजित कर तैनाती की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

24- चौ0 महेन्द्र सिंह-

[2सरे मंगल के अता0 प्र0 सं0-51 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद जौनपुर के विद्युत सब स्टेशन कबीरुद्दीनपुर पर विद्युत सप्लाई का प्रकरण

25- श्री जगदीश नारायण राय-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के विद्युत सब स्टेशन कबीरुद्दीनपुर पर विद्युत सप्लाई जौनपुर तथा बरदह फीडर से पूर्व में की जा रही थी? यदि हां, तो बरदह फीडर से आपूर्ति बन्द होने का क्या कारण है? क्या कबीरुद्दीनपुर फीडर को जो जौनपुर शहर से मात्र चार किलामीटर पर स्थित है शहरी फीडर की सुविधा देने पर विचार करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

132 केवी0 लालगंज जनपद आजमगढ़ के अतिशापित होने के कारण 33/11 केवी0 विद्युत उपकेन्द्र कबीरुद्दीनपुर के विद्युत आपूर्ति बरदह फीडर की बजाय 132 केवी0 विद्युत उपकेन्द्र जौनपुर से की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र कबीरुद्दीनपुर ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण पोषित क्षेत्र को नगरीय विद्युत आपूर्ति कारपोरेशन के नियमानुसार अनुमन्य नहीं है।

विद्युत नगरीय वितरण खण्ड हुसैनगंज, लखनऊ से बेलदार पद से सेवानिवृत्त हुये श्री पन्नालाल मौर्य को समस्त देयों का भुगतान

26- श्री कौशल किशोर-

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पन्नालाल मौर्य पुत्र श्री स्व0 बूथर निवासी ग्राम बदैया, थाना-माल, जनपद लखनऊ जो विद्युत नगरीय वितरण खण्ड हुसैनगंज, लखनऊ से बेलदार पद से दिनांक

28-2-2002 को सेवानिवृत्त हुये थे? क्या उनके समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

श्री पन्ना लाल मौर्य को अवकाश नकदीकरण, सामान्य भविष्य निधि, अन्तिम पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला पंचायत इलाहाबाद द्वारा ब्लाक शंकरगढ़ में ग्राम पंचायतों के तालाब की खुदाई का कार्य पूर्ण किये जाने के संबंध में जानकारी

27- श्री उदय भान करवरिया-

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत इलाहाबाद द्वारा ब्लाक शंकरगढ़ में किन-किन ग्राम पंचायतों के तालाबों की वर्ष 2004-2005 में तथा 2005-2006 में खुदाई की गयी? क्या तालाबों की खुदाई का कार्य पूरा हो चुका है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम यादव-

जिला पंचायत इलाहाबाद द्वारा विकास खण्ड शंकरगढ़ में वर्ष 2004-2005 में किसी तालाब की खुदाई नही कराई गयी। वर्ष 2005-2006 में ग्राम पंचायत कपारी (मालापुर), कपारी, बढ़ैया (मवैया रबसैल), बड़गड़ी, लखनपुर, नेवरिया, टिकरोही (फरिया गोसाई) तथा जोरवट में तालाब की खोदाई का कार्य स्वीकृत किया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्त समस्त तालाबों की स्वीकृत दिनांक 02-05-05 को प्राप्त हुयी, कार्य प्रारम्भ हुआ, परन्तु वर्षा के कारण तालाबो में पानी भर जाने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। वर्तमान में सात तालाबों में पानी भरा हुआ है। लखनपुर ग्राम पंचायत के तालाब की खुदाई का कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है, शेष तालाबों का पानी सूखने पर कार्य पूर्ण होना स्वाभाविक है।

यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत विद्युत अनुरक्षण इकाई, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार की सी0बी0आई0 जांच संबंधी-पत्र

28- श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेगे कि यू0 पी0 कापोरेशन लि0 के अन्तर्गत विद्युत अनुरक्षण इकाई, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार की सी0 बी0 आई0 जांच कराये जाने विषयक मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 15-8-2005 एवं विशेष सचिव श्री राज्यपाल, उ0 प्र0 का पत्र संख्या-2926/पी0एस0एच0ई0 दिनांक 22-8-2005 जो कि क्रमशः सी0एम0डी0यू0पी0पी0सी0एल0 एवं प्रमुख सचिव (ऊर्जा) को संबोधित है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यो?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

आरोप तथ्यहीन पाये गये।

प्रश्न नही उठता।

यू0 पी0 कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत बिना बयान लिये रोके गये भुगतान की सी0बी0आई0 जांच

29- श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कपया बतायेंगे कि यू0 पी0 कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत 800/400 के0वी0 पारेषण लाइन एवं सब स्टेशन निर्माण के संबंध में गठित आरबीट्रेशन के समक्ष, मुख्य शिकायतकर्ता एवं तत्कालीन इन्जीनियर आफ द कन्ट्रैक्ट का बिना बयान लिये रोके गये 14.00 करोड के भुगतान की सी0बी0आई0 जांच कराये जाने विषयक मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 19-8-05 एवं विशेष सचिव श्री राज्यपाल का पत्र संख्या-3079/पी0एस0एच0ई0 दिनांक 30-8-2005 जो कि क्रमशः सी0एम0डी0, यू0पी0पी0सी0एल0 एवं प्रमुख सचिव (ऊर्जा) को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

800 के0वी0 अनपारा-झूसी लाइन के संबंध में सिविल कार्यो से संबंधित गवाही हेतु महा प्रबन्धक (सिविल ट्रान्समिशन) लखनऊ के पत्र सं0-1169 म0 प्र0 (जनपद पारेषण/9वी0-18/एच. दिनांक 13-5-04 द्वारा श्री रामायण राम, अधिशासी अभियन्ता जानपद को नामित किया था।) क्योंकि वह इस कार्य से संबंधित थे। इन्जीनियर आफ कान्ट्रैक्ट का संदर्भ इन्जीनियर एस0एन0 अग्रवाल के विषय में है जो सेवा निवृत्त हो गये थे एवं उनकी गवाही वांछित नहीं समझी गयी। इसी प्रकार श्री नन्दलाल जायसवाल इस कार्य से संबंधित नहीं थे। अतः उनकी गवाही वांछित नहीं थी। अब हुन्डई आरबीट्रेशन गवाही का अन्त होकर बहस प्रारम्भ हो चुकी है।

श्री एस0एन0 अग्रवाल (सेवा निवृत्त) उप महाप्रबंधक एवं श्री नन्द लाल जायसवाल मुख्य शिकायतकर्ता को भी गवाही के लिये अधिवक्ता के माध्यम से आरबिट्रल ट्रिब्यूनल के समक्ष अनुरोध किया जा रहा है।

यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत अभिलेखों में की गयी हेरा फेरी की जांच

30- श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत अभिलेखों में की हेरा फेरी की आर्थिक अपराध शाखा से जांच कराये जाने विषयक मा0 मिथिलेश नारायण, एम0एल0सी0 का पत्र दिनांक 5-4-2004 जो कि सी0एम0डी0, यू0पी0पी0सी0एल0 को संबोधित है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यो?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रकरण में विभागीय जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नही उठता।

31- डा0 अजय कुमार-

[दिनांक 22-11-05 के अता0प्र0सं0-88 द्वारा उत्तरित]

जनपद बागपत अन्तर्गत ग्रामों में बाधित विद्युत आपूर्ति विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करने की मांग

32 डा0 अजय कुमार-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बागपत के ग्राम इब्राहिमपुर माजरा, बूद्धपुर, असारा एवं अशरफाबाद थल में विद्युत लाइनें लम्बी होने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने हेतु ग्राम इब्राहीमपुर माजरा में 33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करायेगी? यदि नहीं,तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अशरफाबाद थल की विद्युत आपूर्ति 33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र किलनपुर बिराल एवं इब्राहिमपुर माजरा, बूद्धपुर तथा अलारा ग्राम को विद्युत आपूर्ति 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र किरकत से की जाती है। इन उपकेन्द्रों को विद्युत आपूर्ति प्राइमरी उपकेन्द्र 132 के0वी0 बडौत से प्राप्त होती है। मॉग के सापेक्ष विद्युत को उपलब्धता के कारण उक्त क्षेत्रों में प्रतिदिन औसतन 6 घंटे की विद्युत आपूर्ति हो रही है।

33- डा0 अजय कुमार-

[दिनांक 2-2-06 के अता0प्र0सं0-69 द्वारा उत्तरित]

34- श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[दिनांक 24-11-05 के अता0प्र0सं0-99 द्वारा उत्तरित]

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के बकाये का भुगतान

35- श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत निगम लि0 से तय की गयी विद्युत मूल्य का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है? यदि, हाँ तो क्या सरकार बतायेगी कि दिनांक 15-01-2000 से दिनांक 30-06-2000 तक का उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 पर उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 का कितना बकाया है तथा इस बकाये के भुगतान हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है? बकाये का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हॉ।

दिनांक 15 जनवरी, 2000 से 30 जून, 2000 तक उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा रूपये 870.75 करोड़ के विद्युत विक्रय बीजक उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को प्रस्तुत किये गये, जिनके विरूद्ध रूपये 922.59 करोड़ का भुगतान किया गया, अत: उक्त अवधि में विद्युत क्रय बीजक का कोई भी बकाया नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा निजी क्षेत्र की कम्पनियों से आर0एफ0क्यू/आर0एफ0पी0 मांगे जाने का औचित्य

36- श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा सोनभद्र जनपद में 2x500 मेगावट की अनपरा सी परियोजना के निर्माण स्वामित्व, परिचालन एवं रखरखाव हेतु मात्र निजी क्षेत्र की कम्पनियों से आर0एफ0क्यू0/आर0एफ0पी0 आमंत्रित किये गये है? यदि हां तो क्यों? देश की सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कम्पनियों को दरकिनार कर केवल निजी क्षेत्र की कम्पनियों से आर0एफ0क्यू0/आर0एफ0पी0 मांगे जाने का क्या औचित्य है? क्या सरकार इस परियोजना को निजी क्षेत्र में बनाने के निर्णय को निरस्त कर सार्वजनिक क्षेत्र में बनाये जाने हेतु आवश्यक कदम उठायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रदेश के सीमित संसाधनों व परियोजना को शीघ्रता से स्थापित किये जाने के दृष्टिगत निजी क्षेत्र के सहयोग से अनपरा सी परियोजना लगाये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्तानुसार।

जी नहीं।

कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता के दृष्टिगत परियोजना को निजी क्षेत्र में लगाने के निर्णय को निरस्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया है।

जनपद चित्रकूट के ग्रामों के विद्युतीकरण किये जाने की मांग

37- श्री आर0के0सिंह पटेल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 05-04-2005 जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत जनपद-चित्रकूट के ग्रामों के विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हॉ।

माननीय सदस्य द्वारा संस्तुत 168 ग्रामों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत चयनित कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत उतरदहा-नीरसहिया के बीच बनी पुलिया को ठीक करने की मांग

38- श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड कुड़वार, जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत उतरदहा-नीरसहिया के बीच बनी पुलिया के दोनों किनारे की मिट्टी बह जाने के कारण यातायात अवरुद्ध है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलिया को ठीक करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

चूंकि पुलिया क्षतिग्रस्त नहीं है। इसलिये पुलिया को ठीक कराने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु मिट्टी का कार्य 31 दिसम्बर, 2005 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

राजकीय कालोनी बादशाहनगर, लखनऊ की विद्युत सप्लाई संबंधी-पत्र पर कार्यवाही

39- श्री शिवाकान्त ओझा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कालोनी बादशाह नगर, लखनऊ के अध्यासियों द्वारा एक प्रार्थना-पत्र माह मई/जून, 2005 में कालोनी की विद्युत लाइन जिसको अभी अकबर नगर के ट्रान्सफार्मर से विद्युत सप्लाई हो रही है, को रेलवे कालोनी अथवा न्यू ब्लाक से जोडने के संबंध में सचिव, ऊर्जा को दिया गया था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

1- राजकीय कालोनी बादशाह नगर, लखनऊ की विद्युत आपूर्ति रेलवे कालोनी के ट्रान्सफार्मर से नहीं जोडी जा सकती है क्योकि रेलवे को विद्युत आपूर्ति दे रहे ट्रान्फार्मर स्वयं रेलवे विभाग द्वारा स्थापित कराये गये हैं।

2- राजकीय कालोनी, बादशाह नगर की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था न्यू ब्लाक के परिवर्तक से जोडे जाने पर तकनीकी अध्ययन के अनुसार एल एवं यू0 ब्लाक के आवासो की विद्युत व्यवस्था में कोई गुणात्मक सुधार नहीं होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत वितरण खण्ड तृतीय, कार्यालय वाराणसी के लिपिक द्वारा विद्युत बिलों की धनराशि सरकारी कोष मे जमा न करने की जांच विषयक कार्यवाही

40- श्याम देव राय चौधरी-

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण खण्ड तृतीय, मच्छोदरी कार्यालय वाराणसी के लिपिक द्वारा वर्षों से उपभोक्ताओं द्वारा जमा कि गये गये विद्युत बिलों की धनराशि सरकारी कोष में जमा न किये जाने विषयक अपराधिक मुकदमा दिसम्बर, 2004 में पंजीकृत कराया गया है? यदि हां, तो विभागीय जांच का परिणाम क्या है और दोषी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि प्रभावित उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने हेतु कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 जल विद्युत निगम में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों की अवैध परिसम्पत्ति की सी0 बी0 आई0 जांच

41- श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत उ0 प्र0 जल विद्युत निगम में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों की अवैध परिसम्पत्ति की सी0 बी0 आई0 जांच कराये जाने विषयक श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा सांसद का पत्र दिनांक 20-6-2005 जो कि अध्यक्ष, सह प्रबन्ध निदेशक/निदेशक (का0 प्र0) यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रकरण परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

अनपरा तापीय विद्युत परियोजना, अनपरा सोनभद्र में मा0 न्यायालय, के आदेशानुसार संविदाकार श्रमिकों के लिये कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के व्याप्त प्रकरण का निस्तारण

42- श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अधीन अनपरा तापीय विद्युत परियोजना, अनपरा सोनभद्र में विभिन्न संविदाकारों द्वारा नियोजित संविदा श्रमिकों पर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 को लागू करते हुये संविदा श्रमिकों के वेतन से ई0 पी0 एफ0 की कटौती सुनिश्चित करने के आदेश के विरुद्ध संविदाकारों ने मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिकायें दाखिल कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है? यदि हां, तो क्या सही है कि मेसर्स अमोदय एसोसिएट्स एवं अन्य की रिट याचिका संख्या 19150/2002 मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13-05-2002 को खारिज कर दी गयी है? यदि हां, तो अन्य लम्बित याचिकाओं संख्या 22138/2002, 9940/2002, 32008/2002, 37071/2002, 12365/2003 एवं 51206/2003 में स्थगन आदेशों को निरस्त कराने हेतु अभी तक क्या कार्यवाही की गई? क्या संविदा श्रमिकों के लिये कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 को लागू किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 वकार अहमद शाह-

जी हां।

याचिका संख्या-19150/2002 मेसर्स अमोदय एसोसिएट बनाम् सी0एम0 अनपरा थर्मल पावर व अन्य दिनांक 13-05-2002 को खारिज कर दी गयी है। अन्य लम्बित याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष काउन्टर एफीडेविट एवं स्थगन आदेश निरस्त करने का प्रतिवेदन दाखिल किया जा चुका है।

मा0 उच्च न्यायालय, के आदेशानुसार संविदाकार श्रमिकों के लिये कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के व्याप्त प्रकरण का यथासमय निस्तारण किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

अनपरा तापीय विद्युत परियोजना, अनपरा, सोनभद्र से सेवानिवृत्त कार्मिक को देय एरियर का भुगतान

43- श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अधीन अनपरा तापीय विद्युत परियोजना, अनपरा, सोनभद्र से सेवानिवृत्त कार्मिक श्री नरेश चन्द्र मिश्र रसायनज्ञ श्रेणी प्रथम को तत्कालीन उपमहाप्रबन्धक, टाण्डा बाइन्डिंग मण्डल, उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, विद्युत नगर, अम्बेडकर नगर के कार्यालय ज्ञापन सं0 505/उ0 म0 प्र0/टा0 बा0 म0/मिस0 दिनांक 02-11-2000 द्वारा किये गये वेतन निर्धारण आदेश के अनुसार देय एरियर का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कब और कितनी धनराशि का भुगतान किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? देय एरियर का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

चेक सं0-973455, दिनांक 02-12-2005 द्वारा रू0-5,08,977.34 (रूपया पांच लाख आठ हजार नौ सौ सतहत्तर तथा पैसे चौतीस मात्र) का भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न नही उठता।

उपरोक्तानुसार।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अधीन विभिन्न रिक्त पदों को भरे जाने का प्रकरण

44- श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अधीन दिनांक 01-12-03 से 25-02-2005 तक की अवधि के मध्य अवर अभियन्ता के पद पर कार्यरत अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, मृत्यु तथा सहायक अभियन्ता के पदों पर पदोन्नति से अवर अभियन्ता (सा0 श्रे0) के कुल कितने पद रिक्त हुये हैं? वर्तमान में उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की सेवा में कार्यरत परिचालकीय वर्ग के अनुसूचित जाति के कर्मचारियों से पदोन्नत कोटे के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (सा0 श्रे0) के कुल कितने पद रिक्त हैं? क्या उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा अनुसूचित जाति के परिचालकीय वर्ग के कर्मचारियों से अनुसूचित जाति के आरक्षित कोटे के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (सा0 श्रे0) के दिनांक 01-12-2003 से 25-02-05 तक की रिक्तियों को पदोन्नति द्वारा भरे जाने हेतु क्या कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नही, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अधीन दिनांक 01-12-03 से 25-02-05 तक की अवधि में अवर अभियन्ता के पद पर कार्यरत अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/मृत्यु तथा सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति से अवर अभियन्ता (सा0 श्रे0) के कुल 29 पद रिक्त हुये हैं।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में अवर अभियन्ता (वि0 एवं यां) के कुल पदोन्नति के 475 पदों के विरुद्ध अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु आरक्षित 108 पदों के विरुद्ध 154 कार्मिक दिनांक 01-06-2005 को कार्यरत रहे है। जिसमें उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रतिनियुक्ति पर तैनात कार्मिक भी सम्मिलित हैं। आरक्षित पदों से अधिक कार्मिक कार्यरत हैं अतएव रिक्तियों की संख्या शून्य है। परिचालकीय संवर्ग से माह फरवरी, 2005 में 346 कार्मिकों को अवर अभियन्ता (वि0 एवं यां) के पदों पर प्रोन्नत किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति के कार्मिकों की संख्या 88 है। वर्तमान में कोई पद रिक्त नहीं है। अत: पदोन्नति द्वारा भरे जाने की कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पदोन्नति के सापेक्ष पद रिक्त नहीं है।

जनपद उन्नाव के ग्राम-गोसीखेड़ा, विकास खण्ड-बीघापुर का विद्युतीकरण किये जाने विषयक -पत्र पर कार्यवाही

45- श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री केदार नाथ सिंह, सदस्य विधान परिषद् का दिनांक 13 सितम्बर, 2005 का पत्र जो ग्राम-गोसीखेड़ा विकास खण्ड-बीघापुर, जनपद उन्नाव का विद्युतीकरण कराये जाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

ग्राम-गोसीखेड़ा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में चयनित है। इसका विद्युतीकरण वर्ष 2006-07 में कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बिजली की कटौती

46- डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने जनपदों में बिजली की कटौती की जा रही है? इलाहाबाद महानगर एवं जनपद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 2005 में कितने-कितने घंटे बिजली दी गयी? क्या यह सही है कि कभी-कभी 8 घंटों से अधिक बिजली कटौती की गयी? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इलाहाबाद महानगर को बिजली कटौती से मुक्त करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद के अन्तर्गत ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र के अतिरिक्त जनपद इटावा, मैनपुरी तथा औरैया को विद्युत कटौती से मुक्त रखा गया है। अन्य समस्त जनपदों में विद्युत कटौती करायी जा रही है।

इलाहाबाद महानगर एवं जनपद (ग्रामीण) में माह अप्रैल, मई, जून, जुलाई एवं अगस्त 2005 में दी गई औसत विद्युत आपूर्ति का विवरण निम्नवत् है:-

(घंटे/मिनट में)

माह	जनपद (ग्रामीण)	महानगर
अप्रैल,05	12:41	18:58
मई,05	12:49	22:36
जून,05	12:43	19:12
जुलाई,05	12:26	18:42
अगस्त,05	11:51	17:18

जी हाँ।

प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता में कमी होने के कारण तथा तकनीकी कारणों से प्रणाली की सुरक्षा हेतु निर्धारित से अधिक विद्युत कटौती कराना अनिवार्य हो जाता है।

वर्तमान परिस्थितियों में विद्युत कटौती से मुक्त करना सम्भव प्रतीत नहीं होता है। विद्युत की उपलब्धता में वांछित सुधार होने के उपरान्त ही विद्युत कटौती से मुक्त कर पाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नही उठता।

प्रदेश में विद्युत कटौती एवं काशी को विद्युत कटौती से मुक्त रखने की मांग

47- श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश ने कितने जनपद विद्युत कटौती से मुक्त है? क्या सरकार धार्मिक एवं पर्यटन नगरी काशी को भी विद्युत कटौती से मुक्त करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

जनपद आगरा, जनपद मथुरा एवं जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत ताज ट्रिपैजियम क्षेत्र के अतिरिक्त जनपद इटावा, जनपद मैनपुरी एवं जनपद औरैया विद्युत कटौती से मुक्त है।

प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये वर्तमान परिस्थितियों में विद्युत कटौती से मुक्त करना सम्भव प्रतीत नहीं होता है। विद्युत की उपलब्धता में वांछित सुधार होने के उपरांत ही सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी में भिखारीपुर स्थित 132 के0वी0 सब स्टेशन की क्षमता वृद्धि विषयक -पत्र पर कार्यवाही

48- श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में भिखारीपुर स्थित 132 के0वी0 सब स्टेशन की क्षमता वृद्धि हेतु अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8 सितम्बर, 2005 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हॉं।

132 केवी उपकेन्द्र मडुवाडीह (भिखारीपुर) की क्षमता वृद्धि (1x40 एम0वी0ए0) का प्रस्ताव उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को पारेषण कार्य समिति के अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण

49- डा0 अजय कुमार-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में सामान्य योजना के अन्तर्गत, निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण कराये जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कोई नीति बनाई गई? यदि हॉं, तो क्या? क्या जनपद मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलन्दशहर में उक्त योजना के अन्तर्गत लम्बित सभी आवेदकों के निजी नलकूपों को ऊर्जीकृत करा दिया जायेगा? यदि हां, तो कब तक?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हॉं।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रति वर्ष सामान्य योजना के अंतर्गत आवेदित उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन देने हेतु जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। लक्ष्य का निर्धारण उपभोक्ताओं द्वारा कराए गये पंजीयन के वरीयता क्रम के आधार पर कराया जाता है।

जनपद मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर एवं बुलन्दशहर के लिए क्रमशः 200, 350, 300, 300, एवं 150 बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्य निर्गत कर दिए गये हैं। यह कार्य मार्च, 2006 तक पूर्ण कर दिए जायेंगे।

उपरोक्तानुसार।

जनपद महराजगंज के सोहगी बरवां वन प्रभाग के गठन की अधिसूचना को संशोधित किये जाने का प्रस्ताव

50- श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद महराजगंज के सोहगी बरवां वन प्रभाग के गठन की अधिसूचना को संशोधित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो संशोधन का विस्तृत विवरण क्या है?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज के चिउटहा नामक स्थान पर विद्युत सब स्टेशन की स्थापना

51- श्री शिवेन्द्र सिह उर्फ शिव बाबू-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महराजगंज के चिउटहा नामक स्थान पर 33/11 के0वी0ए0 के विद्युत सब स्टेशन की स्थापना किये जाने का सर्वेक्षण कराया गया था? क्या उक्त सब स्टेशन स्वीकृत किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

जी नही।

ग्राम भिठौरा से ग्राम चिउटहा की दूरी लगभग 5 कि0मी0 है। भिठौरा में 33/11 के0बी0 उपकेन्द्र के स्थापना की स्वीकृति हो गयी है। इस उपकेन्द्र के निर्माण हो जाने से ग्राम चिउटहा के क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति सुदृढ़ हो जायेगी। फलतः चिउटहा में विद्युत उपकेन्द्र की आवश्यकता नहीं होगी।

दारूलशफा सब स्टेशन लखनऊ के बेलदार को सेवानिवृत्ति उपरान्त लम्बित देयों का भुगतान

52- श्री कौशल किशोर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण खण्ड नगरीय हुसैनगंज उ0प्र0 कारपोरेशन लि0 प्रथम तल, 33/11 के0बी0, दारूलशफा सब स्टेशन, लखनऊ के बेलदार श्री पन्ना लाल दिनांक 28-2-2002 को सेवा निवृत्त हुये थे? यदि हां, तो क्या उन्हें पेशन ग्रेच्युटी, इंश्यारेंस फण्ड का भुगतान किया क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

श्री पन्ना लाल की अनन्तिम पेंशन क्या ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया गया है। उन्हें इंश्योरेंश फण्ड का भुगतान देय नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

झांसी मण्डल के अन्तर्गत जनपद जालौन में मदारीपुर की बसों को कालपी से चलाये जाने की मांग

53- डा0 अरूण कुमार मेहरोत्रा-

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि झांसी मण्डल के अन्तर्गत जनपद जालौन में जोल्हूपुर मोड़ से मदारीपुर के लिये निजी बस मालिकों द्वारा बसे संचालित की जाती हैं? जोल्हूपुर मोड़ कालपी कस्बे से 4 कि0मी0 दूर होने के कारण यात्रियों की परेशानी को दृष्टिगत रखते हुये क्या सरकार मदारीपुर की बसों को कालपी से चलाये जाने की अनुमति देने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

जोल्हूपुर मोड़ से मदारीपुर मार्ग पर जारी 12 स्थायी सवारी गाड़ी परमिट वैध है।

जी नहीं।

सन्दर्भित मार्ग के राष्ट्रीयकृत मार्ग होने के कारण।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों के अपूर्ण विद्युतीकरण कार्य को पूर्ण कराने की मांग

54- श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पट्टी विधान सभा क्षेत्र जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 1996 से 25 जून, 2004 तक ब्लाक भगरौरा, पट्टी, आमपुर देवसर, बाबाबेलखर नाथ धाम के ऐसे कौन-कौन से ग्राम हैं जहां विद्युत पोल की आपूर्ति कर दी गयी है परन्तु शेष कार्य अभी तक पूर्ण नहीं कराया गया है? क्या सभी ग्रामों के अपूर्ण विद्युतीकरण कार्य को पूर्ण कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद प्रतापगढ़ के मगरौरा, पट्टी आसपुर देवसर एवं बाबाबेलखर नाथ धाम के कुल 21 ग्रामों में विद्युत पोल की आपूर्ति की जा चुकी है जो निम्नवत् है:-

(1) दिढई
(2) चांदपुर
(3) वारहपुर
(4) धरौली मधुपुर नथैया
(5) कौनी शिवगढ़ रायचन्दपुर
(6) रामापुर वैज का पुरवा
(7) देवरखा
(8) नरबारी
(9) पुरा
(10) चिलावां
(11) भैरोंपुर
(12) कौशल पट्टी
(13) भीखमपुर देरियां

(14) कादीपुर

(15) अतरौली (आमापुर)

(16) पहाड़ा मुरार पट्टी

(17) पर्वतपुर सुलेमान

(18) अमुवाही

(19) सराय रजई

(20) भटियाभार सैफाबाद

(21) भावापुर

उपरोक्त समस्त ग्रामों में शेष विद्युतीकरण का कार्य राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत पूर्ण कराये जाने की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी तथा जनपद-इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, बदायूं, सम्भल व मुरादाबाद में विद्युत आपूर्ति की जानकारी

55- श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोतीसिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी तथा जनपद-इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, बदायूं, सम्भल, मुरादाबाद में दिनांक 29-8-2003 से अब तक विद्युत आपूर्ति हेतु क्या समय सारणी तय की गयी है और प्रत्येक दिन कितने घंटे विद्युत आपूर्ति हेतु आदेश दिये गये हैं? क्या पट्टी विधान सभा क्षेत्र में उपरोक्त की भांति ग्रामीण क्षेत्र को 14 घंटे बिजली दी जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद इटावा एवं मैनपुरी के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 24 घंटे विद्युत आपूर्ति अनुमन्य है। जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में प्रतिदिन 14 घंटे, जनपद बदायूँ (गुन्नौर विधान सभा क्षेत्र छोड़कर) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 14 घंटे तथा जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 14 घंटे साप्ताहिक रात्रि एवं दिन कार्यक्रम के अनुसार अदल-बदल कर विद्युत आपूर्ति अनुमन्य है।

जनपद कन्नौज के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 18 घंटे विद्युत आपूर्ति अनुमन्य है। विद्युत आपूर्ति का समय पूर्वान्ह 11.00 बजे तक निर्धारित किया गया है।

हरसम्भव प्रयास किये जाते हैं कि प्रतिदिन निर्धारित 14 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाये, परन्तु प्रदेश में विद्युत उपलब्धता में कमी एवं तकनीकी कारणों से प्रणाली की सुरक्षा हेतु कभी-कभी निर्धारित विद्युत आपूर्ति करा पाना सम्भव नहीं हो पाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-उन्नाव तहसील हसनगंज के अन्तर्गत व्यक्तियों को दिये गये विद्युत कनेक्शन का प्रकरण

56- श्री कौशल किशोर-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-उन्नाव तहसील हसनगंज के अन्तर्गत ग्राम बाराबुजुर्ग में वर्ष 1998 में कितने व्यक्तियों द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु रू0 600/- की रसीदें कटवाई गई थीं? क्या यह

सही है कि वैध कनेक्शन न देने के कारण सभी व्यक्तियों को लगभग 15-15 हजार के बिल भेजते हुये न जमा करने की दशा में आर0 सी0 जारी करने की चेतावनी दी गयी है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये उक्त बिलों को निरस्त कर वैध कनेक्शन करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद उन्नाव तहसील हसनगंज के अन्तर्गत ग्राम बाराबुजुर्ग मे वर्ष 1998 मे शासन/उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा लागू "कटिया कनेक्शन विनियमितीकरण योजना" के अन्तर्गत 16 व्यक्तियों द्वारा अपने अवैध कटिया कनेक्शनों को घोषित करे हुये रू0 600.00 प्रति व्यक्ति रसीदे कटवाई गई थी।

कटिया कनेक्शन विनिमितीकरण योजना के अन्तर्गत ग्रामवासियो द्वारा अवैध रूप से जोडे गये कनेक्शनों को रू0 600.00 जमा कराकर वैध कराया गया था तथा लेजरीकरण कराकर उनकी बिलिंग चालू की गयी थी, अतः अलग से कनेक्शन देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। बिल जमा न होने के कारण बकायेदार उपभोक्ताओं के विरुद्ध धारा-3 की नोटिसें बकाया राजस्व की वसूली हेतु जारी की गयी है, जो नियम संगत है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्त प्रकिया नियम संगत होने के कारण कोई अधिकारी/अधिकारिक दोषी नही है अतः किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न ही नही उठता।

उपरोक्तानुसार।

यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 में फर्जी अभिलेख तैयार करके करोड़ों रुपये क्षति पहुंचाने के संबंध में प्राप्त शिकायती-पत्र की जांच

57- श्री नरेन्द्र शिशौदिया

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 6-7-2005 जो अध्यक्ष, सह प्रबन्ध निदेशक, यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 को सम्बोधित है तथा जो फर्जी अभिलेख तैयार करने एवं अधिसूचना दिनांक 14-1-2000 द्वारा निर्गत आदेशों की अवहेलना तथा निगम को करोड़ों की क्षति पहुंचाने वाले अधिकारियों को चार्जशीट देने विषयक है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

उल्लिखित शिकायतों के संबंध मे निदेशक मण्डल ने अपने 75(8) 2005 की बैठक में आदेशित किया है कि समस्त प्रकरण पर निदेशक (तकनीकी) सभी शिकायतों का परीक्षण करते हुये अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को सम्बोधित आख्या एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें। निदेशक(तकनीकी) के स्तर पर प्रकरण परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों की जर्जर मशीनों को बदलने की मांग

58- श्री राम इकबाल सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों की मशीनें जर्जर हो गयी हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें बदलाने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत उपकेन्द्रों की मशीनें पुरानी हैं तकनीकी आवश्यकता होने पर उन्हें बदलने की कार्यवाही की जाती है।

उ0 प्र0 इन्स्ट्रूमेण्ट लिमिटेड में विभिन्न अनियमितताओं के दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही

59- श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोतीसिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उ0 प्र0 इन्स्ट्रूमेण्ट लिमिटेड, उद्योग विभाग के अधीन कार्यरत है? क्या यह सही है कि जनपद-बस्ती एवं प्रतापगढ़ सहित अन्य जनपदों में शिक्षा विभाग, सांसद एवं विधायक निधि से प्राप्त धनराशि से भवन निर्माण, मार्ग निर्माण, हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन उपरोक्त संस्थान द्वारा कराया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या उक्त संस्था के नाम पर अन्य गैर सरकारी लोग भी ठेकेदार का कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो कौन-कौन और क्यों? क्या सरकार द्वारा उन्हें चिन्हित कर उनके एवं संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ख्वाजा हलीम-

उ0 प्र0 इन्स्ट्रूमेंट्स लि0, लखनऊ कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत है तथा उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी है।

जी हां, ये कार्य मा0 सांसदों व मा0 विधायकों की संस्तुतियों पर कराये गये हैं।

उपर्युक्त इंगित कार्य उ0 प्र0 इन्स्ट्रूमेंट्स लि0 द्वारा मै0 वी0 के0 इण्टरप्राइजेज, मै0 प्रथा इण्टरप्राइजेज, मै लक्ष्मी इण्टरप्राइजेज, सिद्धार्थ ट्रेडर्स आदि के साथ अनुबंध के तहत कराये गये हैं।

उ0 प्र0 इन्स्ट्रूमेंट्स लि0 में विभिन्न अनियमितताओं के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के तहत आरोप-पत्र जारी करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है।

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जनपद अनुरक्षण खण्ड, पनकी कानपुर द्वारा आवंटित दुकानों का निरस्तीकरण एवं पुन: आवंटन की कार्यवाही

60- श्री सोमारू राम सरोज-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता विद्युत जनपद अनुरक्षण खण्ड पनकी कानपुर के पत्रांक-1343, दिनांक 15 सितम्बर, 2005 द्वारा कितनी दुकानों का आवंटन निरस्त किया गया तथा आवंटन निरस्त किये जाने के क्या कारण थे? क्या इन निरस्त दुकानों का पुन: आवंटन किया गया है? यदि हां, तो किसे? क्या आवंटन के पूर्व दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की गयी थीं? यदि हां, तो कब और किस समाचार पत्र में तथा कितनी निविदायें प्राप्त हुयीं थीं? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जनपद अनुरक्षणखण्ड पनकी, कानपुर द्वारा दुकान सं0-71 व 81 (कुल-02) का आवंटन निरस्त किया गया।

दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों के मूल स्वरूप में परिवर्तन (बीच की दीवार तोड़कर) करने के कारण आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करने के फलस्वरूप दुकानों का आवंटन निरस्त किया गया।

जी नहीं।

निरस्तीकरण के विरुद्ध संबंधित दुकानदारों द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन पर विधिक मत प्राप्त किया जा रहा है एवं तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

जनपद-शाहजहांपुर में पशु टीकाकरण

61- श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि जनपद शाहजाहंपुर में पशु टीकाकरण कराये जाने विषयक मुख्यमंत्री जी के आदेश संख्या: सी0 एम0/वि0को/एम/129996/05 प्रमुख सचिव/सचिव, पशुधन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह-

जी हां।

क्षेत्र के पशुओं में रोग निरोधक टीकाकरण किया गया एवं बीमार पशुओं का उपचार किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को कृषि कार्य हेतु बिजली की उपलब्धता

62- श्री राम इकबाल सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को कृषि कार्य हेतु बिजली देने की कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है? यदि हां, तो कितने घंटे? यदि नहीं, तो क्या सरकार समय सीमा निर्धारित करने पर विचार करेगी?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रतिदिन 14 घंटे।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला पंचायतों में चतुर्थ श्रेणी के मृतक आश्रितों को नियुक्ति दिये जाने की नीति

63- श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायतों में चतुर्थ श्रेणी के मृतक आश्रितों को नियुक्ति दिये जाने की क्या नीति है? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि शाहजहांपुर जिला पंचायत के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री राकेश की दिनांक 19-4-2004 को मृत्यु हो गयी थी? यदि हां, तो उनके स्थान पर उनके पुत्र का मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित किये जाने संबंधी प्रार्थना-पत्र शासन में लम्बित है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायती राजमंत्री (श्री बलराम यादव)-

शासनादेश संख्या-9यू0ओ0-113डी/33-2-32बी (1)/84, दिनांक 5 जुलाई, 1984 के अनुसार कार्यवाही की व्यवस्था है।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता है।

शासनादेश के पत्र संख्या-4589/33-2-2005-49बी/2005, दिनांक 26-10-05 द्वारा अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, शाहजहांपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेशित किया जा चुका है।

जनपद बागपत के विद्युत वितरण खण्ड बड़ौत तथा बागपत में रिक्त पड़े अवर अभियन्ताओं के पदों पर तैनाती

64- डा0 अजय कुमार-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-बागपत के विद्युत वितरण खण्ड बड़ौत तथा बागपत में अवर अभियन्ताओं के कितने पद स्वीकृत हैं? क्या सभी स्वीकृत पदों पर तैनाती की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या रिक्त अवर अभियन्ताओं के पदों पर सरकार तैनाती करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

विद्युत वितरण मण्डल बागपत के अधीन विद्युत वितरण खण्ड, बड़ौत में 11 व विद्युत वितरण खण्ड, बागपत में 08 पद (कुल 19 पद) अवर अभियन्ताओं के स्वीकृत हैं।

विद्युत वितरण खण्ड, बड़ौत में 06 व विद्युत वितरण खण्ड, बागपत में 07 (कुल 13 पद) अवर अभियन्ताओं की तैनाती की गयी है। शेष 06 रिक्त पदों पर अवर अभियन्ताओं की कमी के कारण तैनाती नहीं की जा सकी है।

रिक्त पदों को भरने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम, मेरठ में रिक्त पड़े अवर अभियन्ताओं के पदों को भरे जाने की मांग

65- श्री अजय कुमार-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम, मेरठ में कुल कितने अवर अभियन्ताओं के पद स्वीकृत हैं तथा उसमें से वर्तमान समय में कितने पद रिक्त हैं? क्या यह सही है कि अवर अभियन्ताओं की कमी के कारण प्रस्तावित योजनायें तथा स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण में विलम्ब हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार अवर अभियन्ताओं के रिक्त पदों पर तैनाती करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

पश्चिमांचल विद्युत वितरण, निगम लि0, मेरठ में 712 पद अवर अभियन्ता के स्वीकृत हैं,जिनके विरुद्ध 454 अवर अभियन्ता कार्यरत हैं व 258 अवर अभियन्ता के पद रिक्त हैं।

उपलब्ध जनशक्ति से कार्यों का निष्पादन कराया जा रहा है।

रिक्त पदों को भरने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जनपद मऊ, विकास खण्ड रतनपुरा के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की वेतन विसंगति दूर करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

66- श्री राम करन आर्य-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, विकास खण्ड, रतनपुरा, जनपद-मऊ की वेतन विसंगति दूर करने विषयक उपसचिव, पंचायती राज विभाग, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ पंचायती राज अनुभाग-1 का पत्र संख्या 2806/33.1.2001 दिनांक 24 दिसम्बर, 2001 उपनिदेशक (प्रशासन) पंचायती राज निदेशालय, लखनऊ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

निदेशक के प्रस्ताव पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत वितरण खण्ड (ग्रामीण) प्रथम सहारनपुर, की विशेष सम्परीक्षा में कथित वित्तीय अनियमितताओं विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

67- श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड (ग्रामीण) प्रथम सहारनपुर की स्पेशल आडिट 2003 में कराई गई थी? यदि हां, तो कितनी धनराशि की वित्तीय अनियमिततायें प्रकाश में आयी? क्या इस संबंध में माननीय नरेन्द्र शिशौदिया विधायक का पत्र दिनांक 28-10-2003 जो कि माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित है, कार्यवाही किये जाने हेतु प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

विद्युत वितरण खण्ड प्रथम सहारनपुर के दिनांक 1-12-99 से दिनांक 30-11-2002 तक के अभिलेखों की विशेष सम्परीक्षा दिनांक 10-3-03 से 14-5-03 तक करायी गयी थी जिसके फलस्वरूप रूपया 11,23,617.75 पैसे का स्थायी गबन तथा रूपया 1,37,025.00 के अस्थायी गबन का मामला प्रकाश में आया था।

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

68- श्री नवाब सिंह नागर-

[दूसरे मंगल के अन्त0 प्र0 स0 50 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जौनपुर व आजमगढ़ के बीच परिवहन निगम की बसों के संचालन में बढ़ोत्तरी का प्रकरण

69- श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में जौनपुर व आजमगढ़ के बीच परिवहन निगम की बसों के संचालन में कमी हो जाने के कारण यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार आजमगढ़ जौनपुर के मध्य परिवहन निगम की बसों के संचालन में बढ़ोत्तरी करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जौनपुर-आजमगढ़ मार्ग पर एवं इससे होकर परिवहन निगम के विभिन्न डिपो द्वारा प्रतिदिन 198 ट्रिपें (99 अप व 99 डाउन) संचालित की जा रही हैं, जो यात्रियों की उपलब्धता के दृष्टिगत पर्याप्त हैं।

अभी बसों में वृद्धि की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र मेहनगर जनपद आजमगढ़ में पवनी कलां में विद्युत सब स्टेशन स्थापित करने की योजना

70- श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मेहनगर जनपद आजमगढ़ में पवनी कलां में 33 के0वी0ए0 विद्युत सब स्टेशन स्थापित करने की योजना क्या सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पवनी कलां के निकटवर्ती क्षेत्र का विद्युत भार वहां नये 33 के0वी0 उपकेन्द्र के निर्माण हेतु पर्याप्त नहीं है। अतः पवनीकलां में नये 33 के0वी0 उपकेन्द्र के निर्माण का तकनीकी दृष्टि से औचित्य नहीं है।

शाहजहांपुर के ग्राम लथौला में नलकूप कनेक्शन दिये जाने संबंधी पत्र पर कार्यवाही

71- श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 13 मई, 05 जो शाहजहांपुर के ग्राम लथौला में नलकूप कनेक्शन दिये जाने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी। यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलययम सिंह यादव-

जी हां।

उपभोक्ता श्री राजकुमार सिंह पुत्र श्री सोनपाल सिंह निवासी ग्राम सधौला ब्लाक सिधौली, तहसील पुवायां जिला शाहजहांपुर को निजी नलकूप का कनेक्शन निर्गत करने हेतु पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता कार्यालय पत्रां 119/डी-1/टी0सी0 दिनांक 16-11-2005 के द्वारा रूपया 13,546.00 की धनराशि की टी0सी0 निर्गत कर उपभोक्ता को प्राप्त करा दी गयी है। वांछित धनराशि जमा करने पर ही संयोजन निर्गत किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ आमापुर विद्युत उपकेन्द्र से ग्राम आमापुर को विद्युत आपूर्ति

72- श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोतीसिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या विद्युत उपकेन्द्र आमापुर, जनपद प्रतापगढ़ से ग्राम आमापुर की विद्युत आपूर्ति की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? उसे कब से आमापुर विद्युत उपकेन्द्र से

जोड़ा जायेगा? क्या विद्युत उपकेन्द्र ढकवा, नरहरपुर, करैला जनपद-प्रतापगढ़ का निर्माण कार्य पूर्ण कर, विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है? यदि नही, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

माह अगस्त, 2005 से ग्राम आमापुर को 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र आमापुर से जोड़ दिया गया है।

33 के0वी0 उपकेन्द्र नरहरपुर तथा 33 के0वी उपकेन्द्र करैला का निर्माण पूर्ण करा दिया गया है। इन दोनों उपकेन्द्रों का परिचालन शीघ्र ही वाह्य एजेन्सी द्वारा प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

ढकवा में नये 33 के0वी0 उपकेन्द्र का निर्माण पूरा नहीं हो सका है, जिसके कारण इस उपकेन्द्र से विद्युत आपूर्ति कराना अभी संभव नहीं है।

ढकवा में नये 33 के0वी0 उपकेन्द्र का निर्माण पूरा कराने के लिये कुछ सामग्री जैसे-11 के0वी0 ओ0सी0बी0, 11 के0वी0 केबिल, 5 एम0वी0ए0 परिवर्तक उपलब्ध न होने के कारण कार्य बाधित हो गया है। उपकेन्द्र का निर्माण शीघ्र से शीघ्र पूरा कराने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

वन विभाग में लेखा संवर्ग का गठन

73- श्री दीनानाथ कुशवाहा-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वै0 आ0-1-1802/दस-34(एम0)-83, दिनांक 11-8-83 के अनुसार वन विभाग में अभी तक लेखा संवर्ग गठित नहीं किया गया है? यदि हां, तो लेखा संवर्ग गठित करने संबंधी कार्यवाही कब तक पूर्ण करा ली जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

पृथक लेखा संवर्ग के गठन की कार्यवाही प्रगति पर है।

जनपद गोण्डा अन्तर्गत सेवायोजन कार्यालय के पास उच्च शक्ति का नया ट्रान्सफार्मर लगाने का प्रस्ताव

74- श्री दीनानाथ कुशवाहा-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद-गोण्डा के नगर खण्ड में आई0 टी0 आई0, कचहरी रोड, सिविल लाइन में सेवायोजन कार्यालय के पास लो वोल्टेज की समस्या के निराकरण हेतु उच्च शक्ति का नया ट्रान्सफार्मर लगाया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो उसे अब तक न लगाये जाने के क्या कारण हैं? उक्त ट्रान्सफार्मर कब तक लगा दिया जायेगा?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत ट्रान्सफार्मर लगा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ में स्वच्छता कार्यक्रम के अधीन धनराशि व उसके उपयोग की जानकारी

75- श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोतीसिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ में स्वच्छता कार्यक्रम के अधीन वर्ष 2001 से 30 सितम्बर, 2005 तक प्राप्त वर्ष वार धनराशि एवं उक्त धनराशि से कराये गये कार्यों का विवरण क्या है? क्या सरकार उपयोग की गयी धनराशि का सत्यापन करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

वर्ष 2001-02 में	शून्य
वर्ष 2002-03 में	241.70 लाख
वर्ष 2003-04 में	शून्य
वर्ष 2004-05	162.65 लाख
वर्ष 2005-06	
(माह 30 सितम्बर, 05 तक)	316.50 लाख
कुल योग-	720.85 लाख

उक्तानुसार प्राप्त धनराशि के सापेक्ष व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण, स्कूल शौचालय के निर्माण, महिला काम्प्लेक्स के निर्माण, आर0 एस0 एम0 के निर्माण, प्रारम्भिक गतिविधियों, प्रचार-प्रसार एवं प्रशासनिक मद में कुल धनराशि रू0-411.45 लाख का उपभोग किया जा चुका है।

जी हां।

584 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 351 ग्राम पंचायत जिसमें अम्बेडकर ग्राम एवं समग्र ग्राम सम्मिलित हैं, में कराये गये कार्यों का सत्यापन कराया गया है।

233 ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य पूर्ण न होने के कारण सत्यापन कार्य नहीं हो सका।

नोएडा ग्रामीण आवादी स्थल एवं भूमि प्रबन्ध व्यवस्था विनियमावली का अनुमोदन

76- श्री नवाब सिंह नागर-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री को जानकारी है कि नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत नोएडा ग्रामीण आवादी स्थल एवं भूमि प्रबन्ध व्यवस्था विनियमावली 1998 (यथा संशोधित-2004) अनुमोदन हेतु शासन में लम्बित है? यदि हां, तो यह कब तक अनुमोदित कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ख्वाजा हलीम-

जी नहीं।

नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत नोएडा ग्रामीण आवादी स्थल, भूमि प्रबन्ध व्यवस्था विनियमावली, 1998 (यथा संशोधित-2005) में शासन स्तर पर परीक्षण के उपरान्त कतिपय त्रुटियां पाये जाने के कारण उसे संशोधित किये जाने हेतु नोएडा को प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रदेश में काल सेंटर स्थापित किये जाने वाले शहरों की संख्या

77- श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटीसप्लाई कोड 2005 के अनुसार दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में काल सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो अब तक प्रदेश के कितने शहरों में काल सेंटर बना दिये गये हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

नोएडा (गौतमबुद्धनगर) एवं कानपुर शहर में काल सेंटर्स स्थापित किये गए हैं एवं परिचालन में हैं।

धारा 28 ए के प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण के संबंध में शासन द्वारा निर्णय की जानकारी

78- श्री नवाब सिंह नागर-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता की नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर दिनांक 01-03-2005 को वक्तव्य में जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर से सूचना मिलने पर धारा 28 ए के प्रार्थना -पत्रों के निस्तारण के संबंध में शासन द्वारा निर्णय लिया जाना था? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण पर निर्णय ले लिया गया? यदि नही, तो क्यों?

श्री ख्वाजा हलीम-

जी हां।

शासन के पत्र दिनांक 03-10-2005 द्वारा जिलाधिकारी को धारा-28ए में प्राविधानित प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यवाही करने की शासन की अनुमति प्रदान कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषकों के निजी नलकूपों को ऊर्जीकृत कराने की मांग

79 डा0 अजय कुमार-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि सामान्य योजना के अन्तर्गत मेरठ व सहारनपुर मण्डल में निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु कितने मामले लम्बित हैं? लम्बित आवेदन पत्रों के आधार पर कृषकों के निजी नलकूपों को कब तक ऊर्जीकृत कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सामान्य योजना के अन्तर्गत मेरठ एवं सहारनपुर मण्डल में निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु क्रमश: 1815 एवं 2880 मामले लम्बित हैं।

सामान्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जनपदों में लम्बित बीएल फार्मों मे से जनपदवार उनकी पंजीयन की वरीयता के क्रम में लक्ष्यों का निर्धारण कर संयोजन हेतु आवंटित किये जाते हैं।

वर्ष 2005-06 मे सामान्य योजना के अन्तर्गत मेरठ एवं सहारनपुर के लिये क्रमश: 1005एवं 960 लक्ष्य निर्गत किये गये हैं जो उक्त अवधि में ऊर्जीकृत करा दिये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रतापगढ़ के वन क्षेत्राधिकारियों सहित सहायक वन संरक्षक प्रतापगढ़ एवं संभागीय निदेशक प्रतापगढ़ के विरुद्ध शिकायतों की जांच विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

80- श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोतीसिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र जो प्रतापगढ़ के वन क्षेत्राधिकारियों सहित सहायक वन संरक्षक प्रतापगढ़ एवं संभागीय निदेशक, प्रतापगढ़ के विरुद्ध शिकायतों की जांच के संबंध में था, मा0 मुख्य मंत्री के पत्र सं0-सी0एम0/वि0को0/एम0/106804 दिनांक 10-8-04 एवं सी0एम0/वि0को0/एम0/106925/04 दिनांक 11-8-04 के साथ प्रमुख सचिव वन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं , तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जांच करायी जा रही है।

जनपद जालौन पर कालपी जोल्हूपुर मोड़ काशीरामपुर-काटहा/परासन रूट में बस संचालन करने की मांग

81 डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि झांसी मण्डल के अन्तर्गत जनपद जालौन में कालपी-देवीपुर-काशीरामपुर काटहा/परासन कट पर निजी बस मालिकों द्वारा परमिट पर बसें संचालित की जाती हैं? कालपी देवीपुर मार्ग अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने के कारण संचालन योग्य नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार यात्रियों को होने वाली परेशानी को दृष्टिगत रखते हुये उक्त रूट में संशोधन कर कालपी-जोल्हूपुर मोड़ काशीरामपुर-काहटा/परासन रूट स्वीकृत करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

कालपी-परासन-वेतवाघाट (काहटा गांव) मार्ग पर वर्तमान में दो स्थायी अनुज्ञा पत्र वैध है।

जी हां।

जी हां।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 में अराजक तत्वों द्वारा वातावरण दूषित किये जाने एवं भय व्याप्त किये जाने की उच्च स्तरीय जांच विषयक पत्र पर कार्यवाही

82- श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 में अराजक तत्वों द्वारा कार्यालय का वातावरण दूषित करने एवं भय व्याप्त करने की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने विषयक माननीय विजय सिंह राणा, तत्कालीन एम0एल0सी0 का पत्र दिनांक 15-01-2004 जो कि मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव (ऊर्जा) को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

83- श्री कौशल किशोर-

[दिनांक 24-11-2005 के अता0प्र0सं0 122 द्वारा उत्तरित]

जिला हरदोई तहसील सण्डीलाके प्रधान ग्राम सभा मीतो के द्वारा वित्तीय अनियमितताओं की जांच

84- श्री कौशल किशोर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप प्रधान मीतो तह0 सण्डीला जिला-हरदोई द्वारा दिनांक 25-02-2005 को प्रधान ग्राम सभा मीतो, के द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं के विरुद्ध शिकायत की थी जिसमें ग्राम विकास मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) द्वारा कार्यालय पत्रांक सं0 378 सामान्य दिनांक 25-02-2005 के द्वारा खाता सीज करके जांच कराने के लिये पंचायती राज मंत्री को पत्र अग्रसारित किया था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या खाता सीज करके जांच करायी गयी है? यदि नहीं, तो जांच रिपोर्ट क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

जी नहीं, क्योंकि प्रारम्भिक जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध पाये जाने पर ही खाता सीज किये जाने का प्राविधान है।

शिकायती -पत्र की जांच परियोजना अधिकारी नेडा, हरदोई से करायी गयी। जांच से आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत जनपद बस्ती के विकास खण्ड-रुधौली तथा ग्राम-चौंगरी को ऊर्जीकृत किये जाने की मांग

85- श्री कौशल किशोर-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बस्ती के विकास खण्ड-रुधौली, जनपद-बस्ती के ग्राम चौंगरी को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ऊर्जीकृत कराने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

ग्राम चौंगरी, विकास खण्ड रुधौली, जनपद-बस्ती "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" के अन्तर्गत चयनित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के तहसील-पट्टी, ढखवा, में निर्माणाधीन विद्युत उपकेन्द्र का अवशेष निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

86- श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोतीसिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्माणाधीन विद्युत उपकेन्द्र 33/11 के0वी0, ढखवा, तहसील-पट्टी जनपद-प्रतापगढ़ का अवशेष निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कराकर विद्युत आपूर्ति शुरू कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

ढखवा में नये 33 के0वी0 उपकेन्द्र का निर्माण पूरा कराने के लिये कुछ सामग्री जैसे-11 केवी0 ओ0सी0बी0 11 के0वी0 केबिल, 5 एम0वी0ए0 परिवर्तक उपलब्ध न होने के कारण कार्य बाधित हो गया है। उपकेन्द्र का निर्माण मार्च, 2006 तक पूरा कराने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद-प्रतापगढ़ के क्षेत्र पंचायत, आसपुर देवसरा में निर्माण कार्य की प्रक्रिया संबंधी जानकारी

87- श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोतीसिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र पंचायत, आसपुर देवसरा जनपद-प्रतापगढ़ में वित्तीय वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 में निर्माण कार्य हेतु क्षेत्र पंचायत की बैठक में वर्षवार कुल कितने प्रस्ताव ग्राम प्रधानों एवं क्षेत्रीय पंचायत के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये तथा कितने स्वीकृत किये गये? उक्त कार्य योजना में प्राथमिकता निर्धारित करने का आधार क्या था? क्या वर्ष 2002-03 की कार्य योजना के सभी कार्य पूर्ण होने के पश्चात् वर्ष 2002-03 एवं वर्ष 2003-04 की कार्य योजना में शामिल सभी कार्य वर्ष वार पूर्ण होने के पश्चात् ही नये कार्य प्रारम्भ किये गये? यदि नहीं, तो इसके लिये क्या प्रक्रिया अपनायी गयी? क्या कराये गये कार्यों में से 30 प्रतिशत कार्यों की गुणवत्ता एवं मानकों की जांच करायी गयी? यदि नहीं, तां क्यों?

श्री बलराम यादव-

क्षेत्र पचायत आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ में वित्तीय वर्ष 2002-03 में 71, वित्तीय वर्ष 2003-04 में 76 तथा वित्तीय वर्ष 2004-05 में 87 प्रस्ताव ग्राम प्रधानों एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये एवं स्वीकृत किये गये।

कार्यो की महत्ता के आधार पर सदन में प्राथमिकता निर्धारित की गयी।

जी नहीं।

क्षेत्र पंचायत की बैठक में सदन द्वारा कार्यो के महत्व को देखते हुए कार्यो का चयन किया गया।

जी नहीं।

कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुयी।

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अन्तर्गत परीक्षा विस्तार परियोजना एवं ओबरा के आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण परियोजना सम्बन्धी अनुबन्ध की शर्तों में हेराफेरी की सी0बी0आई0 जाँच सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

88- श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अन्तर्गत परीक्षा विस्तार परियोजना एवं ओबरा के आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण परियोजना सम्बन्धी अनुमन्य की शर्तो में हेरा फेरी करने वाले अधिकारियों की सी0बी0आई0 जांच सम्बन्धी मा0 विजय सिंह राणा, पूर्व एम0एल0सी0 का पत्र दिनांक 28-10-2003 जो कि मुख्य मंत्री मुख्य सचिव, उ0प्र0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रकरण परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला पंचायत प्रतापगढ़ द्वारा विधान सभा क्षेत्र पट्टी से सम्बन्धित मार्गों सहित अन्य स्वीकृत मार्गों को लेपन स्तर तक पूर्ण किये जाने संबंधी जानकारी

89- श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत प्रतापगढ़ द्वारा विधान सभा क्षेत्र पट्टी से सम्बन्धित मार्ग अंतपुर-गूधीमकरा, सदहा-पचौरी मार्ग, बनवीरपुर मार्ग, सराय भिखारी कौशलपट्टी किलाई रोहीपट्टी सहित अन्य स्वीकृत मार्ग कब तक लेपन स्तर तक पूर्ण करा दिये जायेंगे? यदि नही, तो क्यों?

श्री बलराम यादव-

जिला पंचायत, प्रतापगढ़ द्वारा विधान सभा क्षेत्र पट्टी से संबंधित अंतपुर धुतो मकरा मार्ग एवं सबहापचौरी मार्ग 1.00 कि0मी0 तक लेपन स्तर तक पूर्ण करा दिया गया है। उक्त दोनों मार्ग का अवशेष 500 मीटर मार्ग विवादित होने के कारण कार्य नहीं कराया जा सका है। सदहा पंचौरी मार्ग का विवादित 500 मीटर मार्ग तथा बनवीरपुर मार्ग 15.00 किमी0 के स्थान पर शासनादेश संख्या-5961/33-सेल-05-33/03 दिनांक 20-5-2005 द्वारा क्रमशः भोलनापुर सम्पर्क मार्ग से एस0के0पाण्डेय के पुरवा तक 500 मीटर लेपन स्तर तक कार्य तथा लखनूडीह सम्पर्क मार्ग से शेरबहादुर सिंह-सूर्यभान सिंह के पुरवा तक 100 कि0मी0 तक सम्पर्क मार्ग निर्माण कराने की संशोधित स्वीकृति की गयी है, जिसका कार्य कराने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त सम्पर्क मार्ग चालू वित्तीय वर्ष में ही स्वीकृत स्तर तक पूर्ण करा लिये जायेंगे। सराय भिखारी कौशल पट्टी किलाईरोही पट्टी मार्ग के निर्माण का कार्य शासनादेश संख्या-208नि0/33-सेल-02 दिनांक 24-10-02 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में नहीं कराया गया है, क्योंकि उक्त शासनादेश में शासन स्तर से कार्यों एवं मार्गों का निर्धारण किये जाने एवं शासन के अनुमोदन के उपरान्त कार्य कराये जाने के निर्देश थे। अतः इस कारण से उक्त मार्ग का निर्माण नहीं कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 मुख्य मंत्री द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के विधानसभा क्षेत्र पट्टी के ग्रामों का विद्युतीकरण

90- श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के 58 ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने की घोषणा मा0 मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 9-6-2001 को की गयी थी? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के लिये 55 ग्रामों के विद्युतीकरण कराये जाने हेतु घोषणा की गयी थी।

55 ग्रामों में से 47 ग्राम विद्युतीकृत हैं एवं शेष 8 अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में जिला पंचायत द्वारा मार्गों के निर्माण संबंधी जानकारी

91- श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी जनपद-प्रतापगढ़ में जिला पंचायत, प्रतापगढ़ द्वारा वर्ष 1996 से अब तक कौन-कौन से मार्गों का निर्माण किस-किस स्तर तक कितनी कितनी धनराशि के स्वीकृत किये गये और उनमें से कौन-कौन से मार्ग लेपम स्तर तक पूर्ण किये जा चुके हैं? शेष अधूरे कार्यों को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

श्री बलराम यादव-

मार्गों की सूची की पॉच प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गयी हैं।

विवादित मार्गों को छोडकर शेष परिवर्तित तथा स्वीकृत स्तर तक मार्गों का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण होना संभावित है।

जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड जलालाबाद में समग्र ग्राम के अपूर्ण विद्युत कार्य को पूरा कराये जाने हेतु पत्र पर कृत कार्यवाही

92 श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड जलालाबाद जनपद-शाहजहांपुर में समग्र ग्राम के अपूर्ण विद्युत कार्य को पूरा कराये जाने हेतु आपके आदेश संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-130128 दिनांक 3-8-05 प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण खण्ड, मध्यांचल, लखनऊ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रश्न में वर्णित मुख्य मंत्री कार्यालय का प्रश्नगत संदर्भ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ को प्राप्त हुआ है।

उक्त संदर्भ माननीय सदस्य श्री राधेश्याम सिंह का है जिसमें उन्होंने विधान सभा क्षेत्र राम कोला में बेहतर विद्युत आपूर्ति किये जाने का अनुरोध किया है।

माननीय सदस्य जी के अनुरोधानुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ अन्तर्गत सराय मोहन फीडर को सब स्टेशन लालगंज से जोड़ने की मांग

93- श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर जनपद-आजमगढ़ में विद्युत सब स्टेशन, लालगंज के अन्तर्गत सराय मोहन फीडर से विद्युत आपूर्ति न होने के कारण किसानों को सिंचाई कार्य

में असुविधा होती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फीडर को सब स्टेशन लालगंज से जोड़कर किसानों को विद्युत आपूर्ति करने पर विचार करेगी? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर, जनपद-आजमगढ़ में सब स्टेशन-ठेकमा के अंतर्गत सराय मोहन फीडर को ऊर्जा प्रणाली नियंत्रण द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सब-स्टेशन ठेकमा से निकलने वाले सराय मोहन फीडर को इस उपकेन्द्र से जोड़ना तकनीकी दृष्टि से संभव नहीं है।

सरकार द्वारा हर दो घंटे में आजमगढ़-जौनपुर के मध्य परिवहन निगम की बसें संचालित करने की मांग

94- श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर व आजमगढ़ के बीच परिवहन निगम की बसों के फेरों में कमी हो जाने के कारण यात्रियों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार हर दो घण्टे में आजमगढ़-जौनपुर के मध्य परिवहन निगम की बसें संचालित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जौनपुर-आजमगढ़ मार्ग पर एवं इससे होकर परिवहन निगम के विभिन्न डिपो द्वारा प्रतिदिन 198 ट्रिपें 99 अप व 99 डाउन संचालित की जा रही हैं, जो यात्रियों की उपलब्धता के दृष्टिगत पर्याप्त है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला पंचायत, सुल्तानपुर द्वारा बनाया गया अलीगंज से चन्दौकी सम्पर्क मार्ग को ठीक किये जाने की मांग

95- श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत, सुल्तानपुर द्वारा बनाया गया अलीगंज से चन्दौकी सम्पर्क मार्ग अत्यधिक खराब हो गया है, जिससे इस पर पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है? यदि हां, तो क्या उक्त सम्पर्क मार्ग को वर्ष 2005-06 में ठीक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम यादव-

जी हॉं।

जी हॉं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर में राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास को विद्युत कनेक्शन किये जाने की जानकारी

96 श्री लालजी वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-अम्बेडकर नगर में राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास जियापुर, बरूआ, जलाकी, अम्बेडकर नगर में विद्युत कनेक्शन हेतु विद्युत विभाग के आंकलन के अनुसार अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड अकबरपुर-अम्बेडकर नगर के कार्यालय में दि0 13 मार्च, 2004 को रूपये जमा किये गये है? यदि हां, तो क्या उक्त छात्रावास में विद्युत कनेक्शन दे दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त राजकीय महिला छात्रावास में विद्युत कनेक्शन करायेगी?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां, स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार दिनांक 13-04-2005 को रू0 81835.00 एवं दिनांक 31-7-2005 को अतिरिक्त धनराशि रू0 1043.00 जमा किये गये।

जी हाँ।

राजकीय अनुसूचित जाति जन-जाति महिला छात्रावास बरूआ जलाकी अम्बेडकर नगर को संयोजन देने हेतु लाइन दिनांक 26-12-2006 को बनाकर दी गयी थी। दिनांक 13-01-2006 को मोटर लगाकर संयोजन निर्गत कर दिया गया है। यह संयोजन 10 कि0वा0 का है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत निर्माणाधीन विद्युत गृह से विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ करने की मांग

97- श्री महेश त्रिवेदी-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद-कानपुर देहात के अन्तर्गत राजपुर एवं बरौर में 33 के0वी0 विद्युत गृह निर्माणाधीन है? क्या यह सही है कि इन दोनों विद्युत गृहों के भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद भी मशीनों की स्थापना का कार्य विगत एक वर्ष से नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? उक्त दोनों विद्युत गृहों से विद्युत आपूर्ति कब से प्रारम्भ कर दी जायेगी?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

दोनों उपकेन्द्रों के भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। 33 के0वी0 उपकेन्द्र राजपुर के लिए 5 एम0बी0ए0 परिवर्तक तथा 11 के0वी0 ओ0सी0बी0 भण्डार से प्राप्त हो गयी है तथा उनकी स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

33 के0वी0 उपकेन्द्र बरोर में स्विच वार्ड की अर्थिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। स्विच यार्ड स्ट्रक्चरों के कोलकेशन का कार्य प्रगति पर है तथा 33 के0वी0 बरोर लाइन का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्नगत उपकेन्द्रों में विद्युत आपूर्ति शीघ्र ही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

जिला मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत लालूखेड़ी नामक स्थान पर 133 के0वी0 विद्युत गृह का निर्माण

98- श्री परमजीत

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बघरा, जिला मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत लालूखेडी नामक स्थान में 133 के0वी0 विद्युत गृह का निर्माण कराये जाने का प्रकरण विचाराधीन है? यदि हां, तो इसके निर्माण की लागत क्या है तथा इसका निर्माण कार्य कब से शुरू कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रश्नगत विद्युत गृह के निर्माण कराये जाने का प्रकरण विचाराधीन नही है।

प्रश्न नही उठता।

लालूखेडी में पहले से 132 के0वी0 उपकेन्द्र (2x40एम0वी0ए0) कार्यरत है।

जनपद सुल्तानपुर विकास खण्ड दुबेपुर में गांवों व पुरवों का विद्युतीकरण

99- श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर विकास खण्ड दुबेपुर में किन-किन गांवों एवं कौन-कौन से पुरवों का विद्युतीकरण 30-9-05 तक करा दिया गया है तथा कितने शेष हैं?

मुलायम सिंह यादव-

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड दुबेपुर में 116 ग्रामों एवं उनकी मुख्य आबादी वाली अनुसूचित जाति बस्ती(पुरवे) का विद्युतीकरण दिनांक 30-9-2005 तक करा दिया गया है जो निम्नवत् है:-

नूरमामपुर, मनियारपुर, खेतकुरी, मनभावना, धम्मौर, रमईयापुर, कमरपुर, परवरभार, कमौलिया, खौपुर, चन्देलेपुर, देवराहर, धरमैतपुर, राजापुर, रूरनाईपुर, उधनपुर, समनाभार, हुसेपुर सरनावा, बिकना, जैतापुर, निगोलिया, त्रिलोकपुर, पलिया, अमठा, रउमपुर, लौहर पश्चिम, कचनांवा, पिकौरा, गरुहूपुर, बिसानी, दघरपुर (उहूरपुर), जोहना, सरैया, बधुआं कला, घोघरा, बनकेपुर, सोबरसा, उगईपुर, हरदासपुर, हसनपुर, फतेहपुर, महाजितपुर, सलीमपुर, बमनगावं, रूपापुर, उत्तरदहा, बांस, फिरोजपुर कला, दूल्हापुर, अमिलिया खुर्द, सांदीपुर, बीबीगंज, महमूदपुर पखरौली, बैचिला कलां, बैचिलां खुर्द, पल्हरीपुर, कटावां, गोड़वा, रामनगर, अमिलिया कलां, कबरी, ढकवा, भट्टी जरौली, पैगापुर, पयागपट्टी, करौदियां, बधुआं खुर्द, सोनबरसा, रामापुर(रामपुर), अंकारीपुर, धरौली (छरौली), दादूपुर, दुबेपुर, गौरावारिक, अमहट, ताजखानपुर, अफलेपुर, तरिहर इसापुर, बहादुरपुर, दरियापुर, दिखंती, बैजापुर, लाखीपुर, तमेहड़ी, पयागीपुर, नरायनपुर, नेवाला इसहाकपुर, चकरपुर, अहिमाने, रायमनपुर, धनऊपुर (जनऊपुर), धरमापुर, पीताम्बरपुर कला, तिवारीपुर, उत्तरी, रौहर दक्षिण, बहलोलपुर, आरडीह, इयातपुर, डालापुर, भोई, पूरेअजमत(पूरेजनला), कानूपुर, टिकरियर, [illegible], देहली मुबारकपुर, पीथापुर, कुतुबपुर, कतकौली, सरैया पूरेसाद, [illegible] बार्डी, पूरे काशीराम, मादा, [illegible]नी, बहरौली, लोदीपुर, पूरेजद्दू, पकडी

निम्नलिखित 7 ग्राम [illegible]करण के लिये [illegible] हैं:-

हरदीरपुर बिनपुर, रामपुर, सरैया, उत्तर गांव, बदौलिया, ब्रह्मजीपुर, दहा फिरोजपुर

उ0 प्र0 जल विद्युत निगम में रिक्त पड़े अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति

100- श्री राम इकबाल सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 जल विद्युत निगम में वर्ष 2001 से अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक का पद रिक्त है? यदि हां, तो उक्त पद पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

दिनांक 14-9-05 से अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ0 प्र0 जल विद्युत निगम का पद रिक्त है।

नियुक्ति शीघ्र कर दी जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर अन्तर्गत विकास खण्ड बदलापुर में सड़क का लेपन स्तर का कार्य पूर्ण किया जाना एवं मानक व गुणवत्ता की जांच

101- श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बदलापुर के ग्राम-कृसनापुर से ग्राम भेलूपुर तक (रामजानकी मन्दिर) की सड़क का लेपन स्तर तक का कार्य माह जून, 2004 में पूर्ण करा लिया गया है? यदि हां, तो सड़क किनारे पटरियों का निर्माण न कराये जाने का क्या कारण है? क्या मा0 मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि उक्त सड़क की मानक एवं गुणवत्ता ठीक न होने के संबंध में मा0 राज्य मंत्री समाज कल्याण ने पत्र दिनांक 17-8-2004 द्वारा टी0ए0सी0 जांच कराने का अनुरोध किया गया था? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गयी? क्या इसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है? उसमें कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये हैं और दोषी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

पटरियों का भी निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है।

टी0ए0सी0 से जांच कराये जाने हेतु आयुक्त, वाराणसी मण्डल को लिखा गया है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर अन्तर्गत तहसील बदलापुर में पंचायत भवन का निर्माण

102 श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)-

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि ग्राम पंचायत, गौरा, विकास खण्ड बदलापुर, तहसील बदलापुर, जनपद जौनपुर में पंचायत भवन नहीं है? यदि हां, तो उक्त भवन का निर्माण कब तक करवा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यो?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री बलराम यादव-

जी हां।

वर्तमान ग्राम पंचायत गौरा में नियमानुसार पंचायत भवन का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है।

पंचायती राज विभाग में स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान तथा सामान्य मद के अन्तर्गत पंचायत भवन निर्मित कराये जाते हैं। स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से सर्वप्रथम अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या की ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है तथा सामान्य मद की धनराशि से सर्वप्रथम न्याय पंचायत स्तर की ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों का निर्माण किया जा रहा है। उक्त दोनों श्रेणियों में ग्राम पंचायत गौरा आच्छादित नहीं है।

जनपद अम्बेडकर नगर में विधान सभा क्षेत्रटाण्डा के ग्रामों में विद्युतीकरण

103- श्री लालजी वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-अम्बेडकर नगर में विधान सभा क्षेत्र टाण्डा के ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने हेतु विधायक निधि वर्ष 2003-04, वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 से अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर को धन आवंटित किया गया है? यदि हां, तो उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक पूरा करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

मुलायम सिंह यादव-

जनपद अम्बेडकर नगर में विधान सभा क्षेत्र टाण्डा के ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु वर्ष 2003-04 एवं वर्ष 2005-06 में विधायक निधि से कोई धन आवंटित नहीं किया गया है।

वर्ष 2004-05 में टाण्डा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों के विद्युतीकरण कराये जाने हेतु विधायक निधि से रुपये 14.96 लाख आवंटित किया गया है।

उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण मार्च, 2006 तक कराने की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड कुड़वार के गांवों एवं पुरवों का विद्युतीकरण व भौतिक सत्यपन

104- श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सुल्तानपुर के विकास खण्ड कुड़वार के कितने गांवों एवं कौन-कौन से पुरवों का विद्युतीकरण करा दिया गया है? क्या सरकार इनका भौतिक सत्यापन करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड कुड़वार के 93 ग्रामों एवं उनकी मुख्य आबादी वाली अनुसूचित जाति बस्ती (पुरवे) का विद्युतीकरण करवा दिया गया है जो निम्नवत् है:-

बसन्त तिवारीपुर, खाझापुर, मड़हा, माधौपुर, आचार्य, बहुबरा, अगई, गुड़वा, औदहा, सड़ाव सोती, माधौपुर, नोगदातीर, उपाध्यायपुर, प्रतापपुर, भण्डरा परशुरामपुर, तिरछै, निरसहिया, कुम्हाई, सोहगौली, भगवानपुर, उत्मानपुर, गंजेहड़ी, भदहरा, खादर बसन्तपुर, न्यौरा, कुड़वार, इसरौली, देवलपुर, चितईपुर,

हरखपुर, ग्रान्ट कुड़वार, धरौंवा, सडकौडा, कपुरपुर, जगदीशपुर, पतईपुर, महमूदपुर, पिपरी, पूरेरिखी, मिठनेपुर, पहरौली, कोटा, विनायकपुर, बेला पश्चिम, पूरे उदयराम, नरोत्तमपुर, मवैया, जूरापुर, कोटिया, पूरे पवार, डोमनपुर, राजापुर, रामपुर मठा, धुसयरिया, ऊँचगांव, खरसा, सरैया पूरे बिसेन, मसेतवा, मनियारी, टिकरिया, बबुरी, अजियावर देवी, सनईभार, मझना, सिन्दूरी, दाऊदपुर, देवलपुर, हाजी पट्टी, करमचन्दपुर, बुबुनपुर, रामपुर, धारुपुर भीटी, शनीचरा, नरही, शाहपुर सरकन्डेडीह, पूरे लोदई, बहमरपुर, मनियारपुर, परमजीतपुर, मुड़ई नेवादा, खोखीपुर, रवनियां पश्चिम, बहलोलपुर, रवनियां पूरब, सुरजीपुर, असरोगा, नौगवां(रायतासी), मीरानपुर, परसीपुर, अझुई, कोटवा रन्केडीह

ग्रामों का विद्युतीकरण होने के उपरान्त उनका भौतिक सत्यापन कराया जाता है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद सुल्तानपुर के गांवों के समस्त पुरवों/मजरों का विद्युतीकरण

105- श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सुल्तानपुर के गांवों के समस्त पुरवों/मजरों के विद्युतीकरण किये जाने की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक? सरकार सुल्तानपुर के विकास खण्ड दुबेपुर तथा कुड़वार के विद्युतीकरण के अवशेष मजरे/पुरवे की सूची सदन के पटल पर रखेगी?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। वर्मान में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 30852 अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत प्रथम चरण में मुख्य राजस्व ग्राम एवं एक अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल मजरें का ही विद्युतीकरण कराये जाने की योजना स्वीकृत है।

समस्त मजरों/पुरवों के विद्युतीकरण कराये जाने का नीतिगत निर्णय भारत सरकार से मई, 2005 में प्राप्त हुआ है। द्वितीय चरण में प्रदेश के समस्त पुरवों/मजरों के विद्युतीकरण की योजना केन्द्र सरकार को प्रेषित की जायेगी। इसके लिये सर्वेक्षण का कार्य कब तक पूर्ण होगा यह केन्द्र सरकार की स्वीकृति व धनावंटन पर निर्भर है।

विद्युतीकरण के अवशेष मजरे/पुरवे के चिन्हीकरण का कार्य प्रगति पर है। चिन्हित होने के उपरान्त सूची सदन के पटल पर रखी जा सकेगी।

जिला रायबरेली अन्तर्गत ग्राम गरीब खेड़ा, मजरे-पश्चिम गांव का विद्युतीकरण

106- डा0 अजय कुमार-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गरीब खेडा मजरे पश्चिम गांव, विकास खण्ड हरचन्दपुर, जिला रायबरेली के विद्युतीकरण हेतु सर्वे हो चुका है लेकिन विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ है?यदि हां, तो सरकार ग्राम-गरीब खेड़ा का विद्युतीकरण कब तक करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

गरीब खेड़ा, मजरे पश्चिम गांव का विद्युतीकरण करने हेतु अभी तक सर्वे नहीं किया गया है और न ही विद्युतीकरण हुआ है।

ग्राम पश्चिम गांव पूर्ण रूप से संतृप्त राजस्व ग्राम है। विद्युतीकरण की परिभाषा के अनुसार राजस्व ग्राम तथा एक मजरा विद्युतीकृत है। अन्य मजरों के विद्युतीकरण की योजना वर्तमान में स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में जय नगर, आजमगढ़ बस सेवा को नियमित व निर्धारित समय से संचालन

107- श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ में जय नगर, आजमगढ़ बस सेवा को नियमित व निर्धारित समय से संचालित किया जा रहा है? यदि नही, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां। अपवादिक या विशेष परिस्थितियों को छोडकर नियमित व निर्धारित समय से संचालन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में विकास क्षेत्र पल्हना परिवहन निगम बस सेवा के अभाव में आवागमन में असुविधा

108- श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ में विकास क्षेत्र पल्हना परिवहन निगम बस सेवा से जुड़ा न होने के कारण यात्रियों को आवागमन में असुविधा होती है? यदि हां, तो क्या मेहनाझपुर पल्हना मेहनगर छतवारा, आजमगढ़ बस सेवा शुरू की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

बस संचालन योग्य मार्ग न होने के कारण बसों के संचालन में कठिनाई है।

उपरोक्तवत्।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी तथा जनपद इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, बदायूँ, सम्भल तथा मुरादाबाद में विद्युत आपूर्ति की जानकारी

109- श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी तथा जनपद इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, बदायूँ, सम्भल, मुरादाबाद को 29-8-03 से अब तक विद्युत आपूर्ति किये जाने हेतु क्या समय सारिणी तय की गई है और प्रत्येक दिन उक्त प्रत्येक जनपद को कितने घण्टे विद्युत आपूर्ति हेतु आदेश दिये गये हैं? क्या पट्टी विधान सभा क्षेत्र को छोड़कर शेष को ग्रामीण क्षेत्र में 14 घण्टे से अधिक बिजली दी जा रही है? यदि हां, तो क्या पट्टी विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों को भी उपरोक्त की भांति विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

(1) जनपद इटावा एवं मैनपुरी के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति अनुमन्य है।

(2) जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में 14 घण्टे, जनपद बदायूँ (गुन्नौर विधान सभा क्षेत्र छोड़कर) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 14 घण्टे तथा जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 14 घण्टे साप्ताहिक रात्रि एवं दिन कार्यक्रम के अनुसार अदल-बदल कर विद्युत आपूर्ति अनुमन्य है।

(3) जनपद कन्नौज के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति अनुमन्य है। विद्युत आपूर्ति का समय पूर्वान्ह 11 बजे से अगले दिन प्रात: 05 बजे तक निर्धारित किया गया है।

जनपद इटावा, जनपद कन्नौज, जनपद मैनपुरी तथा जनपद बदायूँ के अन्तर्गत गुन्नौर विधान सभा क्षेत्र में 14 घण्टे से अधिक विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं और विद्युत की उपलब्धता में वांछित सुधार होने के उपरान्त ही सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ग्रामों का विद्युतीकरण

110- श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा सं0-70/01 द्वारा जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के 55 ग्रामों के विद्युतीकरण कराये जाने हेतु घोषणा की गई थी? यदि हां, तो क्या समस्त ग्रामों का विद्युतीकरण करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

55 ग्रामों में से 47 ग्राम विद्युतीकृत है एवं शेष 8 अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

शेष 8 अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण वर्ष 2006-07 के अन्त तक किये जाने की योजना है।

111- डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

जनपद सुल्तानपुर अन्तर्गत जिला पंचायत सुल्तानपुर द्वारा बनाये गये सम्पर्क मार्ग को ठीक कराये जाने की मांग

112- श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड कुड़वार जनपद-सुल्तानपुर अन्तर्गत जिला पंचायत सुल्तानपुर द्वारा उत्तर दहा से वीर सहिया के बीच बनाये गये सम्पर्क मार्ग की

पुलिया के दोनों किनारों की मिट्टी बह जाने के कारण आवागमन अवरुद्ध है? यदि हां, तो क्या सरकार उसे ठीक करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

जी हां।

31 दिसम्बर, 2005 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

फर्जी स्टाम्प पेपर की रोकथाम सम्बन्धी कार्यवाही

113- श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या सरकार को जानकारी है कि वाराणसी के अपर जिलाधिकारी, (वित्त एवं राजस्व) द्वारा माह सितम्बर, 05 में फर्जी स्टाम्प पेपर प्रकरण के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है? क्या इसकी रोकथाम हेतु सरकार कोई कार्यवाही कर रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हरि शंकर तिवारी)-

जी हां।

अपर जिलाधिकारी (वि/रा0) वाराणसी द्वारा कुछ स्टाम्पों को प्रथम दृष्टया संदिग्ध मानते हुये इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 24-9-2005 को थाना-कैण्ट जिला वाराणसी में दर्ज करायी गयी है।

फर्जी स्टाम्पों की रोकथाम के लिये शासन द्वारा राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर गठित टास्कफोर्स द्वारा समय-समय पर विभिन्न कार्यालयों तथा स्टाम्प वेण्डरों की आकस्मिक जांच करके फर्जी स्टाम्पों पर नियंत्रण की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 में श्रम न्यायालय व औद्योगिक न्यायाधिकरण में रिक्त पड़े पीठासीन अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति

114- श्री कौशल किशोर-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में कितने श्रम न्यायालय व कितने औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं? कितने श्रम न्यायालय व औद्योगिक न्यायाधिकरण ऐसे हैं जो पीठासीन अधिकारी विहीन है और कब से? इन न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों में पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 वकार अहमद शाह-

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 19 श्रम न्यायालय तथा 06 औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थापित हैं।

वर्तमान समय में 15 श्रम न्यायालय एवं 05 औद्योगिक न्यायाधिकरण पीठासीन अधिकारी विहीन हैं और पीठासीन अधिकारी के पद दिनांक 31-5-2002 से दिनांक 31-7-2005 के मध्य भिन्न-भिन्न तिथियों में रिक्त हुये हैं।

प्रदेश में स्थापित श्रम न्यायालयों एवं औद्योगिक न्यायाधिकरणों में पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक शीघ्र आयोजित कर तैनाती की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उपनिदेशक विद्युत सुरक्षा गाजियाबाद के विरुद्ध कार्यवाही का प्रकरण

115 श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके पत्रांक 4779/सी0एम0-2/04, दिनांक 20-9-04 एवं पत्रांक 5968/सी0एम0-2/04, दिनांक 11-11-04 व पत्रांक 218244/सी0एम0-2/2004, दिनांक 5-11-04 द्वारा उपनिदेशक विद्युत सुरक्षा गाजियाबाद के विरुद्ध कार्यवाही के आदेश दिये गये थे? यदि हां, तो उक्त आदेशों का पालन कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

उपनिदेशक, विद्युत सुरक्षा, गाजियाबाद के विरूद्ध शिकायत पर जांचोपरान्त तत्कालीन निदेशक, विद्युत सुरक्षा से जांच आख्या प्राप्त हुई थी। जांच के दौरान शिकायत कर्ता का पक्ष न सुने जाने के कारण शिकायती-पत्रों पर पुन: संयुक्त निदेशक, विद्युत सुरक्षा को जांच करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर अष्ट भुजा फीडर से अम्बेडकर स्कैन हास्पिटल तक विद्युतीकरण के कार्य की जानकारी

116- डा0 रमेश चन्द्र बिन्द-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सदस्य, विधान परिषद् श्री राम चन्द्र त्यागी द्वारा अपने विधायक निधि से अष्ट भुजा फीडर से अम्बेडकर स्कैन हास्पिटल तक विद्युतीकरण हेतु मुख्य विकस अधिकारी, मिर्जापुर द्वारा दि0 30-6-05 को 2.68 लाख रूपये अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड (द्वितीय) मिर्जापुर को स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो क्या अष्ट भुजा फीडर से अम्बेडकर स्कैन हास्पिटल तक विद्युतीकरण का कार्य करा दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो विद्युतीकरण कब तक कराया जायेगा?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राप्त धनराशि से लाइन निर्माण का कार्य प्रारम्भ कराया गया परन्तु स्थानीय निवासियों द्वारा अवरोध एवं विवाद के कारण लाइन का कार्य पूर्ण नहीं हो सका। मा0 सदस्य की सहमति पर लाइन दूसरी तरफ से ले जाने का निर्णय लिया गया। लाइन निर्माण के अवशेष कार्य हेतु रूपये 2.69 लाख का प्राक्कलन बनाकर मुख्य विकास अधिकारी को दिनांक 19-2-2005 को धनराशि अवमुक्त करने हेतु भेज दिया गया है। धनराशि प्राप्त होने पर कार्य करा दिया जायेगा।

117- श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

मिर्जापुर से चाकघाट बांदा लालगंज बरडिहा हाटा एवं मिर्जापुर से इलाहाबाद वाया लालगंज भरारी मार्ग भारतगंज होकर बस सेवा संचालन सम्बधित पत्र पर कृत कारवाई

118- श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना-

क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0रा0स0प0नि0 के क्षेत्रीय प्रबन्धक को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मानवाधिकार संगठन के उपाध्यक्ष श्री शशिभूषण दूबे पथिक का पत्र 1 जून, 2005 जो मिर्जापुर से चाकघाट बांदा लालगंज बरडिहा हाटा एवं मिर्जापुर से इलाहाबाद वाया लालगंज भरारी मार्ग भारतगंज होकर बस सेवा संचालनार्थ था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो सरकार जनहित में प्रश्नगत बस सेवायें कब तक संचालित करायेगी? यदि नही, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं। प्रश्नगत पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तवत्।

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम में जन्म तिथि आदि अभिलेखों में हेराफेरी सम्बन्धी की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती -पत्र पर सर्तकता शाखा से जांच

119- श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 जल विद्युत निगम एवं उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अन्तर्गत प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-7-2005 जो मा0 मुख्य मंत्री मुख्य सचिव, उ0प्र0 एवं उ0प्र0 विद्युत मजदूर संघ के महामंत्री, श्री नन्द लाल जायसवाल का पत्र दिनांक 3-7-2005 जो सी0एम0डी0, यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 को सम्बोधित है, में विधि अधिकारी एवं अन्य से जन्म तिथि में हेराफेरी विषयक है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

उक्त पत्रों में वर्णित आरोपों की जांच कारपोरेशन की सतर्कता शाखा को अभिदिष्ट कर दी गई है।

यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0, के अन्तर्गत मीटर सील के चोरी तथा मीटर में हेराफेरी को रोकने हेतु उपायों की जानकारी

120- श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0, के अन्तर्गत मीटर सील के चोरी तथा मीटर में हेराफेरी की सी0बी0आई0 जांच विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-8-2005 जो कि मुख्य सचिव/सी0एम0डी0, यू0पी0सी0एल0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस प्रकार की चोरी रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

मीटर में हेराफेरी को रोकने हेतु पुराने इलेक्ट्रोमेकेनिकल मीटर के स्थान पर पूर्ण रूप से स्टैटिक जिसमें कोई गतिशील अवयव नहीं होते इलेक्ट्रानिक मोटर लगाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार रेलवे मोटर में दर्ज सूचना से लगाया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत आरबीट्रेशन प्रकरण में रोके गये करोड़ों के भुगतान की सी0बी0आई0 जाँच विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

121- श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत आरबीट्रेशन प्रकरण में रोके गये करोड़ों के भुगतान की सी0बी0आई0 जांच विषयक मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 19-8-2005 जो कि सी0एम0डी0, यू0पी0पी0सी0एल0 को सम्बोधित है तथा इसी सम्बन्ध में विशेष सचिव श्री राज्यपाल जी का पत्र संख्या 3079/पी0एस0-एच0ई0 दिनांक 30-8-2005 जो कि मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (ऊर्जा) को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नही, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

800के0वी0 आनपाराझूंसी लाइन के संबंध में सिविल कार्यो से संबंधित गवाही हेतु महाप्रबन्धक (सिविल ट्रांसमिशन) लखनऊ के पत्र सं0 1169 म0प्र0 जनपद पारेषण/9बी-18/एच दि0-13-5-2004 द्वारा श्री रामायण राम, अधिशासी अभियन्ता जनपद को नामित किया था क्योंकि वह इस कार्य के संबंधित थे। इंजीनियर आफ कांट्रैक्ट का संदर्भ इंजीनियर एस0एन0 अग्रवाल के विषय में है जो सेवा निवृत्त हो गये थे एवं उनकी गवाही वांछित नहीं समझी गयी। इसी प्रकार श्री नन्दलाल जायसवाल इस कार्य से संबंधित नहीं थे अत: उनकी गवाही वांछित नही थी। अब हुन्डई आरबोट्रेशन में गवाही का अन्त होकर बहस प्रारम्भ हो चुकी है। श्री एस0एन0अग्रवाल सेवा निवृत्त उप महाप्रबन्धक एवं श्री नन्दलाल जायसवाल मुख्य शिकायतकर्ता की भी गवाही के लिए अधिवक्ता के माध्यम से आरिबट्रल ट्रिब्युनल के समक्ष अनुरोध किया जा रहा है।

वाहनों में सायरन, हूटर, लालबत्ती, नीली बत्ती का प्रयोग

122- श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाहनों में सायरन, हूटर, लालबत्ती, नीली बत्ती का प्रयोग किन-किन श्रेणी के जन-प्रतिनिधि एवं राजकीय अधिकारी कर सकते है? क्या 31-3-03 को वाहनों पर लाइट लगाये जाने हेतु निर्गत शासनादेश में थानाध्यक्ष, उपजिला अधिकारी, तहसीलदार, अपर एवं उप पुलिस अधीक्षक को भी अनुमति प्रदान की गयी है? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है? क्या सरकार उक्त शासनादेश पर पुनर्विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

किसी यान को, जो निम्नलिखित उच्च पदस्थ व्यक्तियों को ले जा रहा हो निम्नलिखित का प्रयोग करने की अनुज्ञा की गयी है:-

(क) वाहन के शीर्ष अग्रभाग पर स्थापित लाल फ्लैशर बत्ती, जब वाहन प्रदेश में ड्यूटी पर हो:

(1) राज्यपाल

(2) उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री,

(3) उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति,

(4) उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष,

(5) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायमूर्ति,

(6) लोकायुक्त,

(7) उ0प्र0 के मंत्रीगण,

(8) नेता विरोधी दल (विधान परिषद/विधान सभा),

(9) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण एवं सेवा निवृत्त न्यायधीशगण, जो पूर्णकालिक रूप में पुनर्नियोजित हो।

(ख) वाहन के शीर्ष अग्रभाग पर स्थापित बिना फ्लैशर लाल बत्ती, जब वाहन प्रदेश में ड्यूटी पर हो:-

(1) विधान परिषद के उप सभापति,

(2) विधान सभा के उपाध्यक्ष,

(3) उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री, उप मंत्री,

(4) राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त निगमों/समितियों के अध्यक्ष/ विधान मण्डल की विभिन्न समितियों के सभापतिगण,

(5) अध्यक्ष, जिला परिषद (अपने क्षेत्र में),

(6) नगर प्रमुख, नगर निगम (अपने क्षेत्र में)]

(7) मुख्य सचिव,

(8) अध्यक्ष राजस्व परिषद एवं प्रशासनिक सदस्यगण,

(9) महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश,

(10) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग,

(11) राज्य निर्वाचन आयुक्त,

(12) जिला न्यायाधीश और उनके समतुल्य उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के अन्य अधिकारीगण

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(2) किसी यान को, जो राज्य सरकार के निम्नलिखित पदाधिकारियों को ले जा रहा हो, छत पर [illegible] भाग में फ्लैशर सहित नीली बत्ती का प्रयोग करने की अनुज्ञा दी गयी है:-

(1) समस्त प्रयुक्त सचिव/सचिव,

(2) समस्त मण्डलायुक्त,

(3) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश,

(4) आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश,

(5) मनोरंजन कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश,

(6) समस्त पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश,

(7) समस्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश,

(8) महानिरीक्षक, कारागार, उत्तर प्रदेश,

(9) समस्त पुलिस महानिरीक्षक,

(10) परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक,

(11) जिला मजिस्ट्रेट,

(12) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (जो जिले के प्रभारी हो),

(13) मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

(14) अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट,

(15) चीफ मेट्रोपोजिटन मजिस्ट्रेट/चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट,

(16) प्रमुख वन संरक्षक/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/परिक्षेत्रीय वन संरक्षक/जनपद में तैनात प्रभागीय वनाधिकारी।

(17) अतिरिक्त परिवहन आयुक्त/उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र)/सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी।

(18) कार्यकारी मजिस्ट्रेट

(19) जनपदीय अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी

(20) प्रभारी निरीक्षक एवं थानाध्यक्ष।

3- निम्नलिखित प्रकार के वाहनों में हूटर व सायरन का प्रयोग करने हेतु अनुमति दी गयी है:-

(1) महामहिम राज्यपाल व माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ स्कोर्ट में लगे हुये सुरक्षा/स्कोर्ट वाहनों में नियुक्ति पुलिस अधिकारियों के वाहनों यथा एम्बुलेंस व अग्निशमन वाहनों में,

(2) कार्यकारी (एक्जीक्यूटिव) पुलिस बल में तैनात पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के अन्दर आपातकालीन स्थिति में, तथा

(3) परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा आपातकालीन स्थिति में।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अधिसूचना संख्या-709(1)/30-4-2003-25पी/77, दिनांक 31-3-2003 द्वारा निम्नलिखित पदाधिकारियों को ले जा रहे वाहनों पर मध्य भाग में फ्लैशर सहित नीली बत्ती स्थापित करने की अनुज्ञा दी गई है:-

(1) कार्यकारी मजिस्ट्रेट

(2) जनपदीय अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी

(3) प्रभारी निरीक्षक एवं थानाध्यक्ष।

उक्त पदाधिकारियों को अपने कर्तव्य एवं दायित्वों के प्रति ग्रामीण अंचल के आन्तरिक क्षेत्रों में भी सरकारी कार्य को सुचारू रूप से संचालित करना होता है। जनता के साथ सरकारी कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, इसलिये इन अधिकारियों को भी अधिकृत किया गया है।

प्रश्न नही उठता।

उपरोक्तानुसार।

उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेशन के अनुच्छेद-19 अधिनियम के विरुद्ध श्री माथुर मी0री0 को सेवाच्युत विषयक कार्यवाही

123 श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि अधिशासी अभियन्ता प्रथम, गाजीपुर के कार्यालय ज्ञाप संख्या-66/वि0वि0खं0 प्र0 गा0/दिनांक 12-01-99 आदेश जो कि कारण बताओ नोटिस है, के द्वारा श्री माथुर मी0री0 को सेवाच्युत कर दिया गया है, जो कि उ0 प्र0 स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेशन के अनुच्छेद-19 अधिनियम के विरुद्ध है? क्या यह सही है कि महाप्रबन्धक-3, पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा दिनांक 14-06-2004 को प्रस्तुत आख्या के प्रकाश में विधि अधिकारी द्वारा दिनांक 17-06-2004 को प्रस्तुत विधिक अभिमत में उक्त दण्डादेश को अनुचित ठहराया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार शासन के पत्र सं0-311/पी-2 दिनांक 20-01-2001 द्वारा जारी आदेश एवं श्री आर0 बी0 पाण्डेय, मु0अभि0 (जल विद्युत) के पत्र सं0-4021/अ-7 दिनांक 02-11-2002 द्वारा सेवा बहाली की संस्तुति को देखते हुये श्री माथुर मी0री0 को सवेतन सेवा में बहाली के आदेश करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रस्तुत विधिक अभिमत में दण्डादेश को अनुचित नहीं ठहराया गया है, अपितु वृहद दण्ड देने से पूर्व कारण बताओ नोटिस न दिया जाना त्रुटिपूर्ण बताया गया है। इससे पूर्व दिये गये विधिक अभिमत में दण्डादेश को चुनौती दिये जाने का प्रत्यावेदन कालबाधित बताया गया था। अत: बाद में दिया गया विधिक अभिमत स्वयं निष्प्रभावी हो गया।

जनपद प्रतापगढ़ में स्वीकृत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र ढकवा का निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग

124- श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ में स्वीकृत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र ढखवा का निर्माण कार्य अधूरा है? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

ढखवा में नये 33 के0वी0 उपकेन्द्र का निर्माण पूर्ण कराने के लिये कुछ सामग्री ओ0सी0बी0, 11 के0वी0 केबिल, 5 एम0वी0ए0 परिवर्तक उपलब्ध न होने के न है।

उपकेन्द्र का निर्माण मार्च, 2006 तक पूर्ण कराने हेतु प्रयास किया जा र

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के लिये स्वी

125- श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के 33/11 वे न्द्र नरहरपुर, करेला, आमापुर साल्हीपुर कंजास, सदहा, हरीपुर, वरदेयता ढखवा के स्वी. निर्माण करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त निर्माण कब तक करा दिया जायेगा?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद प्रतापगढ़ के 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों नरहरपुर, करेला, आमापुर साल्हीपुर कंजास, सदहा, हरीपुर, वरदेयता ढखवा के स्वीकृत भवन का निर्माण करा दिया गया है।

33/11 के0वी उपकेन्द्र ढखवा के स्वीकृत भवन का निर्माण भी पूर्ण करा दिया गया है। केवल रंगाई-पुताई का कार्य शेष है।

प्रश्न नहीं उठता।

33/11 के0वी उपकेन्द्र ढखवा के स्वीकृत भवन के रंगाई-पुताई का कार्य भी शीघ्र पूरा कराया जायेगा।

यू0 पी0 पावर कारपोरेशन में गलत तरीकों से कार्मिकों के भुगतान रोकने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

126- श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0, पूर्व उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के अन्तर्गत श्रमिकों के पेंशन, ग्रेच्युटी, वेतन एवं जीवन निर्वाह भत्ता रोकने के कारण ब्याज सहित भुगतान हेतु श्री ब्रजभूषण सिंह कुशवाहा, पूर्व एम0एल0सी0 का पत्र दिनांक 8-10-2002 श्री विजय सिंह

राणा, पूर्व एम0एल0सी0 का पत्र दिनांक 21-4-2003, 10-6-2003 जो कि सी0एम0डी0, यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो गलत तरीके से रोकने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सितम्बर, 2005 तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यो?

श्री मुलायम सिंह यादव-

श्री ब्रजभूषण सिंह कुशवाहा (पूर्व एम0एल0सी0) का पत्र दिनांक 08 अक्टूबर, 2002, श्री विजय सिंह राणा, पूर्व एम0एल0सी0 का पत्र दिनांक 21-4-2003 प्राप्त हुआ है। किन्तु श्री राणा का पत्र दिनांक 10-06-2003 यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 में प्राप्त नहीं हुआ है।

जहां तक प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 08-10-2002 में उल्लिखित श्री नन्देश्वर नाथ श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक के पेंशन प्रकरण का संबंध है, उसमें कोई अग्रेतर कार्यवाही अपेक्षित नहीं पाई गई, क्योंकि उक्त तिथि के पूर्व दिनांक 09-11-2001 को उन्हें अन्तिम पेंशन/ग्रेच्युटी अधिकृत करने के आदेश निर्गत किये जा चुके थे। चूँकि श्री श्रीवास्तव ग्रेच्युटी संगत नियमों के अनुसार रुकी थी, अत: इस संबंध में उन्हें कोई ब्याज देय नही है।

जहां तक श्री नन्दलाल जायसवाल, कनिष्ठ पाण्डुलिपिक, उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के उत्पीड़न का प्रश्न है, उन्हें निलम्बन अवधि का सम्पूर्ण वेतन एवं जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जा चुका है। अत: उनके देयकों को रोकने का प्रश्न नहीं है। देयकों का समय से भुगतान करने के फलस्वरूप देयकों पर ब्याज नहीं बनता है। अत: कथित गलत तरीके से देयकों को रोकने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक ट्राइवेक्टर इनर्जी मीटर की खरीद में की गई धांधली विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

127- श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक ट्राइवेक्टर इनर्जी मीटर की खरीद में की गई धांधली विषयक श्री विजय सिंह राणा, एम0एल0सी0 एवं श्री राधेश्याम जायसवाल, विधायक का पत्र दिनांक 08-09-2003 जो कि क्रमश: मुख्य मंत्री एवं मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन को सम्बोधित है, प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

श्री विजय सिंह राणा के पत्र दिनांक 08-09-2003 एवं उसके साथ संलग्न श्री नन्दलाल जायसवाल उप महामंत्री, उ0प्र0 विद्युत मजदूर संघ के पत्र दिनांक 06-09-2003 में उल्लिखित शिकायतों के संबंध में महाप्रबन्धक(पारेषण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा जांच कराई गई। जांच में निविदा में धांधली अथवा भ्रष्टाचार की स्थति नहीं पाई गई। संदर्भित क्रम में कोई अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 जल विद्युत निगम में नियम विपरीत कार्य करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रकरण

128- श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 जल विद्युत निगम में प्रतिनियुक्ति पर तैनात कामन कैडर के उच्च अधिकारियों द्वारा नियमों एवं आदेशों की अवहेलना कर गलत प्रोन्नति करने वाले तथा समयबद्ध वेतनमान देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में विशेष सचिव, श्री राज्यपाल का पत्र संख्या-3562/पी0एस0-एच0आई0 दिनांक 29-09-2005 प्रमुख सचिव (ऊर्जा) को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 को दिये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना

129- डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद मण्डल की समीक्षा बैठक दिनांक 26 सितम्बर, 2005 को उनके द्वारा घोषणा की गयी थी कि इलाहाबाद में 22 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी? यदि हां, तो क्या 26 सितम्बर, 2005 के बाद से शहर में बाइस घंटे बिजली उपलब्ध करायी जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई है।

इलाहाबाद महानगर में अधिक बिजली कटौती किये जाने पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

130- डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 2005 में इलाहाबाद महानगर में कितने घंटे बिजली कटौती का आदेश था तथा कितने घंटे बिजली कटौती की गई? क्या यह सही है कि रोस्टर के अनुसार बिजली कटौती न करके अधिक कटौती की गई है? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी लोगों के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

माह जून-05 से सितम्बर-05 तक इलाहाबाद महानगर में प्रतिदिन 04 घंटे विद्युत कटौती के आदेश के सापेक्ष प्रत्येक माह औसतन प्रतिदिन करायी गयी विद्युत कटौती का विवरण निम्नवत् है:-

माह	विद्युत कटौती (घंटे-मिनट)
जून-05	4.15
जुलाई-05	4.20
अगस्त-05	6.10
सितम्बर-05	3.20

जी हां।

प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता में कमी होने के कारण प्रणाली की सुरक्षा हेतु निर्धारित से अधिक विद्युत कटौती कराना अनिवार्य हो जाने के कारण उत्तरदायित्व निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत वन विहार विकसित करने की मांग

131- श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में मेहनगर तहसील के गौरा ग्राम में मड़िलहा पोखरे के समीप वन विहार विकसित करने पर सरकार विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वन विहार विकसित करने की वर्तमान में कोई योजना न होने के कारण जनपद आजमगढ़ के मेहनगर तहसील के गौरा ग्राम में मड़िलहा पोखरे के समीप वन विहार विकसित किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद आजमगढ़ में वृन्दा बाजार मेहनगर कम्हरिया मार्ग पर वृक्षारोपण

132- श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में वृन्दा बाजार मेहनगर कम्हरिया मार्ग पर क्या सरकार वृक्षारोपण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

इस मार्ग पर वर्ष 2002-03 में कि0मी0 संख्या 17 से 21 के मध्य तथा वर्ष 2005-06 में कि0मी0 संख्या 15-17 में वृक्षारोपण कार्य कराया गया है। वर्ष 2006-07 में इस मार्ग के कि0मी0 3 से 10 के मध्य वृक्षारोपण हेतु अग्रिम मृदा कार्य किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत उपयोग की गई धनराशि का विवरण

133- श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोतीसिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2002 से जून, 2005 तक की वर्षवार प्राप्त धनराशि कितनी है तथा वह धनराशि कहां-कहां उपयोग की गई है? क्या उपयोग की गई धनराशि का सत्यापन कराया गया है? यदि नही, तो क्यों?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

वर्ष 2002-03 में	241.70 लाख
वर्ष 2003-04 में	शून्य
वर्ष 2004-05 में	162.65 लाख
वर्ष 2005-06 (माह जून, 05 तक)	316.50 लाख
कुल योग-	720.85 लाख

उक्तानुसार प्राप्त धनराशि के सापेक्ष व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण, स्कूल शौचालय के निर्माण, महिला काम्प्लेक्स के निर्माण, आर0एस0एम0 के निर्माण, प्रारम्भिक गतिविधियों, प्रचार-प्रसार एवं प्रशासनिक मद में कुल धनराशि रू0-389.18 लाख का उपभोग किया जा चुका है।

जी हां।

584 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 351 ग्राम पंचायत जिसमें अम्बेडकर ग्राम एवं समग्र ग्राम सम्मिलित है, में कराये गये कार्यो का सत्यापन कराया गया है।

233 ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य पूर्ण न होने के कारण सत्यापन कार्य नहीं हो सका।

प्रतापगढ़ से शिवमूर्तिनगर(लालगंज) तक बस सेवा संचालित किये जाने की जानकारी

134- श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"

क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि उ0 प्र0 रा0 स0 प0 नि0 प्रतापगढ़ से शिवमूर्तिनगर (लालगंज) वाया मांडा रोड भारतगंज भरारी मार्ग होकर बस सेवा संचालित कराये जाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो प्रश्नगत बस सेवा कब तक संचालित करायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रतापगढ़ से शिवमूर्तिनगर सीधे यात्री मिलने की सम्भावना अत्यन्त क्षीण है।

विद्युत सुरक्षा निदेशालय के अवर अभियन्ताओं का पद नाम परिवर्तन

135- श्री हरि प्रताप सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत सुरक्षा निदेशालय के अवर अभियन्ताओं का पद नाम परिवर्तित कर विद्युत अधिकारी या विद्युत सुरक्षा अधिकारी करने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? नाम परिवर्तित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पदनाम पविर्तन का औचित्य नहीं पाया गया।

विद्युत सुरक्षा निदेशालय के अवर अभियन्ताओं को वाहन भत्ता देने की मांग

136- श्री हरि प्रताप सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत सुरक्षा निदेशालय के अवर अभियन्ताओं को वाहन भत्ता देने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्व में निर्णय लिया जा चुका है।

टिकैतराय सचिवालय कालोनी, लखनऊ में विद्युत कनेक्शन रहित आवासों में विद्युत का उपयोग करने वाले अध्यासियों के विरुद्ध कार्यवाही

137- श्री मस्तराम-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि टिकैतराय सचिवालय कालोनी, लखनऊ में राज्य सम्पत्ति विभाग के कितने ऐसे आवास हैं जिनमें विद्युत कनेक्शन नहीं हैं और विद्युत का उपभोग किया जा रहा है? क्या ऐसे अध्यासियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

टिकैतराय सचिवालय कालोनी में आवासों की संख्या 675 है। 675 आवासों में से 628 (छः सौ अट्ठाइस) आवासों में संयोजन दिया गया है। जिसमें से 11 संयोजनों को पी0 डी0 किया गया है। 47 ऐसे आवास हैं जिनमें संयोजन नहीं है। संयोजन रहित आवासों में विद्युत का प्रयोग नहीं होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में छतवारा देवइत, मेहनगर मार्ग पर वृक्षारोपण

138- श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद आजमगढ़ में छतवारा देवइत, मेहनगर मार्ग पर वृक्षारोपण कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद आजमगढ में छतवारा देवइत, मेहनगर मार्ग पर वर्ष 1987 में 10 है0 में वृक्षारोपण कराया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में मेहनगर तहसील में वृक्षारोपण का कार्य

139- श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ में मेहनगर तहसील में विगत चार वर्षो में कहां-कहां वृक्षारोपण का कार्य कराया गया है। वर्तमान में उक्त वृक्षारोपण की क्या स्थिति है? कितने प्रतिशत वृक्ष जीवित है?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद आजमगढ के मेहनगर तहसील में विगत चार वर्षो (2001-02) से (2004-05) में विकास खण्ड मेहनगर, पल्हना तथा तरवा में 21 स्थलों पर कुल 121.5 है0 क्षेत्र में 1,50,950 पौधों का रोपण किया गया है। वर्तमान में 1,19,917 पौधे जीवित है। 79.44 प्रतिशत वृक्ष जीवित है।

महनगरों, जिला मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति का विवरण

140- श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानगरों, जिला मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति कितने-कितने घण्टे किये जाने की व्यवस्था की गयी है? क्या प्रदेश में उसका अनुपालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रदेश में विभिन्न स्तर के नगरों/क्षेत्रों में प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति के घंटे निम्नानुसार निर्धारित किये गये है:

1- ग्रामीण क्षेत्र	-14 घंटे
2- तहसील स्तरीय नगर	-15 घंटे
3- जनपद स्तरीय नगर	-16 घंटे
4- मंडल स्तरीय नगर	-18 घंटे
5- महानगर	-20 घंटे
6- बुन्देलखंड क्षेत्र	-16 घंटे

उपरोक्तानुसार आपूर्ति हेतु यथा संभव प्रयास किये जाते हैं परन्तु विद्युत की उपलब्धता में कमी होने के कारण तथा तकनीकी कारणों से प्रणाली की सुरक्षा हेतु कभी-कभी तद्नुसार संभव नहीं हो पाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत कम्प्यूटर फीडिंग में हुए घोटालों की जॉच विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

141- श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत कम्प्यूटर फीडिंग में हुए अरबों रूपये के घोटाले की जांच संबंधी श्री ब्रजभूषण सिंह कुशवाहा, पूर्व एम0एल0सी0 का पत्र दिनांक 04 अक्टूबर, 2002 जोकि मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश एवं सी0एम0डी0, यू0पी0सी0एल0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हॉ।

श्री ब्रजभूषण सिंह कुशवाहा, पूर्व एम0एल0सी0 के उक्त पत्र दिनांक 4-10-2002 में सन्निहित आरोपों के संबंध में पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से जांच करायी गयी। सर्तकता की जांच आख्या प्राप्त हो गयी है। समस्त प्रकरण में सतर्कता जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही कर दी गयी है। श्री एन0एन0 श्रीवास्तव, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता के विरूद्ध प्रचलित प्रकरण अपराध सिद्ध न होने के कारण समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकरण में अब अलग से सी0बी0आई0 अथवा अन्य कोई जांच कराये जाने का औचित्य उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के स्तर पर नही पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र बघरा जिला-मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत गाँवों का विद्युतीकरण

142- श्री परमजीत-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बघरा जिला-मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2005-2006 में कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? क्या उक्त क्षेत्र में 133 के0वी0विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कार्य प्रस्तावित है? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक शुरू करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

विधान सभा क्षेत्र बघरा जिला मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2005-06 में ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य शून्य है।

उक्त क्षेत्र में 133 के0वी0 नहीं अपितु नये 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र खरड़ का निर्माण प्रस्तावित है।

नये 132 के0वी0 उपकेन्द्र का निर्माण प्रारम्भ करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के अन्तर्गत वनभूमि के कुछ भाग पर कब्जा हटवाने की कार्यवाही

143- श्री जियाउद्दीन रिजवी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद-हरदोई की तहसील सण्डीला के अन्तर्गत ग्राम मुन्नूखेड़ा मजरा ककराली में गाटा संख्या 1791 रकबा 0.544 एयर तथा गाटा संख्या 1815 रकबा 2.216 एयर वन भूमि है? क्या यह सही है कि उक्त भूमि के कुछ भाग पर उसी गांव के निवासी शाहिजादे पुत्र साहेब तथा अन्य कई व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत कब्जा करके आवास निर्मित करा लिया गया है? क्या सरकार उक्त सरकारी वन भूमि से तत्काल कब्जा हटवायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रश्नगत क्षेत्र जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के अन्तर्गत ग्राम ककराली मजरा मुन्नूखेड़ा है, जिसमें गाटा संख्या 1791 रकबा 0.544 हेक्टेयर तथा गाटा संख्या 1815 रकबा 2.216 हेक्टेयर वन भूमि है।

जी नहीं, उपरोक्त क्षेत्र में वर्तमान में अनधिकृत कब्जा/आवास निर्मित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महाराजगंज की तहसील निचलौल में विद्युत स्पर्श से घायल व्यक्ति को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग

144- श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 28-8-05 को जनपद महराजगंज की तहसील निचलौल के परसिया ग्राम में डोमई पुत्र सोभी के पुत्र अजय विद्युत स्पर्श से गम्भीर रूप से घायल हो गये थे? यदि हां, तो स्थानीय प्रशासन द्वारा क्या उनके परिवार को कोई आर्थिक सहायता दी गयी? यदि नहीं, तो क्यो? क्या सरकार घायल के परिवार हेतु कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं, सामान्य रूप से घायल हुए थे।

जी हॉं, निदेशक, विद्युत सुरक्षा की जांच आख्या दिनांक 21-11-05 के अनुसार श्री अजय कुमार को रू0 5000/- अनुग्रह धनराशि दि0 3-12-05 को स्वीकृत की जा चुकी है।

प्रश्न नही उठता।

जी हॉं, उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन की लखनऊ यात्रा के उद्देश्य की जानकारी

145- श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह तथा डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 07 सितम्बर, 2005 को संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन की लखनऊ यात्रा का क्या उद्देश्य था? उक्त एक दिवसीय यात्रा पर प्रदेश सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गयी?

श्री ख्वाजा हलीम-

दिनांक 07 सितम्बर, 2005 को संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन, मा0 मुख्य मंत्री जी एवं मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 विकास परिषद एवं सांसद, श्री अमर सिंह जी द्वारा आयोजित रात्रि भोज में भाग लेने हेतु आये थे।

उक्त महानुभाव की इस यात्रा में उनके प्रवास, भोजन एवं परिवहन पर प्रदेश सरकार द्वारा कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी है परंतु उनके अतिविशिष्ट स्तर के दृष्टिगत उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा भी प्रदान की गयी थी परंतु इस पर हुये व्यय का अलग से कोई आंकलन नहीं होता।

जनपद आजमगढ़ में मेहनगर स्थित आई0टी0आई0 भवन का निर्माण

146- श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में मेहनगर स्थित आई0टी0आई0 का भवन निर्माण निर्मित है? यदि नही, तो क्यों? उक्त भवन का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा।

डा0 वकार अहमद शाह

जी नहीं।

क्योंकि वर्तमान में मेंहनगर (आजमगढ़) में कोई राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ मेंहनगर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान न होने की जानकारी

147- श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मेंहनगर में कुल कितने ट्रेड में शिक्षा दी जाती है? क्या सरकार उक्त संस्थान में और ट्रेड बढ़ाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यो?

डा0 वकार अहमद शाह-

वर्तमान में मेंहनगर (आजमगढ़) में कोई राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि मेंहनगर (आजमगढ़) में कोई राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित नहीं है।

उ0प्र0 वित्तीय निगम में 15 वर्षो से अधिक समय पर तैनात कर्मचारी व उनका स्थानान्तरण

148- श्री रामशंकर पाल-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम में पिछले 15 वर्षो से अधिक समय से कितने कर्मचारी एक ही जिले में तैनात है? क्या सरकार उनको अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ख्वाजा हलीम

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम में 15 वर्षो से अधिक समय से एक ही जिले में तैनात कर्मचारियों का समूहवार विवरण निम्नवत् है :-

समूह - क - 02

समूह - ख - 04

समूह - ग - 83

समूह - घ - 125

समूह-क- के दो अधिकारियों में से एक उप महाप्रबन्धक जो कि निगम का वरिष्ठतम् अधिकारी (प्रबन्ध निदेशक के बाद) है का पद मुख्यालय हेतु स्वीकृत है अतएव स्थानान्तरण योग्य नहीं है। दूसरे अधिकारी को स्वास्थ्य कारणों से स्थानान्तरित नहीं किया गया है।

समूह-ख- के चार अधिकारियों में से एक अधिकारी का शारीरिक विकलांगता के कारण स्थानान्तरण नहीं किया गया है जबकि तीन अन्य अधिकारी निजी सचिव/सहायक प्रबन्धक (व्यैक्तिक) के रूप में निगम के वरिष्ठतम् अधिकारियों से सम्बद्ध है। इनके कार्य एवं महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए निगम द्वारा इनका स्थानान्तरण नहीं किया गया है।

समूह-ग- एवं -घ- में क्रमशः 83 व 125 कर्मी है। निगम द्वारा सामान्यता इस संवर्ग के कर्मचारियों का स्थानान्तरण उनके अनुरोध पर या शिकायत प्राप्त होने पर ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त निगम की गिरती आर्थिक दशा के कारण इस बात का भी ध्यान रखा जाता हैं कि जहां तक सम्भव हो इस संवर्ग के कर्मियों का कम से कम स्थानान्तरण किये जाये ताकि इस मद में होने वाले खर्चो में मित्यव्ययिता बरती जा सके।

प्रश्नों का समय बढ़ाने तथा समय की कमी को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर पढ़ा हुआ माने जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

डा0 अरूण कुमार मेहरोत्रा-

मान्यवर, आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं, इसलिए अनुरोध है कि प्रश्नों का समय एक घण्टा बढ़ा दें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

डा0 अरूण कुमार मेहरोत्रा-

मान्यवर, चौधरी साहब तो तीन-तीन छक्के लगा चुके, हम जैसे एक-दो वाले लोग रह गये हैं।

[समय 12 बजकर 20 मिनट]

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी जनता की कृपा से काफी दिनों से इस माननीय सदन का सदस्य हूँ। यह बराबर परंपरा रही है, समय संक्षेप को देखते हुये यदि आवश्यकता होती है तो अध्यक्ष जी की

अनुमति से कुछ अंश पढ़ा हुआ मान लिया जाता है जिससे अनुपूरक प्रश्न करने का अवसर मिल जाता है। लेकिन आज ऐसा हुआ कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ऊर्जा से संबंधित था, संसदीय कार्य मंत्री जी ने संकेत दे दिया कि पढ़ा हुआ नहीं माना जायेगा। आपकी पीठ से मुझे संकेत नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपको संकेत दे रहा हूँ। जो प्रश्न अनुत्तरित रह गये हैं, जो उत्तर नहीं आये हैं उन प्रश्नों को गिन लेना दीजिये उनके उत्तर आ जायेंगे।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

अनुपूरक प्रश्नों का अवसर नहीं मिल रहा है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, प्रश्नों के संबंध में मेरी व्यवस्था का प्रश्न है। आज मेरे दो अतारांकित प्रश्न थे। एक प्रश्न 46 था और दूसरा 1130 था।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर आपने व्यवस्था नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने व्यवस्था दी कि आप प्रश्न कर लें, मैं उत्तर दिला दूँगा। आपको संदेह है तो मैं ऊर्जा मंत्री को अपने कक्ष में बुला लेता हूँ और आपको बुला लूँगा आप मिल करके निपटारा कर लिया जायेगा।

प्रश्नों के उत्तर में विलम्बावधान के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मेरा प्रश्न संख्या-46 जो है उसमें मैंने पूछा है कि इलाहाबाद महानगर एवं जनपद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2005 में कितने घंटे बिजली दी गयी है? उसका जवाब आया है कि इलाहाबाद महानगर एवं जनपद ग्रामीण में मार्च अप्रैल मई, जून, जुलाई एवं अगस्त 2005 में दी गयी औसत विद्युत आपूर्ति का विवरण निम्नलिखित है। इलाहाबाद महानगर में अप्रैल में 18, 58 घंटे, मई में 22, 36 घंटे, जून में 19,12 घंटे, जुलाई में 18,42 घंटे तथा अगस्त में 17,18 घंटे बिजली दी गयी है। मान्यवर, इसी तरह से अब आप देखें कि अतारांकित प्रश्न संख्या-130 में मैंने पूछा था कि क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 2005 में इलाहाबाद महानगर में कितने घंटे बिजली कटौती का आदेश था तथा कितने घंटे बिजली कटौती की गयी। मान्यवर, इसका उत्तर जो आया है उसमें बताया गया है कि माह जून 05 से सितम्बर-05 तक इलाहाबाद महानगर में प्रतिदिन 04 घंटे विद्युत कटौती का विवरण निम्नवत है। जून-05 में 4,15 जुलाई-05 में 4, 20, अगस्त-05 में 6,10 तथा सितम्बर-05 में 3, 20 घंटे। मान्यवर, मेरा जो पहला प्रश्न था उसमें जून में विद्युत कटौती पहले 4, 48 मिनट बतायी है और उसके बाद 4,15 मिनट बताई है। इसी तरह से जुलाई में बताया है कि 4, 20 मिनट कटौती की गयी।

श्री अध्यक्ष-

आपका कहना क्या है?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मेरा कहना है कि एक प्रश्न के दो उत्तर हैं। मैं विशेषाधिकार हनन की सूचना देता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आप यह मामला लिखकर दे दीजिये।

प्रश्नों का समय बढ़ाने तथा समय की कमी को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर पढ़ा हुआ माने जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

* श्री हुकुम सिंह -

मान्यवर, नवमी (ग) के प्रश्न संख्या-1 के बारे में व्यवस्था का प्रश्न है श्रीमन्, प्रश्नकर्ता सदस्य ने समय की कमी को देखते हुये यह आग्रह किया कि प्रश्न को पढ़ा हुआ माना जाय और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाय। उस समय संबंधित मंत्री सदन की परम्पराओं को दृष्टिगत रखते हुये बैठ गये लेकिन उसी समय संसदीय कार्यमंत्री जी खड़े हो गये और उन्होंने कहा कि इस प्रश्न को पढ़ा हुआ नहीं माना जाय और माननीय मंत्री जी उत्तर पढ़ेंगे। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपकी आंख के इशारे को देखकर मंत्री जी बैठ जाते हैं और अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं लेकिन उसी बीच में संसदीय कार्यमंत्री जी खड़े होकर कहते हैं कि मंत्री जी पूरा उत्तर पढ़ेंगे और उनकी बात सुनने के बाद पीठ से भी कहा जाता है कि मंत्री जी उत्तर पढ़ें। मैं परम्पराओं की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ यह परम्परा है और यह पहली बार ऐसा नहीं हुआ है मुझे भी 20-25 साल से इस सदन में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहां पर अनुपूरक न पूछा जाय कहीं आशय था जो कि प्रश्न का पूरा उत्तर पढ़ने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूरा भी हो गया। मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूँ क्या यह उचित था किसी भी दूसरे मंत्री के लिये कि बीच में खड़े होकर सुझाव दे कि पूरा उत्तर पढ़ा जाय और उस सुझाव पर अमल होगा। दूसरा व्यवस्था का प्रश्न यह है जैसा कि अरुण मेहरोत्रा ने कहा कि प्रश्नकाल का समय बढ़ा दिया जाय क्योंकि आज आपने 11 बजे नेताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये प्रश्न प्रहर में पहले दूसरा महत्वपूर्ण मामला ले लिया गया। हो सकता है कि विषय के महत्व को देखते हुये आपने ऐसा किया हो। यह पहली बार नहीं है इसके पहले भी ऐसे प्रकरण आये हैं आज एजेण्डा ज्यादा है नहीं इसलिये प्रश्न प्रहर को बढ़ा दें और आगे के प्रश्नों को ले लिया जाय आपसे इतना आग्रह है। आपने देखा ही है कि एजेण्डा कितना है। उसको ध्यान में रखते हुये यही मैं कहता हूँ। अवसर देने में क्या कठिनाई है?

श्री अध्यक्ष-

आपने दो व्यवस्था के प्रश्न पूछे हैं। पहला यह कि जब माननीय मंत्री जी बैठ गये तो क्या संसदीय कार्य मंत्री जी का यह कहने का अधिकार है हक है कि यह प्रश्न पढ़ा जाना चाहिये। आप तो खुद संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं आप संसदीय कार्य मंत्री के दायित्वों को अच्छी तरह से समझते हैं। आप जानते होंगे कि तीन लोगों नेता सदन , नेता प्रतिपक्ष और संसदीय कार्य मंत्री को विशेष सुविधा प्राप्त है। अगर संसदीय कार्य मंत्री जी ने उस समय खड़े होकर यह आग्रह किया कि इसे पूरा पढ़ा जाय तो वह यह आग्रह कर सकते हैं केवल संसदीय कार्य मंत्री ही नहीं सदन का कोई भी सदस्य यह आग्रह कर सकता है कि यह प्रश्न

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पढ़ा जाय क्योंकि उत्तर पढ़ा हुआ मान लेने से केवल प्रश्नकर्ता सदस्य को ही जानकारी होगी जबकि पढ़ने से सदन के सभी सदस्यों को जानकारी होगी और वह उस पर अनुपूरक कर सकेंगे। पूरे सदन के हित के लिये संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह कहा। इसमें कोई गलत बात नहीं है। दूसरी बात जो आपने यह कही कि प्रश्न प्रहर को बढ़ा दिया जाय तो अगर सदन सहमत हो तो प्रश्नकाल का समय बढ़ाया जा सकता है इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सदन की जो नियमावली है उसमें इसके लिये 12.20 बजे तक का समय निर्धारित है। प्रश्न काल से पहले लिये जाने वाले विषय के बारे में जो बात कही गयी कि कुछ नेताओं की सुविधा को देखते हुये ऐसा किया गया ऐसा नहीं है। आप तो जानते हैं कि वह विषय कितना महत्वपूर्ण था उसको लेकर कल प्रश्नकाल स्थगित करवा दिया था इस संबंध में जो बातें दलीय नेताओं की बैठक में हुई है उनको यहां पर नहीं बताया जा सकता है। लेकिन उसमें किसी की सुविधा की बात नहीं है उसके महत्व को देखते हुये उस विषय को प्राथमिकता दी गई। जहां तक समय बढ़ाने की बात है नियमावली में 12.20 बजे तक ही है अगर कोई पूर्व उदाहरण हो तो उसे आप बतायें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त कर दूं कि मुझे आज पहली बार जानकारी मिली कि किसी मंत्री को अनुपूरक पूछने के लिये अवसर मिलना चाहिये। यह मुझे पहली बार पता चला है।

श्री अध्यक्ष-

किसी मंत्री को नहीं। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आप मेरी बातों को तोड़ मरोड़ क्यों रहे हैं? मैंने मंत्री जी के लिये नहीं कहा पूरे सदन के लिये कहा है। अगर प्रश्न पढ़ा नहीं जाता है तो उसका उत्तर प्रश्नकर्ता सदस्य को चला जाता है और वह प्रश्नकर्ता और उत्तर देने वाले के बीच रह जाता है लेकिन यदि प्रश्न पढ़ा जाता है तो उसके बारे में अन्य सदस्य भी प्रश्न पूछ सकते हैं। यह हमारी नियमावली में है विधान परिषद् की में नहीं।

संसदीय कार्य व नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, हुकुम सिंह जी ने फरमाया कि कोई भी सदस्य खड़ा होकर। मैं कोई भी सदस्य नहीं हूँ। आपने कहा है, मान्यवर, आप कार्यवाही दिखवा लें। हमको थोड़ा कष्ट हुआ है। आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं। आपने कहा कि कोई भी सदस्य खड़ा होकर। यह कोई सदस्य नहीं। इस सदन में सदस्य चुनकर आते हैं। मैं काफी लम्बे समय से इस सदन में चुनकर आ रहा हूँ और संसदीय कार्यमंत्री भी हूँ। संसदीय कार्य पर निगाह रखना और उसको पूरा करने का दायित्व भी मुझ पर है।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि यहां पर आपने भी देखा होगा कि संसदीय कार्यमंत्री यहां पर बैठकर फाइलों में दस्तखत किया करते हैं। कौन विषय चल रहा है कभी-कभी उसमें उत्तर देने में समय लग जाता है।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि संसदीय मंत्री को बहुत कार्य होते हैं लेकिन मेरा संसदीय कार्य मंत्री से आग्रह है कि थोड़ा प्रयास करें कि बहुत आवश्यक होने पर ही फाइलें करें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, आप बता दें कभी ऐसा हुआ हो कि जब मैंने सदन में बातों को न सुना हो और उसका जवाब न दिया हो। मेरी मजबूरी है, या तो मेरे से यह पद छुड़वा दीजिये। मान्यवर, यह मेरे ऊपर आक्षेप है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आग्रह किया है कोई आक्षेप नहीं लगाया है। मुझे पता है कि आप के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

नहीं मान्यवर, मैं माफी चाहूँगा। [x x x] मैं रोज रात को तीन साढ़े तीन बजे सोता हूँ। अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से अदा करता हूँ, मेहनत के साथ अदा करता हूँ। एक भी कागज अगले दिन के लिये नहीं होता। [x x x]

श्री अध्यक्ष-

अरे मेरे कहने का मतलब यह नहीं है। आप तो गलत समझ रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मैंने कभी सुनने में कोई कमी की हो, जवाब देने में कमी की हो। अगर मैं इतना ही निकम्मा नालायक हूँ तो मुझे इस पद पर नहीं रहना चाहिये। अगर मैं अपने पद का दुरुपयोग कर रहा हूँ।

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

कोई ऐसी बात नहीं कही गई है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

[x x x] (संसदीय कार्यमंत्री अपनी सीट से उठकर जाने लगे जिन्हें बेसिक शिक्षा मंत्री व अन्य सदस्यों ने रोकने का प्रयास किया।)

श्री अध्यक्ष-

मेरे कहने का आशय यह नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं। आप बैठिये। मैंने यह नहीं कहा कि आप काम नहीं करते।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

थोड़ा मान्यवर, हमारे सम्मान का भी ख्याल रखिये।

श्री अध्यक्ष-

पूरा रखते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

[x x x]

नोट:- यह अंश भी अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है। आपके सम्मान का पूरा ख्याल है।

श्री लाल जी टण्डन-

मान्यवर, एक निवेदन है। आप एक समिति बना दीजिये जो यह जांच करे कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री को इतना गुस्सा क्यों आता है?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

बिल्कुल गुस्से की बात नहीं है। मेरी मजबूरी है, मैं 24 घंटे को 25 घंटे नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ आपसे मैं इसमें अक्षम हूँ।

श्री अध्यक्ष-

कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा यह अधिकार मेरा नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

[x x x]*

श्री अध्यक्ष-

मैं क्यों इंगित कर दूँ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

आप एक भी ऐसी मिसाल दे दें कोई बात न सुनी हो। एक भी बात का जवाब न दिया हो।

पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट मैच जीतने वाले उत्तर प्रदेश के तीन खिलाड़ियों के लिये बधाई प्रस्ताव लाने की मांग

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप आगे बढ़ें। नियमों में है कि कोई प्रस्ताव अगर लोकहित में है तो बिना सूचना के लिया जा सकता है। कल भारत का पाकिस्तान के खिलाफ मैच था। भारत ने मैच जीत लिया उसमें तीन खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके लिये बधाई का प्रस्ताव लाना था।

श्री अध्यक्ष-

इसमें नियम यह है कि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष सहमत होते हैं तो 103 का प्रस्ताव होता है। नेता सदन है नहीं, नेता प्रतिपक्ष है उनसे सहमति नहीं ली है।

श्री प्रमोद कुमार-

यह विषय मैंने इसलिये उठाया कि आप अगली मद पर आ जायें।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 16 फरवरी, 2006 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 12 सुचनायें प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गई- पहली सूचना श्री कालीचरण राजभर की गाजीपुर जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत कासिमाबाद को तहसील बनाने के संबंध

नोटः-[xxx] यह अंश भी श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

में है। दूसरी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की मेरठ की जल निकासी व्यवस्था दुरूस्त करने हेतु मशीनें खरीद कर नालों की सफाई कराने के संबंध में है। तीसरी सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा विगत वर्षो में निर्मित क्षतिग्रस्त मार्गो की मरम्मत कराने के संबंध में है। चौथी सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की जनपद फतेहपुर के यमुना तटीय दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित पुलिस चौकियों को अकारण निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। श्रीमती कृष्णा कासवान अनुपस्थित है। पॉचवी सूचना श्री अकीलुर्रहमान खॉं की प्रदेश की अल्पसंख्यक संस्थाओं में विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति एवं रिक्त पदों को भरने संबंधी भेद-भाव पूर्ण व्यवस्थाओं के संबंध में है। छठी सूचना श्री जयराम विमल की अम्बेडकर नगर के ग्राम मुंशीपुर कला में ग्राम समाज की भूमि से अनधिकृत कब्जा हटाये जाने के संबंध में है। मा0 सदस्य अनुपस्थित है। सातवी सूचना श्री कौशल किशोर की लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र में गांव दिलावर नगर कहला तक आने वाली नहर की सफाई कराकर टेल तक पानी पहुँचाये जाने के संबंध में है। उक्त उपस्थित माननीय सदस्यों की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयी।

उन माननीय सदस्यों के नाम जिनकी सूचनायें अस्वीकार की गई वह निम्नवत है:-

श्री रंगनाथ मिश्र, श्री राम करन आर्य, श्री आर0एस0 कुशवाहा, चौ0 महेन्द्र सिंह एवं डा0 अजय कुमार।

जनपद गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत कासिमाबाद को तहसील, बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कालीचरण राजभर-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र जहूराबाद का क्षेत्रफल लम्बाई लगभग 90 किमी0 के दूरी में आता है। मेरे विधान सभा के अधिकाश गांव मुहम्मदाबाद तहसील तथा कुछ भाग गाजीपुर सदर तहसील के अन्तर्गत आता है जिससे क्षेत्रीय लोगों के सरकारी कार्य हेतु मुहम्मदाबाद या गाजीपुर जाना पड़ता है। गरीब लोगों को आने जाने में ज्यादा समय तथा पैसा भी खर्च होता है। जबकि कासिमाबाद मेरे विधान सभा के मध्य में पड़ता है। कासिमाबाद को तहसील का दर्जा न देने के कारण क्षेत्रीय जनता में काफी आक्रोश तथा दु:ख व्याप्त है।

अत: इस लोक महत्व की अविलम्बनीय मॉग को ध्यान में रखते हुए चर्चा कराने तथा कासिमाबाद को तहसील बनाने की मॉग करता हूँ।]

मेरठ की जल निकासी व्यवस्था दुरूस्त करने हेतु मशीने खरीद कर नालों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[मेरठ की जल निकासी व्यवस्था ध्वस्त होने के कारण ½ शहर में जल भराव होना सुनिश्चित हो गया है।

नाले पूरे अटे पड़े है, उनकी जल निकासी क्षमता समाप्त प्राय: शून्य सी हो गई है।

नोट:- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रमशक्ति से नाले साफ कराना अब दिवा स्वप्न हो गया है। पिछले कई वर्षों से नाला सफाई के नाम पर मेरठ नगर निगम के करोड़ों खर्च दिखाकर पैसा डकारा जा चुका है। नालों की दशा व जल निकासी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।

4 माह बाद पुन: वर्षाऋतु आने पर जनता को भयंकर कष्ट होगा।

लोहे की चैन वाली 1.5-2 मीटर पानी में नाले के भीतर जाकर साफ करने वाली मशीन से नाला सफाई करना ही एकमात्र विकल्प व आशा की किरण है।

वर्षों के प्रयास व आग्रह के बाद नगर निगम मेरठ ने इन मशीनों को खरीदने की प्रक्रिया प्रारम्भ की है। दिनांक 18-02-06 को निविदा की अन्तिम तिथि है।

दो मशीनें आने से जून तक नाले साफ कम व्यय, बिना भ्रष्टाचार के हो जायेंगे, जल भराव से राहत मिलेगी।

लेकिन कुछ ताकते इस प्रक्रिया को भी रोकने में लगी है। सदन के संज्ञान में लाकर इन मशीनों को खरीदकर नाला सफाई कराने की कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।]

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद द्वारा निर्मित मार्गो का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद द्वारा वर्ष 1996 से 2003, 2004 तक जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के जो मार्ग बनाये गये हैं उसमें अधिकांशत: क्षतिग्रस्त हो गये हैं जो कि संचालन योग्य नहीं रह गये हैं। जनता को आने-जाने में बड़ी कठिनाई हो रही है, जन-धन की हानि हो रही है। जिसके तत्काल नवीनीकरण एवं मरम्मत की आवश्यकता है।

अत: लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब उपरोक्त मार्गों की मरम्मत एवं निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

प्रदेश की अल्पसंख्यक संस्थाओं में विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति एवं रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकीलुर्रहमान खाँ-

[मैं आपका ध्यान प्रदेश के संविधान की धारा 30 (1) के अन्तर्गत घोषित अल्पसंख्यक संस्थाओं में विषय तथा रिक्त पदों के भरने में भेदभाव तथा सरकार/शिक्षा अधिकारियों द्वारा बरती जा रही नीति की ओर ध्यानाकर्षण कराना चाहता हूँ।

शासन द्वारा प्रदेश के सहायता प्राप्त संस्थाओं में वर्ष 1986 से पद सृजन पर रोक के कारण छात्र/छात्राओं के बढ़ी संख्या के आधार पर शासनादेश संख्या395/15-7-99-1600(559)/98 दिनांक 11-10-1999 शासनादेश संख्या 5486/15-7-1600 (559)/98 टी0सी0 दिनांक 04-11-1999 तथा संख्या 1869/15-7-99-1600(559)/98 दिनांक 13-6-2000 द्वारा विषय विशेषज्ञों की व्यवस्था समस्त सहायता प्राप्त संस्थाओं में की परन्तु अल्पसंख्यक संस्थाओं में यह व्यवस्था लागू नहीं की गयी जबकि छात्र/छात्राओं

नोट:- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की संख्या में इन संस्थाओं में वृद्धि हुई है। इस प्रकार प्रदेश के अल्पसंख्यक संस्थाओं को वंचित कर भेदभाव पूर्ण नीति बरती गयी।

प्रदेश में सहायता प्राप्त संस्थाओं में रिक्त पदों की सीधी भर्ती/पदोन्नति का अधियाचन प्रबन्धतंत्र को अपने जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से आयोग को प्रेषित करना होता है यदि प्रबन्धतंत्र इसमें चूक करे तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 11 (4) के अन्तर्गत 10 की उपधारा (1) के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक अधियाचन सीधा आयोग को निर्धारित प्रपत्र पर एक माह के अन्दर प्रेषित करते हैं परन्तु इसके विपरीत अल्पसंख्यक संस्थाओं में रिक्ति को भरने हेतु मांग पर अनावश्यक पत्रादि की बार-बार मांग कर पद भरने की अनुमति शिक्षा अधिकारियों द्वारा नहीं दी जाती है जबकि शिक्षा अधिनियम 1921 संशोधित के अध्याय-2 सेवा की शर्तें की धारा 16 (छ) के विनिमयों में तथा अध्याय-2 की धारा 6ड, 16च, 16चच, के विनियमों में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि सृजित पद भरने से पूर्व वित्तीय सहमति प्राप्त की जाय।

इस प्रकार अल्प संख्यक संस्थाओं को उनको बहुसंख्यक संस्थाओं के समान अधिकारों से वंचित रहने पर अल्पसंख्यक समाज में रोष है।

अत: इस लोक महत्व एवं जनहित के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित कर उत्तर प्रदेश के अल्प संख्यक संस्थाओं में विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति एवं रिक्त पदों को भरने सम्बन्धी भेदभाव पूर्ण व्यवस्था के सम्बन्ध में शासन से आवश्यक कार्यवाही के लिए मांग करता हूँ।]

लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र के गांव दिलावर नगर-कहला तक आने वाली नहर की सिल्ट सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कौशल किशोर-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद हरदोई के सण्डीला से लखनऊ जनपद के मलिहाबाद क्षेत्र में गॉव दिलावर नगर-कहला तक आने वाली नहर की सफाई विगत कई वर्षो से नहीं हुई है। नहर पूरी तरह सिल्ट व घास आदि से पट गयी है। नहर में पानी टेल तक नहीं आ पाता है। इसकी सफाई अति आवश्यक है क्योंकि इससे हजारों किसानों की खेती प्रभावित हो रही है। यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोकमहत्व का है।

अत: आपसे आग्रह है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले को नियम 301 में स्वीकार करने की कृपा करें।]

मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा के अनुरूप नगरों में विधायकों की संस्तुति पर प्रस्तावित 100 हैण्डपम्प अधिष्ठापित न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

दिनांक 17-2-2006 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित दो सूचनायें प्राप्त हुई है। उसमें पहली सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की है। इन्होंने मा0 मुख्य मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अन्तर्गत नगरों में विधायकों की संस्तुति पर प्रस्तावित 100 हैण्डपम्प अधिष्ठापित न किये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है। दिनांक 23 नवम्बर 2005 को उक्त सूचना सदन में अग्राह्य की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में बैठक

---

* नोट:- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बुलवाकर बात की जानी है। बैठक बुलवाकर बात कर ली जाएगी इसे उठाने की जरूरत नहीं है। शासन से रिपोर्ट आई है शासनादेश हो चुका है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, 2 दिसम्बर 2005 को विशेष सचिव द्वारा जिलाधिकारियों को लिखा गया। नगर आयुक्त को लिखा गया। रिवाल्विंग फंड से देना है।

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी की घोषणा है, हम लोगों से प्रस्ताव मांगे जा चुके है। एक प्रश्न के उत्तर में दिया गया था कि इसके निर्देश दे दिए गए है। हम लोगों की पोजीशन खराब होती है। आप एक बैठक बुला लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

दशमोत्तर कक्षा से ऊपर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र/छात्राओं को विगत वर्षो में छात्रवृत्ति न मिलने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

दूसरा प्रश्न श्री मुंशीलाल गौतम का है, मुंशीलाल गौतम जी, आपको मालूम है कि जब एक सत्र में एक विषय उठ जाता है तो वही विषय उसी सत्र में नही उठाया जाता है। दिनांक 24-11-2005 को उक्त विषय सदन में सुना गया था और तब से सत्रावसान हुआ नहीं है, इसलिए दोबारा वही विषय नही उठाया जाना चाहिए।

कार्य -मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्य-मंत्रणा समिति, ने अपनी दिनांक 16 फरवरी, 2006 को हुई बैठक में विधान सभा के दिनांक 17 फरवरी से 22 फरवरी, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की है :-

फरवरी, 2006

17 शुक्रवार 1- निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

(क) उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक, 2006--(आधा घण्टा)।

(ख) उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006--(आधा घण्टा)।

2-डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रतर चर्चा :-

इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कन्या भ्रूण हत्या पर अविलम्ब प्रभावी रोक लगाई जाय। (एक घण्टा)।

3- उत्तर प्रदेश के नगर निगमों द्वारा जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु मार्ग-दर्शक सिद्धान्त बनाये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा--(एक घण्टा)।

18 शनिवार — बैठक नहीं होगी

19 रविवार

20सोमवार — 1- निधन के निर्देश

2 - निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

(क) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006--(आधा घण्टा)।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2006--(आधा घण्टा)।

3- वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।

21 मंगलवार — वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।

22 बुधवार

सदन के शेष उपवेशनों में लिये जाने वाले कार्यो के बारे में सूचना यथासमय दी जायेगी।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉं)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, से सहमत है।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले एक जानकारी आ जाए, आज के बाद 22 तक सदन नही होने वाला है, यह जानकारी थी लेकिन अभी जो जानकारी हुई है, उसके अनुसार तो सदन होगा।

श्री अध्यक्ष-

आज 4.00 बजे हमने कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई है, उसमें तय हो जाएगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आपको अधिकार दिया गया था कि जो नेताओं की बैठक में तय होगा, वह हो जाएगा लेकिन वह इसमें नही हो पाया।

श्री अध्यक्ष-

4.00 बजे की बैठक में तय हो जाएगा।

श्री हुकुम सिंह-

हमारी 3.00 बजे की गाड़ी है, और भी बहुत से माननीय सदस्यों को जाना है।

श्री अध्यक्ष-

बीच में सटरडे और सनडे है, छुट्टी रहेगी बैठक में क्या तय हुआ, उसकी जानकारी प्रेस के माध्यम से और रेडियो से पता चल जाएगी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

रेडियो कौन सुनता है?

श्री अध्यक्ष-

हम 4.00 बजे के बाद तुरन्त बता देंगे। आपको हम टेलीफोन से सूचना दे देंगे। संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्ताव कर दिया है। मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में रखा है, से यह सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-5 में कुछ नहीं है

उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2006+

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री ख्वाजा हलीम)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुर: स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करता हूँ।

+ दिनांक (20-3-2006) कं असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 17 फरवरी, 2006 को नियम 311 की दो सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अंतर्गत कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई है। जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयी। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जाएगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना श्री राम इकबाल सिंह की जनपद बलिया के ग्राम बभनौली निवासी पांच वर्षीय अबोध बालिका ऋषा के साथ बलात्कार करने वाले अभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाही न किए जाने के उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

*श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इतने गम्भीर विषय पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, यह घटना बलिया जनपद के ग्राम बभनौली, थाना बॉसडीह में दिनांक 23 जनवरी, 2006 को घटी थी जब नेता जी श्री सुभाष चन्द्र बोस की जयंती थी। उस समय 5 वर्ष की अबोध बालिका के साथ एक जवान आदमी ने बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जब बच्ची बेहोश हो गयी तो उसे छोड़कर चला गया। यह हृदय विदारक घटना है। इसके बाद उसे गॉव वाले बॉसडीह कोतवाली ले गये वह उसे अस्पताल ले जाना चाहते थे जब कोतवाली से कोई नही गया तो वह लोग उसे बलिया में महिला अस्पताल में ले गये। वहॉ पर कोई लेडीज डाक्टर नही थी। जो वर्किंग महिला थी उसने कहा कि पुलिस लेकर आओ। 13 दिन तक उसके परिवार वाले पुलिस के लिए थाने पर जाते रहे। पुलिस मना कर देती थी कि कोतवाल साहब बाहर गये है, कप्तान साहब के यहॉ गये है। 14 दिन के बाद उस गॉव के प्रधान बब्बन भारती के साथ परिवार वाले कप्तान साहब के पास गये। 14 दिन बाद 6 फरवरी 2006 को एफ0आई0आर0 दर्ज हुई। लड़की की हालत खराब थी तो उसे बनारस रिफर कर दिया। बाद में मेडिकल किया गया। जो अपराधी युवक था उसे एक हफ्ते बाद छोड़ दिया गया। मान्यवर, इसमें न्याय नही मिल पा रहा है। मान्यवर, उस लड़की के घरवालों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। मैं कहना चाहता हूँ कि इतनी हृदय विदारक घटना पर राजनीति उचित नही है। यह गरीब [xxx] के परिवार की बच्ची है।

श्री अध्यक्ष-

जाति सूचक शब्द न कहे।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, इसलिए [x x x] शब्द बोल रहे हैं।

श्री राम इकबाल सिंह-

मेरा ऐसा कोई आशय नही था।

श्री अध्यक्ष-

आप मांग करे।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मेरी यह मांग है कि मानवीय आधार पर इसे आपदा मान लें तो मैं अपनी विधायक निधि से एक लाख रूपया देना चाहता हूँ फिर यह सरकार दे दे। दूसरी मेरी मांग यह है कि डीआईजी, आजमगढ़, बनारस या फिर गोरखपुर द्वारा इसकी जांच करा ली जाय जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो

नोट- [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जायेगा। एक मेडिकल बोर्ड बनाकर, जिसमें पॉच डाक्टरों की टीम हो, उसकी जॉच करा लें। वह गरीब परिवार है, उसको दवा भी नही मिल पा रही है।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे राम इकबाल सिंह जी इस तरह के मामले प्रतिदिन अपने क्षेत्र में कराते रहते है।

श्री अध्यक्ष-

वह मामले इस प्रकार के उठाते है जनभावनाओं को यहॉ तक पहुंचाते हैं।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

नही मान्यवर [xxx] पहली जनवरी को उससे में भी ....

श्री अध्यक्ष-

इस घटना के बारे में कोई बात हो तो कहे और किसी घटना का जिक्र न करें।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मान्यवर [xxx] गलत सूचना देकर सदन को गुमराह करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अगर गलत सूचना देकर सदन को गुमराह करते है तो प्रिविलेज लाये। वह एक जागरूक सदस्य है और अपने क्षेत्र की समस्याओं को यहॉ पर उठाते है।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मैं अगर [x x x] बोल रहा हूँ तो इसकी जॉच करा लें। अगर गलत पाया गया तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

मैने इसीलिए उनसे कहा है कि आप प्रिविलेज दे दें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)-

इन्होने कहा कि हम जागरूक सदस्य है, इतना बढ़िया सर्टिफिकेट इनको मिल गया। अब किसी और की जरूरत नही है। सरकार की निष्पक्षता को आप देखें-273 की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते थे वह कायम हो गयी। डाक्टरी मुआयने में यह आया है कि उसका कुंवारापन बरकरार है, कोई बलात्कार नही पाया गया। यह दो पड़ोसियों का झगड़ा था। अगर ऐसा हुआ है तो इसकी जितनी निन्दा की जाय वह कम है। उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक सिस्टम होता है। आपने मुकदमा कायम कराया वह कायम हुआ और रिपोर्ट में बलात्कार नही पाया गया। अब आपकी अगली मॉग पर विचार किया जा सकता है। लेकिन अगर वह सही नही पाया गया तो एक बाप ने झूठी रिपोर्ट लिखायी और अपनी बेटी के बलात्कार की झूठी रिपोर्ट लिखाने में वह निन्दा का पात्र होगा। यह नियम-56 में नही आता अतः यह अस्वीकार करने योग्य है। आपसे अनुरोध करूंगा कि इसे अस्वीकृत किया जाय।

नोटः- [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्तुत सूचना पर माननीय सदस्यों एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरांत मैं इसे अग्राह्य करता हूँ। अब मैं अगली सूचना ले रहा हूँ।

*डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

मान्यवर, 8 फरवरी के दिन उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा मेरठ में चार टीमों के द्वारा सर्वे कराया गया कि मजदूरो को न्यूनतम वेतन मिल रहा है कि नही। इसके लिए चार टीमें बनायी गयी। डीएलसी ने स्वयं स्वीकार किया कि उसमें औद्योगिक संगठन के एक-एक प्रतिनिधि साथ रहेंगे। तीन टीमों में प्रतिनिधि थे और उसकी कोई शिकायत नहीं हुई। लेकिन सहायक श्रम आयुक्त, श्री सुनील कुमार के नेतृत्व में जो टीम बनी उसमें आईआईएम के प्रतिनिधि को नही लिया गया और उनके विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हो रही है। उस व्यक्ति ने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम लेते हुए अवैध धन की मांग की है। उसमें जब उनको पकड़ा गया तो उन्होने माफी मांगी और माफी मांगने के बाद वह वहां से चल गये और जाने के बाद उन्होंने उद्यमियों के खिलाफ एफआईआर करा दी।

मान्यवर, दो बातें मै आपके सामने लाना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति के लिए उन्होंने पैसा मांगने की बात कही थी, ये कोई गंगा में भी खड़ा होकर कहे तो भी वह बात नही मानी जा सकती ऐसी परिस्थिति की बात स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नही है। दूसरी बात जो उद्यमियों से पैसा ले रहा है वह मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिलाने का काम करेगा यह बात कही से स्पष्ट नही होती तो सीधेतौर पर वह भ्रष्टाचार के माध्यम से अवैध धन की उगाही कर रहा था और उगाही भी ऐसे नाम पर जो कि निन्दनीय काम कर रहा था और इस व्यक्ति ने बाद में झूठी एफआईआर करा के उद्यमियों के खिलाफ यह करने की कोशिश की है उसके कारण उद्योग जगत के लोग औद्योगिक विकास आयुक्त से भी मिले थे इनके साथ आई0ए0ए0 के प्रतिनिधि भी थे। बहुत कठिनाई की स्थिति पैदा है और वहां पर आंदोलन की स्थिति है। मेरा निवेदन है कि जिस व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार से धन उगाही की कोशिश की गयी है उसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही होनी चाहिए और प्रकरण की पूरी जांच होनी चाहिए और उस व्यक्ति के खिलाफ जांच हो। जब तीनों टीम एक थी कोई शिकायत नही मिली डीएलसी ने स्वयं स्वीकार किया है। तीनों टीम आई0ए0ए0 के प्रतिनिधि लेकर चल रहीं है इसका मतलब उनकी नीयत ठीक थी, चौथी टीम जो सहायक श्रम आयुक्त सुनील कुमार के नेतृत्व में थी, इसमें उनका नाम आई0ए0ए0 के प्रतिनिधि ने नहीं लिया इसके विरूद्ध शिकायत डीएलसी ने स्वीकार की है तो मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकरण पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये और फिर सरकार को इसमें सहायक श्रम आयुक्त सुनील कुमार के विरूद्ध कार्यवाही करने के आदेश दे, क्योंकि उसने जो आरोप लगाये उसकी जांच होनी चाहिए और उसके विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए मै यह मांग करता हूँ।

श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल-

मान्यवर, यह हम दोनों का ही क्षेत्र का मामला है इसमें हम दोनो विधायक वहां पर पहुंचे थे और [illegible] के बाद डीएलसी ने यह माना कि उसने रिश्वत मांगी और 15 हजार रूपये लिये और रिपोर्ट दी [illegible] उस 15 हजार रूपये के पीछे [illegible] हुआ, आपसे में कोई बात-चीत नहीं हुई और जबरदस्ती रिपोर्ट [illegible] गयी। एक यहां के बहुत ही सम्मानित आदमी या मंत्री का नाम लेकर यह कहा गया कि उनके लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है यह बहुत ही अशोभनीय है, गलत है क्योंकि जिस आदमी का नाम लिया जा रहा था, उनका सम्मान हम भी करते है, पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन जो आदमी ईमानदार है वह ईमानदार है। यह सर्टीफिकेट देने के लिए जो कह रहे हैं कि सर्टीफिकेट दिया गया, सर्टीफिकेट मौके पर दे दिया गया था। मान्यवर, हम यह मांग करते है कि जिस आदमी ने एक मंत्री का नाम लेकर वहां पर रिश्वत [illegible] या इकट्ठा किया गया, डीएलसी ने माना और डीएलसी के सामने चिट बनाई गयी कि किस-किस

ने कितने रूपये दिये और यह रिश्वत वापस की जायेगी आज अभी, यह भी तय हुआ। इसके बाद किन्ही कारणों से जबरदस्ती रिपोर्ट लिखाई गयी, इसकी जांच कराई जाय।

श्री मोहम्मद आजम खॉं-

मान्यवर, जब यह वाकया अखबारों में आया और मेरे भी संज्ञान में अलग से लाया गया, मैने भी मेरठ में जो मेरे परिचित लोग थे उनसे भी इसकी तफसीलात ली और श्रम विभाग के वरिष्ठतम अधिकारियों से भी मैंने इस सम्बन्ध में बात की क्योंकि यह तो बड़ा आम चलन हो गया है अंखबारों का, मैगजीन का, इलेक्ट्रानिक मीडिया का कि जिसकी चाहो टोपी उछाल दो, चाहे उनका खुद का गिरेबां कैसा भी हो और जिसकी चाहे टोपी उछाल दें और मान्यवर यह सही कहा मौर्या जी ने कि अगर वह वाकया गलत निकले तो उसकी बेईज्जती की भरपाई क्या है? बहुत बड़ी खबर निकल गई फन्ट पेज पर और 15 दिन बाद कही आठवें पेज पर नीचे छोटा सा कहीं उसका खण्डन निकल गया तो उसके अपमान की कोई भरपाई नहीं है, मान्यवर, बहुत ही संगीन संज्ञान लिया गया, उसकी जांच भी हो रही है और जिन लोगों ने उस व्यक्ति का संरक्षण किया उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ लेकिन कोई भी ऐसी कार्यवाही नही होगी जिसमें न्याय न हो, सख्त से सख्त कार्यवाही होगी और जांच के लिए मुझे लिखकर आया था, अलग से लिख कर आया था कि फलाँ स्तर से उसकी जांच हो रही है लेकिन मैं उससे मुतमईन नहीं हुआ हूँ, स्तर बढ़ाकर उसकी जांच कराना चाहेंगे हम और इसमें किसी तरह का कोई पक्ष नही होगा, बिल्कुल शत प्रतिशत इन्साफ होगा और कहीं भी यदि कोई गलती किसी अधिकारी की है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष-

मैने माननीय बाजपेयी जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना, सारी बाते स्पष्ट हो चुकी है मैं इसे अग्राह्य करता हूँ, यह नियम-56 में नही आती है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष, जी, मैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मान्यवर, अभी एक बहुत ही सनसनीखेज समाचार हम लोग के सामने समाचार पत्रों के माध्यम से आया है। कि उत्तर प्रदेश के 53 जिलों में एक संगठित गिरोह नाबालिग गरीब लड़कियों जो 6-7 व 8 साल उम्र की हैं को उठा करके, उनको हारमोन्स के इन्जेक्शन दे करके उनके शरीर को विकसित करके और फिर उनको चकला घरों में और कोठों में बेंच देता है। यह बहुत ही भयानक घटना है और जब उन लड़कियों के अभिभावक पुलिस में जाते हैं रिपोर्ट लिखाने के लिये तो उसमें उन लड़कियों की गुमशुदी की रिपोर्ट लिख ली जाती है और फिर पुलिस वाले उन्हीं अभिभावकों को प्रताड़ित करते हैं कि तुम्हीं बताओं कि तुम्हारी बेटी को कौन उठा ले गया? मान्यवर, हमारे राजाजीपुरम क्षेत्र में ढाई महीने हो गये एक लड़की गायब हो गयी। मैंने लखनऊ के एस0पी0 को और अन्य अधिकारियों को बुलाकर कहा और उनको इंगित भी किया जो लोग इस अपराध में संदेह के घेरे में आते हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट वहां लिख ली गयी। मान्यवर, इसी तरह से जो सूचनायें हैं उसमें कई जनपदों में यह गिरोह सक्रिय है। जिनमें आगरा, लखनऊ, फिरोजाबाद, मेरठ, रामपुर, जौनपुर, आजमगढ़, खीरी, बस्ती, बलरामपुर, पीलीभीत-ऐसे जिले हैं जहां पर यह संगठित गिरोह काम कर रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आपको खुद अगर उन गिरोहों की जानकारी हो तो सरकार को बता दें।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, सरकार की जिम्मेदारी है कि जो गिरोह ऐसा काम कर रहे हैं उनकी जांच कराये सरकारे बड़े दावे के साथ कहती है कि हम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। उनका उत्थान कर रहे हैं। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का काम कर रहे है। मान्यवर, सरकार इस भयानक घटना से इन्कार नहीं कर सकती है क्योंकि यह बात सभी समाचार पत्रों में भी छपी है कि इस तरह का घृणित काम समाज में हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

अगर आप अपनी निश्चित जानकारी के आधार पर कोई बात कह रहे हैं तो उसका महत्व है और अगर समाचार पत्रों में छपी खबरों के आधार पर कह रहे हैं तो उसका महत्व नहीं है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, अपने निर्वाचन क्षेत्र राजाजीपुरम लखनऊ का मामला आपके माध्यम से यहां उठाया है। लड़की का नाम नहीं ले सकता क्योंकि इससे उसकी और उसके परिवारजन की बदनामी हो सकती है। मान्यवर, ऐसी सैकड़ों लड़कियां गायब हो चुकी हैं जो कम आयु की हैं और उनका उस गिरोह ने दुरुपयोग किया है। मैं मांग करता हूँ कि जो यह घृणित कार्य हो रहा है उसको रोकने हेतु सदन में चर्चा कराने का कष्ट करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जैसा आपने समाचार पत्रों में पढ़ा है, यह सभी की जानकारी में है। जरूर ऐसा होता होगा। इस पर जांच भी होगी और कार्यवाही भी होगी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सुरेश कुमार श्रीवास्तव और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

*श्री मुंशी लाल गौतम-

माननीय अध्यक्ष जी, प्राथमिक विद्यालयों में उन गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं जो या तो रिक्शा चालक हैं या तो कार चालक हैं या मोची हैं या अत्यन्त पिछड़े व दलितों के बच्चे हैं। ऐसे बच्चे वहां एडमिशन लेते हैं। मान्यवर, आज जो मिड-डे-मील योजना पूरे प्रदेश में चल रही है उसमें 15 फरवरी, 2006 दिन बुधवार को प्राथमिक विद्यालय कादरीबाग पलाकसेर, विकास खण्ड डिबाई, जनपद बुलन्दशहर में चावल तथा चना खाने पर 81 बच्चे बीमार हो गये और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया जिनमें 6 की हालत गम्भीर है। मान्यवर, इसी तरह से 12 मार्च, 2005 को नगर पालिका शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर में दलिया ग्रहण करने के कारण 209 बच्चे बीमार हो गये और जिसमें 2 बच्चियां गम्भीर रूप से बीमार हो गयी थी और जो सात दिन तक अस्पताल में भर्ती रहीं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने भी अभी

---

* वक्ता ने भाषण पुनरीक्षण नहीं किया।

हाल में एक इन्टरव्यू में स्वीकार किया है कि इसमें प्रयुक्त होने वाली खाद्य सामग्री घटिया किस्म की है और इससे बच्चे बीमार होते हैं। मान्यवर, जो वहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं उनमें इतना भय व्याप्त हो गया है कि वे अपने बच्चों को वह खाना खिलाना पसन्द नहीं करते हैं वह कहते हैं कि जितने का सामान नहीं मिलता उससे अधिक पैसा बीमारी में इलाज पर खर्च हो जाता है। इसी प्रकार से एक और प्रकरण पकड़ा गया है कि 21 दिसम्बर, 2005 को दिल्ली में सरसपुर गांव है वहां के गुरूद्वारा रोड स्थित एक गोदाम पर दिल्ली पुलिस द्वारा 1412 कुन्तल चावल पकड़ा गया।

श्री अध्यक्ष-

दिल्ली का मामला यहां क्यों ला रहे हैं? यह अच्छी बात नहीं है। जो आपने कहा वह सफीशियेंट है। यह दिल्ली की बात यहां क्यों उठा रहे हैं? माननीय टण्डन जी, इनको समझा दीजिये। दिल्ली की घटना का यहां उठाने का क्या आधार है?

* नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)-

मान्यवर, किसी स्थान का नाम आ जायेगा वह यह कह रहे हैं कि यहां से सामान चला गाड़ियां गयीं और दिल्ली में पकड़ी गयीं।

श्री अध्यक्ष-

तो ठीक से स्पष्ट करें।

श्री मुंशीलाल गौतम-

मान्यवर, मैं नया सदस्य हूं मेरी पूरी बात आ जाने दीजिये। मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरे जनपद बुलन्दशहर से 1412 कुन्तल चावल आठ ट्रकों में भरकर दिल्ली भेजा गया जिसकी अनुमानित लागत 11.50 लाख रूपये थी वह वहां पर दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़ा गया। यहां से यह कहा गया कि यह सामान गन्दा था, खाद्यान्न सामग्री गन्दी थी और दिल्ली में सफाई के लिये भेजा गया था यह संबंधित अधिकारियों ने स्वीकार किया। इसमें एक अधिकारी के खिलाफ जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है उन्हें सस्पेण्ड किया गया और किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह सामान बाहर गया तो इसमें और भी अधिकारी शामिल रहे होंगे केवल एक अधिकारी की बात नहीं है तो इसको देखा जाना चाहिये कि इसमें और कौन-कौन अधिकारी शामिल थे जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर यह खाद्यान्न दिल्ली न जाकर कहीं अलग गया होता तो शायद पकड़ा न जाता और यह घोटाला उजागर न होता। मेरी मांग है कि जो बच्चे बीमार हुये हैं उनको यह सरकार 50-50 हजार रूपया तथा जो गम्भीर रूप से बीमार हैं उनको एक-एक लाख रूपया सरकार की तरफ से दिया जाय और इस घोटाले का पर्दाफाश कराया जाय जिसमें इसमें सम्मिलित लोगों के विरुद्ध कार्यवाही हो सके।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, सूचना की हद तक तो सूचना थी लेकिन इतना गम्भीर है, टेलीवीजन वगैरह पर भी आया था लेकिन बच्चों की मिड-डे-मील की वजह से बीमार होना उसमें भी नहीं बताया गया था तो इसका परीक्षण करा लेंगे पूरी तरह, और बच्चों से उतनी ही सहानुभूति है उससे बिलकुल कम नहीं है जितनी आपकी है। कोई इलाज में उनके कमी नहीं रहेगी और जो भी सहायता की जा सकती है, वह की जायेगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्विक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इसे अग्राह्य करता हूँ।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान देश है, प्रदेश है किसानों के हित में सरकार काम करती है और घोषणा भी करती है। औराई चीनी मिल के संबंध में कहना चाहता हूँ कि औराई चीनी मिल चली और कब बन्द हो गयी यह किसानों को नहीं पता चला, न उत्तर प्रदेश में कहीं किसी को पता चला। पूरा गन्ना किसानों का पड़ा रह गया, उनकी पेराई नहीं हो पायी। ट्रान्सपोर्ट की व्यवस्था नहीं की गई, आसपास के जिले उनको एलाट होते हैं इसमें इलाहाबाद, बनारस, चन्दौली, सोनभद्र, मिर्जापुर यह काशी सहकारी मिल औराई के अधीन आता है। स्थिति यह हुई कि एक प्रधान प्रबन्धक की नियुक्ति नवम्बर में की जाती है और उसके मेंटीनेंस पर लाखों रूपये खर्च किये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

पंडित जी, आप यह सुन लीजिये जो आप पूरा विवरण दे रहे हैं इससे पहले 301 में आ चुका था। आपका प्रश्न है कि लाखों रूपया मिल के जी0एम0 द्वारा जहाज यात्रा, निजी यात्रा और सुविधाओं में व्यय कर दिया गया और किसानों को पैसे का भुगतान नहीं किया गया इस प्रकार किसानों का मनोबल गिरा है। वहां पर कांटा भी नहीं लगाया गया है पड़ोस के लगभग इतने जिलों की चीनी मिल है। इसके बन्द हो जाने से जिलों के किसान भुखमरी के शिकार हैं। तो आप यह जो किसानों से संबंधित बातें हैं उसको आप हाईलाइट करिये। एक बार आ चुका है जो आप उठा चुके हैं 301 में।

श्री रंगनाथ मिश्र-

कहीं नहीं आया है। मान्यवर, वह चीनी मिल का जो आया है वह कर्मचारियों से संबंधित है उनको पुअर फण्ड नहीं मिला, उनको तनख्वाह नहीं मिली।

श्री रंगनाथ मिश्र-

कहीं नहीं आया है। मान्यवर, वह चीनी मिल का जो आया है वह कमचारियों से सम्बन्धित है उनको पुअर फंड नहीं मिला, उनको तनख्वाह नहीं मिली। इसलिए मान्यवर, आज किसानों के सामने संकट खड़ा हुआ है। प्रधान प्रबन्धक जो वहां के हैं, उन्होंने इलाहाबाद क्षेत्र के जो लोग क्रेशर लगाये हुए है, उनको लाभ पहुँचाने के लिए सेन्टर की नियुक्ति नहीं की। ट्रांसपोर्टर का पिछला बकाया न देने की वजह से वह भी तैयार नहीं हुआ और उसके तैयार न होने की वजह से किसानों का गन्ना नहीं आ सका और जब गन्ना नहीं आ सका तो मिल गेट का जो गन्ना था, वह भी समय पर आपूर्ति नहीं हो पाया। तो मांन्यवर, ट्रांसपोर्टर की व्यवस्था न होने और कांटा अन्य जिलों मे न खुलने की वजह से दूसरे जिलों का गन्ना भी नहीं आ सका। इस वजह से किसानों के समक्ष बड़ी कठिनाई खडी हो गयी, इससे किसानों का हित तो मारा ही गया, साथ ही सरकार को चूना भी लगाने का काम किया गया। लाखों रूपये मेन्टीनेंस में लगते हैं, उसको वहां लगाया गया और मात्र 3 हजार बोरी चीनी बनाई गयी। वहां स्थिति इतनी खराब है कि मिल को औने-पौने दामों में बेचना पड़ सकता है। मैं आपसे चाहूँगा कि सरकार यह जांच कराये कि वहां किन परिस्थितियों में किसानों के गन्ने को नहीं लिया गया और ट्रांसपोर्टर की नियुक्ति क्यों नहीं की गयी, कांटा वहां जो लगता था, वह क्यों नहीं खोला गया? मान्यवर, वहां यह साजिश की जा रही है कि काशी सहकारी चीनी मिल को

जबरदस्ती बन्द कर दिया जाय और फिर इसको बेच दिया जाय। इसलिए मैं इस विषय पर सदन में चर्चा कराने की मांग कर रहा हूँ। साथ ही यह भी कहना चाहता हूँ कि गन्ने का जो बकाया है, वह दिलाया जाय और गन्ने की आपूर्ति जो नहीं हो सकी, जिसकी वजह से खड़ी फसल सूख रही है, उसकी भी पूर्ति दिये जाने की मांग करता हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, रंगनाथ मिश्र जी ने औराई चीनी मिल की बात उठाई है। ऐसी कई जगह है, मेरे रामपुर में भी ऐसा हुआ, पैसा भी लगा, परन्तु मिल नहीं चल सकी। यह मिल भी पुरानी हो गयी है, उसकी ट्यूब वगैरह सब गल गयी है, चलने की पोजीशन में नहीं थी, इसको दिखवा लेगें और जो हो सकता है वह सरकार करेगी। यह विषय ग्राह्य योग्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

इस विषय पर श्री रंगनाथ मिश्र और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह नियम-56 में ग्राह्य नहीं है।

माननीय मौर्य जी, आपने सूचना दी है, बोलेंगे? एक आदमी बोल लीजिये।

*श्री दद्दू प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में 7 जनवरी को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के निर्वाचन हुए और जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग करके माननीय सदस्यों का अपहरण किया गया, उनके खिलाफ फर्जी एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी और जो अखबारों में छपा है, आपके संज्ञान में भी है। मैं हमीरपुर जिले की बात बता रहा हूँ, वहां 16 सदस्यों का बोर्ड है। सात जनवरी को सभी सदस्य वोट डालने के लिए पहुँचे, इसमें 9 सदस्य बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार देवकी रानी के समर्थक थे, वह मतदेय स्थल के अन्दर पहुँच गये और अन्दर पहुंचने के बाद 4 सदस्यों का मतदान केन्द्र के अन्दर से पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में अपहरण कर लिया गया। करीब 150 असलहाधारी मतदान केन्द्र के अन्दर उपस्थित थे और पुलिस ने 500 मीटर की बैरीकेटिंग बनाई हुयी थी, लोग बाहर खड़े थे, वहां जनता चाहती थी कि निष्पक्ष मतदान हो। लेकिन डेढ़ सौ असलहाधारी, चार सदस्यों, जिसमें से एक श्री बालादीन कुशवाहा और तीन महिलाएं श्रीमती सरोज अहिरवार, श्रीमती चम्पारानी और श्रीमती प्रेमारानी का अपहरण करके जंगल में ले गये इस प्रकार से कई सदस्गों को वोट नहीं डालने दिया गया। उसके बाद चुनाव आयोग को जिलाधिकारी ने गुमराह करने वाली रिपोर्ट भेज दी। मान्यवर, मतदान के परिणाम आ गये हैं, इन परिणामों के विषय को मैं संज्ञान में नहीं लाया था, लेकिन मैं अनुरोध करता हूँ कि पुलिस अधीक्षक और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों की उपस्थिति में अपहरण हुआ रिपोर्ट दर्ज हुई, मुकदमा अपराध सं0-9/6 धारा-147, 148, 149, 504, 506, 171, 323 और 365 आई0पी0सी0, इन सब धाराओं के तहत थाना कोतवाली, हहीरपुर में एफ0आई0आर0 कायम है, लेकिन आज तक कोई विवेचना नहीं हुई है। आखिर यह प्रदेश नियमों से चलेगा या गुण्डागर्दी से। गुण्डागर्दी के इस साम्राज्य में कोई विवेचना नहीं हुई। इस प्रकार से इन सदस्यों का अपहरण कर लिया गया और उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया, आखिर इन अधिकारियों की कुछ जिम्मेदारी बनती है या नहीं। महोबा में 12 का बोर्ड है, 6 सदस्यों को वोट नहीं डालने दिया गया, इलाहाबाद में 4 सदस्यों को सी0ओ0 ने पकड़ लिया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर असामाजिक तत्व किसी को उठा ले जायें तो बात समझ में आती है लेकिन जिन्हें रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गयी है अगर वहीं भक्षक बन जायें तो फिर मान्यवर क्या हो सकता है? इसलिए मान्यवर, मैं मांग करता हूँ कि 07 जनवरी को हमीरपुर, इलाहाबाद और औरैया में जो घटनायें घटित हुई हैं, उसमें जांच करायी जायें, और उच्चस्तरीय जांच हो। मान्यवर, अगर घर से किसी का अपहरण हो तो बात समझ में आती है, लेकिन आज तो पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में अपहरण कर लिया जाता है। मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इसका संज्ञान लिया। अपर पुलिस अधीक्षक, बद्री नारायण, जो कि इस मामले में बहुत जिम्मेदार है और अन्य पुलिस के अधिकारी जो सौदेबाजी करके सत्ता का दुरूपयोग करते हैं उनके खिलाफ मैं कड़ी कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ। महोबा जिले में आज जनाक्रोश व्याप्त है, वहां पर लोकतंत्र की हत्या की गयी जो कि जघन्यतम कृत्य है, वैसे आने वाले समय में जिन्होंने यह सब कराया है, उनको पता चल जायेगा, लेकिन मान्यवर, मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ। मान्यवर, एक महीने का समय ही बीता है, इस प्रकार से यह सूचना तात्कालिक भी है, इसलिए मैं आपके माध्यम से इस मामले की व्यापकता को देखते हुए चर्चा कराने की मांग करता हूँ और शासन को यह निर्देश दें कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध लाइबिलिटी निर्धारित की जाये।

श्री शिवचरण प्रजापति-

अध्यक्ष महोदय, दद्दू प्रसाद ने जो अवगत कराया है मैं उसी में कुछ बातें जोड़ना चाहता हूँ। मान्यवर, यह सब तो हुआ ही, इसके अतिरिक्त हमारे विधायक धू राम चौधरी एवं मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखायी गयी और उन्हें व मुझे धमकी दी गयी कि हमीरपुर में नहीं दिखायी देना, वरना हाथ-पैर तोड़ दिये जायेंगे और बन्द कर दिया जायेगा। मैं मान्यवर, इस प्रकरण पर सदन की कार्यवाही को रोक कर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ।

[समय 1 बजकर 20 मिनट]

* राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 दद्द प्रसाद जी ने नियम 56 के अन्तर्गत जो सूचना दी है, और उसमें जिन तथ्यों का उल्लेख किया है और अपनी सूचना पर बल देते हुए ग्राह्यता पर जो अपनी बात रखी है, श्रीमन् उसमें सामंजस्य नहीं है, सूचना आपके सम्मुख है, आप देख लें। मैं एक अनुरोध यह करना चाहूँगा कि सूचना में है कि राज्य निर्वाचन आयोग को गुमराह करके चुनाव परिणाम घोषित करवा लिया गया। श्रीमन् प्रकारान्तर से राज्य निर्वाचन आयोग पर आक्षेप करना, महामहिम की चर्चा करना और पुलिस प्रशासन पर टिप्पणी करना इस नोटिस की मंशा है। नियम-56 के अन्तर्गत जो सुनिश्चित विषय, तात्कालिक, लोक महत्व का होना चाहिए, वह नहीं है। अगर पुलिस प्रशासन को लेकर, पंचायत निर्वाचन को लेकर माननीय सदस्य टिप्पणी करना चाहते हैं तो मैं जोर देकर इस बात को कहना चाहता हूँ कि इस पंचायत के निर्वाचन में जितनी न्यूनतम हिंसा हुई है और जिस तरीके से निष्पक्ष व शानदार ढंग से पूरे चुनाव को सम्पादित कराने का काम उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया है, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को बधाई देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार पर टिप्पणी करने के लिए कोई दूसरा बहाना लिया जा सकता था, पंचायत निर्वाचन की जिस घटना की बात कर रहे हैं, वह जमाना चला गया जब प्रदेश की सबसे बड़ी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुर्सी से निर्देश हुआ करते थे कि कोई एफ0आई0आर0 नही लिखी जायेगी। पंचायत निर्वाचन के समय जितनी भी घटनायें हुई हैं उन सबकी एफ0आई0आर0 लिखे जाने के निदेश हैं, इनकी शिकायत सही नहीं है कि एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हुई है, एफ0आई0आर0 दर्ज हुई हैं और बकायदा तफ्तीश होगी, तफ्तीश में जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। यह विषय न तात्कालिक है, न तथ्य ऐसे हैं जिन पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। इसलिए प्रार्थना करता हूँ कि इस सूचना को अग्राह्य घोषित करें।

*श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवार, इसमें, सीधे-सीधे एक सुनिश्चित बिन्दु पर दद्दू प्रसाद जी और शिव चरण प्रजापति जी ने अपनी बात रखी है। आपने निर्वाचन आयोग और महामहिम राज्यपाल का हवाला दे करके उस बिन्दु को नजरअंदाज कर दिया। हमारी केवल इतनी मांग है कि जिन पुलिस अधिकारियों ने सदस्य जिला पंचायत का अपहरण करके मतदान करने से वंचित किया उन अधिकारियों के खिलाफ अब तक कार्यवाही क्या हुई है? अगर एक महीने का वक्त गुजर गया तो एफ0आई0आर0 लिखे जाने के बावजूद अभी तक गूँगी, बहरी सरकार बैठी क्यों रही? इसलिए मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से इस बात की अपेक्षा करता हूँ कि दोषी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही करें। क्योंकि पुलिस कर्मियों ने आपके पक्ष में अपहरण कर लिया इसलिए आप उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि वे बहुत ईमानदार हैं और उन्हें साधुवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। लेकिन मेरा कहना है कि जिन अधिकारियों ने प्रजातंत्र का गला घोंटा है, जिन्होंने मतदान से वंचित किया है, उन अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, दद्दू प्रसाद जी ने सुझाव दिया कि बधाई दीजिए, मैं दोबारा बधाई देना चाहता हूँ। दद्दू प्रसाद जी हमारे मित्र हैं, मैं बताना चाहूँगा कि पंचायत के चुनाव इतने तनाव के बावजूद जितने शानदार ढंग से,बिना हिंसा के पूरी निष्पक्षता से इस उत्तर प्रदेश में सम्पादित हुए हैं, इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को पुनः बधाई देता हूँ, इसमें किसी तरह का संकोच नहीं है। जहां तक अपराध की बात है तो श्रीमन्, अपराध पंजीकृत है। पंजीकृत अपराध की तफ्तीश के लिए सी0आर0पी0सी0 में प्राविधान है। इसमें आपने कोई शंका जाहिर नहीं की है कि तफ्तीश का पुलिंदा बदल दिया जाये, आई0ओ0 चेंज कर दी जाये। श्रीमन्, इस व्यवस्था में स्वयं आपका विश्वास है। इसलिए एफ0आई0आर0 पर जितनी भी विधिक कार्यवाही हो सकती है होगी और निश्चित रूप से कोई दोषी पाया जायेगा तो दंडित होगा। अब यह प्रदेश कानून का राज चलाने वालों के हाथ में है इसलिए घबड़ाने की जरूरत नहीं है। जिनके रेलवे कूपन अपराधियों के पास पाये गये, जिनका अपराधियों से सांठ-गांठ का पूरे प्रदेश की जनता ने साक्ष्य देखे। अच्छी तरह से मालूम है कि कौन उस इलाके में किस डकैत के साथ पानी भरने का काम करता था कौन मशाल दिखाने का काम करते हैं। हमें प्रमाण-पत्र नहीं चाहिए। हम इनके प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं करते हैं। हम दोहरा कर कहना चाहते हैं कि कानून का राज है। कानून के अनुसार कार्यवाही होगी। एफ0आई0आर0 दर्ज हो चुकी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुखदेव राजभर-

कार्यवाहक संसदीय कार्य मंत्री, राजस्व मंत्री जी इस तरह का सर्टिफिकेट पुलिस को न दीजिए। आपने बड़ी बहादुरी किया है। हम लोग इलाहाबाद के बारे में जानते हैं आपके सी0ओ0 ने लादा है मेम्बर को और उठाकर ले गये हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो बात कही है अगर किसी सदस्य का, जैसा जिक्र इस सूचना के अतिरिक्त किया है। हम इसको बहुत गम्भीरता से लेते हैं और निश्चित रूप से जांच करवायेंगे और कोई अनुचित बात नहीं होगी।

श्री स्वामी पसाद मौर्य-

सरकार [x x x x] को बढ़ावा दे रही है, [x x x x] के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं [x x x x] को बढ़ावा दे रही है और उनकी सुरक्षा करती है। सरकार के इस कदम के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन को त्याग कर चले गये और सदस्यों ने सदन से जाते समय सरकार के विरूद्ध नारे लगाये)।

*पर्यावरण मंत्री (श्री उज्जवल रमण सिंह)-

मान्यवर, मैं पूरे सदन के संज्ञान में ला रहा हूँ। इलाहाबाद के जिलाधिकारी ने और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी मेम्बरों से कहा था कि आप पुलिस सुरक्षा ले लें लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने सुरक्षा लेने से मना कर दिया। मेरा कहना है कि 40 मेम्बर अगवा कर लेते हैं और 2 महीने एक जिले में रखते हैं, क्या परिपाटी आज हम स्थापित कर रहे हैं यह सोचनीय विषय है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी बता चुके हैं। उनके कहने के बाद आप जो कह रहे है, यह अच्छी बात नहीं है।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

मान्यवर, मैंने 311 में सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष-

311 में सूचना देने का मतलब यह नहीं है कि 311 में दिया है तो 56 में आ जाय। हमने अनुमति नहीं दी है तो निरस्त हो गयी। आप दूसरे नियमों में उठायें।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

आपने कहा था कि 311 की सूचनाओं को नियम 56 में ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

नियम-311 में रिजेक्ट हो गयी। नियम-56 में फिर दीजियेगा।

नोट :- [x x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ.....

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, इनको सुन लीजियें।

श्री प्रमोद कुमार-

मुझे बुला लिया है। मेरी बात सुन लीजिये।

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से कार्यस्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर 2-3 मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

यह निश्चित तो है नहीं।

श्री प्रमोद कुमार-

मेरा विषय सुनिश्चित है, अगर नहीं होगा तो मान्यवर, आप अग्राह्य कर दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष-

अग्राह्य करने के बाद कार्यवाही का अंग तो रहेगा ही।

*श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यह घटना 14-15 फरवरी, 2006 की है। इनकम टैक्स का देश व्यापी छापा पड़ा है । विभाग निर्धारित है। उसमें एक इन्ट्री पाई गयी है जिसमें 150 करोड़ रूपये उत्तर प्रदेश के एक राजनीतिज्ञ को यू0पी0 डिस्टलरी एसोशियेशन द्वारा दिया गया है। इंट्री सुनिश्चित है। यह पाया गया है कि 5 करोड़ रुपये प्रतिमाह उस राजनीतिज्ञ को दिया जाता रहा है। 5 प्रतिशत की दर से लगभग 3600 करोड़ रुपये के करापवंचन का मामला है। तारीख मैंने दे दी। मैंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उस विभाग ने छापा मारा यह भी बता दिया कि इस तारीख की इन्ट्री है। इससे ज्यादा सुनिश्चितता और क्या हो सकती है? यह उत्तर प्रदेश के हित से जुड़ा हुआ मामला है। एक व्यक्ति को यू0पी0डिस्टलरी एसोशिएशन ने 130 करोड़ रूपये दिये हैं। यह 3600 करोड़ रूपये के कर अपवंचन का मामला है। इससे ज्यादा गम्भीर कोई दूसरा विषय नहीं हो सकता है। मैं सिर्फ यह मांग करता हूँ कि यह कई वर्षों से अनवरत रूप से चला आ रहा है। मैं स्पष्ट रूप से मांग करता हूँ कि इसमें सीधे सीधे भ्रष्टाचार निवारण एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया जाय और वह कागज प्राप्त किया जाय। जो इन्ट्री इनकम टैक्स में है वह राजनीतिज्ञ कौन है उसका नाम प्राप्त किया जाय उसके बाद उसके फिलाफ मुकदमा कायम करके जांच की जाय। अगर इस प्रकरण को सरकार गम्भीरता से नहीं लेती है तो मैं यह समझूँगा कि कर अपवंचन को सरकार बढ़ावा देने का काम कर रही है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और लोक महत्व का दूसरा प्रश्न नहीं हो सकता है। देने वाले का नाम मैंने बता दिया। लेने वाले का नाम इन्ट्री में है। अगर आपकी अनुमति और निर्देश होगा तो मैं नाम दे दूँगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री हुकुम सिंह-

वह नाम सदन के समक्ष आना चाहिए नहीं तो आज से ही कयास लगने शुरू हो जायेंगे कि फलां नाम है, फलां नाम है और प्रदेश के अन्दर एक भ्रामक संदेश जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

इतना कह लिया यह पर्याप्त है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अध्यक्ष महोदय, सुबह जब चर्चा हो रही थी वह इसी बात को लेकर थी कि मीडिया ने जो जानकारी दी उससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई। जब विषय आ गया है तो नाम भी सदन के समक्ष आना चाहिए।

श्री प्रमोद कुमार-

जो सदस्य बीच में बोल रहे हैं वह व्यवधान डाल रहे हैं जिससे सच्चाई सदन के समक्ष न आ सके। मेरी मांग है कि मैंने जो जानकारी सदन के समक्ष रक्षी है जो जो मैंने मांग की है कि इन्ट्री में जिसका नाम दर्ज है उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया जाय व जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ इसमें कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

*श्री राम नरेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला है। तात्कालिक भी है। तात्कालिक इसलिए क्योंकि यह 14-15 तारीख का ही मामला है उसी समय छापे मारे गये और उन छापों में रजिस्टर बरामद हुआ उसमें तारीख और नाम दे रखा है। उसमें यह दिया हुआ है कि अमुक-अमुक व्यक्ति को इतना रूपया इस तारीख को दिया गया। यह प्रश्न केवल कर अपवंचन का ही नहीं है। इतनी बड़ी धनराशि डिस्टलरी एसोसिएशन ने दी है।

श्री अध्यक्ष-

आप सुनिश्चित जानकारी के आधार पर कह रहे हैं?

श्री राम नरेश यादव-

एक बात सदन के समक्ष आई है अब सरकार का यह दायित्व होता है कि वह इसकी जांच करके उसकी जानकारी से सदन को अवगत कराए और जनता को वस्तु स्थिति से अवगत कराये। इसमें जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। यही मेरी मांग है कि इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री अम्बिका चौधरी-

इस सूचना पर श्री प्रमोद कुमार और श्री राम नरेश यादव जी ने अपने विचार रखे हैं। इस विषय की गम्भीरता इतनी है कि उस पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। अगर वास्तव में ऐसी स्थिति है जिसमें डिस्टलरी एसोसिएशन की इन मिलों से भी कोई काम किया जा रहा है। उनसे भी पैसा लेने की बात है और लगातार सरकार को भी टैक्स की चपत पहुँचाई जा रही है तो यह बहुत गम्भीर बात है और इसमें कोई दो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राय नहीं है। लेकिन इस अपुष्ट सूचना पर और अन्दाजे पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। मान्यवर, आप सहमत होंगे, पूरा सदन सहमत होगा। दूसरी बात इनकम टैक्स विभाग ने अपनी छापामारी के बाद मान्यवर, एक तो यह इनकम टैक्स विभाग केन्द्र सरकार के अधीन है और व्यवहारिक है कि उसने अपने छापे एक ही जगह नहीं कलकत्ता, मुम्बई और अन्य शहरों में भी डालें। तमाम जगहों पर छापेमारी की है तो उसके क्या निष्कर्ष हैं? क्या तथ्य आते हैं उनके आये बिना इस सूचना पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती जो कि स्वयं सुनिश्चित और स्पष्ट नहीं है। इनकम टैक्स का जो निष्कर्ष आता है उसके अनुसार ही किसी के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है और सरकार इससे पीछे नहीं हटेगी। यह जो सूचना है यह सिर्फ अखबार पर आधारित है, स्पष्ट और सुनिश्चित नहीं है अतएव इस पर कोई कार्यवाही करना सम्भव नही है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं यहां पर स्पष्ट कर दूँ कि मेरी सूचना अखबार पर आधारित नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी को यह स्पष्ट कर दूँ कि न मैंने अपने भाषण में यह जिक्र किया कि मेरी सूचना अखबार पर आधारित है। मेरी सूचना पूरी तरह से पुष्ट है और पूरी तरह से साक्ष्य पर आधारित और निश्चित तिथि की है, निश्चित धनराशि की है। लिखी हुई इबादत से सम्बन्धित है। मान्यवर, सरकार स्वयं इसमें निश्चित कर लें। इस सदन से सर्वोच्च कोई नहीं हो सकता। मैं एक सदस्य हूँ ओर मैं यह जानकारी दे रहा हूँ। सरकार इसका संज्ञान नहीं लेगी तो फिर किसका लगी। मैंने इतनी स्पष्ट सूचना दी है आप उसकी जांच करा लें और यदि सिद्ध पाया जाय तो इसमें कार्यवाही की जाय। अगर यह सिद्ध है तो इसमें 36 करोड़ रूपये की धनराशि उत्तर प्रदेश के लिए कम नहीं है। अगर इसका कर अपवंचन हुआ है तो आप क्षमा कीजिएगा लोगो का सदन के प्रति विश्वास कम हो जायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, सूचना आपके सामने है। आप स्वयं देख लें कि उसमें कोई सुनिश्चितता नहीं है और जो आरोप आपने मौखिक रूप से बल देकर लगाये है वह सूचना को पुष्ट बनाने के लिये पर्याप्त नहीं है।

(श्री हुकुम सिंह के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आपको क्या कहना है?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई चर्चा नहीं हो रही है। जब चर्चा हो तब स्पष्टीकरण पूछियेगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो कुछ कहा जाता है यदि वह स्पष्ट नहीं है तो उस पर पूछा जा सकता है। मुझे स्पष्ट नहीं है इसलिये मैं जानना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे निर्णय दे देने दीजिये। आपने इनकम टैक्स के छापे की बात कही है। इनकम टैक्स के एक्ट में प्राविधान है कि अगर कोई कर की चोरी करता है तो इनकम टैक्स विभाग भी उसके विरूद्ध मुकदमा कायम कर सकता है और यह उसको अधिकार है। वह मुकदमा कायम करके उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है।

श्री प्रमोद कुमार-

मैं उत्तर प्रदेश की एक्साइज चोरी की बात कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

यह जो सूचना है यह सुनिश्चित नहीं है। इनकम टैक्स का छापा पड़ा है क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, यह हम नहीं जानते हैं। हो सकता है कि आप जानते हों। माननीय मंत्री जी भी कह रहे हैं कि हमको भी जानकारी नहीं है। मंत्री जी ने कहा है कि अगर कहीं कोई दोषी है तो उसके विरूद्ध निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी। मैंने आपकी बात सुनी और माननीय मंत्री जी को भी सुना मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री रामनरेश यादव-

छापा पड़ा है रजिस्टर प्राप्त हुआ है। जबाव दिला दें।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी को जबाव देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

मान्यवर गोण्डा नगर में .....

श्री अम्बिका चौधरी-

यह नोटिस है कोई सुनिश्चितता इसमें नहीं है।

श्री रंगनाथ मिश्र-

सुनिश्चितता है।

श्री अम्बिका चौधरी-

जॉच रिपोर्ट आएगी तो कार्यवाही होगी यह कह दिया है।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

मान्यवर, गोण्डा नगर में महाराजगंज मोहल्ले में महाराजा देवी बख्श सिंह की ड्योढ़ी है उसमें एक परम्परा है मोहर्रम के दिन ताजिया लेकर जब मुसलमान जाते है और उस ड्योढ़ी पर ताजिए को छुआकर आदरसहित लेकर चले जाते हैं। इसी तरह से हिन्दू महिलाएं नवरात्रि में उस चौरे पर जाकर अक्षत पुष्प चढ़ाती है। हिन्दू मुसलमान दोनों ही धर्म के लोग उस ड्योढ़ी पर जाते हैं। उसको पूजते हैं। यह एक अनवरत परम्परा बनी हुई है। गत वर्ष मान्यवर, उसमें व्यवधान आ गया। जिस समय मुसलमान लोग अलम लेकर निकले, एक झंडा लगा हुआ था उस पर आपत्ति कर दी गई कि झंडा उतरे यह झंडा किसी घर में

लगा हुआ था। उसने झंडा नहीं उतारा। इस पर मारपीट हुई पी0ए0सी0 लगी। पी0ए0सी0 की देखरेख में फिर परम्परा का पालन किया गया। मान्यवर, जब प्रशासन की जानकारी में था गत वर्ष पी0ए0सी0 लगी है तो उसमें प्रिकॉशन लिया जाना चाहिए था वह नहीं लिया गया। मोहर्रम के पहले उस ड्योढ़ी पर पुताई का काम जो सफेद रंग से होता था वहां आले को किसी ने हरे रंग से पोत दिया। इसकी जानकारी जैसे ही हुई प्रशासन को इत्तला दी गई कि हरे रंग से पोत दिया गया है जिसके कारण गड़बड़ी की आशंका है तो जो हरा पोता गया है उसको सफेद से पुताए, प्रशासन को यह करना चाहिए था। वहां पी0ए0सी0 लगवानी चाहिए थी लेकिन जो पी0ए0सी0 लगाने का कार्य गत वर्ष किया गया वह नहीं किया गया। पी0ए0सी0 को हटाकर दूसरी जगह भेज दिया गया। मोहर्रम के दिन जब उस ताजिए को चौरे पर रखा गया तो वहां विवाद बढ़ जाने के कारण दोनों पक्षों में पथराव हुआ। मारपीट की स्थिति आ गई। लेकिन पुलिस पी0ए0 सी0 नहीं लगाई गई। जब मारपीट हुई तो दोनों तरफ के लोग भागकर स्वयं सेवक संघ के कार्यालय में चले गए। अब जिला प्रशासन द्वारा डेढ़ सौ लोगों को उत्पीड़न करने का काम किया जा रहा है। जब पहले से सूचना थी तो पी0ए0सी0 क्यों नहीं लगाई गई? क्यों सक्षम कायवाही नहीं की गई? उन लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाकर उत्पीड़न किया जा रहा है। मेरी सरकार से मांग है कि इस पर चर्चा कराई जाए और इसकी जॉच कराकर जो दोषी अधिकारी हैं उनको हटाया जाए। फर्जी मुकदमें वापस हों।

श्री अम्बिका चौधरी-

जो सूचना माननीय सदस्य द्वारा दी गई है इसमें दसवें मोहर्रम के दिन हुई जिस घटना का जिक्र किया गया है। इसमें प्रशासनिक तौर पर जो कार्यवाही हुई कहा गया यह आक्षेप गलत है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में कैसे गए? कौन दंगा करवाना चाहता है, कौन बात को आगे बढ़ाना चाहता है? यह सबको मालूम है। ऐसी कोई स्थिति नहीं बनाई जाती है कि किसी सम्प्रदाय को आघात पहुँचे। चाहे वह अल्पसंख्यक रहे हों, चाहे बहुसंख्यक रहे हों। प्रशासनिक नियंत्रण में अगर कोई दोषी पाया गया तो वह दंडित होगा इसमें मैं आश्वासन देता हूँ।

श्री लालजी टण्डन-

मैंने स्वयं वहां के डी0एम0 से बात की उन्होंने कहा सारी स्थिति नियंत्रण में है सारी व्यवस्था हो गई है। मान्यवर, वहॉ पर कांग्रेस और आर0एस0एस0 के दफ्तर पास-पास में हैं, उन लोगों को सन्देह है कि रात में वहॉ कुछ हो न जाए, वहॉ सुरक्षा की व्यवस्था करा दी जाए, वहॉ व्यवस्था कर दी गयी, फिर क्या हो गया, प्रचारकों का जनरली आम जनता से कोई मतलब नहीं रहता है, फिर भी उनके खिलाफ फर्जी मुकदमें कायम कर दिए गये। इन फर्जी मुकदमों को वापस लिया जाए।

श्री अम्बिका चौधरी-

इसको दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई। श्री प्रमोद कुमार, श्री राम नरेश यादव, डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री सुरेश कुमार खन्ना और श्री मुकुट बिहारी वर्मा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक सूचना हमारी भी है।

श्री अध्यक्ष-

आप तो रोज देते हैं। अब मद संख्या-9 ले रहे है।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रयकर) (संशोधन) विधेयक, 2006

* राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

मान्यवर, इससे पूर्व मैं कुछ कहूँ, आपसे आग्रह करूँगा और मंत्री जी से भी कहूँगा कि जो संशोधन विधेयक लाए हैं, उसे पढ़ तो लें, यह मजबूरी ही है, पढ़ जरूर लें जिसमें संशोधन लाये हैं। उद्देश्य मैंने देख लिए, समाचार पत्रों में भी आ गया, उद्देश्य यहाँ भी आ गए, जो यह अधिनियम है, 1961 का, उत्तर प्रदेश गन्ना क्रय कर अधिनियम, 1961, उसकी धारा 4(1) में संशोधन आपने किया है, पुराना 4(1) पढ़ लें और जो संशोधन लाए हैं, उसको भी पढ़ लें और यदि आपकी अनुमति हो तो मैं ही पढ़ दूँ। आपकी हिन्दी अच्छी है। इसमें हैं कि "गन्ना की पेराई द्वारा गुड़ या राब के विनिर्माण या उत्पादन के लिए उर्ध्व कोल्हू या उर्ध्व शक्ति चलित कोल्हू को समाविष्ट करते हुए कोई इकाई या ऐसी इकाई जिसने उत्तर प्रदेश खांडसारी शक्कर निर्माताओं को लाइसेंस देने की आज्ञा, 1967 के अधीन कोई लाइसेंस प्राप्त किया है, से भिन्न कोई इकाई, शक्कर आयुक्त से लाइसेंस प्राप्त किये बिना गुड़ या राब के विनिर्माण या उत्पादन से सम्बन्धित कोई प्रक्रिया नहीं करेगी या जिसे लेगी।" यह तो आप वर्तमान में ला रहे है। पुरानी धारा का भी इसमें उल्लेख है, उसको भी पढ़ लें। उसमें है कि "उस इकाई के अतिरिक्त, जिसने उत्तर प्रदेश खंडसारी शक्कर निर्माताओं को लाइसेंस देने की आज्ञा, 1960 के अधीन लाइसेंस प्राप्त किया हो, दूसरी कोई भी इकाई, शक्कर आयुक्त से लाइसेंस प्राप्त किये बिना गुड़ अथवा राब बनाने या उसका उत्पादन करने से सम्बन्धित कोई प्रक्रिया न करेगी और न जारी ही रखेगी।" आप बता दें, वर्तमान में इसका क्या मतलब है? अखबारों में तो मैंने पढ़ लिया है कि लाइसेंस से मुक्त करना चाहते हैं लेकिन इस धारा को पढ़ने के बाद आप इसका अर्थ बता दें। दो पंक्ति की जरूरत थी कि जो कोल्हू हम चला रहे हैं, उनके संचालन हेतु किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। इसको इतना गूढ़ बना दिया कि इसका विश्लेषण करना, इसको अलग-अलग शाखाओं में करना और जब इसका निष्कर्ष निकालेंगे तो उसके लिए, श्री अम्बिका चौधरी जी की आवश्यकता पड़ेगी। मेरा कहना है कि सरलीकरण के नाम पर इस प्रकार की क्लिष्ट भाषा का इस्तेमाल करके आपने संदेश देने का प्रयास किया कि इसका निष्कर्ष निकालना सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि अभी कुछ दिन पहले आप एक गन्ना नीति लाये और उस गन्ना नीति में कुछ विशेष घरानों के लिए आपने एक नीति बनाकर गन्ना क्रय कर से भी मुक्त कर दिया। यह 1960 का बना संशोधन है। मेरी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जानकारी में जबसे यह एक्ट है तब से आज तक कोई अधिनियम नहीं आया। कैसे आपने उन उद्योगों को गन्ना क्रय से मुक्त कर दिया। कोई संशोधन विधेयक आपने विधान मण्डल से प्राप्त नहीं किया। कुछ से गन्ना क्रय कर ले रहे हैं कुछ से नहीं ले रहे हैं। यही नहीं इस सरकार ने दो वर्ष के अंदर खण्डसारी इकाईयों को बरबाद कर दिया है। आज सारी खण्डसारी इकाईयाँ बंद हो चुकी है। आप गिनकर बता दें कि आज बलिया में, बहराइच में, बिजनौर में कितनी खण्डसारी इकाईयाँ है? यह इसलिए बंद हो गयी क्योंकि यह जो नीति आई है उसके अंतर्गत छोटे उद्योगों का कोई खयाल नहीं रखा गया। वह विषय अलग है, उस पर चर्चा भी मंजूर हो चुकी है। जब उस पर चर्चा होगी तो उसका उल्लेख करूंगा। मुख्य बिन्दु मेरा यह है कि आपने खड़े कोल्हू को लाइसेंस से मुक्त किया। क्रय कर उसमें नहीं था। लेकिन उसकी आड़ में होता यह है कि खाण्डसारी के इंस्पेक्टर वहाँ पर जाते हैं और कहते है कि आप अपना गन्ना नहीं पेर रहे हो, आपने यह गन्ना खरीदा है। वह उसे तभी परेशान करना छोड़ते हैं जब वह उसको रकम दे देता है। मेरा सुझाव इसमें यह है कि इसमें यह भी संशोधन आना चाहिए कि खड़े कोल्हू पर जो गन्ना पेरा जाता है उस पर कोई क्रय कर नहीं लगेगा। अभी तक तो आपने निष्कर्ष पर यह जोड़ा हुआ है यह मानकर कि किसान अपना गन्ना पेरता है तो उसमें कर नहीं लगता है लेकिन उसको जो पाबंदी लगती है, उसको जो परेशानी होती है, क्या इससे उसकी मुक्ति की है? इन दो लाइनों का संशोधन और हो जाये इसलिए मैं यह संशोधन प्रस्ताव लाया हूँ। इसे अन्यथा न लें। मेरा आग्रह है कि इसको आज स्थगित कर दें, इसका दौबारा परीक्षण कर लें।

दूसरी बात यह है कि कोर्ट में मामला चला गया तो मै न्यायाधीशों के पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि उन्हें इस भाषा को समझ लेना मुमकिन नहीं है। इसे समझने के लिए जिसने ड्राफ्ट किया उसकी सेवा लेनी पड़ेगी।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी ने जो यह संशोधन प्रस्तुत किया है उसमें दो तीन विषयों को मिला दिया है। वह इसके विशेषज्ञ भी है और मैं उनसे सीखता भी रहा हूँ। चमत्कारिक रूप से दूसरी बात को दूसरे ढंग से कह दिया। उन्होंने जो संशोधन विधेयक है उसका विरोध नहीं किया मान्यवर, तीन बातें आयी है। पहला उन्होंने कहा कि भाषा इसकी ठीक नहीं है, उसके तत्व का विरोध नहीं किया। दूसरी बात यह कही कि गन्ना नीति में, जो शुगर पालिसी पहले आयी थी उसमें छोटी बड़ी मिलें, इसपर तो जब चर्चा बाद में होगी तो उत्तर दूँगा क्योंकि आपने स्वयं स्वीकार किया है कि चर्चा स्वीकृत है और जब विचार आयेगा तब इसका उत्तर देंगे। मुख्य बात भाषा को लेकर के है। क्योंकि संशोधन सिर्फ यह है कि इसमें पहले से प्राविधान था लाइसेंस लेना अनिवार्य था खड़े कोल्हू, होरिजेन्टल कोल्हू और खाण्डसारी आदेश जारी कर दिया कि जो लाइसेंस लेना अनिवार्य था खड़े कोल्लू का उसको स्थगित किया जाता है। उसको कानूनी रूप देने के लिए यह आवश्यकता पड़ी। और कानूनी रूप देने की आवश्यकता इसीलिए आयी कि जिन गन्ना किसानों की बेहतरी और सहूलियत के लिए कि अपना गन्ना खुद पेर सके, कोल्हू हजारों की संख्या में चला सकें, उसपर यह शुगर मिल वाले लोग, उनकी कुदृष्टि इसपर थी कि लाइसेंस लेना पड़े, पाबन्दियां भी लगायी जायें किसानों का अहित हो, उनकी दृष्टि से बचाया जा सके इसलिए यह विधयेक लाया गया है। इसकी मूल भावना से आप भी सहमत होगे कि उनपर लाइसेंस न लगाया जाय। इसका सर्वाधिक लाभ यह होगा कि जिन कुटीर उद्योगों की आपने चिन्ता की है उन कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिले उसपर नकारात्मक प्रभाव न पड़े, उनको लाइसेंस से मुक्त किया गया है।

कितनी विडम्बना है कि शुगर मिल का लाइसेंस न हो और केशर परलाइसेंस पड़े यह मुनासिब नहीं था इसलिए यह संशोधन किया गया है। जहाँ तक भाषा का सवाल है बहुत स्पष्ट है। कुछ खास नहीं है। सिर्फ यह बात जोड़ी गयी है कि गन्ने की पेराई द्वारा गुड़ या राब के निर्माण गुड़ या राब् के लिए ही है या उत्पादन के लिए वर्टिकल कोल्हू या उर्ध्वचालित कोल्हू के लिए समाविष्ट करता है, कोई इकाई या ऐसी इकाई जिन प्राविधानों के तहत लाइसेंस दिया जाना था उसका उल्लेख करना पडेगा और 1967 के खाण्डसारी रूल्स के अंतर्गत लाइसेंस लेना पड़ता था इसलिए यह किया गया। भाषा की जहाँ तक बात है तो जो अंतर है वह कुछ नहीं है। आपने कहा कि सिर्फ इतना कह सकते थे कि खड़े कोल्हू का लाइसेंस मुक्त किया जा सकता है, यह सरल भाषा में कह सकते थे, आपने यह ठीक कहा है। तो हमारा यह कहना है कि जिस एक्ट में संशोधन करना है उसके प्राविधानों को रेफरेंस में रखना होगा, उसका उल्लेख किया हे इसलिए यह भाषा मात्र की बात है। मैं पुन: आग्रह करना चाहूँगा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हुकुम सिंह सहमत है, पता नहीं उनकी पार्टी सहमत है कि नहीं हमें नहीं पता, गन्ना किसानों को राहत देने के लिए सहमत है तो गन्ना किसानों के लिए जितने कदम उठाये है उसकी तारीफ करें। गन्ने का भुगतान हमारी सरकार ने किया उसकी तारीफ करें या न करें।

गन्ना का मान्यवर सिर्फ भुगतान ही नहीं, मूल्य इतना बढ़ा दिया उसकी चर्चा करें न करे लेकिन इस संशोधन को यह तो सीधे-सीधे खड़े कोल्हू वाले किसानों को लाभ देने का है, इसको पारित करने के लिए अपना संशोधन वापस लेने की कृपा करें, यह मेरा विनम्र निवेदन है, अगर वह इसको स्वीकार करें।

श्री हुकुम सिंह-

जो बात मैने नहीं कही थी, जो इस विधेयक में कही है भी नहीं, उनका भी आपने उल्लेख कर दिया, गन्ना का भुगतान आपने कर दिया, यह पहली सरकार है इतिहास में उत्तर प्रदेश में जिसके शासन काल में गन्ना के तीन भाव है, एक वह जो सरकार ने दिया जो केवल सरकारी मिलों के द्वारा, सहकारिता की मिलों के द्वारा, निगम की मिलों के द्वारा दिया जा रहा है, दूसरा वह जो उनके डर से मिल वाले खुद दे रहे हैं, तीसरा वह जो आपके द्वारा पैदा किये हुए गन्ना माफिया ले रहे है, आपके द्वारा पैदा किये हुए गन्ना माफिया वह लोग है जो मिल वालों से सौदा करके गन्ना किसानों से सस्ते भाव में गन्ना लेकर 150 तक गन्ना बेच रहें है मिलों को, यह आपकी देन है किसानों के लिए उसका उल्लेख करूँगा मै जब मौका आयेगा, आपने जिस तरह से गन्ना किसानों का शोषण किया है वह इतिहास में कही नहीं हुआ।

दूसरी बात मान्यवर जो चीज है नहीं उसको समाप्त करने का विधेयक आ रहा है। 1986 में संयोग से मै सरकार में था और क्योंकि मै भी एक गन्ना क्षेत्र से आता हूँ, उस समय सैकड़ों अपीलें यहां पर पेण्डिंग थी और बड़ा शोषण होता था, हमने प्रशासनिक आदेश करा कर के इसकी अनिवार्यता समाप्त कर दी थी, जितने भी कोल्हू चल रहे हैं अब तक किसी के ऊपर लाइसेन्स लिया ही नहीं किसी ने। जब प्रशासनिक आदेश हो गया तो अनिवार्यता समाप्त हो गयी। बजट आया है न उसका स्वरूप है, यह संदेश देना है, लाइसेन्स है नहीं समाप्त कर दिया, लाइसेन्स है नहीं कोई लाइसेन्स ले नहीं रहा है, लाइसेन्स के लिए कोई अप्लाई नहीं कर रहा है सब लोग अपना काम कर रहे है, इन्होंने अपना लाइसेन्स समाप्त कर दिया, यह चतुराई है, यह राजनीतिक चतुराई है, इसमें कोई बुराई नहीं है। न जाने कौन-कौन सी 20-20 साल पुरानी फाइलें निकाल करके उनमें से यह निकाले जा रहे है, यह उसी का हिस्सा मान्यवर था। एक बात मैंने कही थी अगर इतने किसानों के आप पक्षधर है, लाइसेन्स समाप्त करने की आवश्यकता थी नहीं, लेकिन आपने समाप्त कर दिया आपने सीधे-सीधे जो मान्यवर खाद्य शोषण

किसानों का हो रहा है उन इकाइयों का हो रहा है जहां आपके प्रतिनिधि के रूप में खाण्डसारी इन्सपेक्टर रोज खड़े रहते है उनका शोषण उत्पीड़न करने के लिए, उसके लिए ले आते, यह बात किसानों तक नहीं लागू है, लेकिन अच्छा बहाना बनाया कि गन्ना तुम्हारा नहीं है किसी और का लाये हो, अपनी पास बुक दिखायें, यह चीजें देखने वाले कौन होते है वह, ओर आपने उसकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया, आपके खाण्डसारी इन्सपेक्टर इन कोल्हुओं के पास जाते है उनसे कहते है कि टोकन दिखाओ हमें, कितना गन्ना तुम्हारे पास में था, कहां से लाये इतना गन्ना, इस बात का शोषण हो रहा है, मोटी-मोटी घूस ली जा रही है, इसकी वाहवाही लूटी जा रही है, इसलिए मै इस संशोधन पर बल दे रहा हूँ।

श्री अम्बिका चौधरी-

खड़े कोल्हू पर कोई गन्ना का क्रय कर लिया ही नहीं जाता है, उसका प्राविधान ही नहीं है, आप जिसकी बात कर रहे है और अगर आपने 1986 में जब आप सरकार में थे, मान्यवर जो प्राविधान आप चाहते थे, जिसको आप मुकम्मल नहीं कर सके, मै समझता था कि आप धन्यवाद देगें इस बात के लिए कि हमसे छूट गया और आपने इसको विधेयक का रूप दे दिया, लेकिन आपका मन तब भी कमजोर था और आधा मन आज भी दागदार है क्योंकि मिल वाले यह अवरोध पैदा कर सकें कानूनी तौर पर इसलिए उनको लाइसेन्स से बांधे रखा, इसलिए अगर किसानों को बचाने के आप हमदर्द होते तो यह संशोधन वापस ले लेते। अब भी वापस ले लीजिए, हम किसानों का हमदर्द आपको मानेंगें। मान्यवर, यह किसानों के हित में लिया जाने वाला कदम हे और मान्यवर, हम चाहेंगें कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाय।

श्री हुकुम सिंह-

किसी मिल वालें ने कोई रिट याचिका, कोई अपील, कोई केस इस बात का किया हो किसी अदालत में चल रहा हो तो बता दें, कोई नहीं चल रहा है, किसी मिल वाले ने आज तक इसके ऊपर कोई आपत्ति किसी अदालत, में, किसी न्यायालय में, किसी अधिकारी के सामने नहीं की है कि उनको लाइसेन्स दिया जाय, कहीं कोई लम्बित नहीं है, बस ऐसे ही अनावश्यक रूप से यह बात कह रहे है, मिल वालों का कोई मतलब ही इससे नही है, डिस्टेन्स का भी प्रतिबन्ध इन पर नहीं है, यह लगा सकते है अपना।

श्री हुकुम सिंह-

केवल खाण्डसारी इकाइयों पर था खाण्डसारी इकाइयॉ आपने समाप्त कर दी है। आपकी अनुकम्पा से पिछले दो साल से वह सारी बन्द पड़ी है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मै आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि बलरामपुर चीनी मिल ने एक रिट याचिका इस मामले में दाखिल की थी लेकिन अदालतों ने उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक, 2006 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाये?

(प्रश्न उपस्थित, किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन), 2006

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1961की धारा 4 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) अधिनियम, 1961 की धारा 4 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप धारा रख दी जायेगी, अर्थात:-

(1) "गन्ना की पेराई द्वारा गुड़ या राब के विनिर्माण या उत्पादन के लिए उर्ध्व कोल्हू या उर्ध्व शक्ति [illegible] कोल्हू को समाविष्ट करते हुए कोई इकाई या ऐसी इकाई जिसने उत्तर प्रदेश खांडसारी शक्कर निर्माताओं को लाइसेंस देने की आज्ञा, 1967 के अधीन कोई लाइसेंस प्राप्त किया है, से भिन्न कोई इकाई, शक्कर आयुक्त से लाइसेंस प्राप्त किये बिना गुड़ या राब के विनिर्माण या उत्पादन से सम्बन्धित कोई प्रक्रिया नहीं करेगी या जिम्मा लेगी:

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1956

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे लाइसेंस को, जो उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर अधिनियम, 1956 के अधीन दिया गया अथवा नवीकृत किया गया हो, या उसके अधीन दिया गया या नवीकृत किया गया अभिप्रत हो, इस अधिनियम के अधीन उस अवधि के लिये, यथास्थिति, दिया गया या नवीकृत किया गया लाइसेन्स माना जायेगा, जिस अवधि के लिए वह दिया गया या स्वीकृत किया गया था, मानों यह अधिनियम पूर्वोक्त अवधि में तथा सारवान दिनांक पर प्रचलित था।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक 2006 पारित किया जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्विविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मै आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

मान्यवर, मैंने संशोधन प्रस्ताव इसलिए रखा है कि जो डेण्टल कालेजों को आप सम्बद्ध करने जा रहे है।

(व्यवधान)

मान्यवर, यह स्थिति तो इस सरकार मे रोज की है। कम से कम माननीय राजस्व मंत्री जी यहाँ पर बैठे तो है और आज जो पूर्वाह्न में यहाँ पर सीन देखने को मिला उसमें एक मंत्री को रोकने के लिए 3-3 मंत्री उनको पकड़े हुए थे। शायद विधान सभा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जो इस तरह का नजारा देखने को मिला और यह नजीर बनेगी।

मान्यवर, इस प्रदेश के जो डेण्डल कालेजों की स्थिति है और उनको आप इस तरह से एक दन्त विज्ञान का विश्वविद्यालय जो आपने लखनऊ में बनाया है, उससे सभी को सम्बद्ध करने जा रहे है। आपने जो महाविद्यालय है, उनके बनाए, जो विश्वविद्यालय है, उससे सम्बद्ध करने का निर्णय लिया है और उसी के फलस्वरूप यह विधेयक लाये है। आपने बजाय जो पहले वह अलग-अलग विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध थे, उससे हटाते हुए लखनऊ स्थिति दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने का काम करने जा रहे है। इसमें आपका आशय यह है कि ताकि वहाँ का प्रशासन सुचारू से चल सके। मान्यवर, 21 डेण्डल कालेज प्रदेश में है। आपने जिस विश्वविद्यालय से इन्हें सम्बद्ध करने की बात की है पहले यह तो देखें कि उसकी स्थिति क्या है? आपको कभी अवसर मिले तो आप जाकर देखें। ईश्वर न करे आपको वहाँ अपने दाँत दिखाने के लिए जाना पड़े। अगर जाना भी पड़े तो किसी प्राइवेट डाक्टर के पास जायें।

मान्यवर, कभी लखनऊ के मेडिकल कालेज स्थित डेण्डल कालेज का पूरे देश में एक स्थान होता था। लोग यहां पर इलाज कराने के लिए आते थे। क्योंकि इसका कोई मुकाबला नहीं था। आज स्थिति यह है कि उस विश्वविद्यालय में जो मशीनें है उनको जंग लगी हुई है। कोई भला आदमी उन्हें देखकर उन कुर्सियों पर बैठना नहीं चाहता है। मान्यवर, घोषणा तो बहुत हो जाती है कि बजट आ गया है। लेकिन वह करोड़ों रूपया कहां जा रहा है? वहां सुधार क्यों नहीं दिखता है? वहां मरीज बरामदों में पड़े है चारपाई पर बैठे हुए है। कोई डाक्टर आपरेशन करने के लिए नहीं आ रहा है। कभी सीनियर डाक्टर हड़ताल पर चले जाते है तो कभी जूनियर डाक्टर चले जाते है। आये दिन वहां पर ओ0पी0डी0 बंद रहती है। पता नहीं क्यों नहीं सरकार का उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है? आप विधेयक ले जाते है और उसमें कह देते है कि यह नयी-नयी व्यवस्था हम बनाने जा रहे है। इससे काम चलने वाला नहीं है। होना तो यह चाहिए कि जो वहां की क्षमता है उस विश्वविद्यालय का जो मेन व्यवसाय है जो उसकी स्थापना का उद्देश्य है वह सही तरीके से दुरुस्त हो। उसमें सुधार हो। जब तक आप वहां की क्षमता का पूरी तरह से सदुपयोग करना सुनिश्चित नहीं करेंगे तब तक वहां अच्छा काम होने वाला नहीं है। मेरठ में मान्यवर मेडिकल कालेज है डेण्टल भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। इससे इस तरह से बहुत कुछ फायदा नहीं होगा जो आप कर रहे है।

यह आपकी बात भी सही है थोड़ा सा स्थान का परिवर्तन हो जाता है जब वहाँ पर बैठ जाते हैं तो लगता है कि सब ठीक हो रहा है। यही मानसिकता सारी बीमारी की जड़ है। चाहे वह इस पक्ष में बैठे हों या उस पक्ष में बैठे हुए हो। जब तक हम स्वत: ही इस बात का अनुभव न कर ले के वहाँ पर आम जनता पर क्या गुजर रही है मै तो मान्यवर, कभी गया भी हूँ और मैंने देखा है कि बरामदे मे लोग लेटे हुए है जब तक उनका नम्बर नही आ रहा है। वही बरामदे मे बैठकर उनका भोजन भी बन रहा है चार आदमी उनके घर से भी वहाँ आये हुए है उनके बैठने का स्थान कही नहीं है। क्या विश्वविद्यालय चला र. है क्या मेडिकल फैसिलिटी हम दे रहे हैं क्या जनता को सुविधा हम दे रहे है, इसके ऊपर चिन्ता होनी चाहिए। आज दन्त चिकित्सा ने बहुत ज्यादा विकास किया है हरक्षेत्र के विकास मे दन्त चिकित्सा आज कहाँ से कहाँ पहुँची है? आज यहाँ के लोग दांतो के सौन्दर्य के लिए लदन आते हैं वहाँ ठीक कराकर आते है। करोड़ों रूपया इस पर खर्च करके आते है। कितने लोग आज यहाँ के जागरूक हो गये हैं उस जागरूकता के साथ हमारी चिन्ता यह होनी चाहिए कि लखनऊ जैसे राज्य के मुख्यालय जो हमारे राज्य का मुख्यालय है वहाँ का जो विश्वविद्यालय आपने बनाया है उस विश्वविद्यालय की स्थिति को हम सुधारे। तब जा करके इन्हें सम्बद्धीकरण करने से कुछ सुधार आयेगा केवल सम्बद्ध करके एक विश्वविद्यालय से हटाकरके दूसरे विश्विविद्यालय से जोड़ देने से यह मात्र पर्याप्त नही है। तो मैं मान्यवर, इस संशोधन के माध्यम से इसलिए मैं प्रवर समिति की बात कह रहा था अब कुछ आदत ऐसी हो गयी है प्रवर समिति का नाम सुनते ही लोग सोचते है कि यह औपचारिक है केवल इसमें कोई सार नही है, नहीं, हम लोग की आदत नहीं रही है। प्रवर समिति को सौपने का मतलब ही यह है कि जब सदन के सम्मानित सदस्य वहाँ पर बैठेंगे तो उस सारे प्रकरण पर गम्भीरता से विचार कर पायेंगे। उनको एक अवसर मिलेगा। इस पक्ष के भी होंगे मान्यवर, और उस पक्ष के भी होंगे और हो सकता है कि जाकर के एक दो कालेज का भ्रमण भी कर लें वह, हो सकता है डाक्टरो से मिलकर उनको इस बात की भी जानकारी हो जाय कि क्या क्या कमियां है वहाँ पर है और उसके लिए सरकार को सुझाव दे सकें वह। मेरा आशय कोई अवरोध पैदा करने का नहीं है। लेकिन मेरा आशय सुधार को आगे बढ़ाने का है। इसलिए मेरा आग्रह है कि जो भारसाधक मंत्री हैं, या तो उनको पढ़ने को नहीं मिला। इसके एक राज्य मंत्री भी है वह भी शायद आज नही है कितना लाइटली सब ले रहे हैं। अम्बिका जी यहाँ बैठे है। ठीक है, यहाँ बैठकर अपना इधर उधर घुमा देते थे उसी शालीनता के साथ से उधर भी काम चला रहे है। लेकिन यह कोई उचित बात नहीं है, क्या विधेयक लायेंगे न कैबिनेट मंत्री होंगे, न राज्य मंत्री होंगे। मान्यवर, यह पहला मौका है, यह संज्ञान नही लेते, कभी सामने का संज्ञान नहीं लेते मान्यवर, दीर्घा का संज्ञान लेना मेरा काम नहीं है विभाग का ही है विभाग का अधिकारी सचिव, प्रमुख सचिव निदेशक, इतनी शालीनता भी नहीं है कि इस विधान सभा में आकर उपस्थित हों कि तुम्हारे विभाग का विधेयक पेश होने वाला है।

कोरम के प्रति सदन का ध्यानकर्षण

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, कोरम दिखा लें , कोरम नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है बिना कोरम के विधेयक पर चर्चा हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

दिखवा लीजिए कोरम है कि वही

(लाबी में बैठे सदस्यों के सदन में आ जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब कोरम पूरा हो गया है।

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2006 (क्रमागत)

श्री हुकुम सिंह-

मुझे अफसोस है कि जो लोग आराम फरमा रहे थे उनके आराम में मैंने बाधा पैदा की, अच्छा स्थान है यहाँ सोने का इतना अच्छा स्थान तो घर में भी नहीं है। मान्यवर, मैं इस बात पर बल देना चाहता हूँ कुछ इस बात पर विचार करें माननीय मंत्री जी। जो बिन्दु मैंने उठाये है, अगर उन बिन्दुओं में सार आप समझते हैं तो प्रवर समिति का निर्माण कर दें ताकि सारे बिन्दुओं पर विचार हो जाय, इससे प्रदेश की करोड़ों जनसंख्या का भला होगा। केवल बिल पारित कराने और कानून बना देने से आम आदमी का भला नहीं होगा। ऐसे-ऐसे बैठे हैं, अपने आपको डाक्टर कहलाने वाले लोग। आपको बसों में रूमाल से दांत निकालकर दिखा देंगे। गली-गली में दंत चिकित्सक बैठे है, जो लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे है। अगर ऐसी समस्यायें न हों तो ठीक है, आप हाँ न में पास करा लें। परन्तु ऐसी समस्याये है, इसलिये हमारा यह दायित्व बनता है कि एक जिम्मेदार प्रवर समिति का निर्माण करके हम इन पहलुओं पर विचार करके प्रस्ताव ले आये तो शायद इस प्रदेश की जनसंख्या का कल्याण हो जायेगा।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो संशोधन विधेयक के रूप में प्रस्तुत हुआ है, उस संदर्भ में माननीय हुकुम सिंह जी ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में मैं कुछ कहना चाहूँगा। लखनऊ में किंग जार्ज मेडिकल कालेज था, जिसको विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और डेन्टल कालेज किंग जार्ज मेडिकल कालेज का हिस्सा था। मान्यवर, सरकार का यह दायित्व होता है कि प्रदेश के अन्दर चाहे मेडिकल शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे तकनीकी शिक्षा हो, उसमें क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिये। वर्ष 2003 में वर्तमान सरकार ने जो डेन्टल कालेज था, उसको डेन्टल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। उस समय की क्या स्थिति थी, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि 1949 में इस डेन्टल कालेज का देश के सर्वाधिक अच्छे प्रतिष्ठानों में सम्मान होता था। जब से डेन्टल कालेज को डेन्टल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, उससे पहले तक केवल यह एक संकाय था और उसमें 7 विभागों के अन्तर्गत मात्र 25 शिक्षक ही थे और 70 छात्र थे। मान्यवर, उस समय लेक्चरर के 29, रीडर के 14 और प्रोफेसर के 6 पदों के सापेक्ष मात्र 25 शिक्षक थे। मैं जानना चाहूँगा कि सरकार को कौन सी आफत आ गयी थी कि डेन्टल कालेज जो अच्छा चल रहा था, उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। कही पर भी जब यूनिवर्सिटी बनाई जाती है तो उसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान देता है और तब 7 संकाय होने चाहिये। अब एक संकाय है तो इस हिसाब से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इसे कभी भी अनुदान नही मिलेगा। तो इस तरह की सोच इस सरकार की क्यों आयी, यह मैं प्रश्न करना चाहता हूँ। हमारा जो उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 है, इसमे जो उद्देश्य और कारण बताये गये है कि यह डेन्टल

यूनिवर्सिटी है और प्रदेश के अन्दर निजी क्षेत्र में जितने भी डेन्टल कालेज खोले गये है, जिनकी संख्या 21 है उन सबका आपस में सामंजस्य बनाने के लिये इसको लाया गया है। तो मान्यवर, इस विधेयक के तहत सभी प्राइवेट कालेजों को लाया जा रहा है, मैं प्रश्न करना चाहता हूँ कि एक तो डेन्टल यूनिवर्सिटी है और उसके अन्तर्गत 21 डेन्टल कालेजों को आप लायेंगे तो दबाव किसका होगा? निजी क्षेत्र के कालेजों का होगा। डेन्टल यूनिवर्सिटी थी तो आटोनमस थी। लेकिन अब इसका एफीलियेटिंग करेक्टर हो जायेगा। इसमें हमारा यह भी कहना है कि प्रदेश के अन्दर जितने भी डेन्टल कालेज चल रहे है, डेन्टल कौन्सिल आफ इन्डिया के जो मानक है, उसके अनुरूप वह कार्य कर रहे है। इस बात को भी देखे जाने की आवश्यकता है कि जिन्होंने निजी क्षेत्र में डेन्टल कालेज तो खोल लिया, लेकिन क्या वह उन मानकों को पूरा करते है कि नहीं, इसका परीक्षण करा लिया जाय.....

[समय 2 बजकर 20 मिनट]

...मान्यवर, यह डेन्टल यूनिवर्सिटी, जिसके तहत यह कॉलेज आयेंगे, यह विधेयक अनुदान आयोग के मानकों को पूरा करे। वहाँ पर अच्छे डॉक्टर होने चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, तभी वहाँ लोग जायेंगे। अभी इसमें बहुत कमी है, आज डेन्टल कॉलेज के अन्दर सरकार ने शुल्क निर्धारित कर दिया है, प्रक्रियाओं को निर्धारित कर दिया है कि कैसे प्रवेश हो, लेकिन बिना डोनेशन के मान्यवर, प्रवेश नहीं हो रहा है, इसलिए मान्यवर, प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और सरकार जो शुल्क निर्धारित करे, उसके तहत् प्रवेश हो। मान्यवर, मैं इसके उद्देश्य और कारणों को पढ़ रहा था, इसमें बताया गया है कि निजी क्षेत्र के जो 21 डेन्टल कॉलेज है, उनमें एकरूपता लाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। जितनी धाराओं में संशोधन किया गया है और यह संशोधन क्यों किया गया है, इसके पीछे भी कारण है। जो मूल अधिनियम की संगत धारा-8 थी, निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली या किसी बैठक में सम्मिलित होने के लिए उसके द्वारा नामित उस संस्थान का एक आचार्य रहेगा, इसमें संशोधन किया जा रहा है, मूल अधिनियम की धारा-8 के स्थान पर कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ कर दिया गया है, इसमें परिवर्तन की क्या आवश्यकता थी। धारा-12 में था कि प्रति कुलपति, यदि कोई हो, इसमें मूल अधिनियम की धारा-12 में खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा अर्थात् प्रति कुलपति की जगह पर संकाय का अध्यक्ष, आखिर इसे रखने का क्या औचित्य है? इसी तरह से धारा14 में मान्यवर, जब तक कि उपधारा (1) या उपधारा (5) या उपधारा (10) के अधीन नियुक्त कुलपति अपने पद का कार्यभार न संभाल ले तब तक प्रति कुलपति, यदि कोई हो, अथवा जहाँ प्रति कुलपति न हो विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम् आचार्य कुलपति के कर्त्तव्यों का भी निर्वहन करेगा, इसमे भी सरकार संशोधन कर रही है, मूल अधिनियम की धारा-14 मे उपधारा (11) में शब्द प्रतिकुलपति, यदि कोई हों, अथवा जहाँ प्रतिकुलपति न हो, वहाँ विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम आचार्य के स्थान पर शब्द "ज्येष्ठतम आचार्य" रख दिये जायेंगे, इस संशोधन के पीछे मान्यवर, बहुत गलत अंदेशा लग रहा है। धारा-15 में, यदि कुलपति आवश्यक समझे तो विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी एक को प्रतिकुलपति नियुक्त कर सकेगा, इसी धारा के क्रम सं0 -2 में है कि 'उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रति कुलपति अपने कर्त्तव्यों का पालन आचार्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों के अतिरिक्त करेगा,' क्रम सं0-3 में है कि प्रति कुलपति, कुलपति के प्रासाद पर्यन्त पद धारण करेगाङ क्रम सं0-4 में है कि प्रति कुलपति, को एक हजार रूपए प्रतिमास मानदेय मिलेगाङ और क्रम सं0-5 में है कि प्रति कुलपति, ऐसे मामलों में कुलपति की सहायता करेगा, जिन्हें

कुलपति समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें तथा कुलपति की अनुपस्थिति में वह विश्वविद्यालय के अधिवेशनों का सभापतित्व करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो उसे कुलपति द्वारा सौंपे या प्रत्यायोजित किये जाएं इसमें मान्यवर, संशोधन करके धारा-16 निकाल दी जाएगी अर्थात् पद ही समाप्त कर दिया जाएगा। इसी तरह से मान्यवर, धारा-22 (ख) प्रति कुलपति, यदि कोई हो धारा-27 (2) में है कि विधान परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात एक कुलपति दो प्रति-कुलपति, यदि कोई हो (तीन) दोनों संकायों के संकायाध्यक्ष और (चार) विश्वविद्यालय के सभी अन्य विभागाध्यक्ष, यह लोग विद्या परिषद् में रखे गये थे। मान्यवर, इसमे भी संशोधन पैरा-27 में किया जा रहा है, इसके तहत मूल अधिनियम की धारा-27 की उपधारा-2 में (क) खण्ड (दो) निकाल दिया जायेगा, खण्ड (तीन) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात-"(तीन) संकायाध्यक्षछ, (ग) खण्ड (चार) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात- (चार) विश्वविद्यालय के दंत विज्ञान संकाय के दो सेवानिवृत्ति संकायाध्यक्ष,"

मान्यवर, विश्वविद्यालय की कार्यशैली से हम परिचित है। कोई विद्या परिषद होती, एकेडिमिक काउंसिल, हाइएस्ट एकेडेमिक बॉडी होती उसमें हर डिपार्टमेंट का रिप्रिजन्टेंशन होना चाहिए। इसलिए मान्यवर, जो अधिनियम बना था, विधेयक पारित हुआ था, उसमें सभी डिपार्टमेंट के हेड का प्राविजन कर दिया गया था। इस संशोधन के माध्यम से इसे हटाया जा रहा है तो मैंने और माननीय हुकुम सिंह जी ने यहाँ पर संशोधन का सुझाव दिया है कि अगर इतनी सारी धाराये इसमें लायी गयी है, तो इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए ताकि जो सारी धाराओं में संशोधन किया जा रहा है उस पर विचार कर ले, जिससे प्रदेश के अन्दर डेण्टल कालेजेज, डेण्टल यूनिवर्सिटी के अन्दर सही ढंग से कार्य कर सके। इस पर विचार कर लिया जाए तभी इसको पारित करना उचित होगा।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मानीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय हुकुम सिंह जी ने जो संशोधन का प्रस्ताव इस विधेयक पर रखा है और जो उन्होंने विचार रखे है उस पर विचार रखने के इस क्रम में जो संशोधन को रखा गया है उस पर कृपापूर्ण कोई टिप्पणी नहीं की, इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। श्रीमन्, उन्होंने दूसरी बातें कही है और वह बातें सचमुच ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि घोषणायें होती है कि इतना इंतजाम हो जायेगा और यह देखने की आवश्यकता है कि उन घोषणाओं के अनुरूप सचमुच में ही धन की व्यवस्था हो गयी है या नहीं। यह महत्वपूर्ण विषय है। जो हमारा डेण्टल कालेज किंग जार्ज मेडिकल कालेज में था जिसकी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा सारे हिन्दुस्तान में थी, वह संस्थान अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप काम कर रहा है या नही इस पर ध्यान देने की सर्वाधिक आवश्यकता है। मैं, मा0 हुकुम सिंह जी ने जो कहा उससे पूर्णतया सहमत हूँ और सचमुच में उसकी प्रतिष्ठा को, उसी अनुसार ही पुन: स्थापित करके वहाँ ले आया जाऐ इस पर चिन्ता करने की आवश्यकता सबको है। अगर प्रतिपक्ष चिंता कर रहा है तो हम सजग प्रतिपक्ष कहेंगे। लेकिन श्रीमन्, औपचारिकता के नाते संशोधन रख दिया है और संशोधन क्यों, अभी मा0 गौर साहब भी कह रहे थे और मा0 हुकुम सिंह जी ने भी कहा है और ध्यान इस बात पर देना है कि जो 21 डेण्टल कालेजेज है, डेण्टल काउंसिल आफ इण्डिया के अनुसार मानक के अनुरूप उनमें पढ़ाई होती है या नहीं, मानक के अनुरूप लैबोरेटरी है या नहीं, मानक के अनुरूप अध्यापक रखे जाते है या नहीं और यही इस विधेयक की सबसे बड़ी बात है कि उनकी बेहतर मॉनीटरिंग हो सके, इन चीजों पर समुचित और सम्यक ढंग से नियंत्रण हो सके, उन पर नियंत्रण करके इसकी समुचित व्यवस्था की जा सके इसीलिए यह विधेयक है। यह संशोधन

लाने का मूल उद्देश्य ही यही है जो आपकी चिन्ता का विषय है। आखिरकार इन 21 डेण्टल कालेजेज में क्या स्थिति है, मानक के अनुरूप काम कर रहे है या नहीं कर रहे है, लड़के अच्छे दंत चिकित्सक होंगे या नही? हम इसकी खोई प्रतिष्ठा वापस ले आयेंगे या नहीं। इसलिए श्रीमन्, उन्होंने प्रकारान्तर से हमारे आज के इस विधेयक का कोई विरोध नही किया है। औपचारिक संशोधन रख दिया है। दूसरी बात गौर साहब कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि यह मूल अधिनियम की धारा-22 में उपधारा-एक में खण्ड-1ख के स्थान पर कुलपति किंगजार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय क्यों रखा गया? मान्यवर, अगर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा नामित कोई व्यक्ति रखा जाए और उसके स्थान पर हमारे यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर का नाम किंगजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का रखा जाए तो उसमें आपत्ति का क्या विषय है, यह बात समझ में नहीं आयी और जिन प्राविधानो के बारे में गौर साहब कह रहे थे कार्यवाही निकलवा लीजिएगा, पिछली बार जब यह विधेयक रखा जा रहा था तो जिन प्राविधानों पर गौर साहब को आपत्ति थी उन प्राविधानों में संशोधन किया गया तो यह कह रहे है कि क्यों किया गया? उस समय इन्होंने कहा कि क्यों रखा गया? अब कहते है कि क्यों हटाया गया? उनके इस क्यों का अर्थ समझ में आना मुश्किल है, फिर भी उन्होंने इस संशोधन का व्यक्तिगत रूप से कोई विरोध नहीं किया है। मैं अनुरोध करता हूँ कि माननीय हुकुम सिंह जी अपना संशोधन वापस ले लें और सर्वसम्मति से संशोधन पास करें। 21 डेण्टल कालेजेज को संबद्ध किया जाना आवश्यक इस हिसाब से है कि एक जमाना था एक अकेला डेण्टल कालेज था, 70 लड़के पढ़ते थे आज प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं को भी जितनी बड़ी आवश्यकता है खासकर दंत चिकित्सा के क्षेत्र में अगर इतने डेण्टल कालेज खुले है तो उनकी क्वालिटी के हिसाब से विशेष दृष्टि रखना आवश्यक है। इसलिये इनको इससे संबद्ध किया जाना आज के समय की अनिवार्य आवश्यकता है, आप इससे सहमत है हीं इसलिये इस संशोधन के प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैंने पूर्व में कहा था कि हम संशो[illegible]व क्यों लाये हैं। इसमें जो कमियां हैं उन पर विचार किये जाने की आवश्यकता है। आप भी सहमत होंगे [illegible]भीरता से इसको देखना चाहिये। गंभीरता से देखने के लिये एक फोरम होना चाहिये। वह फोरम कौन सी होगा, वह मंत्री का कक्ष नहीं हो सकता क्योंकि वहां पूरा काम नहीं किया जा सकता। आज स्थिति क्या है, इतना महत्वपूर्ण विधेयक लाये हैं, कैबिनेट मंत्री से लेकर राज्य मंत्री तक और आपके डिप्टी सेक्रेटरी से लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक मौजूद नहीं है। इससे ज्यादा दयनीय स्थिति क्या हो सकती है। मैं आपको प्रवर समिति के माध्यम से एक फोरम उपलब्ध करा रहा हूँ। वहां पर लोग आ[illegible] और अपना-अपना पक्ष रखेंगे और उन पर विचार होगा। आज 21 मेडिकल कालेज जो है उनकी स्थिति क्या है। खाली आप एफीलियेट करके उनको सुधार देंगे और लखनऊ में बैठकर सुधार देंगे क्या। अगर आपको सुधार करना है तो निश्चित रूप से इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। आज हालत यह हो रही है सस्ते से सस्ते वेतन पर लोग रखे जा रहे हैं और बच्चों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। आज मेडिकल कालेज ऐसे हैं जिनके बारे में मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया ने कह दिया है कि इनको बंद कर दीजिये । बच्चों से मोटी-मोटी फीस ली जा रही है। मेरठ में हालत यह है कि वहां जो निजी क्षेत्र के डेंटल कालेज है वहां पर रोज छात्रों की हड़ताल होती है। उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया नें कह दिया है हम मान्यता नहीं देंगे। तो यह जो कमियां है इनको देखते हुये मैंने कहा है, प्रवर समिति की बात कही है। प्रवर समिति

बन जायेगी तो वहां अधिकारी आयेंगे, विचार होगा। इस समिति के आप अध्यक्ष बन जायं या संसदीय कार्य मंत्री जी की अध्यक्षता में यह समिति बन जाय तो अधिकारियों को बुलाकर बातचीत से कमियां दूर की जा सकती हैं। इसीलिये मैं प्रवर समिति के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिह गौर-

मान्यवर, मैंने एक-दो बातें उठायीं थीं। आज जो डेंटल कालेजों की व्यवस्था है वह ठीक नहीं है। डेंटल काउंसिल आफ इंडिया ने माना है कि प्रदेश के अंदर जो प्राइवेट कालेज चल रहे हैं उनके लिये एक हाई लेविल जांच की जाय जिससे छात्रों का एक्सप्लाइटेशन न हो सके। चाहे इंजीनिरिंग कालेज हों, मेडिकल कालेज हों आज प्राइवेट सेक्टर में जो कालेज है उनमें परमानेंट फैकल्टी का प्राविजन है लेकिन एडहाक बेसिस पर लोगों को रखा जाता है और 2 साल बात उनको निकाल देते है। सरकार को इस सारे परिप्रेक्ष्य पर विचार करना है। डेंटल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आयेंगे तब इनकी वर्किंग ठीक हो सकती है। चूंकि इसके बारे मे कुछ नहीं बताया गया है इसलिये मै अपने प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अम्बिका चौधरी-

आपने जो पूर्व में सुझाव दिये हैं उनका संज्ञान लिया गया है और बजट में प्राविधान किया है। जब सारे कालेज यूनिवर्सिटी से संबंद्ध होंगे तो नियंत्रण बेहतर होगा। आपने जो चिंता व्यक्त की है सरकार उसको गंभीरता से लेती है और लेते हुये इनको यूनिवर्सिटी से संबद्ध करने की बात करती है। अगर आप आरक्षण के नियमों के सुनिश्चित प्राविधान के विरुद्ध हैं तो आप स्पष्ट रूप से कहते कि हम आरक्षण के नियमों के विरुद्ध है तो हम समझ पाते। इसका उल्लेख आपने नहीं किया। मूलरूप से जो आपकी पीड़ा है और आपने जिन बातों की ओर ध्यान दिलाया है उनका समुचित ध्यान रखा जायगा और कालेजों को हम डेंटल काउंसिल आफ इंडिया के इंस्ट्रक्शंश के हिसाब से चलाना सुनिश्चित करेंगे।

इसीलिए यह संशोधन है। मेरा अनुरोध है कि आप अपने संशोधन प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री हुकुम सिंह-

आपकी जो पीड़ा है मैं उससे चिन्तित हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-15 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 का अग्रतर संशोधन कने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2004 की धारा 4 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

"(झ) खाली पड़ी हुई भूमि को तथा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों के वर्तमान अधिभोग में रहने वाले आवासीय गृहों को किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय की आपसी सहमति से यथानुपात बांटा जायगा।"

नई धारा 4-क का बढ़ाया जाना

3- मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

4-क(1) विश्वविद्यालय की अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगी।

विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को राज्य में दन्त विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने वाला प्रत्येक महाविद्यालय या संस्था ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाय, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हुआ समझा जाएगा, और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा या उसके अधीन स्थापित विश्वविद्यालय, जिसे आगे इस धारा में पूर्व विश्वविद्यालय कहा गया है, से सम्बद्ध या सहयुक्त नहीं रह जाएगा:

परन्तु ऐसे दिनांक को जो इस धारा के अधीन अधिसूचित किया जाय, विद्यमान महाविद्यालय से भिन्न किसी महाविद्यालय या संस्था में दन्त विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र को पूर्व विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन पूरा करने की अनुमति होगी और पूर्व विश्वविद्यालय ऐसे छात्रों की परीक्षा का आयोजन करेगा और पूर्व विश्वविद्यालय में तत्समय प्रवृत्त प्रक्रिया के अनुसार उसे उपाधि या कोई अन्य शैक्षिक विशिष्टता प्रदान करेगा :

परन्तु यह और कि सम्बद्धता की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायं।

धारा 8 का संशोधन

4- मूल अधिनियम की धारा 8 में (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

" (ज) कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ,"

धारा 12 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 12 में खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

" (ग) संकाय का अध्यक्ष,"

धारा 14 का संशोधन

6- मूल अधिनियम की धारा 14 में उपधारा (11) में शब्द "प्रतिकुलपति, यदि कोई हों, अथवा जहां प्रतिकुलपति न हो, वहां विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम आचार्य" के स्थान पर शब्द ज्येष्ठतम आचार्य रख दिये जाएंगे।

धारा 16 का संशोधन

7- मूल अधिनियम की धारा 16 निकाल दी जाएगी।

धारा 18 का संशोधन

8- मूल अधिनियम की धारा 18 में उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :-

"(4) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की सम्यक अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा। वह कार्यपरिषद, सभा, विद्या परिषद, प्रवेश समिति तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के लिये चयन समिति का पदेन सचिव होगा और वह इन प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने के लिये बाध्य होगा, जो उनके कार्य सम्पादन के लिये आवश्यक हों। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा विहित किये जाएं या कार्यपरिषद् या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित किये जायं किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा।"

धारा 21 का संशोधन

9- मूल अधिनियम की धारा 21 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित की जाएगी और यथा पुनर्संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-

" (2) उपधरा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारियों में ऐसे स्थानों पर, जहाँ एक से अधिक व्यक्तियों के चयन या निर्वाचन का उपबंध हो, वहां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, उस निमित्त उपबंधित आरक्षण के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा। इसी प्रकार से पदोन्नति के लिए गठित की जाने वाली चयन समितियों में और किसी अन्य समिति में भी आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व अत्यावश्यक होगा।"

धारा 22 का संशोधन

10- मूल अधिनियम की धारा 22 में उपधारा (1) में खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

"(ख) कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय।"

11- मूल अधिनियम की धारा 23 में उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :- धारा 23 का संशोधन

"(9) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंध और आरक्षण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश और अनुदेश, विश्वविद्यालय के प्रत्येक विद्यमान शिक्षण या शिक्षणेत्तर कर्मचारिवर्ग में सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए लागू होंगे। धारा 27 का संशोधन

12-मूल अधिनियम की धारा 27 में उपधारा (2) में,- धारा 27 का संशोधन

(क) खण्ड (दो) निकाल दिया जाएगा,

(ख) खण्ड (तीन) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

"(तीन)-संकायाध्यक्ष"

(ग) खण्ड (चार) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्

"(चार) विश्वविद्यालय के दन्त विज्ञान संकाय के दो सेवानिवृत्त संकायाध्यक्ष"

13-मूल अधिनियम की धारा 28 में, उपधारा (1) में खण्ड (घ) निकाल दिया जाएगा। धारा 28 का संशोधन

14- मूल अधिनियम की धारा 34 में, उपधारा (2) में, शब्द और अंक धारा 32 के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 33" रख दिये जाएंगे। धारा 34 का संशोधन

15-मूल अधिनियम की धारा 46 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "धारा 11" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 12" रख दिये जाएंगे। धारा 46 का संशोधन

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-15 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बनें जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य में कन्या-भ्रूण हत्या पर अविलम्ब प्रभावी रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दिनांक 8 अगस्त, 2005 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से यह विषय ऐसे दिन लगता है जिसके अगले दिन छुट्टी होती है जिससे यहाँ पर उपस्थिति कम रहती है। कन्या-भ्रूण हत्या ऐसा विषय है जो पूरे समाज को उद्वेलित किए हुए है। 1972 मे एम0टी0 कानून बनाकर गर्भपात को वैध घोषित किया गया था उसके कारण वर्ष 1985 में यह देखा गया कि पुरुष बच्चा और स्त्री बच्चे में चार से पांच प्रतिशत का अन्तर आया है। जब यह देखा गया कि इस कानून से अन्तर बढ़ा है तो वर्ष 1994 में कानून बनाया गया जिसके तहत अल्ट्रा साउंड के माध्यम से लिंग निर्धारण को अवैध घोषित किया गया। आप भी सहमत होंगे यहाँ पर जितने भी सदस्य उपस्थित है वह सहमत होंगे कि किसी भी भ्रूण की गर्भ में हत्या कराना अमानवीय कृत्य है। यह किसी के जीने के अधिकार को वंचित करने का कृत्य है यह मानव अधिकार का भी हनन है। इसके लिए जनजागरण की आवश्यकता है। इसके कारण क्या है इसको देखना पड़ेगा। हमारे समाज में महिला की स्थिति दोयम दर्जे की बना दी गई है। महिलाओं की समाज मे महत्वपूर्ण भूमिका हो जाय तो हम कन्या-भ्रूण हत्या रोकने में सफल हो सकेंगे एक बात और है शिक्षा और कन्या-भ्रूण हत्या में 36 का आंकड़ा है। केरल इसका उदाहरण है। केरल में महिला की साक्षरता शत प्रतिशत है। इसलिए केरल मे महिला और पुरुष के लिंग अनुपात में कोई कमी नहीं है। प्री कन्स्प्सन और प्री नेटल डायग्नोस्टिक तकनीक (लिंक चयन पर रोक) अधिनियम 1994में तीन वर्ष की कैद व 50 हजार के जुर्माने का प्राविधान किया गया है। उसके बाद भी आज धीरे धीरे यह स्थिति आई है कि 1000 मेल चाइल्ड पर 940 फीमेल चाइल्ड पैदा होने की संख्या है उत्तर प्रदेश के कई शहरों का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ आगरा में देहात में 1000 मेल बच्चे व 849 फीमेल बच्चों का अनुपात है। आगरा शहर मे यह 1000 मेल बच्चों में 891 फीमेल बच्चे है। अलीगढ़ में देहात में 1000 पर 979 शहर में 880, इटावा मे देहात में 1000 पर 900 व शहर में 897 है।

(इस समय 2 बजकर 41 मिनट पर अधिष्ठाता श्री वसीम अहमद पीठासीन हुए।)

जौनपुर देहात में 886 जौनपुर शहर में 842 वाराणसी देहात मे 919 वाराणसी शहर में 906 आजमगढ़ देहात में 944 आजमगढ़ शहर में 896 महिला बच्चे पैदा हो रहे है जब तक हम इसको पाप के रूप मे नही लेगे तब तक यह मानकर चले कि हम इसको रोक पाने मे असमर्थ है। जनगणना के अनुसार 1901 मे एक हजार पर 962, 1991 में 964, 1921 मे 955 1961 मे 935, 1971 में 930, 1977 में 922, 1988 में 915, 1991 में 900 और 1994 में 1000 पर 815 फीमेल चाइल्ड पैदा हो रहे है। क्रमशः इसमें बहुत तेजी से गिरावट हो रही है। आठवी कक्षा में प्रवेश करने वाले बच्चों का एक बार सर्वेक्षण हुआ। जिसमें पता लगा कि आठवीं मे प्रवेश करने वाले बच्चों में 39 प्रतिशत लड़के और 29 प्रतिशत लड़कियों ने दाखिला लिया। इसमें जो समाज की मानसिकता है कि वह औरत को दोयम दर्जे का मानते हैं। उसको केवल बाजारू समझते है केवल भोग की वस्तु समझते है। इसी कारण से यह लड़कियों की सख्या धीरे धीरे घट रही है। और यह सच कहने में मुझे कोई संकोच नही है किऐसी स्थिति में धीरे-धीरे समाज में लड़कियां दुर्लभ हो जायेगी। आज मुझे यह कहने में कोई संकोच नही है कि ऐसी स्थिति में लडकी गर्भ से चिल्ला चिल्ला कर अपनी माँ से कह रही है कि मुझसे मेरे जीने का हक मत छीनो। इसके लिये कहीं न कहीं

सामाजिक कारण है। इंडियन मेडिकल एसोसियेशन ने देश में एक सर्वेक्षण करवाया था सर्वेक्षण में यह उभरकर सामने आया था कि देश में प्रतिवर्ष 50 लाख कन्या-भ्रूण की हत्या हो रही है। यह कन्या-भ्रूण हत्या का कारण यह है कि अल्ट्रा साउन्ड के माध्यम से पता चल जाता है कि गर्भ में कन्या है या बालक। अल्ट्रा साउन्ड होने से पता चल जाता है कि गर्भ में लड़की है तो उसको गर्भपात के माध्यम से समाप्त कराया जाता है। यह आई0एम0ए0 के एक सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि सन् 2000 में दो लाख 77 हजार शिशुओं में 1 लाख 74 हजार बाल शिशु थे और 1 लाख 43 हजार कन्या शिशु थे। मान्यवर, यह स्थिति दिल्ली की हो गई है जो दिल्ली पढ़ी लिखी कहलाती है। इसके लिये कहीं न कहीं तक सरकार भी दोषी है। इसको अगर मैं सरकारी प्रोत्साहन कहूँ तो उसमें कोई गलत नहीं होगा। परिवार कल्याण विभाग भी जहाँ तक इसके लिये जिम्मेदार है क्यों हम जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहते थे और जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिये गर्भपात की गोलियां और अन्य जो प्रचार प्रसार साधन हमारे द्वारा ही दिये गये उसी का परिणाम यह आया कि जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ कन्या शिशु के जन्म का प्रतिशत इस उल्लेखनीय मात्रा में गिरा जो समाज के लिये चिन्ता का विषय है और सरकार ने भी बेटियों की घटती संख्या पर आंसू बहाये हैं लेकिन अन्दर ही अन्दर परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में गर्भपात को बढ़ावा दिया है। 1951 में जनसंख्या के अनुसार महिला पुरुष का अनुपात एक जैसा था। एक हजार पुरुष पर 976 महिला, 1961 में 964, 1971 में 962, 1981 में 945 और उसके बाद जब से अल्ट्रा साउन्ड का प्रचलन हुआ यह संख्या घटकर 945 पर आ गई। मान्यवर, मैंने केरल का उदाहरण दिया वहाँ प्रति हजार पुरुष पर 1058 रहा है। यह इसलिये है क्योंकि वहाँ पर महिलाएं जागरूक हैं। वे अवैध तरीके से गर्भधारण का विरोध करती है और गर्भपात कराने में सहयोग नहीं करती है। मैं इसी के साथ एक निवेदन यह करना चाहता हूँ कि कन्या-भ्रूण हत्या को यदि सज्ञेय अपराध मानते हुए 302 की श्रेणी में लिया जाय तो जिस चिन्ता से आज समाज ग्रसित है उस चिन्ता के आधार पर कन्या-भ्रूण हत्या को रोक पाने में सफल हो पायेंगे। इसके साथ साथ हमको यह भी देखना होगा कि इसके पीछे कारण क्या है। भारत में भ्रूण कन्या हत्या के पीछे तमाम ऐसे कारण हैं जैसे कि पुत्र प्राप्ति की चाहत और कन्या शिशु के साथ भेद भाव। महिलाओं में सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक असुरक्षा की भावना, अविश्वास, महिलाओं के प्रति समाज का गलत नजरिया, समाज में प्रचलित दहेज कुप्रथा, गर्भावस्था के दौरान विभिन्न जाँच की सुविधा आसानी से उपलब्ध होना, चिकित्सीय नैतिकता में कमी आना, मान्यवर, कुछ विशेष राज्य सरकार द्वारा दो बच्चों के नीति के प्रोत्साहन के कारण, हम मानकर चलते हैं कन्या शिशु का जन्म कम हो रहा है। इसका प्रभाव क्या आ रहा है। मान्यवर, गिरते लिंगल के कारण इस असंतुलन से मान्यवर औरतों के खिलाफ अपराधों में वृद्धि तो हो ही रही है बल्कि इसके कारण भौतिक शारीरिक मनोकुवृत्तियां भी बढ़ रही है बार-बार गर्भ धारण होना, और अगर कन्या शिशु है तो उसके गर्भ में आ जाने के कारण, बार-बार गर्भपात कराना यह औरत के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इससे नई समस्या की ओर देश जा रहा है यह मुँह वाए हमारे देश में खड़ी है यह बात भी मैं इस चर्चा के माध्यम कहना चाहता हूँ। मान्यवर उत्तर प्रदेश में जो प्रतिकूल बायलिंगल अनुपात है जनपदवार मेरे पास आंकड़े उपलब्ध है। मैं इन ऑकड़ों को विस्तारपूर्वक नहीं कहना चाहता हूँ लेकिन आपकी अनुमति चाहता हूँ यह इतिहास का साक्षी रहे। विधान सभा की कार्यवाही का अंग माना जाए। अगर आप राहमंत हों, तो मैं इन आंकड़ों को रिपोटर्स को उपलब्ध करा दूँगा। इन आँकड़ों को आप इस कार्यवाही का अंग बना देंगे तो कम से कम विधान सभा ने, अपने दायित्व का निर्वहन किया यह बात रहेगी यह मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ।

मान्यवर लिंग अनुपात की दृष्टि से देशों का अनुपात आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे कम भारत में लिंग अनुपात और बाल लिंग अनुपात की स्थिति यह है-भारत में 1000 के अनुपात में 935 राजस्थान में 1000 अनुपात में 938, चीन में 1000 अनुपात में 944, बंगलादेश में 1000 अनुपात में 953, इण्डोनेशिया में 1000 के अनुपात में 1004 नाइजेरिया में 1000 के अनुपात में 1616 जापान में 100 के अनुपात में 1041 ब्राजील में 1000 के अनुपात में 1025, अमेरिका में 1000 के अनुपात में 1029 और रुस में 1000 के अनुपात में 1140, यह महिला शिशु कन्या शिशु और बाल शिशु के लिंग अनुपात का अन्य देशों का विवरण आपके सामने रखा है। मान्यवर यह जो आधुनिक तकनीक आई है जिनका उपयोग चिकित्सा के लिए होना चाहिए। जिसका उपयोग मानव की व्याधियों के इलाज के लिए होना चाहिए था उनके दुरुपयोग के कारण इन सुविधाओं के सुगमता से मिलने के कारण कन्या लिंग अनुपात बिगड़ रहा है। कन्या-भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिल रहा है कुछ महत्वपूर्ण प्रसव टेस्ट है जिनके आसानी से उपलब्धता के कारण यह जानकारी समय से पूर्व हो जाने के कारण कि गर्भ में कन्या शिशु पल रहा है लोग गर्भपात के माध्यम से इस भ्रूण हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं। एमोनिया सेन्टेसिस भ्रूण द्रव्य जाँच यह गर्भावस्था से 15 से 17 सप्ताह के बीच होता है। एक टेस्ट दसवें सप्ताह में होता है यह मंहगा टेस्ट होता है। अल्ट्रा साउन्ड जो सबसे सस्ता टेस्ट होता हे। यह 18 से 25 दिन बाद भी हो जाता है और उस टेस्ट के माध्यम से जब यह पता चल जाता है तो उसका दुरुपयोग करके, भयावह समस्या की तरफ देश को बढ़ाया जा रहा है।

मान्यवर गर्भावस्था पूर्व या प्रसव के पूर्व तकनीकी लिंग जाँच अधिनियम 1994 लागू किया गया। इसमें सभी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए यह 14 फरवरी, 2003 को कानूनी तौर पर लागू भी हो गया। इस अधिनियम को नाम बदलकर 1994 में लागू किया गया। इस अधिनियम में जितनी व्यवस्थायें लागू की गई, उसमें शासन की मंशा स्पष्ट थी। लेकिन इस अधिनियम को लागू करने के लिए जो समिति बनाई गई थी न उस समिति को यह जानकारी है कि उसके क्या दायित्व है या उसके क्या कर्तव्य है, न उस समिति के निर्णयों को लागू करने की स्थिति है, न इन कानूनों को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा सख्ती के साथ लागू किया जा रहा है। सिर्फ बोर्ड लगा देने से अल्ट्रा साउन्ड जहां पर होता है कि यहां पर लिंग निर्धारण नहीं किया जाता है। लिंग निर्धारण करना और कराना गैर कानूनी है, अपराध है, इसके अतिरिक्त जैसे सिगरेट के डिब्बे पर लिखा है निर्धारित चेतावनी के रुप में उसी तरह से केवल कानून का पालन किया जा रहा है अल्ट्रा साउन्ड सेन्टर के ऊपर, लेकिन प्रत्येक अल्ट्रा साउन्ड सेन्टर के ऊपर गर्भ निर्धारण करके कन्या-भ्रूण हत्या को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा इसको कैसे रोका जा सकता है। इसको रोकने के लिए उनका पंजीकरण करना, जहाँ शिशुओं के नाम दर्ज किए जाते हैं, इसके लिए हमें जागरुकता को बढ़ाना पड़ेगा। विभिन्न स्तरों पर प्रभारी अधिकारियों में इसके प्रति रुचि में कमी है, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। राज्य में पंजीकरण कार्यालयों के आसानी से उपलब्ध न होने से भी कठिनाई आती है, इसकी हिमायत और सुधार करने की आवश्यकता है। यदि कन्या-भ्रूण हत्या को एक सामान्य हत्या के रुप में देखा जाए और सभी पार्टियों द्वारा अपनी विभिन्न गोष्टियों के दौरान इस पर चर्चा की जाए तो कन्या भ्रूण हत्या को कम करने में मदद मिलेगी और विभिन्न पार्टियों के कार्यक्रमों और चुनाव घोषणा पत्र में यदि इसको शामिल किया जाए तो इससे जनमत को हम जागरुक कर सकेंगे। सरकारी विभागों में भी इसके लिए उचित तालमेल होना चाहिए और इसके लिए सभी कल्याणकारी कार्यक्रमों को तत्परता से क्रियान्वित करने की जरुरत है।

मान्यवर, कन्या-भ्रूण हत्या के पाप पूर्ण कार्यकलाप को रोकने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को जागरुकता पैदा करके इस काम में मदद करनी चाहिए। सतत् अनुश्रवण और अनुसंधानों के द्वारा भी इस समस्या के निदान के लिए कुछ किया जा सकता है। इसका अनुश्रवण प्रत्येक तीन माह पर हो कि हमको क्या करना था, क्या हमने किया और उन तीन माह में या 6 माह में एक निश्चित अन्तराल के बाद यदि अनुश्रवण करेंगे तो जो हम चाहते थे, उसमें क्या कमी रह गयी, यह मालूम हो सकेगा और आगे सुधार किया जा सकेगा। मेरा एक निवेदन और है इसमें हम सब जनप्रतिनिधियों की भी भूमिका है, यदि समाज में हमारी बात का विश्वास जनता के लोग करते हों, चाहे सभासद हों, जिला पंचायत सदस्य हों, विधायक हों या सांसद हो, उनकी भूमिका, उनका प्रभाव अपनी-अपनी जातियों और क्षेत्र में जहाँ है, इसके लिए यदि वह संकल्प कर लें कि हम इसके लिए जनमत तैयार करेंगे, कन्या-भ्रूण हत्या और लिंग परीक्षण को बन्द करायेंगे, समाज में महिलाओं को बराबरी का स्थान देंगे और कन्या तथा बाल शिशु में कोई अन्तर नहीं है, यह बात समाज में स्थापित कर लेंगे तो निश्चित तौर पर हम कन्या-भ्रूण हत्या को रोक सकेंगे। यहाँ पर और भी माननीय सदस्य हैं, डा0 राय साहब भी हैं, वह भी इस पर बात करेंगे। मैं इस चर्चा के माध्यम से सदन और सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश आज कन्या भ्रूण हत्या के माध्यम से बाल शिशु और कन्या शिशु अनुपात के भयावह मुहाने पर पहुँच गया है जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश ने देश की राजनीति को एक दिशा दी है, अच्छा हो यदि उत्तर प्रदेश इसमें भी पहल करके अपने कानून को और प्रभावी तरीके से लागू करे और कन्या-भ्रूण हत्या को रोकने में अपनी सार्थक भूमिका निभाये और बेटा-बेटी एक समान, दोनों का करना सम्मान, इस कहावत को बलवती करे तथा वंश की खातिर क्यों यह सोच हमारी, क्योंकि परिवार की श्रीवृद्धि लड़की भी कर सकती है। तो शायद माँ की कोख में उसे यह नहीं कहना होगा कि माँ, मुझे कोख में न सुला देना। यह अपील हम सभी को करनी पड़ेगी जिससे कन्या-भ्रूण हत्या को प्रभावी तरीके से रोका जा सके।

डा0 पी0के0 राय-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस गम्भीर विषय पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और साथ ही डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी जो इस सदन के वरिष्ठ और सम्मानित सदस्य हैं उन्होंने बहुत ही विस्तार से इस महत्वपूर्ण विषय को रखा है। वह व्यवस्था का प्रश्न अक्सर उठाते हैं। लेकिन आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में सदन में कोरम का अभाव है और सदस्यों की संख्या बहुत कम है जबकि ऐसे गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है। निश्चित तौर पर इससे सदस्यों के माध्यम से जो संदेश बाहर जाना चाहिये था वह नहीं जा पायेगा इस बात का हमें दुख भी है। भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ी समस्या है इसके लिये कानून बना हुआ है लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी तक इस एक्ट के अन्तर्गत किसी को भी कहीं पर भी कोई दण्ड दिया गया हो। सबकी जानकारी में है कि कहां पर यह सब होता है और बावजूद इसके हमारी जो प्रशासनिक मशीनरी है वर्तमान समय की और पहले की, कहीं न कहीं उसका भी संरक्षण इनको मिल रहा है। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूँगा कि इस एक्ट पर अमल मजबूती के साथ किया जाना चाहिये। शिक्षा से भी इसका संबंध है। जहां पर शिक्षा है जैसे केरल प्रदेश में साक्षरता पूरे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है लेकिन इसका संबंध केवल साक्षरता से नहीं है बल्कि साक्षर होने के साथ-साथ जहां महिलायें स्वावलम्बी हैं, जहां परिवार की महिलाओं को इस बात का अधिकार है कि वो निर्णय ले सकती है जहां महिलाओं को इस बात का अधिकार है कि अगर वह चाहे तो

उसे गर्भ रहे और न चाहे तो उसे गर्भ न रहे वहाँ पर लिंग भेद की समस्या नहीं है। महिलाओं के स्वावलम्बी होने पर यह जो लिंग भेद की समस्या है और जो इसका अंतर है इस पर कुछ नियंत्रण हो सकता है। मान्यवर, यह सामाजिक बुराई है और निश्चित रुप से समाज की नुमाइंदगी करने वाले लोग चाहे ग्राम सभा स्तर के हों चाहे विधान सभा स्तर के हों जब तक वह गंभीरता से विचार नहीं, करेंगे इस पर गंभीरता से प्रयास नहीं करेंगे तब तक इस बुराई से निपटा नहीं जा सकता है। उत्तर प्रदेश में इस पर नियंत्रण न हो पाने के कारण यह है कि स्वास्थ्य को प्राथमिकता पर विगत सरकारों ने नहीं लिया है। स्वास्थ्य को प्राथमिकताओं में वर्तमान सरकार ने रखा है। हमें उम्मीद है कि अगर स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार ध्यान देगी तो इस पर कुछ नियंत्रण किया जा सकता है। मेरे साथी पीछे से कुछ कह रहे हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

इसलिए पीछे से कह रहे हैं कि इन्होंने हमेशा पीछे से वार किया है।

डा0 पी0के0 राय-

मैं इस बात को प्राय: कहता रहा हूँ, चिकित्सक की हैसियत से और चिकित्सकों की नुमाइन्दगी करते हुए भी मैंने यह कहा था कि अगर यह सरकारों की प्राथमिकताओं में रहा होता तो हम यहाँ खड़े नहीं होते। विगत वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकताओं में नहीं रखा गया। हम लोग आंध्र प्रदेश में गये थे। वहां के मुख्य मंत्री जी से मेरी वार्ता हुई। और जब मैंने सवाल किया कि आपके यहाँ आपकी सक्सेस का सीक्रेट्स क्या है, हम पुवर परफारमेंस स्टेट से आये हैं, तो उनका कहना था कि हमने यह कहा है कि चाहे जो भी सरकारे आयें स्वास्थ्य सम्बन्धी जो नीति बनाई जाती है उस नीति का अनुपालन सभी सरकारे करेंगी। अगर भेदभाव होगा तो चिकित्सा स्वास्थ्य की जो प्राथमिकताएं है वह नहीं रह पायेंगी। दूसरा आदेश यह किया था, उस पर विचार करना चाहिए, वहाँ पर ऐसा आदेश है कि चाहे ब्लाक स्तर हो या ग्रामीण पंचायत स्तर पर, जो भी बैठकें होंगी उन बैठकों में मेन्डेट्री होगा स्वास्थ्य सम्बन्धी जो समस्याये होगी चाहे वह एड्स हो, या जनसंख्या नियंत्रण की प्राब्लम हो, इन सबपर चर्चा होनी चाहिए। हम लोग चर्चा करने से मुकरते हैं। हम जनप्रतिनिधि इसके बारे में बात नहीं करते, तो इसमें अगुवाई हमको करनी होगी। हमें यह नहीं देखना होगा कि इससे हमारा वोट बैंक प्रभावित हो रहा है या हमारा वोट बैंक जा रहा है। केवल हम आदेश या अध्यादेश कर दें इससे स्थिति में फायदा होने वाला नहीं है। हमारे बाजपेयी जी ने बहुत सारे आंकड़े दिये, वह बहुत सारे आंकड़ों के साथ तैयार होकर आये थे, मुझे नहीं मालूम था कि आज चर्चा होगी, तो मैं यह कहना चाहता था कि इन आंकड़ों में जो एक चीज प्रदर्शित होती है वह यह है कि जो जगहें हैं, उन क्षेत्रों को देखिये, जो क्षेत्र अग्रणी है उन जगहों में भ्रूण हत्या का प्रतिशत ज्यादा है, लिंग भेद का अंतर है। जो क्षेत्र पिछड़े हैं वहाँ पर यह बीमारी नहीं आयी है। तो हमें इसके बारे में सोचना होगा कि इसमें आखिर कैसे नियंत्रण लगाया जा सकता है? वहाँ पर केवल बोर्ड न लगे क्योंकि वहीं पर यह काम ज्यादा होता है जहाँ पर यह लिखा होता है लिंग की जाँच कराना कानूनी अपराध है। तो जो आपके आदेश हैं उसको अमल में लाया जाय। इन्ही शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया।

श्री राम इकबाल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। महोदय, भ्रूण हत्या भारत जैसे देश में एक गंभीर चिन्ता का विषय है। इसमें केवल अज्ञानता

और अशिक्षा ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि भ्रूण हत्या सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा कारण है। केवल बेटियों के भ्रूण की हत्या होती है, पुत्रों के भ्रूण की हत्या नहीं कराते हैं। श्रीमन्, इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि जो दहेज प्रथा समाज में है इस प्रथा के कारण लड़कियों की भ्रूण हत्या करायी जाती है। हम समाज के जिम्मेदार लोग यहां तक नहीं पहुँच पाये हैं, एम0एल0ए0 हैं, एमपीज है वह तैयार नहीं हो पाये हैं कि लड़के-लड़कियों की शादी में दहेज न दें। बल्कि उनके यहां तो प्रचलन और बढ़ा है, कोई आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 हो जाये समझिये उसकी लाटरी निकल गई, आज समाज में जो दहेज नाम की कुरीति है इसको दूर करने की आवश्यकता है। यह गम्भीर विषय है, हम नहीं जानते किसी मंदिर में देवी-देवता रहते हैं या नहीं रहते हैं, लेकिन जिसे देवी कहा गया इस देश में उन बच्चियों का सम्मान होना चाहिए, उनकी गरिमा बढ़ाई जानी चाहिए। कोई भी मां-बाप किसी स्थिति में जाकर भ्रूण लिंग की जांच कराता है और अल्ट्रासाउन्ड कराने के बाद गर्भपात कराता है। मान्यवर, मां-बाप अपने होने वाले बच्चे की स्वयं हत्या कराने के लिए डाक्टर के पास जाते हैं, लेकिन आज तो लेडी डाक्टर भी हर जगह उपलब्ध नहीं होती है मान्यवर बलिया जनपद में कोई लेडी डाक्टर नहीं है। श्रीमन् 29 लाख की आबादी का जिला, लेडीज डाक्टर नहीं है। झोला-छाप नर्सेज की ट्रेनिंग लेकर, दाई की ट्रेनिंग लेकर जगह-जगह पर बोर्ड बना दिए गये हैं। अभी हमारे आदरणीय राय साहब कह रहे थे, हम कहें कि कम से कम डाक्टर हैं पढ़े-लिखे आदमी हैं, बाकी लोग तो अपनी पार्टी लाइन पर हांकते रहते हैं, कम से कम कुछ लोग तो हैं जो इस बात को कहें जो समाज और राज्य के हित में है, आज कौन से जन स्वास्थ्य की व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है? श्रीमन् जिले में लेडीज डाक्टर नहीं है, आधी आबादी उनकी है, पूरा शोषण उनका हो रहा है, अल्ट्रा साउण्ड मशीनें प्राइवेट में लगाये हुए हैं, जिला स्तर के अस्पतालों में भी नहीं है, अब प्राइवेट वालों के यहां गये एबार्सन करने के लिए अगर पेट में लड़का है तो उसको भी कह दिया कि अल्ट्रासाउण्ड में लड़की आ गई, उसे भी एबार्सन किये दे रहे हैं, मतलब उनका सिर्फ मनी है क्योंकि वह डाक्टर नहीं है, वह कसाई है। श्रीमन् यह गम्भीर विषय है, सरकार जानती है, इसको कौन नहीं जानता है। सरकार भी कल विपक्ष में थी आज पक्ष में है, कल वह इन बातों को कहते थे, लेकिन अब फुर्सत नहीं है, उत्तर प्रदेश का विकास करना है, उत्तर प्रदेश का विकास बड़े-बड़े उद्योगपति लोग कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश विनाश की ओर जा रहा है। श्रीमन् इसके लिए गम्भीर प्रयास करने चाहिए। आज दहेज जैसी समस्या से निजात पाने के लिए आम लोगों में इसको एजूकेट करने के लिए सरकार की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए और आम लोगों में जागरुकता पैदा करें कि बेटी की हत्या मत करें। हमने तो अनेकों बार इस बात को कहा है कि लेक्चरर, सीटी ग्रेड, एलटी ग्रेड जितने भी टीचिंग के पद हैं, क्लर्क के पद हैं उन पदों पर लड़कियों को लेने के बाद ही लड़कों की नियुक्ति होनी चाहिए, चाहे उनके अंक कितने भी हों, कैसे नहीं दहेज रुकेगा? जिसकी बेटी शिक्षा मित्र हो जाय श्रीमन् वहां दहेज रुक जा रहा है तो कुछ ऐसे नियम सरकार बना सकती है जिसकी वजह से दहेज रुक जाये, अगर दहेज रुक जाये तो हम दावे के साथ कहते हैं कि कोई भी मां-बाप अपनी बेटी की हत्या कराने के लिए डाक्टर और नर्स के पास नहीं जायेंगे।

श्रीमन् यह इतना गम्भीर विषय है, बात सही है उत्तर प्रदेश में भी श्रीमन् एक हजार लड़कों पर 779 लड़कियां पैदा हो रही हैं, थोड़े ही दिन में वक्त आने वाला है कि लड़कों को भी विज्ञापन देना होगा अपनी शादी के लिए, इसलिए मान्यवर, हम सब लोगों को इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। लड़कियों का सम्मान, नारी का सम्मान करें, हम नहीं कह रहे हैं कि देश में उनका सम्मान पहले से नहीं उठा है, पहले से बहुत बदला हुआ है लेकिन इसको बहुत बदलने की जरुरत है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ

भी उपलब्ध नहीं है, श्रीमन् मैं तो कह सकता हूँ कि कुछ भी उपलब्ध नही है, हमारे जनपद में लेडीज डाक्टर नहीं है, लोग लेडीज डाक्टर को दिखाने के लिए मऊ जाते हैं, प्राइवेट में जाते हैं जहां ज्यादा पैसा लगता है, उनको इतना ज्ञान नहीं है, झोला छाप डाक्टर इनको रिफर कर देते हैं, जगह-जगह नर्से बैठी हुई है वह कह देती है मऊ को जाओ, बी0एच0यू0 में भी मेडिकल कालेज को रिफर नहीं करते हैं, बनारस में भेजते हैं तो प्राइवेट अस्पतालों के नाम लिख देते हैं पर्चे पर।

डा0 पी0के0 राय-

आपके यहां कितने समय से लेडी डाक्टर नहीं है?

श्री राम इकबाल सिंह-

कई महीनों से, सात-आठ महीनों से नहीं है, आपने इतनी महत्वपूर्ण बात कही कि इतनी सरकारें देश में चली लेकिन स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस नहीं रहा।

मान्यवर, आज भी किसी व्यक्ति को साँप काट दें तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उसके लिए इन्जेक्शन नहीं है। वह झड़वाने चला जाता है, देवी देवताओं की पूजा अर्चना करता हे। मान्यवर, बहुत फोन करिये तो कहीं जाकर सी0एम0ओ0 के प्रयत्नों से किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 10 इन्जेक्शन महीने में एण्टी रैबीज वैक्सीन के पहुँच जाते हैं। गरीब आदमी यह समझता है कि सरकारी अस्पताल में खैरात में मिलता है और वह उसके इंतजार में बैठा रहता है और कभी-कभी मर भी जाता है। मान्यवर, या तो सरकार यह ऐलान कर दें कि वह अस्पतालों में एण्टी रैबीज वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पायेगी तो फिर वह गरीब आदमी कहीं से कर्जा लेकर और इन्जेक्शन लगवाकर अपनी जिन्दगी तो बचा लेगा। डाक्टर राय जी जानते हैं कि उसका एक कोर्स है इन्जेक्शन लगने का और वह उसको रेगुलर लगनी चाहिए। मान्यवर, मैं यह चाहता हूँ कि ग्रामीण इलाकों में भी लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता आनी चाहिए। अभी इन चीजों की वहाँ पर बहुत कमी है।

मान्यवर, अभी मैं पढ़ रहा था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सरकार कण्डोम बटवा रही है, यह होना चाहिए। जहाँ पर इन सब चीजों की आवश्यकता है वहाँ पर प्रचार हो। आज ग्रामीण क्षेत्रों में अवेयरनेस नहीं है। इसके लिए लड़कियों को उत्साहित करने की जरुरत है ताकि वे अधिक से अधिक संख्या में जॉब के लिए आ सकें। और कुछ जगह कम्पलसरी कर दिया जाये तो अच्छा होगा। मान्यवर, उनकी उससे गरिमा उठ जायेगी। मान्यवर, लोहिया जी भी कहते थे कि नारी का उत्थान हो। लेकिन समाजवादी पार्टी की स्थिति इसमें कमजोर है। मान्यवर, अगर लड़कियों का उत्थान होगा तो यह कन्या भ्रूण हत्या जैसी बातें रुक जायेंगी। मान्यवर, किसी के घर में बेटी नहीं जलती है बहू जलती है। लेकिन जो स्थिति है उसमें इस तरह से बहुत सी बेटियां जल रही है। तो यह जो घृणित काम है उसको कम किया जा सकता है यदि लड़कियों का उत्थान किया जाय। सरकारी नौकरियों में उनको जॉब दिया जाय। और उनमें लड़कियों के जॉब के लिए पद कम्पलसरी रुप से बनाये जायें। मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया।

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, माननीय लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जो प्रस्ताव रखा है मैं उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, आज कन्या भ्रूण हत्या समाज में हो रही है। जैसा कि

अभी माननीय पी0के0 राय जी ने और माननीय राम इकबाल सिंह जी ने कहा इसमें कई कारण हैं। मान्यवर, जब किसी परिवार में बिटिया पैदा होती है तो वह व्यक्ति अपना माथा पीटता है और अपने को कलंकित महसूस करता है। जब वह व्यक्ति अपना माथा पीटता है और अपने को कलंकित महसूस करता है। जब वह स्कूल जाती है तो उसके मन में भय रहता है कि पता नहीं कब उसे बदमाश उठा ले जाये या उसके साथ रेप हो जाये। समाज में व्यक्ति जो अपनी प्रतिष्ठा बना कर लाता है इन सब बातों से उसके मन में भय रहता है कि पता नहीं किस समय कोई घटना हो जाये और हमारे ऊपर दाग लग जाये और हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा दाँव पर लग जाये।

मान्यवर, बहुत सारे लोगों के परिवारों में दो बच्चे होते हैं, कहीं तीन-चार बच्चे पैदा होते हैं और कहीं-कहीं सात-आठ बच्चे पैदा होते हैं। वह लोग इस उद्देश्य से बच्चे पैदा करते हैं कि बुढ़ापे में यह रोटी नहीं देगा तो वह दे देगा और वह नहीं देगा तो वह दे देगा, तो अगला दे देगा और हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा और बुढ़ापे में रोटी दे देगा। मान्यवर, चाहे जितनी भी गरीब हो, अधिकारी हो कर्मचारी हो, पत्रकार हों, चाहे जज हों, चाहे जन प्रतिनिधि हो, सबका उद्देश्य एक ही है कि मेरा बुढ़ापा सम्मानपूर्वक बीते और बच्चों से रोटी मिले।

लेकिन यह भी देखने में आ रहा है आज शाम को खाना खाने के वक्त पानी रखना भूल जाना और छोटे बच्चे से कहना जो तीन वर्ष का है कि जरा घड़े से या नल से या फ्रिज से पानी ले आओ रोटी गले में अटक रही है लेकिन वह खाली मटका देगा। पहला दूसरे पर टार देगा और दूसरा तीसरे पर टार देगा कोई पानी लाकर नहीं देगा। कोई बिटिया सुन रही होगी जिससे कहा भी न होगा वह पानी लाकर के दे देगी लेकिन बेटा पानी लाकर के नहीं देगा जिससे हमने रोटी की बुढ़ापे में आस लगा रखी है। समाज बिगड़ गया है इसकी चर्चा नहीं होती है।

मान्यवर, आज सदन में कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम पर चर्चा हो रही है लेकिन आप देखें हमारे सदन में इस समय एक भी महिला विधायक यहाँ उपस्थित नहीं है। मान्यवर, जब किसी व्यक्ति के घर बेटा पैदा होता है तो फूल की थाली का बेला बजाया जाता है खुशिया मनती है, जच्चा बच्चा के गीत गाये जाते हैं और मिठाइयां बांटी जाती है और दावतें होती हैं और जब बेटी पैदा होती है तो परिवार में करछुली, पलटा या चिमटा भी नहीं बजाया जाता है। यह सब कार्य महिलायें करती हे, महिला ही बिटिया होने में दुख महसूस करती है।

मान्यवर, इतना ही नहीं जब बिटिया पैदा होती है तो पैदा होने के बाद ही वह अपने भाई के लिए व्रत करती है, भइयादूज का और जब वह मां बनती है तो व्रत करती है अघोई आठ का अपने बच्चे के लिए और जब पत्नी बनती है तो पति के लिए व्रत करती है करवा चौथ का उसी के हिस्से में सारे व्रत है। भाई के लिए भैयादूज, पति के लिए करवा चौथ और मां बनने पर बच्चे के लिए अघोई आठे का व्रत करेगी लेकिन पुरुष के लिए उस इंसान के लिए कोई भी व्रत न बहन के लिए है, न मां के लिए है और न पत्नी के लिए है, न बेटी के लिए है कोई भी व्रत उसके रहने के लिए नहीं बताया गया है। अगर शाम के समय खाना खा रहे हैं कोई भी परिवार गरीब से गरीब हो, वह आटा मांग कर लाये, शाक तोड़कर लाये और हड़िया पर बनाने के लिए रखा है तो कोई उसका साथी आकर बैठ जाय तो उस समय खाना हो तो तुरन्त वह आर्डर कर देगा कि खाना उनके लिए भी लाये और वह भी खाना खा ले। वह यह भी परवाह नहीं करता कि वह बेचारी सब कुछ परस देगी वह क्या खायेगी। कभी यह झांक कर नहीं देखेगा। सब बन गया तो एक रोटी का आटा

रखा होगा उसका पलोथन डालकर नमक डालकर बनाकर खायेगी उसको खाकर सो जायेगी, कुछ खाया है या नहीं, इसको देखने वाला कोई नहीं है, जबकि वह बराबर की साझेदार है।

हमारे पश्चिम की महिला सुबह व्यक्ति से पहले उठकर सारे पशुओं को चारा करती है और उसके बाद झाड़ू पोछा से लेकर घर का खाना बनाने का काम करती है। वह सुबह 4.00 बजे जागकर किसान या मजदूर पति के साथ रहकर खेत में काम करने जैसे खेत की गुड़ाई, निराई, कटाई ढुलाई, गन्ना छीलना और तो और बुग्गी भैंसा को चलाकर ले जाना आदि सारे काम करती है और अंतिम संस्कार में पिता की मृत्यु पर बेटे की नजर माल पर होती है जबकि बिटिया उसके शोक में रो-रोकर अपनी ससुराल से गांव चलकर सुधबुध भूल जाती है। जब बिटिया नहीं होगी तो पत्नी नहीं होगी और पत्नी नहीं होगी तो किसी की मां नहीं होगी तो कोई अनसीगर पैदा नहीं हो पायेगा और नाम नहीं चल पायेगा। मान्यवर, जिस घर में नारी न हो उस घर में उजाला नहीं होता। मान्यवर, भ्रूण हत्या एक महिला का सशक्तीकरण न होना और सामाजिक मान्यता न देना भी एक कारण है। दहेज मांगने की जब कोई बात आती है तो कभी कोई व्यक्ति जेठ, ससुर, देवर आदि व्यक्ति दहेज की मांग नहीं करता है मांग करती है तो सास, जेठानी, देवरानी और ननद और इस घटना में अगर कही आग लगाने की बात है तो सास मिट्टी का तेल उड़ेलेगी और ननद माचिस की तीली खीचेगी। अधिकतर दहेज हत्याओं में यह प्रकरण प्रकाश में आये है चाहे वह दोषी हो या न हों नाम उन्हीं का रहता है।

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

...उसकी दोषी भी महिला ही होती है। सामाजिक चीज को धारण करके कन्या-भ्रूण हत्या के लिये जहाँ तक व्यक्ति दोषी है, वही पर महिला भी दोषी है। डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा जो विषय यहाँ रखा गया है कि उत्तर प्रदेश में कन्या-भ्रूण हत्या पर अविलम्ब प्रभावी रोक लगायी जाय, इस पर मैं अपना बल देता हूँ और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अधिष्ठाता जी, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी द्वारा सदन में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और उस पर चर्चा हो रही है, उस पर आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, आजकल हर चैनल पर एक विज्ञापन देखने को मिलता है, उसमें दिखाया जाता है कि अल्ट्रासाउण्ड में लड़की को मारा जा रहा है और वह लड़की रो-रो कर चिल्ला रही है, पापा मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे मत मारो। आज यह स्थिति इस हालत में पहुँच गई है कि सारे देश के लोगों को यह कहने की आवश्यकता पड़ गई और एक संदेश देने की आवश्यकता पड़ गई कि भ्रूण में यदि कन्या है तो उसको मत मारो, वह बेटे के समान है। माननीय आजम खां साहब यहाँ बैठे हैं, इसलिये मुझे कहने में खुशी हो रही है कि कानपुर के एक कवि सिंदूर साहब ने एक कविता लिखी थी, मुझे यहां इसकी ऊपर की दो लाइनें ही याद है-

"उठती है पीर कलेजे में, छिदता रह-रह कर भाला है,

फूटी कौड़ी है पास नहीं, बेटी ने होश संभाला है।"

इस कन्या-भ्रूण हत्या के पीछे कौन से कारण है? दहेज को रोकने के लिये बहुत से कानून बनाये गये। मैं एक अधिवक्ता हूँ और काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सामाजिक कुरीतियों को रोकने के लिये

जहां-जहां, जब-जब कानून बनाये गये, यह कुरीतियां रुकी नहीं, यह दूने वेग से आगे बढ़ी। मान्यवर, सामाजिक कुरीतियों को रोकने के लिये समाज को आगे आने की आवश्यकता है। जब तक समाज आगें नही आयेगा, तब तक सामाजिक कुरीतियां दूर नही होंगी। मान्यवर मेरे पास केवल लखनऊ नगर निगम के आंकडे हैं और वह भी केवल 8 महीने के। मैं बहुत लम्बा भाषण नहीं देना चाहता हूँ। यह वर्ष 2005 के आंकडे हैं, जनवरी से लेकर जुलाई तक। इन्होंने हिन्दू, मुस्लिम और ईसाई इन तीन वर्गों के आंकडे प्रस्तुत किये हैं। जनवरी में हिन्दुओं मे जो लडके पैदा हुये उनकी संख्या 2639 और लड़कियां हुयी 1142। मुस्लिम में 959 लड़के और लडकियां 436 और ईसाई में लड़के 4 और लडकियां 2 । इसके बाद फरवरी माह में हिन्दुओं में 2942 लड़के पैदा हुये , लडकियां 1696। मुस्लिम में लड़के 1184 और लड़कियां 739 और ईसाई में लड़के 3 और लडकी एक। मार्च महीने मे हिन्दुओ मे लड़के 2842 और लड़कियां 1495, मुस्लिम में लड़के-1119, लड़कियां-685, ईसाई मे लड़कों का डिटेल इन्होंने नहीं दिया है, केवल लडकियों की संख्या दो बतायी है। अप्रैल माह मे हिन्दुओं मे लडके पैदा हुए 2,649 और लडकियां पैदा हुई 1,829, मुस्लिमों में लड़के पैदा हुए 1,094 तथा लडकियां पैदा हुई 786, ईसाई में लड़के पैदा हुए 4 और लड़कियां पैदा हुई दो। मई माह में हिन्दुओं में लडके पैदा हुए 2,789 और लडकिया पैदा हुई 1,842, मुस्लिमों में लड़के पैदा हुए 1,144 तथा लड़कियां पैदा हुई 846, ईसाई में लड़के पैदा हुए 3 और लड़कियां पैदा हुई दो। जून माह में हिन्दुओं में लड़के पैदा हुए 1,210 तथा लडकियां पैदा हुई 792, ईसाई में लड़के पैदा हुए 3 तथा लड़कियां पैदा हुई दो। जुलाई माह में हिन्दुओ मे लड़के पैदा हुए 2,802 और लड़किया पैदा हुई 1,909, मुस्लिमों में लड़के पैदा हुए 1,320 तथा लडकिया पैदा हुई 904 ईसाई मे लड़के पैदा हुए 2 और लड़कियां पैदा हुई दो। यह आठ महीने के आंकडे हैं जिसमें हिन्दुओं में कुल 19,544 लडके पैदा हुए और 11,805 लड़कियों का जन्म हुआ। मुस्लिम में कुल 8,030 लड़के पैदा हुए और 5,188 लडकियों का जन्म हुआ। ईसाई समुदाय में लड़कों की कुल संख्या 21 तथा लड़कियों की कुल संख्या 13 रही। यह जो मैंने आंकड़े प्रस्तुत किसे हैं, यह आंकड। नगर-निगम, लखनऊ की रिपोर्ट के आधार पर है। यह भयावह स्थिति है और यह परिणाम कन्या-भ्रूण हत्या के हैं। आज इस पर सभी ने चिन्ता व्यक्त की है, लेकिन आखिर जब कानून हमने बनाये हैं तो यह कानून प्रभावी क्यों नहीं हो रहे हैं? बड़े-बड़े डायग्नोस्टिक सेन्टर है, जो रजिस्टर्ड भी नहीं हैं, अवैध रूप से सोनोग्राफी करके और भारी-भारी पैसा ले करके ये सेन्टर कन्या भ्रूण हत्या का ही काम करते हैं। सरकार को इस पर सख्ती से कदम उठाना चाहिए, सरकार के पास यह आंकड़े होने चाहिए कि कैसे रजिस्टर्ड और अन-रजिस्टर्ड सेन्टर इस प्रकार के काम में लिप्त हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, हालत यह हो गयी है कि इन डायग्नोस्टिक सेन्टरों में जहां पर सोनोग्राफी होती है, वहा पर कोड शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि मालूम न हो सके कि हम क्या कर रहे हैं? जब उनसे पूछा जाता है कि क्या निकला, तो डॉक्टर कह देता है कि जय माता दी यानि लड़की और जब दूसरा पूछता है कि क्या निकला, तो डाक्टर बता देता है कि जय बजरंग बली यानि कि लड़का। कही-कही पर एम0 और एफ0 का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से कोड शब्दों का प्रयोग करके आज अनैतिक कार्य हो रहे है। मैं माननीय आजम खां साहब के सामने पेश कर रहा हूँ, मैंने कल पढ़ा था यह कैसी विडम्बना है कि आज इंसान को इंसानियत का कैसा नशा चढ़ा है, जिस नारी से जन्मा है, उसी को मिटाने पर अड़ा है। आज यह दुर्भाग्य है, केन्द्र सरकार से आपकी सरकार से कन्या धन योजना जैसी कई योजनायें चल रही हैं, लेकिन मूल रूप में नारी की हत्या हो रही है। इसे रोकने के लिए जैसा कि हमारे साथी डा0 वाजपेयी जी ने कहा कि यह अपराध भी 302 के अपराध के बराबर माना जायेगा, तभी इसे रोका

जा सकता है और तभी यह रोक पायेंगे। जिस डाक्टर ने कन्या-भ्रूण हत्या की है, तो वह 302 का अपराधी हो, क्योंकि मैंने लॉ की पुस्तक में पढ़ा था डिट्रेन्ट थ्योरी ऑफ पनिश्मेन्ट। चार थ्योरी ऑफ पनिश्मेन्ट में से एक यह भी है। कानून का भय होगा तभी कानून प्रभावी होगा। इसलिए प्रभावी से प्रभावी कानून बनाना पड़े तो सरकार को संकोच नहीं करना चाहिए। मैं इस मत का हूँ कि कन्या-भ्रूण हत्या पर कठोर कानून बनाकर इसे रोका जाये। धन्यवाद।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, कन्या भ्रूण हत्या पर अविलम्ब रोक लगायी जाये, माननीय बाजपेयी जी के प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो आंकड़े माननीय श्रीवास्तव जी ने पटल पर रखे हैं उससे साफ जाहिर है कि पूरे प्रदेश में अल्ट्रासाउण्ड के माध्यम से परीक्षण करके कन्या-भ्रूण हत्या हो रही है। इसके लिए सिर्फ सरकार से कार्यवाही की अपेक्षा नही, समाज भी इसके लिए उत्तरदायी है और समाज भी इस पर कार्यवाही करे। यह हम सबका दायित्व बनता है। मान्यवर, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए जहां बाजपेयी जी ने कहा कि इस पर कठोर कार्यवाही हो, श्रीवास्तव जी ने कहा है कि ऐसे डाक्टरों पर 302 का मुकदमा चलना चाहिए। इसमें दो राय नहीं कि हत्या हत्या होती है चाहे व्यक्ति की हत्या हो, या भ्रूण हत्या हो। इस पर निश्चित रूप से 302 का मुकदमा ऐसे डाक्टरों पर चलाना चाहिए। सिर्फ इतने से ही भ्रूण हत्या रूक जाये यह भी शंका बनती है, क्योंकि कानून कार्यवाही करता है जब कोई घटना हो जाती है उसके बाद। इससे केवल भय पैदा करके रोकने का प्रयास मात्र हो सकता है। लेकिन जैसा कि डा पी0के0 राय साहब ने कहा कि महिला सशक्तीकरण होना चाहिए इसके लिए भी सरकार को प्रयास करना चाहिए। अगर ईमानदारी से इस पर सदन ध्यान देता है, सरकार ध्यान देती है, इसके कारण न केवल सामाजिक संतुलन बिगड़ रहा है बल्कि इसके कारण हो सकता है कि भविष्य में आने वाले दिनों में मनुष्य की नस्ल में, जैसे पक्षियों में तमाम प्रजातियां विलुप्त होती जा रही है और उनके संरक्षण की बात उठ रही है उसी प्रकार अगर ऐसी स्थिति रही तो शायद मनुष्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाये। इसलिए मान्यवर, इस संतुलन को समाप्त करने के लिए कानून के साथ-साथ महिला को सशक्त बनाने की जरूरत है। सरकार ने अभी कुछ कदम उठाये हैं। मैं प्रसंशा करना चाहता हूँ सरकार की कि उन्होंने कन्या विद्याधन योजना लागू करके 20 हजार रूपया इण्टरमीडिएट पास लड़कियों को देने की व्यवस्था की है, इसके लिए सरकार प्रशंसा की पात्र है। परन्तु जो किया गया है, वह पर्याप्त नहीं है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। सम्भवत: बजट में मुख्य मंत्री जी ने इसको बढ़ाने की भी बात कही है। इसी प्रकार से और भी पहलू है जिसको अगर सरकार करे तो निश्चित रूप से महिला सशक्त होगी। समाज में जो आधे की भागीदारी है, वह मजबूत होगी तो हमारा समाज मजबूत होगा और समाज मजबूत होगा तो हमारा प्रदेश मजबूत होगा।

प्रदेश में कन्या-भ्रूण हत्या पर जारी चर्चा का समय बढ़ाने का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता-

इस प्रस्ताव पर 2.35 बजे से चर्चा हो रही है, एक घण्टे की चर्चा थी, समय समाप्त हो गया है इसलिए समय बढ़ाने का प्रस्ताव लायें।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस चर्चा का समय 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि कन्या-भ्रूण हत्या प्रस्ताव पर हो रही चर्चा का समय बढ़ाने का जो प्रस्ताव माननीय राजस्व मंत्री ने रखा है, उससे यह सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश राज्य में कन्या भ्रूण हत्या पर अविलम्ब प्रभावी रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दिनांक 8 अगस्त 2005 को नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत)

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, अभी इस मामले में देश में चिन्ता का विषय बना था और सारे पोलीटिकल लोगों ने विश्वास व्यक्त किया था कि महिलाओं का आरक्षण विधान सभा और लोकसभा में भी दिया जाय। मैं समझता हूँ कि अगर यह व्यवस्था हो जाती है तो कन्या-भ्रूण हत्या को रोकने की दिशा में यह एक कदम होगा। मैं सारे सदन से और सरकार से चाहूँगा कि वह एक ऐसा प्रस्ताव लाये और पास करे तथा उसको केन्द्र सरकार और पार्लियामेंट को भेजें। यदि विधान सभा और लोकसभा में महिलाओं का आरक्षण होता है तो महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक सही कदम होगा और कन्या-भ्रूण हत्या पर अंकुश लगेगा। कन्या भ्रूण हत्या से समाज में कुरीतियां पैदा हो रही हैं। महिलाओं की संख्या कम होने से अनेक लोग अविवाहित रह जाते हैं और तमाम घटनायें होती हैं और तमाम प्रकार की दुश्मनी पैदा होती है। इन घटनाओं में सिर्फ लोग मारे ही नहीं जाते हैं बल्कि अन्य तमाम अपराध होते हैं। जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने अपने विचार आपके सम्मुख रखे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कन्या-भ्रूण हत्या का एक कारण दहेज भी है। दहेज एक्ट लागू है लेकिन चाहे आपकी सरकार रही हो या हमारी सरकार रही हो उस पर जितनी कठोर कार्यवाही होनी चाहिए वह नहीं होती। दहेज लेने वाले कार्यक्रमों में मंत्रीगण, और हम लोग बैठे रहते हैं, कानून के रखवाले भी बैठे रहते हैं फिर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है। खुले आम सरमायेदार लोग अच्छे से अच्छा धन देकर लड़के खरीदते हैं। अखबारों में आई0ए0एस0, आई0पी0एस0, पी0सी0एस0, पी0पी0एस0 के रेट छपते हैं यह बात अलग है कि विधायक के रेट नहीं हैं।

यह बहुत गंभीर बात है कि दहेज लेने और देने वालों पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। डावरी केश होते हैं जिनमें तमाम लोग जेल जाते हैं। एक पक्षीय कार्यवाही भी होती है । सरकार ने नियम बनाया है कि लड़की के मायके वालों को सफाई देने की जरूरत नहीं है कि लड़की कैसे मरी, इसकी सफाई लड़के वालों को देनी होती है। सरकार ने यह कानून बनाया है यह अच्छा कानून है। लेकिन इसको सही ढंग से लागू करने की जरूरत है। मान्यवर, दहेज एक्ट को और प्रभावी करें।

जिस प्रकार यह मांग हुई कि डाक्टर को भी सजा हो। डाक्टर पर भी हत्या का मुकदमा चले। उसी प्रकार दहेज लेने वालों को भी कम से कम 10 साल की सजा हो। यह भी कानून बनाया जाय। पूरा सदन इस बात से सहमत होगा कि कन्या-भ्रूण हत्या पर रोक लगे। कई चीजे है जिनको लेकर चला जाय और इन सब बातों पर कार्यवाही की जाय तब कही जाकर कन्या-भ्रूण हत्या पर अंकुश लग सकता है। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 अधिष्ठाता जी डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जिस पर एक घंटे से अधिक समय से चर्चा चल रही है। प्रस्ताव है इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कन्या भ्रूण हत्या पर अविलम्ब प्रभावी रोक लगायी जाय। इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर सदन में चर्चा हो रही है यह प्रस्ताव कितना महत्वपूर्ण है मैं यह उल्लेख नही करना चाहूँगा कि इतने महत्वपूर्ण प्रसताव पर चर्चा के समय इतनी कम उपस्थिति कैसे है व कितनी महिला सदस्य उपस्थित है? इस पर टिप्पणी करने से काम नही चलेगा जब भी बदलाव की बात आती है कोई बड़ा समूह उसके लिए अगुवाई नही करता है कोई छोटा समूह ही अगुवाई करता है। लेकिन इसकी शुरूवात होनी चाहिए। मात्र प्रस्ताव पास करने से इस पर रोक नही लगेगी। मैं एक छोटी घटना का उल्लेख करना चाहूँगा। हमारे एक बामपंथी मित्र है उनके परिवार में मै पिछले दिनो गया था। वहाँ पर उनकी बेटी ने इस बात की शिकायत की कि मेरे साथ गैर बराबरी का वर्ताव होता है। जबकि उनके पिता बहुत खुले विचारों के थे इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बेटा और बेटी को बराबर अधिकार है बेटी के साथ कोई भेदभाव नही होता है लेकिन हम जिस समाज में रहते है जिस समाज से है हम उसी के अनुरूप चिन्ता करनी पड़ती हे। वह चिन्ता इसलिए करनी पड़ती क्योंकि बेटी के साथ एक अपराध ऐसा हो सकता है जो उसके भाई के साथ नही हो सकता है और वह अपराध ऐसा है जिससे पूरे परिवार का मान सम्मान खत्म हो जाता है और बेटी की जिन्दगी बरबाद हो जाती है। श्री रंगनाथ मिश्र जी दहेज की चर्चा कर रहे थे गरीबी की चर्चा कर रहे थे। हम यहाँ पर बुद्धि विलास के लिए इस तरह की चर्चा भले कर लें लेकिन होता यह है कि हम सभी लोग इस तरह के आयोजनों में शामिल होते है जिसमें दहेज का लेनदेन होता है यह दुर्भाग्य की बात है कि जो जितना उन्नतशील समाज होता है, जो जितना उन्नत इलाका है, जो जितना सम्पन्न क्षेत्र है वहाँ पुरूषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या उतनी ही कम है। पंजाब और हरियाणा जो कि सम्पन्न प्रदेश है वहाँ पर पुरूषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या काफी कम हे। अधिष्ठाता महोदय इस प्रदेश में भी जहाँ के लोग अपने को उन्नत मानते है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी स्त्रियों की संख्या पुरूषों की तुलना में काफी कम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाजपेयी जी ने चर्चा छेड़ी है।

आपके मेरठ और उसके आस पास में भी स्थिति दयनीय है जहाँ हम पिछड़े पूर्वांचल और पिछड़े बिहार की बात करते हैं मैं ईश्वर की कृपा मानता हूँ कि आज जो पिछड़े हुए लोग है उन्होंने अपने को इस कुरीति से दूर रखा है। अब इनको क्या कहा जाय। स्समृद्धि को आने से रोका जाय, क्या कोई ऐसा काम किया जाय कि यहाँ विकास न आ जाय? आज इसमें आवश्यकता इस बात की है कि इस अनुपात को कैसे ठीक किया जाय कैसे इसके लिये उपचार किया जाय? इसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि इसका सामाजिक उपचार किया जाय। जब तक इसका समाजिक उपचार नही करेगे मात्र कानून बना देने से ही इसका हल नही निकलेगा। दहेज का कानून तो आप देख रहे है कि काफी समय से बना हुआ है लेकिन उसका क्या अर्थ है, आज उसका कोई असर नही है और यह स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नही है। इसी तरह से यदि कन्या-भ्रूण हत्या के बारे में कानून बना लें और मानसिकता में परिवर्तन न हो तो उसका क्या उपयोग है। यह बात सब जानते है कि सोनोग्राफी होती है और उसमें नीचे लिखा होता है कि लिंग जाँच कराना कानूनी अपराध है और इसके बावजूद भी जाँच होती है और भ्रूण हत्या हो रही है।

इस अपराध को रोकने के लिये प्रभावी कदम उठाने होंगे। सिर्फ कानून बना देने से कुछ नही होता। इस अपराध को रोकने के लिये लोगो में सामाजिक जागरूकता का पैदा होना आवश्यक है। मात्र कानून बना देने से इस पर नियंत्रण नहीं हो सकता है। अल्ट्रा साउन्ड का प्रयोग बीमारियों की जाँच के लिये भी किया जाता है इसलिये इस जाँच की इसलिये खारिज नहीं किया जा सकता कि इससे लिंग का पता च

जाता है। यह जॉच को टेक्नीक तब ही बन्द हो सकती है जब तक कि बीमारियों की जांच के लिये अ विधियॉ हो। इसलिये मेरा आपसे यही कहना है कि इस अपराध को तब तक समाप्त नहीं किया जा सकत जब तक कि इसके प्रति लोगों में सामाजिक जागरूकता न पैदा हो। इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प नही है। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ हालांकि उसका उल्लेख करने से कोई लाभ नही है परन्तु फिर भी मैं यहॉ पर यह बताना चाहता हूँ कि कन्या विद्या धन के माध्यम से इन्टर पास करने वाली लड़कियों को बीस हजार रूपये की धनराशि हमने दी। जिस समय हमने इस योजना को शुरू किया उस समय कहा गया कि यह सब चुनावी प्रलोभन है।

हमने 200 करोड़ रूपये से शुरू किया था ओर पिछली बार यह 300 करोड़ रूपये था और इस बा मै बधाई देना चाहता हूँ प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी को जिन्होंने इस वर्ष बजट में इसको 300 करोड़ से बढ़ाकर 600 करोड़ कर दिया है। यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हमको एक दूसरे की आलोचना नहीं करनी है। एक साथ जुटकर इसके बारे में प्रयास करना है कि किस तरह से इस पर काबू किया जा सकता है।

प्रदेश में कन्या-भ्रूण हत्या पर जारी चर्चा का समय बढ़ाये जाने का पुन: प्रस्ताव

राजस्व मंत्री (अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर इसके पहले में एक प्रार्थना कर दूँ कि इस पर आप समय बढ़ा दें। मैं पुन: प्रस्ताव करता हूँ कि चार बजे तक के लिये इसका समय और बढ़ा दें।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो प्रस्ताव समय बढ़ाने का रखा है उससे यह सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य में कन्या-भ्रूण हत्या पर अविलम्ब प्रभावी रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मी कान्त वाजपेयी द्वारा दिनांक 8 अगस्त, 2005 को नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

कन्या विद्या धन, विधवा पेंशन आदि के क्षेत्र में काफी तरक्की हुई है। मान्यवर: विधवा शब्द बड़ अपमानजनक लगता था। इस शब्द का प्रयोग भी सामाजिक तौर पर बन्द कर दिया जाय इसके सरकारी कागजों पर निर्देश दे दिये गये है। अगर इन सब को सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वे मिलेंगी तो अपने आप पर नियंत्रण हो जायेगा। इन प्रयासों से हम काफी हद तक सकारात्मक दिशा में बढ़ सकेंगें। सामाजिक जागरूकता से इस पर पूरी तरह से नियंत्रण हो जायेगा। सरकार के प्रयासों से यह अभिशाप पूरी तरह से समाप्त हो जायेगा, ऐसा मै नहीं मानता लेकिन सामाजिक तौर पर हम पहल नहीं करेंगें तो कोई फायद

नहीं होगा। पिछले दिनों मैने अपने क्षेत्र में कहा कि जिनको आप शादी ब्याह जैसे अवसर पर बुलाना बाध्य नहीं है उनको बुलाना बन्द कर दें। किसी न किसी स्तर पर सामाजिक मान्यता उनकी कम करनी पड़ेगी तक जाकर इसमें कुछ कर पायेंगें। इस बारे में सामयिक रूप से जितनी पहल होनी चाहिए नहीं हो पा रही है और कदाचित जितनी गम्भीरता होनी चाहिए नहीं हो पा रही है अगर टी0वी0 में प्रचार कर दिया जाय तो यह कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे कोई न जानता हो। अगर कोई नई दवा का नाम है तो ऐसा विषय नहीं है जिसे कोई न जानता हो। अगर कोइर नई दवा का नाम है तो वह जरूर सुना जायेगा लेकन मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार करके कोई प्रभावी नियंत्रण इस पर नहीं लाया जा सकता है जब तक कि आर्थिक कारणों को सुदृढ़ करके बराबरी पर लाने की कोशिश करेंगें।

लेकिन जब तक सम्मपत्ति और सम्मान में लड़की और लड़के की, पुरूष और स्त्री की बराबर की हिस्सेदारी नहीं होगी, मैं बहुत विनम्रता से बात कहना चाहता हूँ कि जब तक समानता का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक चाहे जितने आदर्श की कल्पना कर लें वहां तक नहीं पहुँचेंगे जब तक सामाजिक तौर पर सम्पत्ति और सम्मान का अधिकार नहीं दे पाएंगे। इसमें बड़ी लड़ाई है। इसमें छोटे-छोटे कानून बनाकर पूरा मानस लोगों का नहीं बदल सकते है। कभी वक्त होता था कि लोग कहते थे कि लड़के के मुखाग्नि देने से आदमी स्वर्ग में जाता है। आज यह मत है गाँव में चर्चा होती है, वहां के लोग स्वीकार करते है कि लड़की अपने माता-पिता की सेवा ज्यादा करती है।

एक अनुभव बताना चाहता हूँ मैंने एक प्रयास किया। राजस्व मंत्री होने के बाद मैने प्रयास किया कि लड़की को उनकी बराबरी पर रखा पाए। तो सातवी श्रेणी से उठाकर दूसरी श्रेणी पर अपनी पुत्री को रखने का प्रयास किया। मैं बताना चाहता हूँ कि यह आसान प्रयास नहीं है। मेरी सीमा है मैं और नहीं कह सकता हूँ। बेटे के बराबर का अधिकार नहीं दे सका। कभी आपके सहयोग से प्रयास करूँगा। दूसरी श्रेणी का बेटी को सम्मान दे सका। सातवी श्रेणी से दूसरी श्रेणी तक पहुँचा दिया। लेकिन जो भाई के बेटे को अधिकार है। वह बेटी को नहीं है जो भतीजे को अधिकार है वह बेटी को नहीं है, जो बेटे के बेटे को अधिकार है वह बेटी को नहीं है। ऐसी व्यवस्था समाज में चली आ रही है इसके लिए आलोचना भी हुई बहुत से लोगों की तरफ से, उसकी चर्चा मैं नहीं करता लेकिन कुछ करने का प्रयास करते हैं तो कितनी कठिनाइयों का सामान करना पड़ता है। पट्टे में स्त्री और पुरूष के अधिकारों में समानता लाएं तो उसमें कठिनाई है, दिक्कतें हैं। इन सारी कठिनाइयों से ऊपर उठकर हम यह सोचें तो यह महान क्रान्तिकारी कदम है। उसी के अनुरूप यह सूचना है। मान्यवर मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूँ और उन उलेमाओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने आग्रह किया बेटी के अधिकार बेटे की तरह बनाएं। मैं बता रहा हूँ जहां कहीं से यह प्रयास होते है तो उन सब प्रयासों को एक साथ रखना चाहते है। पहला प्रयास हमारा यह हो कि कन्या-भ्रूण की हत्या को हमें रोकना होगा, पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से चाहे जितनी शक्ति लगे। इन सारी चीजों पर विचार आएंगे इससे निष्पक्ष तय किया जा सकता है इस अनिवार्य विषय पर विचार होना चाहिए। बाजपेयी जी ने चर्चा प्रस्तुत की है उसके लिए मै इनको धन्यवाद देता हूँ।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी-

माननीय अधिष्ठाता जी इतनी महत्वपूर्ण चर्चा पर जो कई बार कार्य-सूची में मद के रूप में आने पर परवान पर आज चढ़ी । इस पर राजस्व मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उसको सुनने के बाद मेरा निवेदन है मैं खासतौर से आपके माध्यम से निवेदन है मैं खासतौर से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ।

मान्यवर, इतने महत्वपूर्ण विषय पर और इतने समय के बाद आज कार्य-सूची के मदों पर आने के बाद भी चर्चा का उत्तर देने के लिए सम्बन्धित मंत्री जी उपस्थित नहीं है, जिसके विषय में विभागीय अधिकारियों ने उन्हें इससे सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध कराई होगी, उनकी अनुपस्थिति में इस महत्वपूर्ण चर्चा और कन्या भ्रूण हत्या की गम्भीरता का द्योतक है। यह बात मैं कहना चाहता हूँ, सम्बन्धित विभाग के मंत्री की कितनी गम्भीरता है, कितनी संवेदनशीलता है कि इतनी महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान आज इस सदन में वह अनुपस्थित है, मुझे इसका खेद है और मै आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूँगा, यदि सम्बन्धित विभाग के मंत्री होते तो जो तकनीकी बातें आंकड़ों के द्वारा कही गयी थी, उस रूप में आ जाती लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी ने अपनी योग्यता के अनुसार, जैसा उनका स्वभाव है, उत्तर दिया। जनपद स्तर पर जो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए शासन के अधिकारियों की कमेटी बनी थी, मैने चर्चा करते समय कहा था कि इस प्रकार की कमेटी बिल्कुल डिफंग कमेटी है।

मैने कन्या भ्रूण-हत्या को रोकने के लिए कोई नया कानून बनाने की बात नहीं की है, मैने कहा हैं कि इस पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कार्यवाही करें। जो कानून इसके लिए बना हैं और उसमें जो मंशा हैं, उसके अनुसार प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिए लेकिन जिस विभाग का यह कानून है, जो विभाग भार-साधक विभाग है, वह विभाग यहाँ अनुपस्थित है तो स्वाभाविक तौर पर विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों की जनपदों में इस समस्या के प्रति कितनी रूचि है, इसी से स्पष्ट है, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन जिला स्तर पर जो कमेटी गठित है, उसे प्रभावी किया जाए जिनका दायित्व नई-नई तकनीकों के माध्यम से लिंग का पता लगा कर कन्या भ्रूण हत्या करने की जो रूचि बढ़ रही है, उसको रोकने का है, लिंग परीक्षण को रोकने का है और वहाँ उनका दायित्व जन जागृति करके लोगों को खड़ा करने का भी है। लेकिन यह नहीं हो रहा है और दूसरी बात यह है कि यह अपराध एक सामान्य हत्या से भी बड़ा है, वह कुछ देर तो प्रतिरोध करता ही है लेकिन जो एक निरीह की हत्या है वह तो 302 से भी बड़ा अपराध है। यह महिला साक्षरता या महिला सशक्तीकरण से ज्यादा सम्भव नहीं है जब तक महिलाओं को स्वयं निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। सामाजिक जागरूकता की भी जरूरत है तो इसका दायित्व किसका है, दायित्व है सरकार का, हमारे जनप्रतिनिधियों का, गॉव से लेकर लोक सभा तक निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का या समाज में काम करने वाले संगठनों का लेकिन जब इतनी महत्वपूर्ण चर्चा के समय सदन में हमारे साथी इतनी कम संख्या में उपस्थित हों तो वह जनजागरण भी कर सकेंगे, यह अपने आप में एक प्रश्न है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आग्रह है, यदि सरकार ने इसे गम्भीरता से लिया है कि कन्या-भ्रूण हत्या को रोकना चाहिए तो सरकार जन-जागरण करने, जिला सस्तरीय समितियों को प्रभावी बनाने, महिलाओं को अपने बारे में निर्णय लेने का अधिकार देने और उसके लिए सामाजिक परिस्थितियाँ पैदा करने का काम करे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, हमारे साथी डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी और अन्य साथियों ने भ्रूण हत्या के संबंध में बहुत ही अच्छे सुझाव भी दिए है और बहुत अच्छे ढंग से रखा भी है। मान्यवर, राजस्व मंत्री जी ने उसका जवाब भी

दिया है। मै जवाब देने के लिए तो नहीं लेकिन सिर्फ इतना कहने के लिए कि प्रचीन काल से लेकर अगर देखेंगे कि माँ थी तो हौआ थी, बेटी थी तो सीता थी, बेटी तो मरियम थी। लेकिन उसे हम जेहालत का जमाना कह दें, जब बेटी पैदा होती थी तो उसे दफन कर देते थे, बल्कि पेदा होने से पहले ही गढ्ढा खोदकर रखते थे कि अगर बेटी पेदा होगी तो उसे दफ्न कर देंगे। जिंदा दफ्न कर देते थे। हर किसी के यहाँ बेटा तो पैदा होगा नहीं, बेटा ही तो जीवन का मानक नहीं है। अगर सारे बेटे पैदा हो जायें तो कुदरत का निजाम बिगड़ जाएगा। सबके यहाँ बेटे नहीं हो सकते और सबके यहाँ बेटियाँ नहीं हो सकती, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता और जो आंकड़े है वह सभ्य समाज में ज्यादा गिरावट के है। जैसे-जैसे तालीम बढ़ी है, सम्पन्नता बढ़ी है और लोगों में जानकारी के माध्यम बढ़े है, जैसे-जैसे साइंटिफिक इमेज में हम आए है उतने ही हम जालिम हो गये है। जिन शहरों के हमारे पास आकड़े है वह बहुत विकसित है, वहाँ ज्यादा शिक्षा है, ज्यादा पैसा है, वहाँ पर कन्या-भ्रूण हत्या का प्रतिशत ज्यादा है जबकि जो गाँव है, बस्तियाँ है, छोटे-छोटे शहर है, कस्बे है वहाँ पर मान्यवर, आज भी यह बीमारी नहीं है। हो सकता है कि उनकी गरीबी इसका कारण हो, उनकी अशिक्षा इसका कारण हो। लेकिन तजुर्बा यह कहता है कि जहाँ गरीबी और अशिक्षा है वहाँ बेटियाँ है और जहाँ पैसा है वहाँ भ्रूण हत्या है और इससे बड़े दुख की बात और क्या होगी और जैसे कि डा0 पी0के0 राय साहब ने पीड़ा व्यक्त की कि जिस सदन को विचार करना है वह सदन ही इस चर्चा में सदस्यों से महरूम है।

सरकारें प्रयास कर रही है, पहले भी सरकारें प्रयास कर रही थी। हम किसी को दोष नहीं देना चाहते क्योंकि यह ऐसी तकलीफदेह बात है जिसके लिए सबका दिल दुखता है। जिसके कुछ नहीं वह मांगकर बेटी लाता है। अगर किसी को मन्दिर-मजिरद में नाजायज बच्चा मिल जाता है तो वह उसे कलेजे का टुकड़ा मान लेता है। आपने दो रोज पहले भी सुना होगा, शायद कल ही कि अभी मध्य प्रदेश के मंत्री का 4 साल का बच्चा जो कि गूंगा-बहरा था, गुम हो गया था। उस गूंगे-बहरे बच्चे को पाने के बाद उन्हें कितनी खुशी हुई होगी लेकिन जिसने उस 4 साल के बच्चे को पालकर जवान किया उसे कितना दुख हुआ होगा। सरकारें तो सब करती है, सरकारें तो साधन है, काननू बनाती है। कानून है, कानून में सुविधाएँ भी है, लेकिन कानून का उल्लंघन कौन लोग कर रहे है? कोई खेत में हल चलाने वाला किसान नहीं कर रहा है। टेक्सटाइल मिल में सूत बुनने वाला नहीं कर रहा है बल्कि पढ़े-लिखे डाक्टर जो कि इंसानियत का रखवाला होने की कसम खाते है वह कर रहे है। लेकिन अब तो अल्ट्रासाउंड की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब तो ऐसे-ऐसे आले आ गये है कि पहले ही पता चल जाता है। अब इसको कहाँ तक रोकेंगे आप। इसलिए खुद को तैयार करने की जरूरत है, समाज को तैयार करने की जरूरत है। इसलिए सरकार इसे ज्यादा से ज्यादा प्रोयोगेट कर सकती है। इधर टेलीविजन पर इस पर अच्छे और प्रभावी ऐड आ रहे है। इसमें इजाफा होना चाहिए। सभी दलों को विचार करना चाहिए। आपने कहा कि हमें अपने इलेक्शन मेनिफेस्टो में इसको शामिल करना चाहिए। यह सबसे अच्छा सुझाव है। हमें अपने मेनिफेस्टों में शामिल करना चाहिए। यह वाकई गम्भीर समस्या है। इसमें जहाँ कमी पायी जायेगी पूरी दर्दमन्दी के साथ पूरे मन से इसको हम पूरा करेंगे। हम सब जो आपकी मंशा है उसके साथ है, जो भावनाएं आपने व्यक्त की है उसके साथ है। बेटियाँ नेमत होती है। जिस घर में बेटी नहीं होती है उस घर का आंगन सूना होता है। हम

आपके साथ है। ऐसा नहीं कि पिछली सरकारों ने इसमें कुछ नहीं किया होगा, कोई कोशिश नहीं की होगी। जो आगे भी आयेंगी वह भी इसमें करेंगी। इसी के साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अधिष्ठाता जी, मंत्री जी, इस कानून के जो प्राविधान है और जो लागू करने के लिए जनपद की समितियां है उनको सक्रिय और प्रभावी करने के लिए आश्वस्त करें।

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

मान्यवर, इस सिलसिले में जो भी प्रभावी कदम होंगे वह हम करेंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

ठीक है, इस आश्वासन पर मैं अपने इस प्रस्ताव को वापस लेता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि इस सदन का निश्चित मत हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में कन्या-भ्रूण हत्या पर अविलम्ब प्रभावी रोक लगायी जाय विषयक प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश के नगर निगमों द्वारा जनसुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु मार्ग दर्शक सिद्धान्त बनाये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-14 को माननीय सदस्य के अनुरोध पर स्थगित किया जाता है।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 17 फरवरी, 2006 को नियम-51 के अंतर्गत कुल 26 सूचनाएं प्राप्त हुई :-

पहली सूचना डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की, जो प्रदेश के श्रम न्यायाधिकरणों में जजों की तैनाती न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी।

दूसरी सूचना श्री मोहन देव शंखवार की, जो कानपुर के शिवपुरी काका देव निवासी श्री योगेश चन्द्र शुक्ला की हत्या से सम्बन्धित अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही न किए जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी।

तीसरी सूचना श्री सुखदेव राजभर की, जो आजमगढ़ स्थित जिवली रेन-गांव, गाजीपुर से औढ़ीहार मार्ग की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी।

चौथी सूचना डा0 पी0के0 राय की, जो जनपद कुशीनगर स्थित दुदही में विकास कार्य हेतु आवंटित धनराशि के बाद भी कार्य न कराये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी।

पॉचवी सूचना श्री अमर सिंह यादव की, जो हाथरस, एटा, अलीगढ़ स्थित डिग्री कालेजों के प्रबंधक एवं प्राचार्य द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति में किए जा रहे गबन के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी।

छठी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की, जो मेरठ स्थित मेरठ-गढ़ मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी।

सातवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की, जो मेरठ जनपद में विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं एवं व्यापरिक प्रतिष्ठानों के साथ किए जा रहे उत्पीड़न के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी।

आठवीं सूचना श्री नवाब सिंह नागर की, जो गौतमबुद्ध नगर स्थित ग्राम उपरालसी में 132 के0वी0 सब स्टेशन का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी।

नवीं सूचना श्री ओम प्रकाश पाण्डेय की, जो फैजाबाद-इलाहाबाद राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण कार्य खराब गुणवत्ता के आधार पर कराये जाने एवं दोषियों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी।

दसवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की, जो शाहजहांपुर स्थित फूल सिंह यादव शिक्षा निकेतन नियामतपुर को हाईस्कूल की वित्त विहीन मान्यता दिए जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी।

ग्यारहवीं सूचना श्री धर्मपाल सिंह की, जो जनपद बरेली स्थित हाफिजगंज और अनिरूद्धपुर के बीच क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी।

बारहवीं सूचना श्री रामकरन आर्य की, जो जनपद बस्ती के बहादुरपुर ब्लाक स्थित पाल्हा गांव में निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को चालू कराये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी।

तेरहवीं सूचना श्री मदन चौहान की, जो गाजियाबाद के सिम्भौली शुगर मिल द्वारा करोड़ों के सरकारी राजस्व घोटाले की जांच कराये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी।

चौदहवीं सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की, जो भदोही की औराई तहसील हेडक्वार्टर पर पर्याप्त विद्युत आपूर्ति कराये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी।

(नियम 51 की सूचना के मध्य श्री अधिष्ठाता ने 4 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही 4 बजकर 30मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 4 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री अध्यक्ष-

पंद्रहवी सूचना श्री जयराम विमल की श्री गांधी विद्यालय इण्टर कालेज, गोण्डा के सहायक अध्यापक श्री दयाराम की मृत्यु के पश्चात् उनकी पत्नी को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी।

सदस्यों की सूचानायें अस्वीकृत हुई है :-

1. श्री जियाउद्दीन रिजवी
2. श्री स्वामी प्रसाद मौर्य
3. श्री विश्राम सिंह यादव
4. श्री पूर्णमासी देहाती
5. श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह
6. श्री कालीचरण राजभर
7. श्री बाबू लाल कुशवाहा
8. श्री राम नरेश यादव
9. श्री राम इकबाल सिंह
10. श्री मुंशी लाल गौतम तथा
11. श्री श्यामदेव राय चौधरी

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

अब इसके बाद सदन को सूचना देनी है कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों के संबंध में।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 16 फरवरी, 2006 को हुई अपनी बैठक में की गयी सिफारिशों के क्रम में दिनांक 17 फरवरी, 2006 को हुई बैठक में विधान सभा के दिनांक 18 से 28 फरवरी, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की है :-

1- दिनांक 20 से 27 फरवरी, 2006 तक सदन के उपवेशन न हों।

2- दिनाक 28 फरवरी, 2006 को निधन के निर्देश लिए जाय।

3- दिनांक 18 से 28 फरवरी, 2006 तक के सदन के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय:-

फरवरी, 2006

18 शनिवार।

19 रविवार।

20 सोमवार।

21 मंगलवार।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

22 बुधवार।

23 गुरूवार। बैठक नही होगी।

24 शुक्रवार।

25 शनिवार।

26 रविवार।

27 सोमवार।

28 मंगलवार। 1. निधन के निर्देश।

2. निम्नलिखित विधेयक पर विचार एवं उनका पारण।

(क) उत्तर प्रदेश उच्चतर माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 (आधा घण्टा)।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2006 (आधा घण्टा)।

(ग) उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2006 (आधा घण्टा)।

3. वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।

सदन के शेष उपवेशनों में लिये जाने वाले कार्यो के बारे में सूचना यथासमय दी जाएगी।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में रखा है, से यह सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। दिनांक 28 फरवरी, 2006 को पूर्वाहन 11.00 बजे पुन: बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन अपराहन 4 बजकर 33 मिनट पर मंगलवार, दिनांक 28 फरवरी, 2006 को दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनॉक 17 फरवरी, 2006

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

(देखिये ता0 प्र0सं0-14 का उत्तर पीछे पृ0-24- पर।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी क

अनुपूरक सामग्री

सरकारी विज्ञप्ति संख्या-1160 दिनांक 10-4-2000 द्वारा दिनांक 1.4.2000 से मोटर स्प्रिट और डीजल आयल जो संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम 1939 में यथा परिभाषित है पर निर्माता या आयातकर्ता के बिन्दु पर 20 प्रतिशत की दर से व्यापार कर का आरोपण किया गया है।

राज्य के संसाधनों में बृद्धि के उद्देश्य से विज्ञप्ति संख्या-2059 दिनांक 3 अगस्त, 2004 द्वारा दिनांक 07 अगस्त, 2004 से उक्त पर कर की दर 20 प्रतिशत से बढ़ा कर 21 प्रतिशत निर्धारित की गयी है तथा विज्ञप्ति संख्या-343, दिनाक 26-11-2004 से मोटर स्प्रिट (पेट्रोल) पर कर की दर 21 प्रतिशत से बढ़ा कर 25 प्रतिशत निर्धारित की गयी है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कतिपय राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर कर की दर उत्तर प्रदेश की अपेक्षा अधिक है तथापि कतिपय राज्यों में कर की दर कम भी निर्धारित है। प्राप्त सूचना के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में पेट्रोल पर कर की दर 30.55 प्रतिशत, गुजरात में पेट्रोल पर 26 प्रतिशत, लाइट डीजल आयल पर 21.6 प्रतिशत (2 प्रतिशत टर्न ओवर टैक्स और 3 प्रतिशत सेस). हिमांचल प्रदेश में पेट्रोल पर कर की दर 25 प्रतिशत, कर्नाटक में पेट्रोल तथा डीजल पर कर की दर क्रमशः 28 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर देय है। केरल में डीजल पर कर की दर 24 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में पेट्रोल तथा डीजल पर कर की दर 25 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत सरचार्ज देय है। महाराष्ट में पेट्रोल पर कर की दर 30 प्रतिशत तथा लाइट डीजल आयल पर 31/34 एवं रू0 1 प्रति लीटर की दर से सरचार्ज भी देय है। राजस्थान में पेट्रोल पर कर की दर 28 प्रतिशत, तमिलनाडू में पेट्रोल पर 30 प्रतिशत तथा डीजल पर 25 प्रतिशत, उत्तरांचल में पेट्रोल तथा डीजल पर 25 प्रतिशत कर देय है। आंध्रप्रदेश में डीजल पर 19.33 प्रतिशत, बिहार में पेट्रोल एवं हाई स्पीड डीजल पर क्रमशः 21.5 प्रतिशत था 17 प्रतिशत, दिल्ली में पेट्रोल पर 20 प्रतिशत तथा डीजल पर 12 प्रतिशत, हरियाणा में पेट्रोल पर 20 प्रतिशत तथा डीजल पर 12 प्रतिशत, हिमांचल प्रदेश में डीजल पर 14 प्रतिशत, वेस्ट बंगाल में डीजल पर 17 प्रतिशत (20 प्रतिशत अतिरिक्त कर सेस रू0 1 प्रति लीटर) तथा राजस्थान में डीजल पर 20 प्रतिशत (सेस रू0 0.50 प्रति लीटर बिक्री कर/व्यापार कर है)

डीजल तथा पेट्रोल से वर्ष 2004-2005 में व्यापार कर राजस्व के रूप में रू0 217700 करोड़ प्राप्त हुए है।

यहाँ यह भी उल्लेख करना है कि वर्तमान में व्यापार कर अधिनियम में अतिरिक्त कर लगाने का कोई प्राविधान नहीं है। विकास कर के रूप में 4 प्रतिशत का कर रू0 50 लाख से अधिक कर योग्य टर्नओवर के कुछ प्रकार के समव्यवहारों पर लागू है।

पी0एस0यू0पी0-एल0 43 विधान सभा (70)-9-5-2006-813 (कम्प्यूटर)।